राजभाषा भारती

अप्रैल–जून 1987

अंक 37

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

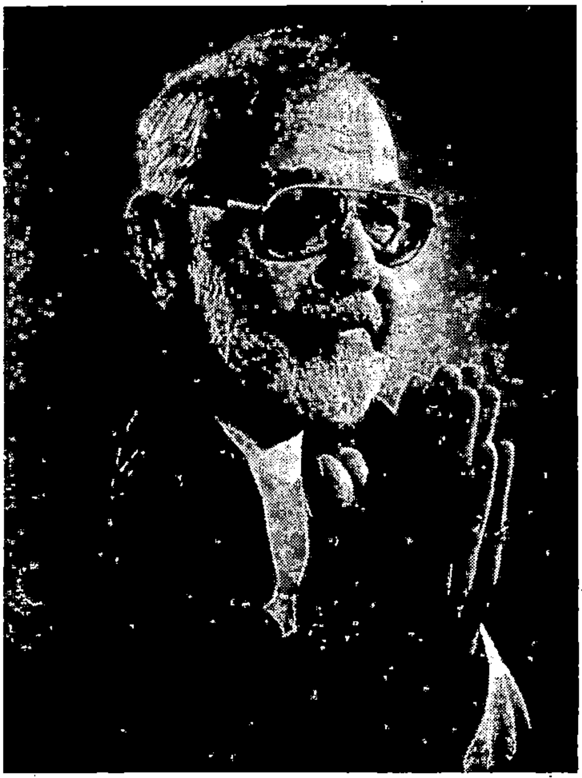

चित्र सौजन्य : श्री त्रिलोक दीप

श्री सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' का विगत 4 अप्रैल, 1987 को देहावसान हो गया। इससे भारतीय जनमानस को बड़ा आघात लगा, क्योंकि श्री अज्ञेय साहित्यिक विभूति ही नहीं अपितु संस्कृति-पुरुष भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से जो शाश्वत मूल्य उजागर किए हैं वे उन्हें अमरत्व प्रदान करते हैं।

श्री 'अज्ञेय' बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एकसाथ महान कवि, उपन्यासकार तथा सशक्त निबंध लेखक होने के अतिरिक्त मानवीय मूल्यों के उपासक भी थे। हिन्दी कविता में उन्होंने अनेक अभिनव प्रयोग किए। वे "तारसप्तक" के संपादक थे। उनकी चर्चित पुस्तकों में उल्लेखनीय हैं—"शेखर एक जीवनी", "अपने-अपने अजनबी" "नदी के द्वीप" "हरी घास पर क्षणभर", "अरे यायावर रहेगा याद" तथा "सुनहले शैवाल"।

श्री 'अज्ञेय' ने साहित्यक की विभिन्न विधाओं को समृदध किया। उनके उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध तथा संस्मरणात्मक लेख हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं।

राजभाषा भारती परिवार की ओर से श्री 'अज्ञेय' की पावन स्मृति में सश्रद्ध नमन।

"मैं अनुभव करता हूं कि हिन्दी के प्रति मेरी आस्था अनेक हिन्दी वालों से अधिक और साथ ही यह भी कि बड़ी गहराई और बड़ी निष्ठा से भारतीय हूं। मैं दस-बारह वर्ष से बराबर बाहर रहा हूं, लेकिन हर बार इसलिए लौट आया कि अन्ततोगत्वा मैं भारतीय हूं, भारत का हूं और भारत में ही रहूंगा।"

—अज्ञेय

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

चैत्र——ज्येष्ठ 1909 शक
अप्रैल——जून 1987

वर्ष : 10 अंक : 37

संपादक :
डॉ० महेशचन्द्र गुप्त
निदेशक (अनुसंधान)

□
उप-सम्पादक :
डॉ० गुरुदयाल बजाज

□
पत्रिका में प्रकाशित
लेखों की अभ्युक्ति से राजभाषा
विभाग का सहमत होना
आवश्यक नहीं है।

□
निःशुल्क वितरण के लिए

□
पत्र व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन, (प्रथम तल)
खान मार्किट,
नई दिल्ली-110003

फोन : 617807/690613

विषय-सूची

			पृष्ठ
	अपनी बात		
	पाठकों के पत्र		
1.	राजभाषा नीति——एक विवेचन	श्री शंभु दयाल	1
2.	राजभाषा हिन्दी का प्रचार और प्रसार	पुरुषोत्तम अम्बालाल पटेल	4
3.	राजभाषा हिन्दी का विकास : कुछ विचार	भोलाभाई पटेल	6
4.	राष्ट्र की आन, एक भाषा एक जान	महेश चन्द्र अवस्थी	8
5.	केरल में राजभाषा के रूप में मलयालम की पुरःस्थापना	टी.एन. जयचन्द्रन	10
6.	हिन्दी और बंगला——एक भ्रम निवारण	डा. सत्येन्द्रनाथ बोस	13
7.	बैंकिंग प्रयुक्ति एवं अनुवाद	गंगा प्रसाद राजौरा	15
8.	तकनीकी हिन्दी एवं हमारी शिक्षा में उसकी उपादेयता	श्रीमती मालती प्रकाश	19
9.	पुरानी यादें——नए परिप्रेक्ष्य में : मातृभाषा का उद्धार	स्वामी श्रद्धानन्द	21
10.	हिन्दी चली समन्दर पार सुरीनाम में भारत का गणतन्त्र दिवस समारोह	रागिनी सिन्हा	25
11.	समिति समाचार :		
	(क) मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियां——		26

1. विदेश मंत्रालय
2. योजना आयोग
3. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग तथा बीमा सहित)
4. रक्षा मंत्रालय
5. वित्त मंत्रालय (राजस्व और व्यय विभाग)
6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
7. विधि और न्याय मंत्रालय
8. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
9. ऊर्जा मंत्रालय
10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

11. जल संसाधन मंत्रालय

12. पर्यावरण और वन मंत्रालय

13. पर्यटन मंत्रालय

14. संचार मंत्रालय

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वियन समितियां—

(1) कालीकट (2) त्रिचुर (3) तिरुअनन्तपुरम (4) कोहिमा (5) गुवाहाटी (6) कलकत्ता (7) भुवनेश्वर (8) लुधियाना (9) चण्डीगढ़ (10) इन्दौर (11) भोपाल (12) जबलपुर (13) पटना (14) मथुरा (15) वाराणसी

12. राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियों का आयोजन 56

1. अहमदाबाद में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन
2. हिन्दुस्तान कापर लि. कलकत्ता का वार्षिक राजभाषा समारोह
3. तोपगाड़ी फैक्टरी जबलपुर में राजभाषा पुरस्कार वितरण
4. बैंक नोट मुद्रणालय देवास में राजभाषा पुरस्कार वितरण
5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फरीदाबाद में शील्ड वितरण समारोह
6. आकाशवाणी (विदेश प्रसार प्रभाग) नई दिल्ली में राजभाषा पुरस्कार वितरण
7. आयकर अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली में राजभाषा समारोह
8. लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर में हिन्दी संगोष्ठी
9. बुदनी में तकनीकी विषयों में हिन्दी का प्रयोग विषय पर संगोष्ठी
10. भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल में मानसेवी सचिवों का सेमिनार
11. लखनऊ में हिन्दी विज्ञान लेखन प्रतियोगिता
12. लखनऊ में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक संगोष्ठी
13. जयपुर : सम्वत् अभिनन्दन समारोह
14. हिन्दी अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन

13. हिन्दी के बढ़ते चरण : 67

1. विशाखापट्नम पत्तन न्यास में राजभाषा कार्यान्वियन
2. आयकर प्रभार कानपुर में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा
3. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में हिंदी की प्रगति

14. हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन 71

15. हिन्दी कार्यशालाएं 75

16. विविधा 81

17. आदेश-अनुदेश 88

अपनी बात

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों के अध्यक्षों, अनेक विभागों के सचिवों, सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों आदि को सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था—' "भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिन्दी को सब से ज्यादा लोग समझते और बोलते हैं । इसीलिए हिन्दी को हमने राजभाषा बनाने के लिए चुना है । हमारी यह कोशिश रहेगी कि देश में सब लोग हिन्दी बोलने और समझने लगें। इस दिशा में काफी काम भी हुआ है लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तेजी से काम होना चाहिए था, शायद नहीं हो पाया है ।" प्रधान मंत्री जी के इन शब्दों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में गति लाने का निर्देश निहित है ।

भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित भाषा नीति संबंधी संकल्प के पैरा-1 के अनुसार केन्द्रीय सरकार को हिन्दी के प्रचार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने हेतु प्रत्येक वर्ष एक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया । इसी दायित्व के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है और सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आशा है वर्ष 1987-88 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा परिचालित कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपना पूरा योगदान देंगे जिससे आगामी वर्ष के कार्यक्रम में इन्हीं लक्ष्यों की पुनरावृत्ति न होकर उच्चतर लक्ष्य निर्धारित किए जा सकेंगे। संसद द्वारा पारित उक्त संकल्प के अनुरूप हम सबको भी अपनी मानसिकता बदलने का संकल्प करना होगा और सरकार की सहिष्णुता की भाषा नीति को अपने दैनंदिन व्यवहार से प्रभावी बनाना होगा । सहिष्णुता के साथ प्रभविष्णुता हमारी संस्कृति का मूल तत्त्व है । संस्कृत की एक उक्ति में ठीक ही कहा गया है —

> गच्छन् पिपीलिका याति योजनानां शतान्यपि ।
> अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ॥

अर्थात् चलती हुई चींटी सैंकड़ों कोस चली जाती है और गरुड़ यदि न चले तो एक कदम भी नहीं जाता । यही बात राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मामले में पूरी तरह लागू होती है । यदि हम मानसिकता बना लें कि हिन्दी में काम करना है तो बहुत आसानी से ऐसा किया जा सकता है और इसमें हम अपने संवैधानिक दायित्व का ही निर्वाह करते हैं । हमारे लिए श्रेयस्कर यही होगा कि हम चींटी के संकल्प और गरुड़ की गति दोनों के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाएं और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सफल बनाएं ।

दिनांक 21 मार्च, 1987 को गांधी संस्थान, अहमदाबाद में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए संयुक्त सचिव (राजभाषा) श्री शंभु दयाल द्वारा व्यक्त विचार "राजभाषा नीति—एक विवेचन" में प्रस्तुत हैं । इसी अवसर पर श्री भोलाभाई पटेल, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गुजरात यूनिवर्सिटी तथा श्री पुरुषोत्तम अम्बालाल पटेल प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी शिक्षण विभाग, गुजरात विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत शोध लेख "राजभाषा हिन्दी का विकास—कुछ विचार" तथा "राजभाषा हिन्दी का प्रचार और प्रसार" क्रमशः पाठकों के मनन और अनुशीलन के लिए प्रस्तुत हैं ।

राजभाषा विहीन राष्ट्र की कल्पना एक धोखा है । श्री महेश चन्द्र अवस्थी ने अपने लेख "राष्ट्र की आन—एक भाषा एक जान" में राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान के लिए राष्ट्र भाषा का महत्त्व प्रतिपादित किया है । भारत सरकार जहां एक ओर केन्द्र में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है वहां वह राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने की भी पक्षधर है । श्री टी. एन. जयचन्द्रन का लेख "केरल में राजभाषा के रूप में मलयालम की पुरः स्थापना" राजभाषा भारती के सुधी पाठकों को प्रादेशिक भाषाओं से परिचित करवाने का एक प्रयास है । डा. सत्येन्द्र नाथ बोस ने अपने लेख "हिन्दी और बंगला—एक भ्रम निवारण' में हिन्दी और बंगला भाषा की परस्पर निकटता दर्शाई है ।

बैंकिंग उद्योग का जनता के साथ सीधा संबंध है। श्री गंगा प्रसाद राजौरा के "बैंकिंग प्रयुक्ति एव अनुवाद" नामक लेख की सामग्री बैंकिंग कर्मियों के लिए राजभाषा के प्रयोग में सहायक सिद्ध होगी । श्रीमती मालती प्रकाश का शोध-पत्र "तकनीकी हिन्दी एवं हमारी शिक्षा में उसकी उपादेयता" वस्तुतः सम-सामयिक और ज्ञान-वर्धक है ।

"पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य में" स्तम्भ के अन्तर्गत गतांक में स्वामी श्रद्धानन्द जी के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से दिए गए भाषण "मातृभाषा का उद्धार" का रसास्वादन आप कर चुके हैं। प्रस्तुत अंक में उस भाषण का शेष अंश दिया जा रहा है ।

राजभाषा भारती के शेष स्थायी स्तम्भ यथावत हैं ।

राजभाषा भारती के पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका के बारे में अपनी निष्पक्ष राय से हमें अवश्य अवगत कराएं ।

सम्पादक

पाठकों के पत्र

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, "राजभाषा भारती" (त्रैमासिक पत्रिका) का नियमित प्रकाशन करता है, जिसमें राजभाषा हिन्दी की अखिल भारतीय प्रगति के ब्यौरे, तथ्यात्मक जानकारी एवं अन्य प्रेरणादायक सामग्री रहती है।

जे. आर. कविरत्न, हिन्दी अधिकारी,
भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.,
बम्बई—400074

राजभाषा त्रैमासिकी अत्याधिक उपयोगी पाई गई है और हमें आशा है कि इसका नियमित अवलोकन हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा का व्यावहारिक ज्ञानवर्धन करेगा।

कर्नल रघुबीर सिंह मनराल
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
बरेली अंचल, बरेली कैन्ट-243001

निश्चय ही राजभाषा भारती एक श्रेष्ठ पत्रिका है। हमारा समस्त स्टाफ इसे बहुत पसन्द करता है।

शाखा प्रबन्धक
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
रतलाम

राजभाषा पत्रिका एक बार देखने का सुअवसर मिला था। पत्रिका अति सुन्दर व उपयोगी है।

कैलाश नाथ गुप्त, पुलिस अधीक्षक,
डी 1-ए/115, जनकपुरी, नई दिल्ली-58

राजभाषा भारती के सभी अंक अति उपयोगी प्रतीत होते हैं। विशेषकर अप्रैल-जून 1986 के अंक 33 में प्रकाशित इस शोध संस्थान के लिए निम्नांकित आलेख विशेष रूप से लाभदायी हैं—'तकनीकी हिन्दी के संदर्भ में शोध विषय', 'तकनीकी ज्ञान का माध्यम हिन्दी', हिन्दी और तकनीकी शिक्षा:सम्भावनाएं और सीमायें', 'उद्योग एवं तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी', 'भाषा का सरलीकरण एवं एकरूपता', 'विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की संभावनाएं।' आशा है भविष्य में भी इस प्रकार की रचनाओं से भारत के

राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित राजभाषा भारती पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह एक बहुत ही उच्च श्रेणी की पत्रिका है, जिसके पढने से हिन्दी में काम करने की योग्यता में दक्षता आती है।

एस. पी. स्वामी, राजभाषा अधिकारी
लघु उद्योग सेवा संस्थान,
मडगाँव (गोवा) 403601

हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों की राजभाषा हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ाने एवं राजभाषा के कार्यान्वियन में उचित मार्गदर्शन हेतु गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
इंडियन बैंक, 31, राजाजी रोड,
मद्रास-600001

विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विभागों एवं प्रतिष्ठानों में राजभाषा हिन्दी की प्रगति किस हद तक हो रही है, यह जानकारी अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है। राजभाषा भारती इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

डॉ. राजकिशोर पाण्डेय,
प्रधानमंत्री, हिन्दी प्रचार सभा,
हिन्दी भवन, एल. एन. गुप्त मार्ग,
स्टेशन रोड, नामपल्ली, हैदराबाद।

अपने सारगर्भित लेखों एवं महत्वपूर्ण जानकारी के कारण "राजभाषा भारती" निःसंदेह एक अत्यन्त उपयोगी पत्रिका है। वह हिन्दी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती आ रही है।

द. भ. बारोट
सहायक कार्मिक अधिकारी
परमाणु ऊर्जा विभाग,
भारी पानी परियोजना, वडोदरा

राजभाषा भारती द्वारा राजभाषा संबंधी नीति के कार्यान्वियन में किए जा रहे प्रयासों और प्रगति की जानकारी मिलती है।

लक्ष्मी नारायण गुप्त
मुख्य लेखा एवं प्रशा. अधि.
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय
नाशिक रोड

समस्त तकनीकी संस्थानों, शिक्षण स्थलों एवं हिन्दी प्रेमियों को लाभान्वित करते रहेंगे ।

श्रीकृष्ण मणि त्रिपाठी
प्रभारी हिन्दी कार्यक्रम एवं तक. अधिकारी
भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान,
नामकुम, रांची-10 (बिहार)

हमारा बैंक एक नया सगठन है और इसमें हिन्दी का प्रयोग अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। इसलिए हमें राजभाषा के संबंध में हो रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी की आवश्यकता है जिसमें "राजभाषा भारती" की भूमिका महत्वपूर्ण है ।

अवनीश उपाध्याय,
हिन्दी अधिकारी, भारतीय औद्योगिक
पुननिर्माण बैंक, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय
हजरतगंज, लखनऊ-226001

राजभाषा भारती में हिन्दी के क्षेत्र में हुई नवीनतम उपलब्धियों एवं राजभाषा से संबंधित आदेशों-अनुदेशों आदि के बारे में प्रकाश डाला गया है, जो निश्चित रूप से राजभाषा हिन्दी की प्रगति, प्रचार और प्रसार के लिए उपयोगी है ।

कु. एच. एल. थांगी,
अवर सचिव, महासागर विकास विभाग
महासागर भवन, ब्लाक-12,
सी.जी.ओ. कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

राजभाषा भारती अंक-32 के सभी लेख उपयोगी, सुरुचिपूर्ण एवं ज्ञानवर्द्धक हैं। हिन्दी पर्याप्य से कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने में आसानी होगी। हिन्दी दिवस/सप्ताह, हिन्दी कार्यशालाएं एवं विविधा के अन्तर्गत प्रकाशित सामग्री अत्यन्त उपयोगी है एवं राजभाषा नियमित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। अंक-33 (अप्रैल-जून-86) के सभी लेख उच्च श्रेणी के हैं एवं इनके चयन में सावधानी बरती गई है। अनुवाद में पर्यायवाची की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया है। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए किए जा रहे सराहनीय प्रयासों के लिए "राजभाषा भारती" सम्पादक मण्डल बधाई का पात्र है।

अंक-34 (जुलाई-सितम्बर 86) में श्री सर्वदानन्द द्विवेदी द्वारा लिखित लेख 'दिग्दर्शन-नागरी लिपि' एवं 'दिग्दर्शनः हिंन्दी' पढ़ा। दोनों लेखों के अन्तर्गत जो सामग्री एकत्रित/संग्रहीत की गई है वह अत्यन्त उपयोगी, ज्ञानवर्द्धक सुरुचिपूर्ण एवं महत्वपूर्ण है। निस्संदेह यह तथ्य राजभाषा हिन्दी के प्रचार और प्रसार में लगे हुए राजभाषा प्रेमियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे ।

के. एल. पहूजा, राजभाषा अधिकारी
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय
रोहतक

राजभाषा भारती "एक सुरुचिपूर्ण उच्चस्तरीय तथा अत्यन्त उपयोगी पत्रिका है। इसे पढ़कर हिन्दी प्रगति के संबंध में विपुल जानकारी मिली। हिन्दी के प्रयोग में प्रगति लाने के लिए यह एक प्रेरणादायक पत्रिका है ।

प्रशासन अधिकारी,
कार्यालय अपर समाहर्ता हवाई सीमा-शुल्क
नई दिल्ली।

राजभाषा भारती का अंक-34 (जुलाई-सितम्बर,-86) अंक 33 की तरह बड़ा ही उपयोगी एवं सुरुचिपूर्ण निकला है। 'राष्ट्रकवि गुप्त' पर श्री जगदम्बा प्रसाद यादव, 'हिन्दी वैज्ञानिक पत्रिकाओं' पर श्याम सुन्दर शर्मा एवं 'नागरी लिपि' पर डॉ. सच्चिदानन्द द्विवेदी का लेख पठनीय लगा। केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में डॉ. धर्मवीर ने प्रेरक सूचनाएं दी हैं। 'हिन्दी चली समुन्दर पार' पर रागिनी सिन्हा की प्रस्तुति से विदेशों में हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता की झलक मिलती है। आपने इस अंक में जो अन्य स्तम्भ शुरु किए हैं वे उत्साहवर्द्धक हैं और उनसे हिन्दी के प्रचार-प्रसार की अच्छी जानकारी होती है। मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों और नगर राजभाषा कार्यान्वियन समितियों की बैठकों तथा हिन्दी कार्यशाला एवं हिन्दी दिवस से जुड़ी रपटों ने अंक को और अधिक सार्थक बना दिया है। अंत में दिए गए राजभाषा विषयक आदेश-अनुदेश भी पत्रिका की उपादेयता को उजागर करते हैं। कुल मिलकर अंक-34, अन्य अंकों की पूर्वपेक्षी अधिक आकर्षक एवं पठनीय है ।

सुरेन्द्र प्रसाद ज़मुआर,
राजभाषा पदाधिकारी, वन्दना कुटीर
दुजरा, पटना

'राजभाषा भारती' मिली। मन का सन्तोष एवं आत्मा को कुछ शीतलता की अनुभूति मिली ।

सरकार एवं सरकारी संस्थाएं हिन्दी के प्रचार के लिए कार्य कर रही हैं—यह अत्यन्त गौरव का विषय है ।

डॉ. श्रीगणेश बिहारीलाल चोपड़ा
महामंत्री, बैंकिग राष्ट्रभाषा प्रो.
समिति बहादुरगढ़ (हरियाणा)

राजभाषा नीति—एक विवेचन

शंभु दयाल
संयुक्त सचिव
राजभाषा विभाग

एक राष्ट्र की भावना यदि सुदृढ़ करनी हो तो देश में एक संपर्क भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनेक प्रयत्न जारी हैं। इसमें पत्रिकाओं, निबन्ध प्रतियोगिताओं, मौलिक पुस्तकों की पुरस्कार योजना आदि के रूप में योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है और इनसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में भी हिन्दी के प्रति रुचि बढ़ती है।

प्रशासन में एक भाषा का होना और भी आवश्यक है और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक ऐसी भारतीय भाषा जिसमें विचार अभिव्यक्त किए जा सकें और जो जनता के निकट हो उसका होना अति आवश्यक है। इस देश की महान विभूतियों और हमारे संविधान के निर्माताओं ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को इस कार्य के लिए चुना। उस समय देश के प्रशासन में अंग्रेजी का प्रभुत्व था और उसकी जगह पर हिन्दी को प्राथमिकता दिलाने के लिए 15 वर्ष का समय उपयुक्त माना गया। किन्तु यह प्रावधान भी रखा गया कि यदि यह अवधि कम हो तो इसे संसद बढ़ा भी सकती है। मझे कुछ जगह यह सुनने को और कुछ लोगों के पत्रों में यह पढ़ने को कभी-कभार मिल जाता है कि हिन्दी राजभाषा के रूप में कॉंस्टिट्यूएण्ट असेम्बली में केवल एक मत के अन्तर से स्वीकृत हुई थी किन्तु यह तथ्यों के विपरीत है। हिन्दी को राजभाषा के रूप में लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था।

हम कुछ ही समय में स्वाधीनता की चालीसवीं वर्षगांठ मनाएंगे, इन चालीस वर्षों में राजभाषा में क्या प्रगति हुई, इसका जायजा लेना भी उचित होगा। 1947 से 1960 तक हिन्दी का प्रयोग बहुत ही सीमित रहा और देश स्वतंत्र होने के बाद अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करता रहा जिसके कारण राजभाषा के ऊपर अधिक ध्यान न दिया जा सका। हिन्दी शिक्षण योजना की स्थापना आजादी के पांच वर्ष बाद ही हो गई थी, किन्तु पहला बड़ा कदम सन 1955 में राष्ट्रपति के आदेश के रूप में लिया गया जिसके द्वारा देश के आंतरिक कार्यों और विदेशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संपर्क में कुछ विषयों पर केवल हिन्दी और बाकी में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में कार्य करने को कहा गया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रपति के 1960 के आदेश में लिया गया जिसके अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी में प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया और शब्दावली निर्धारण एवं अनुवाद की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए। तीसरा कदम राजभाषा अधिनियम के रूप में आया जिसमें राज्यों के साथ-साथ पत्र-व्यवहार और सामान्य आदेश तथा अन्य कितने ही कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी करने के निर्देश दिए गए, चौथा कदम संसद के संकल्प के रूप में आया जिसमें वार्षिक कार्यक्रम जारी करने तथा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करने को कहा गया तथा केन्द्रीय सेवाओं में हिन्दी के विकल्प के लिए भी आवश्यकता वताई गई। पांचवां और अन्तिम कदम आज से दस वर्ष पूर्व लिया गया जिसके द्वारा राजभाषा विभाग की स्थापना की गई एवं राजभाषा नियम तैयार किए गए।

इन प्रयत्नों के फलस्वरूप राजभाषा के प्रचार-प्रसार में वृद्धि हुई और आज यह स्थिति है कि लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों एवं कार्यालयों में हिन्दी शब्दावलियां तैयार कर ली गई हैं अथवा कुछ में शब्दावलियां तैयारी की अन्तिम स्थिति में हैं। अधिकतर कोड, मैन्यूअल, फार्म वगैरह का द्विभाषीकरण किया जा चुका है। लगभग प्रत्येक कार्यालय में देवनागरी के टाइपराइटर उपलब्ध हैं। हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारी अनेक कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक हैं और अधिकाश कार्यालयों में 50 प्रतिशत से ऊपर हैं। सभी यांत्रिक तथा इलैक्ट्रॉनिकी उपकरण द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं। अनेक प्रशासनिक एवं तकनीकी विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें उपलब्ध है। इन सब सुविधाओं के बावजूद भी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूर्ण करने में अधिकतर मंत्रालय/विभाग असफल रहे हैं।

इसके अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि अंग्रेज़ी में ही देश का भविष्य है किन्तु आंकड़े कुछ अलग बोलते हैं। इस देश की जनसंख्या में केवल 0.36 प्रतिशत ही ऐसे लोग हैं जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेज़ी है। देश में पढ़े-लिखों की संख्या लगभग 40 प्रतिशत के निकट है किन्तु हाई स्कूल या उससे ऊपर की कक्षाओं तक पढ़े-लिखों की संख्या निचली कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ने के कारण आठ से दस प्रतिशत से अधिक नहीं है। उसमें भी आधे से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ही हाई स्कूल या उच्च स्तर पास करते हैं। अतः अंग्रेज़ी जानने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का दो या तीन प्रतिशत ही होगी। यह प्रतिशतता भी बढ़ने की सम्भावना नहीं है। अंग्रेज़ी का स्तर भी उत्तरोतर कम हुआ है अतः इस भाषा का देश में भविष्य उज्ज्वल नहीं है। यह स्पष्ट है।

दूसरा कारण यह पाया जाता है कि हिन्दी में कार्य करने या करवाने की जवाबदारी कुछ कार्यालयों में हिन्दी के लिए उपलब्ध स्टाफ पर ही छोड़ी गई है और यह धारणा बन गई है कि राजभाषा में कार्य केवल इन्हीं का कार्य है। प्रबन्ध शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जिस काम में प्रशासन के उच्च स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता एवं उस स्तर का समय व शक्ति नहीं मिलती वह कार्य आगे नहीं बढ़ता है। नियम में इस बात की जवाबदारी कार्यालय अध्यक्ष पर बहुत समझ-बूझ कर निर्धारित की गई है। हमारा राजभाषा विभाग इस कार्य को बल देगा किन्तु जब तक यह कार्य आप अपना नहीं समझेंगे तब तक अपेक्षित सिद्धि मिलना असम्भव है। वार्षिक कार्यक्रम को देख कर जब तक आप यह जायजा नहीं लेंगे कि आप आज कहां पर हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है तब तक लक्ष्य तक पहुंचना दूभर होगा।

तीसरा कारण यह पाया जाता है कि यह मान लिया गया है कि हिन्दी का एक शुद्ध रूप है जिसे प्राप्त करना अहिन्दी भाषियों के लिए कठिन है। किन्तु यह केवल एक भ्रम है। यदि आप अपनी तरह की हिन्दी लिख कर अपने विचारों को स्पष्ट कर देते हैं तो वह भाषा भी शुद्ध और मान्य है। भाषा का विकास व उसके अन्य शब्दों और वाक्यांशों का सम्मिश्रण तभी होगा जब उसका प्रयोग आपके द्वारा किया जाए। अतः यह मान्यता रख कर हिन्दी के प्रयोग से झिझकना अपने को कुंठित करना ही होगा। यह नितांत भ्रामक है जो प्रयोग करने से पता लग जाएगा।

एक यह भी कारण बताया गया है कि साधन न होने के कारण यह कार्य नहीं हो पाता है। किन्तु साधन प्राप्त करने का अधिकार आपको है तथा मौजूदा साधनों को परिवर्तित करके या उनका विकास करके यह कार्य किया जा सकता है।

अंत में, यह भी कहा जाता है कि सरकारी नीति की जानकारी का अभाव लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने का कारण है। हमारे लक्ष्य राष्ट्रपति के आदेश, राजभाषा अधिनियम, संसद् के संकल्प, राजभाषा नियम और उच्च स्तरीय नीति विषयक निर्णयों पर आधारित हैं। यह अपेक्षा है कि आप निम्नलिखित का शत-प्रतिशत अनुपालन करेंगे :—

1. हिन्दी में शत-प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यसाधक ज्ञान दिलाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेंगे और उन्हें उसी प्रकार नामित करेंगे व प्रशिक्षण में वे नियमित रूप से जाएं, इसके लिए उचित कार्यवाही करेंगे।
2. धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन करेंगे। इसके सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि विज्ञापन भी हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जाएं।
3. हिन्दी के पत्रों का हिन्दी में उत्तर देंगे व जिस पत्र में हिन्दी में हस्ताक्षर हों उसका भी उत्तर भी हिन्दी में देंगे।
4. "क" और "ख" क्षेत्र के राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करेंगे।
5. नामपट्ट, साईन बोर्ड, फार्मों को त्रिभाषी (अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में) और द्विभाषी (हिन्दी भाषी क्षेत्रों में) रखेंगे। सभी रबड़-मोहरें द्विभाषी होनी चाहिएं।
6. सभी इलैक्ट्रोनिक उपकरण द्विभाषी खरीदने होंगे।
7. सभी कोड मैन्युअल, फार्म द्विभाषी करवाएं।
8. सांविधिक कर्त्तव्यों के पालन के लिए जांच बिन्दु स्थापित करें।
9. क्षेत्रीय अथवा स्थानिक भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प देना और प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाकालीन परीक्षाओं में भी यह व्यवस्था करना।
10. जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत कर्मचारियों को राजभाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उन्हें अधिसूचित कराना।
11. निर्धारित संख्या में कार्यान्वियन समिति की बैठकें करना।

कुछ कार्यों में प्रतिशतता अथवा सीमा निर्धारित की गई है जैसे कि :—

(1) मूल पत्राचार में "क" क्षेत्र के कार्यालयों में "क" क्षेत्र के साथ 80 प्रतिशत एवं "ख" क्षेत्र के साथ 66 1/2 प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिन्दी में करना। "ख" क्षेत्र में यह प्रतिशतता 50 दोनों के लिए निर्धारित की गई है।

(2) "क" क्षेत्र में वर्ष में खरीदे जाने वाले 50 प्रतिशत और "ख" क्षेत्र में 25 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी में खरीदना।

(3) पुस्तकालय के लिए 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत पुस्तकें हिन्दी में खरीदना।

(4) "क" क्षेत्र के कार्यालयों में वार्षिक 6 और "ख" क्षेत्र के कार्यालयों में वार्षिक 4 कार्यशालाएं निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ आयोजित करना।

(5) कम से कम एक अनुभाग को हिन्दी अनुभाग बनाना व केवल हिन्दी में काम करने के लिए विषय विनिर्दिष्ट करना और उनकी प्रतिवर्ष बढ़ोतरी करना।

(6) निर्धारित संख्या में अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा कार्य के लिए निरीक्षण करना।

(7) स्थानिक अथवा आसानी से आ सके ऐसे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाना।

आशा है कि आप नीति के अनुपालन, हिन्दी के प्रचार-प्रसार में प्रेरणारूप और प्रोत्साहनदाता सिद्ध होंगे और सद्भावना के साथ इसकी वृद्धि करके हमारे पूरक होंगे ।

हमारे पास प्राप्त सुविधाएं हैं जिनकी जानकारी आपके पास शायद पूर्ण न हो ।

केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है जिसमें आपके पास प्रोबेशन के वक्त उपलब्ध कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित करने की अपेक्षा रखी गई है । इसमें प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ के वर्ग निर्धारित कार्य दिवसों में पूर्ण किए जाते हैं ।

विभाग में तकनीकी सेल की स्थापना की गई है जिसमें द्विभाषी उपकरणों के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

अनुवाद ब्यूरो के बम्बई कार्यालय की स्थापना की गई है । जिसमें तीन महीने के अनुवाद के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और सात दिवसीय अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

कोई राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता । अपनी भाषा की रक्षा देश की सीमाओं की रक्षा से भी जरुरी है ।

—थामस डेविड

हिन्दी सीखने का कार्य एक ऐसा त्याग है, जिसे दक्षिण भारत के निवासियों को राष्ट्र की एकता के हित में करना चाहिए ।

—श्रीमती एनी बेसेंट

राजभाषा हिन्दी का प्रचार और प्रसार

पुरुषोत्तम अम्बा लाल पटेल

भारत की संविधान सभा में 14 सितम्बर, 1949 के दिन राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पास हो गया। राजभाषा का नाम हिन्दी रखा और लिपि देवनागरी रखी गई। भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप अर्थात अरेबिक अंक तय किए गए। राजभाषा हिन्दी का विकास किस तरह किया जाए इसके लिए भारत के संविधान की धारा 351 में मार्गदर्शन किया है। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ जिसमें यह तय था कि 26 जनवरी, 1965 तक हिन्दी केन्द्रीय सरकार के काम करने की भाषा हो जाएगी।

राजभाषा संबंधी प्रस्ताव पास हो जाने पर बम्बई सरकार ने महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदारजी की अध्यक्षता में हिन्दी शिक्षा-कमेटी की रचना की और विचार किया कि नई परिस्थिति में हिन्दी शिक्षा और प्रचार का काम किस तरह चलाया जाए। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार और शिक्षा के लिए विविध सिफारिशें सूचित कीं और हिन्दी भाषा की शिक्षा के लिए अभ्यासक्रम, शिक्षकों की तालीम, पाठ्य-पुस्तकें और सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी के ज्ञान की व्यवस्थित योजना आदि के बारे में भी विस्तृत सुझाव दिए। राजभाषा हिन्दी के प्रचार के क्षेत्र में जो स्वैच्छिक संस्थाएं कार्य कर रही थीं उनकी परीक्षाओं की मान्यता आदि के बारे में भी पोतदार कमेटी ने सुझाव दिए। इससे गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी का अभूतपूर्व गति से विकास हुआ है और व्यवस्थित प्रचार और सुयोजित परीक्षा-तंत्र की वजह से हिन्दी भाषा के जानने वालों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

इतना सब होने पर भी अंग्रेज़ी भाषा को देश के समस्त शासन तंत्र से अपदस्थ करके उसका स्थान हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को देने का कार्य विचार करने में जितना सरल और आकर्षक लगता है उतना वास्तविक परिस्थिति में उस पर अमल करना सरल नहीं है। राजभाषा के निर्णय पर अमल करते हुए आवश्यक परिवर्तन की यह सारी प्रक्रिया आदर्श के आकाश से यथार्थ की भूमि पर उतर कर बहुत ही सावधानी से सबको साथ लेकर, प्रेमपूर्वक, दृढ़ संकल्प से, चाहे धीमी गति से परन्तु सही दिशा में गतिशील कदम उठा रही है इसके आप सब सहभागी हैं और हम सब अपने मिशन में कामयाब होंगे, ऐसा हमारा आत्म-विश्वास है। यह आनन्द की बात है कि पिछले पैंतीस वर्षों में भाषा के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, वैज्ञानिक साहित्य के स्तर पर, विविध विषयों के ज्ञान और साहित्य की जानकारी हिन्दी में उपलब्ध कराने के स्तर पर अभूतपूर्व कार्य हिन्दी में हो रहा है।

राजभाषा हिन्दी का उपयोग सरकारी कामकाज में चलाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं इसके आप सब तो सांझेदार हैं और सारी बातों को जानते हैं इसलिए इन सब प्रयासों को सरसरी निगाह से आपके सामने पेश कर देने से काम चल जाएगा, ऐसा में मानता हूं।

1968 में राजभाषा संकल्प पारित किया गया जिसमें यह निश्चित हुआ कि राजभाषा हिन्दी और भारतीय भाषाओं के विकास की जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी। तब से भारत सरकार के द्वारा राजभाषा हिन्दी का प्रसार करने के विविध प्रयत्न हो रहे हैं जिनके आप सब साक्षी हैं।

1976 में राजभाषा नियम पारित किए गए जिनमें राजभाषा हिन्दी पर अमल करने की दृष्टि से भारत के राज्यों के "क" "ख" और "ग" वर्ग बनाए गए हैं और तदनुसार सही दिशा में योग्य गति से कार्य चल रहा है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा सजग और सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं जिनके कारण राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग सरकारी कामकाज में होने लगा है।

सरकारी कोर्ट कचहरियों में जनता के साथ हिन्दी में कारोबार चलाने के लिए फार्म, पत्र-व्यवहार आदि में दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। राजभाषा विभाग, केन्द्रीय राजभाषा समिति, केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति, राजभाषा के क्षेत्रीय कार्यालय आदि के द्वारा सरकार अपने निर्णयों का अमल कराने के लिए कृतनिश्चयी है। सरकारी विभागों के अलावा सरकारी सहायता से स्थापित किए गए सभी निगम, कार्पोरेशन, कमीशन आदि को भी राजभाषा हिन्दी के संदर्भ में सरकारी कार्यालय मान लिया गया है और इसी वजह से राजभाषा हिन्दी के उपयोग के कारण होने वाले तमाम खर्च को भारत सरकार वहन करती है।

इतना होने पर भी 1967 का राजभाषा संबंधी यह प्रस्ताव "जब तक संसद् के दोनों सदन और सभी राज्यों के विधान मण्डल सर्वानुमति से अंग्रेजी को हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेज़ी चालू रहेगी।" हम सब के लिए एक चुनौती है।

हिन्दी का प्रचार और प्रसार करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं और हिन्दी भाषा के प्रचारकों का अब कर्तव्य बन जाता है कि अधिक से अधिक लोग अपने आपसी व्यवहार में तथा सरकार के

साथ पत्र-व्यवहार आदि में राजभाषा हिन्दी का ही प्रयोग करें, ऐसा वातावरण पैदा करने की इस चुनौती का योग्य प्रत्युत्तर देकर देश की और राजभाषा की सेवा करें और देश में राजभाषा हिन्दी का वातावरण पैदा करें जिसमें जनता के सभी वर्गों के लोग हिन्दी का अधिकतम उपयोग करें और राज्य में प्रादेशिक भाषा का उपयोग करते हुए अन्य राज्यों के साथ तथा भारत सरकार के साथ सभी मामलों में हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करें। सरकारी कर्मचारियों को इससे प्रेरणा मिलेगी और वे सब प्रोत्साहित होकर राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग करेंगे।

प्रोफेसर और अध्यक्ष,
हिन्दी शिक्षण विभाग,
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।"

—महात्मा गांधी

राष्ट्र के एकीकरण के लिये सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं। मेरे विचार में हिन्दी ही ऐसी भाषा है।"

—लोकमान्य तिलक

राजभाषा हिन्दी का विकास : कुछ विचार

भोला भाई पटेल

भारत जब स्वतंत्र हुआ तब एक सार्वभौम स्वतंत्र राष्ट्र की अस्मिता और अलग पहचान के प्रतीक के रूप में उसने अपना एक राष्ट्रध्वज निश्चित किया, एक राष्ट्रमुद्रा निश्चित की, एक राष्ट्रगीत निश्चित किया और एक राष्ट्रीय ध्यानमंत्र "सत्यं परं धीमहि" भी पसंद किया।

और राष्ट्रभाषा ? हां, उसने अपनी एक राष्ट्रभाषा भी पसंद की। हमारे संविधान में घोषित किया गया कि "संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी"। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र के लिए इस प्रकार का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रमुद्रा या राष्ट्रगीत का तो उसी दिन से अमल हो गया, जिस दिन से हम आज़ाद हुए, किन्तु राष्ट्रभाषा, जिसको संविधान में कहा गया—राजभाषा, उसका उसी दिन से अमल करना मुश्किल था। हिन्दी को राजभाषा घोषित करने के साथ यह भी जोड़ा गया कि "संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी ....."

हम सब जानते हैं कि हिन्दी को यह स्थान एक रात में नहीं मिला। पिछली एक सदी से यह प्रक्रिया चल रही थी। हिन्दी को न तो लादा गया है, न तो थोपा गया है; जैसा कि आजकल प्रायः कहा जाता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में देश की ही कोई एक भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का स्थान देना है, तो वह हिन्दी ही हो सकती थी।

स्वतंत्रता के पूर्व एक तरह से हिन्दी को यह स्वीकृति मिल गई थी। महात्मा गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची में हिन्दी-हिन्दुस्तानी के प्रचार को शामिल किया था। हिन्दी का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीयता का द्योतक माना जाता था। दक्षिण भारत, जहां से आजकल हिन्दी-विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं, वहां भी हिन्दी देश को जोड़ने वाली एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार थी। 1935 में जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने तब मद्रास राज्य में प्राथमिक-कक्षाओं में हिन्दी को एक विषय के रूप में स्थान दिया गया था।

हम कह सकते हैं कि हिन्दी एक तरह से देश की "लिंग्वाफ्रान्क" थी। संविधान ने उस पर राजभाषा के नाम से मुहर लगा दी। किन्तु स्वतंत्रता के चार दशक के बाद भी हम हिन्दी के लिए जैसे लड़ रहे हैं। इसका एक कारण तो है लगातार परिवर्तित संघ की राजभाषा नीति। संघ के शुभाशय के बावजूद हिन्दी का न तो "उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग" होने लगा, न "अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धन"। 1965 से अंग्रेज़ी को हट जाना था किन्तु बात बनी नहीं।

प्रायः यह तर्क किया जाता रहा कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लाने का अभी "समय नहीं आया"। अब प्रश्न यह है कि समय क्यों नहीं आया। उसका एक उत्तर तो यह है कि हिन्दी भाषा में अभी तक उतनी क्षमता नहीं आई कि वह सब प्रकार के कामकाज में प्रयोग में लाई जा सके। दूसरा उत्तर यह है कि भारत के कुछ राज्य हिन्दी को अपनाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्य देश के लिए एक राजभाषा की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं अवश्य, लेकिन वह भाषा हिन्दी नहीं हैं। वे चाहते हैं कि अंग्रेजी बनी रहे।

क्यों ?

इसका कारण यह नहीं कि इन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना कम हैं। कारण हैं राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक भी। समाज भाषा विज्ञान यह बता सकता है। यदि हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान मिलता है, तो हिन्दी भाषी प्रदेशों को अहिंन्दीभाषी प्रदेशों से अधिक लाभ यों ही मिल जाते हैं। भाषा का आधिपत्य बहुत बड़ा आधिपत्य है। इसके विपरीत अंग्रेजी को रखने से सबको समान हानि या समान लाभ है। भाषा के कारण नौकरियों आदि में हिन्दी भाषी प्रदेशों को स्वाभाविक ही है कि अधिक लाभ होगा। इतना ही नहीं उनके लिए मातृभाषा हिन्दी के बाद दूसरी भाषा अंग्रेजी का तुरन्त स्थान होगा। अहिन्दीभाषी प्रदेशों में मातृभाषा के बाद दूसरी भाषा का स्थान यदि राजभाषा अर्थात् हिन्दी लेती है, तो अंग्रेजी का स्थान तीसरी भाषा के रूप में रहेगा।

इसका भी मार्ग निकाला गया—त्रिभाषा फार्मूला (त्रिभाषा सूत्र)। 1968 में संसद के दोनों गृहों में यह संकल्प पारित किया गया। इस समय भी दोहराया गया कि संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और यह कि हिन्दी के प्रसार में वृद्धि करना है और उसका विकास करना है ताकि "वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके"। फिर कहा गया "यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में, हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा जो दक्षिण भारत की भाषाओं में से एक हो, को तरजीह

होते हुए और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध होना चाहिए।"

संसद् के दोनों गृहों के इस संकल्प के बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। दक्षिण के कुछ राज्यों ने हिन्दी को निष्कासित कर दिया। बंगाल में भी हिन्दी को अपनाने का विरोध हुआ। अवश्य कुछ राज्यों में हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। किन्तु क्या हिन्दीभाषी प्रदेशों ने दक्षिण की किसी भाषा का स्वीकार किया ? नहीं

इस प्रकार की प्रवाही स्थिति में हम क्या कर सकते हैं—इस पर सोचना चाहिए। हम सब यह तो जानते हैं कि अंग्रेजी इस देश की राजभाषा नहीं हो सकती, लेकिन यह भी जानते हैं कि अंग्रेजी को हम एकदम हटा भी नहीं सकते किन्तु दूसरी ओर हमें हिन्दी को सुस्थापित करना है। इसके संदर्भ में यह तर्क किया जाता है कि हिन्दी अभी विकसित भाषा नहीं है और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विषयों की अभिव्यक्ति के लिए, न्यायालय की भाषा के लिए वह इतनी सक्षम नहीं है।

हमें इसका उत्तर देना है। एक उत्तर की बुनियाद भावात्मक स्तर की है। देश की अस्मिता के लिए आवश्यक है कि इस देश की ही भाषा हमारी राजभाषा हो। स्वतंत्रता के पूर्व इस प्रकार की भावना थी। स्वतंत्रता के बाद यह भावना प्रायः लुप्त हो गई है। प्रादेशिक अस्मिता को आगे रखकर भाषा का राजनीतिज्ञ फायदा उठाना चाहते हैं।

एक राजनैतिक हथियार के रूप में भाषा के प्रश्न को उपस्थित किया जाता रहा है। संभव है कि सामान्य जन तो हिन्दी को अपनाना चाहता हो। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की हिन्दी परीक्षाओं में औसतन 1,38,950 परीक्षार्थी प्रतिवर्ष बैठते हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं "मेरी सरकार की भाषानीति स्पष्ट है। हिन्दी हम पर लादी जाए, वह हम किसी तरह से सहन नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि हिन्दी बहुसंख्यक लोगों की भाषा है—लेकिन देश में कौओं की संख्या ज्यादा है, फिर भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है, कौआ नहीं....इत्यादि।"

हमें इस प्रकार की विरोधिता को राष्ट्रीय एकात्मकता की भावना को प्रबलतर बनाकर शान्त करना होगा।

लेकिन सबसे बड़ा कार्य तो हिन्दी भाषा के विकास का है। हम हिन्दी को उस स्थिति पर पहुंचाएं, जहां अंग्रेजी खड़ी है। यह कैसे हो सकता है ?

डा. प्रबोध पंडित जैसे भाषाविज्ञानी का कहना है कि अंग्रेजी के स्थान पर समग्र व्यवस्थातंत्र में हिन्दी का जितना अधिक उपयोग हो उतना ही उसका विकास होगा और वह शिष्ट मान्य होगी। प्रश्न यह है कि किसी भी भाषा का विकास कैसे होगा। डा. पंडित ने कहा है कि बोलने में और लिखने में भाषक भाषा का जितना अधिक व्यवहार करते हैं, उसके साथ भाषा का विकास जुड़ा हुआ है।

संक्षेप में हिन्दी का अधिकाधिक व्यवहार उसके विकास के लिए आवश्यक है। उसको कानून का आधार तो मिला है, उसको शिक्षा और राज्य व्यवस्था में स्वीकार तो किया गया है, किन्तु उसके व्यवहार पक्ष का क्या ? हिन्दी भाषा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसको काम में लाया जाए। अब तक ललित साहित्य के सर्जन में हिन्दी का उपयोग होता रहा है। वास्तव में सब प्रकार के कामकाज में हिन्दी का उपयोग होने से उसकी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होगी। उसमें एक नयी ऊर्जा का आविर्भाव होगा। जापान ने अपनी भाषा जापानी को विकसित करके दिखाया है। इजरायल जैसे देश ने तो एक मृत भाषा को संजीवन कर सिद्ध कर दिया है कि किसी भी भाषा को विकसित किया जा सकता है।

हम चाहते हैं कि हिन्दी के संदर्भ में सरकार की नीति भी स्पष्ट रहे, राजनैतिक दबावों के कारण "अनन्त" काल के लिए परदेशी भाषा को डीफेक्टो राजभाषा का स्थान प्राप्त न हो। दूसरी ओर, हम सब हिन्दी के विकास में सक्रिय योग देकर उसको शक्तिशाली बनाएं, अंग्रेजी जैसी भाषा के समकक्ष बनाएं। यह कार्य अंग्रेजी का विरोध करके नहीं, हिन्दी का विकास करके सिद्ध हो सकता है।

हिन्दी भाषा भी कल्पवृक्ष है, उससे हम आस्थापूर्वक मांगें तो यह भी हमें अवश्य देगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह कार्यशिविर हिन्दी के "अधिकारियों" का ही नहीं, हिन्दी के प्रेमियों का भी बना रहे।

अध्यक्ष हिन्दी विभाग,
गुजरात विश्वविद्यालय,
अहमदाबाद

हिन्दी अब हमारे देश की राष्ट्रभाषा हो गई है। इस भाषा का अध्ययन करने और इसकी उन्नति करने का गर्व अनुभव होना चाहिए।

—सरदार वल्लभ भाई पटेल

राष्ट्र की आन, एक भाषा एक जान

महेश चन्द्र अवस्थी

देश को पिछड़ेपन के गर्त से बाहर निकालकर आधुनिकता की रोशनी से परिचित कराने का जो बीड़ा स्वप्न-दृष्टा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उठाया था उस कल्पना को साकार करने के लिय मूल आवश्यकता यह है कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने व्यवहार में एक अद्भुत गरिमा, शालीनता एवं व्यक्तित्व में स्वाभिमान पैदा करे और एक जुट होकर लय और ताल के साथ एक स्वर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे; कुछ पाने के लिये कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है यह नियति का नियम है। हम हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाना चाहते हैं तो एतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी विदेशी भाषा को छोड़ना पड़ेगा। नये वस्त्र धारण करने के लिये पहने हुए पुराने वस्त्र उतारने पड़ेंगे, बिना उतारे नये पहनने की कोशिश में हमारा अपना स्वरूप विकृत हो जायेगा जो महज एक तमाशबीन व दूसरों के मनोरंजन का साधन मात्र रह जायेगा। उसके लिए एक कठोर त्याग की भावना मन में होनी चाहिय। सम्पूर्ण राष्ट्र की जनता को एक भाषा के सूत्र में पिरोने के लिए राजभाषा को ग्रहण करते समय उसकी मौलिकता पर यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए मन-मस्तिष्क में कोई कठोरता ग्लानि अथवा द्वेश नहीं लाना चाहिये। ये मात्र भाषा पर क्षणिक प्रभाव होते हैं और जैसे-जैसे भाषा व्यवहार में आने लगती है उसका स्वरूप परिष्कृत होने लगता है। उदाहरण के लिय चीनी, जापानी भाषाएं जैसे-जैसे अधिकाधिक व्यवहार में आने लगीं उनका स्वरूप कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होता गया। सुधारों में चाहे मौलिकता हो या न हो, दृढ़ता, ईमानदारी और संकल्प जरूर होना चाहिये। भारत में मूल प्रश्न राजभाषा को व्यवहार में लाना है। हम कितनी तत्परता से यह काम पूरा कर लेते हैं यह राष्ट्रीय चेतना पर निर्भर करता है।

व्यापारी, काश्तकार, उद्योगपति बैंकर, व्यवसायी, अध्यापक, मजदूर आदि में राजभाषा के प्रति जागृति सजगता एवं रूचि पैदा हो जाने के बाद देश एक भाषायी सूत्र में बंध पायेगा। इन सभी वर्गो के द्वारा जब राजभाषा व्यवहार में आने लगेगी तो हिन्दी स्वयंमेव राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन जायेगी। इसको संवारने, प्रभावी बनाने में समाज के इन सभी वर्गो का एक विशेष स्थान हैं। आज देश के हर क्षेत्र में हम आधुनिकतम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, मगर एक पारस्परिक स्वस्थ जनमत तयार करने में पिछड़ रहे हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सर्वभौमिकता एवं सम्मान की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने सभी प्रान्तीय जातिगत व अन्य विवादों को छोड़कर राजभाषा के मसले पर संगठित होकर एक व्यापक दृष्टिकोण से विचार करें। सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये जब हमने एक संविधान, एक ध्वज, एक राष्ट्रगान की रचना को स्वीकार किया है तो उसी उत्साह के साथ हमें हिन्दी को राजभाषा के रूप में सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये स्वीकार कर लेना एक कर्तव्य है और इसकी वैधानिक ग्राहयता के लिये हमें संगठित होकर कार्य करना चाहिये।

देश के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण का प्रत्येक चरण यदि राजभाषा के माध्यम से प्रारम्भ व समाप्त होता है तो देश की सामान्य जनता भी राष्ट्र को मुख्यधारा के साथ अपने को जोड़ते हुए एक भावनात्मक संबन्ध स्थापित कर पायेगी।

आज सारे विश्व की आंखे भारतवर्ष पर लगी हुई है हमें हमारे देश की विशाल मानवशक्ति और उपलब्ध विद्यमान साधनों का प्रयोग करके एशिया के साथ-साथ विश्व के राष्ट्रों का भी प्रतिनिधित्व व मार्ग-दर्शन करना है। प्राचीन इतिहास देखने से ज्ञात होता है वास्तव में सभ्यता का विकास पूर्व से हुआ अनेक शताब्दियों तक भारत वर्ष ने विश्व के जनमानस को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। उस समय भारतवर्ष की संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। मगर देश में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद से हमारा रुझान पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति की ओर अधिक बढ़ता जा रहा है और यदि यह परिपाटी इसी प्रकार आगे चलती रही तो एक दिन सम्पूर्ण राष्ट्र पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के सागर में डूब जायेगा। हमें पुश्त में विद्यमान हमारी मूल सभ्यता व संस्कृति को बचाना है तो उसके लिये सबसे पहले समूचे राष्ट्र को एक भारतीय भाषा के सूत्र में बांधना होगा जिससे राष्ट्र की सम्पूर्ण जनता अपने विचारों, मूल आदर्शो का आदान-प्रदान आपस में सुचारू रूप में बिना किसी भाषाई अवरोध के कर सके, जब तक संचार व संप्रेषण के सभी माध्यमों में एकरूपता नहीं आ पायेगी यह संभव नहीं है। इसके लिये सर्वप्रथम हमें हमारे दिलो दिमाग से अंग्रेजियत का ज्वर उतारना होगा। निश्चय ही किसी एक पीढ़ी को तो एक राष्ट्र, एक राजभाषा के इस महासंग्राम में अपनी आवाज बुलन्द करनी होगी, तो क्यों न इस राजभाषा के महासंग्राम में पहला शंखनाद हम करें, ताकि आने वाली नई पीढ़ी को संचार व संप्रेषण का एक चिरस्थाई माध्यम दे सकें। भारतवर्ष में बोली जाने वाली सभी प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों में हिन्दी भाषा का

रंग किसी न किसी रूप में भाषाओं व बोलियों के प्रादेशिक रंग के अनुरूप मिला हुआ है इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक माता के बच्चों के भौतिक स्वरूप में कुछ भिन्नता अवश्य हो सकती है मगर उनकी रंगों में बहने वाला रुधिर भारतीयता की अपनी पहचान लिये हुए है। सिर्फ उसको राष्ट्रीय चेतना के पटल पर उतारने की आवश्यकता है तब स्वमेव सम्पूर्ण राष्ट्र एक राजभाषा के सूत्र में बंध जायेगा। राजभाषा के कार्यान्वियन में उसका व्यवहारिक पक्ष अधिक मजबूत होना श्रेष्ठ कारक है। सामान्य जनमानस में विचारों की अभिव्यक्ति समान रूप में एक भाषा के माध्यम से होने पर आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक, विकास तेजी से होगा। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक फैले इस विशाल प्रजातांत्रिक देश की समग्र जनता को एक सूत्र में बांधे रखने के लिये आज देश में एक राजभाषा की नहीं बल्कि एक जनभाषा की आवश्यकता है। वो भाषा जो देश के सभी भागों में सामान्य अथवा विस्तृत रूप में बोली व समझी जाती है, जिसको समझने व जानने के लिये प्रदेशों के लोगों को कोई विशेष परिश्रम न करना पड़े, भाषा का प्रवाह सतत् व सरल हो, जिसके प्रयोग से देश के नागरिकों में भारतीयता की छाप और अधिक गहरी होती है। जनता में आपसी विश्वास व भारतीयता की भावना को बल मिलता है आज वो जनभाषा को अपनाने की आवश्यकता है और इसके लिये गहन भाषायी मन्थन करने पर अमृतकलश से जो जनभाषा का उदय होता है व भारत मूल में प्रचलित अधिकांश जनता द्वारा बोली, पढ़ी व समझी जाने वाली हिन्दी भाषा है। जिसे शासन ने राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

हिन्दी अनुवादक
बम्बई केन्द्रीय विद्युत परिमंडल, के
के. लो. नि. वि.
निष्ठा भवन, महर्षि कर्वे मार्ग, बम्बई

मैं शुद्ध अंग्रेजी बोलने के बजाय अशुद्ध हिन्दी बोलना पसन्द करता हूं, क्योंकि वह मेरी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा हिन्दी की अभिवृद्धि से ही अन्य भारतीय भाषाओं की अभिवृद्धि संभव है।

प्रख्यात उड़िया लेखक
श्री कालिचरण पाणिग्रही

केरल में राजभाषा के रूप में मलयालम की पुर:स्थापना

टी. एन. जयचन्द्रन

भाषा के आधार पर मुख्यत: जब प्रान्तों का गठन हुआ, तब केरल प्रान्त का जन्म 1 नवम्बर सन 1956 को हुआ। तत्काल विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ और 5 अप्रैल सन् 1957 को नया मंत्रिमंडल बना। अगस्त 31 सन् 1957 को भारत सरकार ने श्री कोमट्टिल अच्यूतमेनन की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जो मलयालम को प्रान्तीय राजभाषा बनाने की संभावनाओं पर विचार पेश करे। समिति की रिपोर्ट सरकार को अगस्त 16 सन 1958 को प्रस्तुत हुई और सरकार ने उक्त सिफारिशों को सामान्यत: मान लिया। सिफारिशों में मुख्य बात यह थी कि मलयालम को राजभाषा के रूप में ग्रहण करने की व्यवस्था सात वर्ष के अन्दर सरकार करे।

मई 15 सन् 1965 को सरकार ने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो मलयालम को राजभाषा बनाने के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उनके प्रस्ताव के आधार पर अक्तूबर 19 सन 1965 को मलयालम को प्रशासन के विविध आयामों में प्रयुक्त करने की विधियां पेश की गईं। कुछ सामान्य अनुदेश भी दिए गए ताकि सभी स्तरों के कार्यालयों में प्रारंभिक पुर:स्थापना के रूप में मलयालम प्रयुक्त हो।

छोटे पैमाने पर मलयालम के प्रयोग, सभी कार्यालयों में करने का सुझाव भी दिया गया। मलयालम में होने वाले पत्र-व्यवहार का जवाब मलयालम में ही हो। सांविधिक अधिकार के प्रयोग में जो अन्तरिम पत्र व्यवहार होगा वह भी मलयालय में होना चाहिए, जहां प्रतिनिधान मलयालम में ही था। मगर अंतिम आदेश अंग्रेजी में ही निकाले। ऐसे मामले में भी उसका सारांश मलयालम में प्रस्तुत हो। लोकहितकारी विज्ञापन केरल के राजपत्रों में सिर्फ मलयालम में हो। सलाहकार समिति और सभा की सारी बैठकों के कार्यवृत्त तथा परिचर्चा के रिकार्ड प्रान्तीय स्तर को छोड़कर, मलयालम में ही प्रस्तुत हो। पंचायत, नगरपालिका सहकारिता, हरिजनोद्धार आदि विभागों में विशेषकर मलयालम का उपयोग जिला स्तर तक करे। छोटे पैमाने में मख्य कार्यालयों में भी यह लागू हो। उसी प्रकार भू-राजस्व, चुंगी और निरोधन, विकास, नागरिक संभरण जंगल, माप तोल आदि विभागों को विशेष विभाग बताया गया, जहां मलयालम का प्रयोग तहसील स्तर तक के कार्यालयों में किया जाए। इन विभागों के लोकजीवन दैनिक संपर्क जो हो, इसलिए इन्हें विशेषीकृत किया गया। जहां तक हो स्थूलता प्राप्त होने के लिए प्रारंभिक प्रस्तावों को ऐसा रूप दिया गया। जहां मलयालम निर्विवाद रूप से आम जनता का सशक्त माध्यम रहा, प्रशासन के तत्संबन्धी स्तरों में उसके उपयोग का तदर्थ मान भी प्रस्तावित किया। सरकार ने यह आदेश भी निकाला कि उपर्युक्त विभागों के निर्णीत स्तर तक नवम्बर 1, सन् 1965 से मलयालम राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हो। पंजीकरण, जेल, देशी औषध, हिन्दू धर्म एवं धर्मार्थवृत्ति आदि विभागों के जिला कार्यालयों के स्तर तक मलयालम के उपयोग करने का विशेष विभाग अप्रैल 19 सन 1966 को घोषित किया गया। उसी प्रकार शिक्षा, सर्वेक्षण भू-रिकार्ड के विभागों में तहसील स्तर तक मलयालम के प्रयोग की घोषणा हुई।

केरल का राजभाषा अधिनियम

यद्यपि उपर्युक्त आदेशों को कार्यान्वित करने की आरंभिक स्फूर्ति बनी रही, फिर भी यह नहीं कह सकते कि वह पूर्ण हुई। मलयालम को राजभाषा के रूप में प्रयक्त होने की सांविधिक पृष्ठ भूमि की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए केरल राजभाषा (विधान) अधिनियम सन् 1969 में पारित हुआ जो मलयालम में विधान को सुकर बनाए। प्रशासन के विभिन्न स्तरों में मलयालम के प्रयोग करने में यह अधिनियम उतना प्रवृत्तिगत नहीं मान लिया गया अत: इसका संशोधन सन 1973 में किया गया ताकि कार्यालयों में मलयालम और अंग्रेजी का प्रयोग साथ-साथ हो जाए। केरल राजभाषा अधिनियम 1969 के अनुसार मलयालम और अंग्रेजी वे भाषाएं हैं जो सरकारी कामकाज में चाहे सब कहीं प्रयुक्त हो या आवश्यकता पड़ने पर। यह सरकार को वह अधिकार भी प्रदान करता है कि वह कार्यालयों के लिए मलयालम या अंग्रेजी के प्रयोग करने का निर्देश दे। फलत: 1973 में विज्ञप्तियां निकालीं जिससे केरल के मुख्य न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी अदालतों और दण्ड न्यायालयों में विधि और व्यवहार का कार्य अंग्रेजी या मलयालयम का प्रयोग कर सके। सरकारी सचिवालय के फाइलों में तत्संबन्धी अधिकारियों की स्वेच्छा के अनुसार अंग्रेजी या हिन्दी टिप्पण लिखने की अनुमति देने लायक अन्य विज्ञप्तियां भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निकाली गई। सन 1978 में निकाली गई सबसे अंतिम विज्ञप्ति के अनुसार चौथे क्लास के सरकारी कर्मचारियों के लायक आदेश केवल मलयालम में ही निकाले जाएं।

केरल राजभाषा अधिनियम की एक खूबी यह भी है कि प्रांतीय भाषिकी अल्पसंख्यकों को यह विशेष छूट देता

है। उक्त अधिनियम के अनुसार तमिल या कन्नड़ भाषी पत्रोत्तर अपनी भाषा में ही दे सकता है। अन्य भाषिकी अल्प संख्यकों को भी अपनी-अपनी भाषा में पत्राचार करने की अनुमति दी गई। ऐसे मामले में अंग्रेजी में जवाब देने की भी व्यवस्था बनाई गयी थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि केरल ही एकमात्र प्रांत है जहां भाषिकी अल्प-संख्यकों के आधार पर राजभाषा अधिनियम में विशेष व्यवस्थाएं रखी हुई थी।

मलयालम टंकण यंत्र

भारत के अधिकांश प्रांतों का यही अनुभव है कि प्रादेशिक भाषाओं के राजभाषा बनाने की महान समस्याओं में एक उक्त भाषाओं के टंकणयंत्रों का अभाव है। समस्या की गुरुता महसूस करते हुए सरकार ने डा. के. भास्करन की अध्यक्षता में एक तकनीकी कमेटी की नियुक्ति मार्च 10, सन 1970 को की। कमेटी की सिफारिश के आधार पर एक नया कुंजी पटल का नक्शा बनाया गया और इस कुंजी पटल से युक्त टंकण यंत्र कामयाब हुआ। वैसे, सरकारी कार्यालयों के लिए 1134 टंकण यंत्र के वितरण किए गए। नये यंत्र में अंग्रेजी और मलयालम में समान प्रशिक्षण देने के लिए केरल के दस/ग्यारह जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र भी खुल गए। इस नए टंकण यंत्र पर अब तक 3238 टंकक प्रशिक्षित हुए। नए यंत्र पर यह आरोप लगाए गए कि लिपि का सत्यानाश करने लायक था, और टंकित वस्तु पढ़ने लायक नहीं। सरकार ने इन शिकायतों की जांच की।

पंचवर्षीय योजना

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमेटी की स्थापना फरवरी 26 सन 1970 को, ताकि मलयालम को राजभाषा के रूप में ग्रहण करने में तेजी लाई जाए। उक्त राजभाषा कमेटी की बैठक बीच बीच में होती थी कि मलयालम की राजभाषा के रूप में ग्रहणीयता की प्रगति पर विचार करें। तिरुअनंतपुरम में नवम्बर 1 सन 1977 को आयोजित प्रथम विश्वमलयालम सम्मेलन में मुख्य मंत्री ने यह दावा किया कि अगले पांच वर्षों में सरकार ने मलयालम को राजभाषा के रूप में खण्डशः ग्रहण करने का निर्णय लिया है। उसके अनुसार जुलाई 4, सन 1974 को सुचारू पंचवर्षीय पद्धति का सरकारी अनुमोदन हुआ। सन 1978 से 1982 तक प्रशासन के विभिन्न स्तरों में राजभाषा मलयालम के आंशिक प्रयोग पर इस पद्धति का निर्धारण हुआ है। जुलाई 1 सन 1978 को पद्धति का कार्यान्वियन हुआ। प्रति वर्ष किए जाने वाले विभिन्न कदमों का भी विवरण सरकारी आदेश में विस्तार से दिया गया।

पद्धति के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के लिए और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अगस्त 1 सन 1978 से जुलाई 31 सन 1979 तक राजभाषा वर्ष मनाने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने उसका औपचारिक उदघाटन भी अगस्त 1 सन 1988 को किया।

पद्धति के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के लिए हर सरकारी दफ्तर में एक कार्यान्वियन अधिकारी का नामोदिष्ट कर दिया और पंचवर्षीय पद्धति के लागू करने के आवश्यक निर्देश भी दिए गए। पद्धति के विभाजन संबन्धी समस्याओं के विचारार्थ सभी जिलों के कार्यान्वियन अधिकारियों की एक दिवसीय संगोष्ठी भी सन 1978-79 में आयोजित हुई। इस संगोष्ठी का अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं संयोजक जिला सूचना अधिकारी था और जिला राजभाषा कमेटी के तत्वाधान में यह हुई थी। सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि तहसीली स्तर पर भी वैसी गोष्ठियां की जाए और अधिकांश तहसीलों में ऐसा हुआ भी।

पद्धति के कार्यान्वियन में तेजी बरतने के लिए राजभाषा विभाग की ओर से "भरण भाषा' (प्रशासनिक भाषा) नामक एक मासिक भी अप्रैल सन 1978 से निकाला जा रहा है। इस प्रकाशन के लिए अधिकारियों और आम आदमियों की ओर से बड़ी रुचि दर्शाई गई जो अब दूसरे वर्ष पर पहुंच गया है।

पंचवर्षीय पद्धति के अनुसार 1978-79 तक तहसील स्तर के सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और अदालतों की भाषा राजभाषा मलयालम होनी चाहिए। सरकार के अधीनस्थ परिषदों, नगर पालिकाओं और समितियों में जहां तक हो सके मलयालम का प्रयोग करने का आदेश भी निकाला गया। तहसील स्तर तक मलयालम के प्रयोग में काफी प्रगति भी हुई। प्रगति का माप भी सरकारी ओर से किया गया। पद्धति के अनुरूप 1979-80 के अन्तर्गत जिला स्तर के सरकारी कार्यालयों संस्थाओं और अदालतों के साथ साथ विश्वविद्यालयों, लोक-सेवा आयोग और विधान सभा के प्रशासन कार्यों में राजभाषा मलयालम होनी चाहिए। सामयिक पद्धतियों के, प्रभावोत्पादक कार्यान्वियन के लिए व्यवस्था भी की गई।

कहने की बात नहीं कि जनता के नेता उक्त पद्धतियों के कार्यान्वियन में रुचि नहीं लेते, कार्यक्रम सफल नहीं बनता। सरकार ने आदेश दिया कि उक्त पद्धति को सार्थक बनाने के लिए प्रान्त के हर जिले को एक एक मंत्री के अधीन किया गया। मंत्रियों को जिम्मेदार बना दिया गया ताकि जिलाधिकारियों की सभाएं बुलाकर वह बीच बीच में स्थिति का पुनरीक्षण करे। कथनी से करनी को भला मानते हुए सरकारी आदेश में यह भी कहा गया कि प्रशासनिक विधियों के व्यवहार में मंत्री भी स्वयं मलयालम का प्रयोग करते जाए।

राजभाषा (वैधानिक) आयोग

सन 1968 में सरकार ने एक राजभाषा (वैधानिक) आयोग की स्थापना की। आयोग का सबसे बड़ा कार्य यह रहा कि वह केरल-संबंधी सारे नियमों और अधिनियमों का

मलयालम अनुवाद एवं एक शब्दावली प्रस्तुत करे। भारत के संविधान का मलयालम अनुवाद और उसका प्रकाशन ही सबसे प्रथम कार्य होना चाहिए। उक्त योजना के अंतर्गत 170 अधिनियमों का अनुवाद कराया गया और 111 का प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम 1973 के उपबंध के अनुरूप जब तक वे अनुवाद सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं होंगे, उन्हें प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

उपसंहार

राजभाषा के रूप में एक प्रादेशिक भाषा का ग्रहण मंद गति से होने वाली प्रक्रिया है। दो शताब्दियों के विदेशी प्रभुत्व परिवर्तन की आवश्यकता पर अविश्वास, रूढ़मूल व्यावहारिक प्रयोग में ही ध्यान तथा बुर्जुआ मनः स्थितियों का परोक्ष विरोध आदि ही उसके कारण बने हैं। सरकारी एवं सांस्कृतिक भाषाशास्त्रीय संस्थाओं के संगठित प्रयास से अवश्य प्रवृत्त हो सकती है।

मूल लेखक : श्री टी. एन. जयचन्द्रन,
कुलपति,
कालिकट विश्वविद्यालय,
कालिकट (केरल)-673636

अनुवादक : विजयकुमार सी. पी. वी.,
टीचर फेलो,
हिन्दी विभाग,
कालिकट विश्वविद्यालय,
कालिकट (केरल)-673635

हिन्दी और बंगला : एक भ्रम निवारण

डा. सत्येन्द्र नाथ घोस

जैसे कि पहले बताया गया है (देखिए राजभाषा भारती अंक 35, अक्तूबर–दिसम्बर 1986) मुसलमानी शासन काल के दौरान एवं बाद में भी आज तक भारतवर्ष के पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा की जलधारा की तरह अनेक विदेशी शब्द बंगला भाषा में प्रविष्ट होते चले गए हैं। यह सिलसिला आज भी जारी है। इतिहासकारों, भाषाविदों का कहना है कि कोई भी भाषा समृद्धशाली तभी होती है जब इस प्रकार बाहरी जगत की शब्दावली अपनाकर उसका क्षेत्र विशाल होता है। शायद, बंगला भाषा के समृद्ध होने का कारण इसी में निहित है जब कि हम देखते हैं पहले बताए गए एवं नीचे के शब्द बंगला और बंगालियों में ओत प्रोत हो गए हैं। बहरहाल कुछ और शब्द नीचे दिए गए, गलत उच्चारण के कारण जिनके हिज्जे बंगला भाषा में गलत लिखे जाते हैं। शुद्ध हिन्दी सीखते और लिखते समय इस ओर ध्यान देना बंगालियों के लिए आवश्यक है—

विदेशी बंगला शब्द	शुद्ध रूप
काफेर	काफिर (वि)
खोआब	ख्वाब (पु)
खोदा	खुदा (पु)
खतम	खत्म (वि)
गाफिलती	गफलत (स्त्री)
गर्दान	गर्दन (स्त्री)
गालिचा	गलीचा (पु)
गुलजार	वही
गोयेन्दा	गोयन्दा (पु)
गुस्ताखी	वही (स्त्री)
गोंसा	गुस्सा (पु)
गोलंदाज	वही
गोस्त	गोश्त (पु)
चामच	चम्मच (पु)
चाकर	वही (पु)
चाबुक	वही (पु)
चिठि	चिट्ठी (स्त्री)
दफा	वही (स्त्री)
दबदबा	वही (पु)
दर	वही (स्त्री)
दरकार	वही (स्त्री)

विदेशी बंगला शब्द	शुद्ध रूप
दर्जी	वही (पु)
दारोआन	दरवान (पु)
दरिया	वही (स्त्री)
दालाल	दलाल (पु)
दोआत	दवात (स्त्री)
दिक	वही
दोआब	दुआब (स्त्री)
चेहारा	चेहरा (पु)
जख़म	जख्म (पु)
जहरत	जवाहिरात (स्त्री)
जायगिरदार	जागीरदार (वि)
जेहाद	जिहाद (पु)
जेद	जिद (स्त्री)
जेला	जिला (पु)
टैंक (अं)	टंकी (स्त्री)
ट्रांक (अं)	ट्रंक (पु)
डास्टर (अं)	डस्टर (पु)
ताकिया	तकिया (पु)
तागादा	तगादा (पु)
तास	ताश (पु)
तोआले (अं)	तौलिया (पु)
दांगा	दंगा (पु)
दाड़ि	दाढ़ी (स्त्री)
दागा	दगा (स्त्री)
देड़ेल (वि)	दढ़ियल
दफतर	वही (पु)
पेआला	प्याला (पु)
पोलाओ	पुलाव (पु)
फकिर	फकीर (पु)
फते	फतेह, फतह (पु)
फतुर (अर्थगत भिन्नता)	फतूर (पु)
फरास	फर्श (पु)
फानुस	फानूस (पु)
फिते	फीता (पु)
फौज	वही (स्त्री)
बांडेल (अं)	बंडल (पु)
दोस्त	वही (पु)

1	2
दुश्मन	वही (पु)
नक्शा	वही (पु)
नजिर	नजीर (स्त्री)
नरम (वि)	वही
नालिश	वही (स्त्री)
नाहार	नहर (स्त्री)
निके	निकाह (पु)
मासूल	महसूल (पु)
सानाई	शहनाई (स्त्री)
निशान	वही (पु)
नेहात (वि)	निहायत
पलक	वही (स्त्री)
प्लास्टार (अं)	पलस्तर (पु)
पछन्द	पसंद (स्त्री)
पायखाना	पाखाना (पु)
पैंजामा, पाजामा	वही (पु)
पाशा	पासा (पु)
बनेद	बुनियाद (स्त्री)
बनेदी (वि)	बुनियादी
पोख्त (वि)	पुख्ता
पेश (अ.)	वही
पोस्त	वही (पु)
लैंड़ा (वि)	लंगड़ा
लहमा	लमहा (पु)
लस्कर	लश्कर (पु)
उकिल	वकील (पु)
ओकालति	वकालत (स्त्री)
उसुल	वसूल (वि)
विलेत	विलायत (पु)
सरवत	शरबत (पु)
सरम	शर्म (स्त्री)
शान	वही (स्त्री)
सं (अर्थगत भिन्नता)	संग (पु)
शिकार	वही (पु)
सबुर	सब्र (पु)
शकत (वि)	सख्त
बंदुक	बंदूक (स्त्री)
बंदबस्त	बंदोबस्त (पु)
बाकस (अं)	बकसा (पु)
बकाया (वि)	वही
बकशिश	बख्शिश (स्त्री)
बेपरोआ (वि)	बेपरवाह
बकायदा (वि)	वही

1	2
बेदखल (वि)	वही
बेहाया (वि)	बेहया
मजबुत (वि)	मजबूत
मजलिश	मजलिस (स्त्री)
माद्रासा	मदरसा (पु)
मशाला	मसाला (पु)
मस्ती	वही (स्त्री)
महकुमा	महकमा (पु)
मारफत (क्रि. वि)	वही
मुचलेका	मुचलका (पु)
मुरुब्बि	मुरब्बी (पु)
मुलतुबि (वि)	मुलतवी
मोहम्मद	मुहम्मद (पु)
मौज	वही (स्त्री)
रफा (संज्ञा)	वही (स्त्री)
(अर्थगत भिन्नता)	
	वही (स्त्री)
रसद	वही (स्त्री)
रेजगारि	रेजगारी (स्त्री)
सनद	वही (स्त्री)
सरंजाम	वही (पु)
साज	वही (पु)
सावान	साबून (पु)
हाकिम	हकीम (पु)
हाजार (वि)	हजार
हलफ	वही (पु)
हलफनामा	वही (पु)
हाओआ	हवा (स्त्री)
हाजत	वही (स्त्री)
हिस्सा	वही (पु)
हाल्का (वि)	हल्का
हुंको	हुक्का (पु)

संकेताक्षर

अ.	अव्यय
अं	अंग्रेजी
पु	पुलिंग
स्त्री	स्त्रीलिंग
वि	विशेषण
क्रि. वि.	क्रिया विशेषण

पश्चिम बंग राष्ट्रभाषा प्रचार सभा
58 ए, सदानन्द रोड,
कालीघाट, कलकत्ता

बैंकिंग प्रयुक्ति एवं अनुवाद

गंगा प्रसाद राजौरा

बैंकिंग एक उद्योग है । यह ऐसा उद्योग है जो प्रत्यक्षतः किसी वस्तु/उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है, अपितु उत्पादन से जुड़े अन्य उद्योगों की पूंजीगत सहायता करता है अर्थात् बैंक परोक्षतः उत्पादन करते हैं, अतः बैंकिंग एक उद्योग है।

प्रत्येक उद्योग-व्यवसाय के अपने लक्ष्य होते हैं। उसकी अपनी भाषा होती है । उद्योग-व्यवसाय में भाषा का प्रयोग विपणन/उत्पादन के अतिरिक्त प्रचार-प्रसार में भी होता है। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग उद्योग का लक्ष्य जनकल्याण और उद्देश्य प्रत्येक देशवासी के पास पहुंचना है ; अब बैंकिंग उद्योग के साथ सेवा-संगठन भी है, जिसके साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के हित जुड़े हैं। बैंकिंग के संदर्भ में ग्राहक-सेवा, जमा-संग्रहण, उधार आदि विपणन हैं और उत्पादन कार्यों से जुड़े क्षेत्रों को पूंजी-जुटाना परोक्षतः उत्पादन है । और इसके लिए आवश्यक है कि वे विभिन्न जन-संचार माध्यमों के द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर, समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी ओर आकृष्ट करें ।

अतः यह आवश्यक है कि बैंक स्वयं को समाज से जोड़ने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे आपस में सम्पर्क के साथ-साथ सार्थक सम्प्रेषण भी बना रहे। भारत जैसे बहु-भाषी देश में यह कार्य हिन्दी बखूबी कर रही है और भविष्य में भी कर सकती है । पर कुछ लोगों का मत है कि बैंकिंग प्रयुक्ति की दृष्टि से हिन्दी, बैंकिंग हेतु उपयुक्त नहीं है।

बैंकिंग प्रयुक्ति पर विचार करने से पूर्व "बैंकिंग" एवं "बैंक" संकल्पनाओं पर विचार करना आवश्यक है । इस समय भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है वह पूर्णतः पाश्चात्य-व्यवस्था है । भारतीय बैंकों का ढांचा उनकी कार्य-प्रणाली, द्वि-अंकन बही-लेखन प्रणाली सभी उधार ली हुई व्यवस्था हैं। स्वाभाविक है कि आज भारतीय समाज के पास बैंकिंग की पूर्ण एवं स्पष्ट संकल्पना का अभाव है । समाज के प्रत्येक वर्ग अपने-अपने स्वार्थों/हितों के अनुरूप बैंकिंग संकल्पना को संजोये हैं । ग्रामीण-क्षेत्रों में बैंक कर्मचारियों को प्रायः 'सरकारी कर्मचारी' समझा जाता है और सरकारी कर्मचारी की छवि जग-जाहिर है । गांव ही नहीं शहरों में भी कुछ लोग सोचते हैं कि बैंक उधार देने वाली संस्था है और कुछ लोगों के हिसाब से बैंक केवल अमीरों के लिए है । शायद डाकुओं/ठगों के अनुसार, आसानी से जिसे लूट/ठग लिया जाए, वह बैंक है।

जीवन की तेज रफ्तार और नित नई वैज्ञानिक संकल्पनाओं के साथ बैंकिंग-कार्यक्षेत्र में भी विस्तार हुआ है । दो दशक पूर्व समाज के पिछड़े वर्ग के आर्थिक-सामाजिक उत्थान, बेरोजगारों को रोजगार सुलभ करवाने, मर्चेंट बैंकिंग, बीस-सूत्री कार्यक्रम, कृषि मजदूरों, कृषि, लघु उद्योग आदि की संकल्पना बैंकिंग- उद्योग के साथ नहीं थी, पर आज इन सब की सहायता हेतु बैंक सदैव तत्पर हैं । आज बैंक जमा स्वीकारने, उधार देने जैसे परम्परागत कार्यों के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट सेवाएं भी प्रदान करता है । वस्तुतः आज समाज के समक्ष, बैंक की पूर्ण एवं स्पष्ट संकल्पना प्रस्तुत करने का दायित्व बैंकिंग से जुड़े लोगों पर ही है । आज समाज के प्रत्येक वर्ग को विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों के द्वारा बैंकिंग में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है । यह काम हिन्दी कर सकती है ।

प्राचीन भारतीय महाजनी व्यवस्था आधुनिक बैंकिंग का सबसे पुराना रूप है, पर आधुनिक बैंकिंग का पर्याय नहीं है। दोनों की संकल्पना, विचार-धारा, व्यवस्था आदि में मूलभूत अंतर है । यही भेद दोनों व्यवस्थाओं की भाषा प्रयुक्तियों को अलग करते हैं । जैसाकि हमने पहले कहा कि आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था उधार ली हुई व्यवस्था है, जोकि उधार की भाषा के माध्यम से भारत में आई और भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास भी उसी उधार की भाषा के माध्यम से हुआ । यही कारण है कि न तो भारतीय महाजनी व्यवस्था और न ही हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाएं, आधुनिक बैंकिंग संकल्पनाओं को स्पष्ट करने में पूर्णतः सक्षम हैं । इसलिए बैंकिंग को हिन्दी के द्वारा सम्प्रेषित करते समय कुछ अंग्रेजी की बैंकिंग प्रयुक्तियों को ज्यों का त्यों लेना पड़ता है । उनके हिन्दी पर्याय उतने सक्षम और सार्थक नहीं होते हैं । इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं "बैंक" शब्द है । बैंक कहने से समाज के प्रत्येक वर्ग के समक्ष जो चित्र बनता है वह "बैंक" के तथाकथित हिन्दी पर्याय "अधिकोष" से नहीं बनता । अंग्रेजी की बैंकिंग प्रयुक्तियों के माध्यम से समाज में बैंकिंग संकल्पनाओं का क्रमशः विकास हो रहा है । यह रचनात्मक लक्षण है । इस प्रकार की प्रयुक्तियों हेतु हिन्दी पर्यायों का आग्रह, भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है।

हम अध्ययनगत सुविधा एवं शब्दावली वर्गीकरण हेतु बैंकिंग प्रयुक्तियों को बैंक की विभिन्न गतिविधियों के अनुसार निम्नलिखित प्रमुख भागों में बांट सकते हैं:—

(क) आंतरिक गतिविधियों से संबद्ध प्रयुक्तियां

(ख) जन-सम्पर्क और ग्राहक सेवा संबंधी प्रयुक्तियां

(ग) बैंकों से जुड़े कृषि एवं अन्य तकनीकी क्षेत्रों से संबद्ध प्रयुक्तियां

(घ) बैंकिंग विधि एवं व्यवहार की प्रयुक्तियां

(च) बैंक-सुरक्षा से संबद्ध प्रयुक्तियां

(क) आंतरिक गतिविधियों में बैंक की विभिन्न विभागों, अंतर-विभागों, कार्यालयों, शाखाओं के बीच होने वाले पत्र-व्यवहार से संबद्ध प्रयुक्तियां आती हैं इसमें नियुक्ति, प्रशासनिक मामले, कार्मिक और औद्योगिक-संबंध, व्यवसाय, प्रायोजना एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास आदि आते हैं।

आंतरिक गतिविधियों में प्रयुक्त साहित्य/शब्दावली के कई स्तर होते हैं। सामान्य प्रशासन में नियुक्ति से लेकर सेवा-निवृत्ति, कार्मिक-प्रबंध आदि को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए सामान्य-आदेश, परिपत्र, मूल्यांकन रिपोर्ट तथा अन्य अनेक प्रकार की रिपोर्टें होती हैं। इन सभी के शैलीगत भेद होते हैं। शैली के अनुरूप भाषा प्रयुक्त होती है। सभी के अपने मुहावरे होते हैं। सभी बैंकों में ये सब मूलतः अंग्रेजी में तैयार होते हैं, और फिर हिन्दी में अनूदित होते हैं। कार्मिक गतिविधि संबंधी आचार-संहिता आदि भी मूलतः अंग्रेजी में हैं जिनका अनुवाद सभी बैंकों में हो रहा है या हो चुका है। समय-समय पर इनमें संशोधन आदि भी होते रहते हैं। इस प्रकार के संशोधन भी पहले अंग्रेजी में होते हैं फिर उनका अनुवाद होता है। भविष्य निधि आदि संबंधी नियम भी मूलतः अंग्रेजी में हैं, जिनका अनुवाद हो रहा है या होना है। इसके अतिरिक्त दैनिक/निमी-पत्र व्यवहार, अधिसूचनाएं कार्यवृत्त आदि भी मूलतः अंग्रेजी में हैं। इन सबका अनुवाद करते समय बैंकिंग प्रयुक्तियों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

बैंकिंग प्रायोजना और बैंकिंग प्रशिक्षण का अपना महत्व है। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक नवीन संकल्पनाओं का आविर्भाव होता रहता है। प्रायोजना में जमा-नीति, उधार-नीत, वार्षिक-बजट, भारत सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन नए कार्य-क्षेत्रों का पता लगाना, नयी प्रक्रियात्मक विधियां आदि आती हैं। एम आइ सी आर चैक-बुक, कम्प्यूटर, मर्चेंट-बैंकिंग आदि बैंकिंग की नवीनतम संकल्पनाएं हैं।

प्रशिक्षण के अन्तर्गत विभिन्न कार्मिकों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आते हैं। नए अभिविन्यास व विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त नयी तकनीक संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का बैंकिंग प्रयुक्ति की दृष्टि से अपना महत्व है। पहले ये सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल अंग्रेजी में चलाए जाते थे। अब अनूदित पाठ्य-सामग्री के माध्यम से कुछ बैंक कुछ पाठ्यक्रमों को हिन्दी में भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण हेतु मूल अंग्रेजी-पाठ्य-सामग्री के अनुवाद का काम प्रायः सभी बैंकों में चल रहा है। पर अनुवाद के स्तर पर न तो बैंकों में आपसी तालमेल है और न ही अनुवाद कार्य में एकरूपता है।

(ख) जन-सम्पर्क और ग्राहक सेवा-संबंधी गतिविधियों से संबद्ध-सामग्री में विभिन्न प्रकार का सूचना-साहित्य, यथा— जमा एवं ऋण योजना, ब्याज-दर अन्य सेवा-योजना, पोस्टर, ग्राहकों के साथ पत्र-व्यवहार आदि आते हैं। इनमें प्रयुक्त शब्दावली, तकनीकी और विशिष्ट संकल्पनाओं युक्त होती हैं। इस सबका भी अनुवाद कार्य चल रहा है या विभिन्न स्तरों पर अनुवाद हो रहा है।

(ग) बैंकिंग-विधि एवं व्यवहार प्रयुक्तियों के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक एवं विधि साहित्य आता है। इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यह समस्त साहित्य मूलतः अंग्रेजी में है। इसका अनुवाद प्रायः निजी क्षेत्र में हो रहा है। अनुवादकों को भाषा ज्ञान है तो विषय का ज्ञान नहीं है, वे बैंकिंग प्रयुक्तियों से प्रायः अनभिज्ञ हैं। जिन अनुवादकों को विषय का ज्ञान है उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं। दोनों प्रकार के अनुवादक बैंकिंग संकल्पनाओं को स्पष्ट करने में विफल रहे हैं। इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुवाद कार्य हुआ है पर शब्दावली की एकरूपता का सर्वथा अभाव है। Endorsment, Drawer जैसे साधारण शब्दों के लिए भी हिन्दी पर्यायों में एकरूपता नहीं है।

(घ) बैंकिंग से जुड़े कृषि एवं तकनीकी क्षेत्र से संबद्ध सामग्री का अनुवाद भी बैंकिंग उद्योग कर रहा है। विभिन्न प्रकार के उद्योग विभिन्न प्रकार की नयी-नयी तकनीक अपनाते हैं। जब कोई उद्योग/संस्थान ऋण हेतु अपने आवेदन/ऋण-प्रस्ताव बैंक के समक्ष रखते हैं तब वे नयी तकनीक, मशीनरी, उत्पादन, मार्किट, अर्थशास्त्र आदि की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इन सबका अनुवाद करते समय बैंक एवं अन्य तकनीकी क्षेत्र विशेषज्ञों में तालमेल होना आवश्यक है। इस समय तालमेल का सर्वथा अभाव है। तकनीकी क्षेत्र की अपेक्षा कृषि संबंधी साहित्य हिन्दी में उपलब्ध है। भारतीय कृषि प्रयुक्तियां अत्यंत सरल एवं सहज हैं। पर भारतीय कृषि वैज्ञानिक उसे अंग्रेजी में लिखता है और कृषि क्षेत्र से अनभिज्ञ अनुवादक 'आयल केक' का अनुवाद 'तेल का केक' कर देता है। वस्तुतः उसने 'खल' या 'खली' देखी ही नहीं होती है। वस्तुतः इस क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की कृषि-प्रयुक्तियों को अपनाना आवश्यक है। बैंक के कृषि अधिकारियों और हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों के बीच तालमेल द्वारा इस क्षेत्र में काम किए जाने की अत्यन्त संभावनाएं हैं।

(च) बैंक-सुरक्षा से संबद्ध प्रयुक्तियां भी मूलतः अंग्रेजी में हैं, जिनका हिन्दी अनुवाद हो रहा है या हो जाता है पर विदेशों से जो सुरक्षा संबन्धी नयी तकनीक व यंत्र आ रहे उनके साथ उनकी नयी संकल्पनाएं और विदेशी भाषा में उनके नाम भी आ रहे हैं! जिनका अनुवाद प्रायः असंभव है, जैसे— साइलैंट अलार्म, निकल-कैडमियम युक्त बैटरी आदि।

अब हम उपर्युक्त सभी विषयों के संदर्भ में बैंक अनुवाद की समस्याओं पर विचार करेंगे :—

आज न केवल बैंक में प्रयुक्त हिन्दी पर बल्कि प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रयुक्त हिन्दी वाक्य-रचना पर अंग्रेजी वाक्य-रचना का दबाव है। इससे हिन्दी वाक्य अटपटे, निरर्थक या भ्रामक अर्थ वाले बन जाते हैं। असंख्य इस प्रकार के उदाहरण पुस्तकों, अनुवाद-पत्रिकाओं में मिल जाते हैं।

प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माताओं ने आरम्भ में सिद्धांत बनाया था कि अंग्रेजी के एक शब्द के लिए एक ही हिन्दी पर्याय हो। यह प्रयोग अंशत: सफल रहा बाद में प्रयुक्ति के आधार पर अंग्रेजी के एक शब्द के लिए हिन्दी के कई पर्याय आए या फिर अंग्रेजी बहुत से शब्दों के लिए हिन्दी का एक ही शब्द रखा गया। रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों की शब्दावली में एकरूपता का अभाव है। प्रयुक्ति के आधार पर अंग्रेजी के Credit (क्रेडिट) शब्द के लिए हिन्दी में चार पर्याय हैं—जमा, उधार, साख, ऋण। यदि अनुवादक के मन में ऋण और उधार की अर्थगत संकल्पना नहीं है तो वह प्रयोग के स्तर पर भी इनमें भेद नहीं करेगा और अंग्रेजी के Loan और Credit में अन्तर नहीं कर पायेगा। इसी प्रकार Deposit और Credit दोनों के लिए हिन्दी पर्याय "जमा" चल रहा है। पर ये दो भिन्न प्रकार की संकल्पना हैं।

अंग्रेजी के चार शब्दों Region, Sector, Area, Zone के लिए एक हिन्दी पर्याय "क्षेत्र" का प्रयोग होता है। जबकि Zone शब्द के लिए "अंचल" शब्द प्रचलित है। अंग्रेजी में यह स्पष्ट संकल्पना नहीं है कि Zone बड़ा है या Region, Sector बड़ा है या Area। इस भ्रामक स्थिति के कारण इनके पर्यायों में भी अलग-अलग प्रयोग देखने को मिलते हैं। एकरूपता, सरलता एवं सुबोधता की दृष्टि से और यदि हिन्दी-अंग्रेजी शब्दों की रूप-रचना के झमेलों में न पड़े तो Zonal Office के लिए 'अंचल कार्यालय' उपयुक्त पर्याय है। इसी संदर्भ में निम्नलिखित प्रयोग भी द्रष्टव्य है :—

बैंकिंग शब्दावलियों में Cashier के लिए रोकड़िया और खजांची दो शब्द मिलते हैं। इसी प्रकार Treasurer के लिए खजांची और कोषपाल शब्द मिलते हैं। बैंक-कैशियर और खजांची दो अलग संकल्पनाएं हैं। कैशियर के लिए "रोकड़िया" शब्द अधिक सार्थक है— 'जो रोकड़ गिनता है वह रोकड़िया।' Head Cashier के लिए कोषपाल शब्द अधिक उपयुक्त है। Currency Chest के लिए "मुद्रा तिजोरी" शब्दोंकी का प्रयोग हो रहा है। इससे भ्रामक संकल्पना उत्पन्न होती है। क्योंकि करेंसी -चेस्ट तिजोरी से अलग संकल्पना है। इसके लिए "धनागार" या "मुद्रागार" पर्याय अधिक सार्थक है। अन्यथा देवनागरी में 'करेंसी चेस्ट' लिखा जाए। अब बैंकिंग उद्योग एवं उससे जुड़े समाज के समक्ष "करेंसी चेस्ट" संकल्पना का विकास हो रहा है।

कुछ बैंक डिमांड-ड्राफ्ट के लिए "मांग-पत्र या मांग ड्राफ्ट" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पर जब डिमांड-मांग-लेटर का अनुवाद भी मांग-पत्र होता है तो विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डिमांड-ड्राफ्ट के लिए उपयुक्त शब्द है— "बैंक-ड्राफ्ट"। आज पूरे भारत में बैंक-ड्राफ्ट की स्पष्ट संकल्पना है। अत: न केवल हिन्दी, अपितु भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं को "बैंक-ड्राफ्ट" शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

बैंकिंग से जुड़े निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द और उनके प्रचलित हिन्दी पर्यायों पर विचार करना आवश्यक है :—

Guarantee	प्रत्याभूति/जमानत/गारंटी
Secutiry	प्रतिभूति
Bail	जमानत/प्रतिभूति
Guarantor	प्रतिभू/प्रत्याभू/जामिन/ जमानतदार/जमानती/गारंटीकर्ता
Surety	प्रतिभू/जमानती/जामिन/ जमानतदार
Bailor	जमानती/जामिन/जमानतदार

ये सभी अलग-अलग संकल्पनाएं हैं। शब्दकोश में कई अर्थ होने से अनुवादक मनमर्जी से इनका प्रयोग करते हैं। इनके मानकीकरण की आवश्यकता है। हमारा सुझाव है कि अर्थ की स्पष्टता और एकरूपता की दृष्टि से निम्नलिखित हिन्दी पर्याय सर्वाधिक उपयुक्त है :—

Guarantee	गारंटी	Guarantor	गारंटीकर्ता
Security	प्रतिभूति	Surety	प्रतिभू
Bail	जमानत	Bailor	जमानतदार

Guarantor या Bailor के लिए "जमानती" शब्द सर्वथा गलत है। वस्तुत: "जमानती" Bailable का पर्याय है।

बैंक, ऋण -रक्षण हेतु गारंटी लेता है और अपने ग्राहकों द्वारा किसी प्रकार के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में गारंटी भी जारी करता है। ये दोनों भिन्न संकल्पनाएं हैं, दोनों की सांविधिक अपेक्षाएं हैं। अत: प्रयोग के समय भिन्न परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसी प्रकार Letter of Credit तथा Letter of Guarantee के प्रयोग हैं।

किसी भी बैंकर के लिए Non-Resident खाते सदैव आकर्षण हुआ करते हैं। इसके 'अनिवासी' या अनावासिक' हिन्दी पर्याय अंग्रेजी प्रयुक्ति के आधार पर गढ़े गए नकरात्मक शब्द हैं। इनसे नॉन-रेजिडेंट की नकरात्मक संकल्पना उभरती है। इसके लिए प्रवासी या परदेशी शब्द

अधिक सरल एवं सुबोध है। बैंकिंग एवं हिन्दी के विद्वान इन पर विचार करें। पर नॉन-रेजिडेंट का हिन्दी पर्याय 'अनिवासी' इतना प्रचलित हो चुका है कि शायद अब प्रवासी या परदेशी शब्द नहीं चल पायेंगे।

बैंकिंग शब्दावलियों/शब्दकोशों में कुछ बैंकिंग-प्रयुक्तियों के एक से अधिक हिन्दी पर्याय अनुवादक के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न करने के साथ-साथ एकरूपता की दृष्टि से भी अनुपयुक्त हैं ऐसे शब्दों की सूची काफी लम्बी है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण शब्द और शब्दावलियों में दिए गए उनके विभिन्न अर्थ दिए जा रहे हैं। एकरूपता व अर्थ की स्पष्टता की दृष्टि से इनके क्रमश: पहले हिन्दी पर्याय अधिक तर्कसंगत एवं सार्थक हैं।

Hypothecation	दृष्टिबंधक/आड़मान
Pledge	गिरवी/बंधक (चल-संपत्ति)
Mortgage	बंधक/गिरवी (अचल-संपत्ति)
Acting	कार्यवाहक/कार्यकारी
Executive	कार्यपालक/कार्यकारी
Officiating	स्थानापन्न/कार्यकारी
Lien	ग्रहणाधिकार/पुर्नग्रहणाधिकार
Drawer	आहर्ता/लिखीवाल/काटनेवाला/हुंडीकर्ता
Drawee	अदाकर्ता/आदेशिती
Payee	आदाता/पानेवाला
Outstanding	बकाया/बाकी/अदत
Indeminity	क्षतिपूर्ति/मुआवजा/हर्जाना
Compensate	मुआवजा/क्षतिपूर्ति
Attest	साक्ष्यांकन/अनुप्रमाणित करना
Verify	सत्यापन/साक्ष्यांकन
Authentication	अधिप्रमाणन/प्रमाणीकरण
Realisation	वसूली/संग्रहण
Collection	उगाही/संग्रहण

अंग्रेजी की बैंकिंग प्रयुक्तियों की स्पष्ट संकल्पना हेतु यह आवश्यक है कि उनकी हिन्दी प्रयुक्तियों का मानकीकरण किया जाए और हिन्दी पर्याय निश्चित किए जायें। उपर्युक्त उदाहरणों की बैंकिंग -प्रयुक्ति का निश्चित अर्थ है। बैंकिंग विधि परिप्रेक्ष्य में इनके हिन्दी पर्याय निश्चित करना और भी जरूरी है, ताकि हिन्दी के कारण न तो कोई विवाद उत्पन्न हो और न ही किसी पक्ष को आर्थिक हानि हो।

अब समय आ गया है कि बैंकिंग एवं हिन्दी के विद्वान बैंकिंग शब्दावली का पुनर्मूल्यांकन करें। पिछले 14-15 वर्षों में रिजर्व बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के राजभाषा अधिकारियों ने हिन्दी में बैंकिंग शब्दावली गढ़ने के प्राय: सार्थक और कभी-कभी निरर्थक व हास्यास्पद प्रयोग भी किए हैं। इनकी अपनी सीमाएं थी और अपनी सीमाएं हैं। प्राय: सभी को पिछले एक -डेढ़ दशक के दौरान विपरीत परिस्थितियों अर्थात् हिन्दी विरोधी वातावरण में काम करना पड़ा। कहीं विरोध कम था तो कहीं अधिक। कहीं विरोध तो न था पर सहयोग भी न था। प्राय: उच्च अधिकारियों का उदासीन रवैया उनके काम में बाधक था और उनके कार्य की गुणवत्ता में गिरावट का कारण भी था। अब विरोध बिल्कुल समाप्त हो गया है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता पर वातावरण प्राय: सहज और अनुकूल है। यही समय है कि "बैंकिंग शब्दावली पुनर्मूल्यांकन समिति" का गठन किया जाये और सभी बैंकों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली की समीक्षा की जाये। इस समय बैंकिंग के अधिकांश विद्वानों और उच्च अधिकारियों को हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान है और उनके मन में हिन्दी के प्रति उदासीनता या पूर्वाग्रह भी नहीं है। अत: इस समिति में बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों से बड़े विद्वानों, विभिन्न बैंकों के उच्च अधिकारियों को भी शामिल किया जाए और उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए बैंकिंग शब्दावली का पुनर्मूल्यांकन हो और हिन्दी-बैंकिंग-प्रयुक्तियों का मानकीकरण किया जाए।

इंडियन ओवरसीज बैंक
2, राजेन्द्र प्लेस, तल-III
रचना बिल्डिंग, नई दिल्ली

तकनीकी हिन्दी एवं हमारी शिक्षा में उसकी उपादेयता

श्रीमती मालती प्रकाश

आज जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान की दुंदुंभि बज रही है। इसमें तनिक संदेह नहीं कि विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को इतना प्रभावित किया है कि उसके द्वारा उपलब्ध साधनों के बिना हम दिनचर्या आरम्भ करना असंभव समझने लगे हैं। सुबह बिस्तर से उठते ही यदि बिजली न हो तो कोई भी काम करना असंभव सा लगने लगता है। विज्ञान के द्वारा जहां अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, वहां उस विज्ञान के सही प्रचार व उपयोग के लिए मुझे राष्ट्रभाषा हिन्दी में क्रांति की चिनगारी सुलगती दिखाई दे रही है जो थोड़ा-सा प्रयास करने पर अग्नि का रूप धारण कर सकती है।

आज देश को आज़ाद हुए 40 वर्ष हो चुके हैं, पर हमने इस बात का प्रयास ही नहीं किया है कि चिकित्सा शास्त्र, इंजीनियरी, कृषि एवं अन्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा का माध्यम तकनीकी हिन्दी द्वारा बखूबी सफल हो सकता है। तकनीकी हिन्दी में कुछ पुस्तकों का प्रकाशन अवश्य हुआ है जैसे बाबू श्याम सुंदर दास की गणित विषयक शब्दावली (1901 ई.) तथा 1902 में ठाकुर प्रसाद खत्री का भौतिकी विषयक कोष प्रकाशित हुआ। इसी क्रम में दर्शन, भूगोल, रसायन आदि के शब्दों का संकलन कर, इन सबको 1906 में एक जिल्द प्रकाशित किया गया। डा. रघुवीर ने लाखों वैज्ञानिक शब्द गढ़कर, संस्कृत की अपार शब्द निर्माण क्षमता को जगजाहिर कर दिया। डा. ब्रजमोहन को उनके गणितीय कोश पर 1954 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिला था। पर तकनीकी हिन्दी का वह व्यावहारिक रूप जो तकनीकी शिक्षा के माध्यम के रूप में उसके पठन-पाठन में प्रचलित हो, जनता के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि तकनीकी हिन्दी अपने देश के नागरिकों को अच्छा डाक्टर अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए तथा दूसरे वैज्ञानिक विषयों की उच्च एवं निपुण शिक्षा के लिए, पूर्ण रूप से सक्षम है पर व्यवहार में अभी भी भारत सरकार एवं जनता अंग्रेज़ी की चमकदार बैसाखी को अपने से जुदा नहीं कर पा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है हमने चिरकाल तक पराधीन रहने के कारण राष्ट्रीय अस्मिता के विधायक तत्वों को विस्मृत कर दिया है। हमें स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वसाहित्य और स्वधर्म में कोई आकर्षण नज़र नहीं आता। अंग्रेज़ी भाषा की वकालत करने वाले हमारे कुछ नेता भी कभी-कभी ऐसी कुछ बातें कह देते हैं, जिससे सबकी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है। अंग्रेज़ी भाषा को ज्ञान-विज्ञान के विशाल क्षेत्र का वातायन कहने वाले नेता यह भूल जाते हैं कि अंग्रेज़ी भारतीयों के लिए ज्ञान का वातायान ही हो सकती है, ज्ञान का प्रवेश-द्वार नहीं। हमें द्वार की आवश्यकता है, खिड़की के मार्ग से आया प्रकाश हमारा मार्ग-दर्शन नहीं कर सकता।

आज भी हमारे देश में अंग्रेज़ी समझने वालों का प्रतिशत दो या तीन है, ऐसी स्थिति में पहले विद्यार्थी अंग्रेज़ी भाषा सीखे फिर विज्ञान समझे। इससे उसका समय एवं शक्ति दुगुनी नष्ट होगी। तकनीकी हिन्दी का वह रूप जो सरल, सहज, अधिक से अधिक प्रचलित है, उसके माध्यम से किसी भी विषय की शिक्षा स्वाभाविक होगी, क्योंकि उसमें उसी मिट्टी, उसी संस्कृति की बू होगी जिसमें उसने जन्म लिया है। जब तक भारतीय दूसरी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता रहेगा अपने देश की संस्कृति से नहीं जुड़ सकता। अपने देश के लोगों के साथ वह आत्मीयता पैदा नहीं कर सकता क्योंकि दूसरी भाषा उसमें अपने देशवासियों से श्रेष्ठ समझने का अहं भरती रहेगी, उसे यहां से दूर भगाती रहेगी। अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ा एक भारतीय डाक्टर भारतीयों की सेवा करने की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में अधिक सोचेगा चाहे वह लाभ उसे विश्व के किसी कोने में क्यों न मिले। इस प्रकार दूसरी भाषा द्वारा वैज्ञानिक शिक्षा परिवार, समाज एवं देश का गौरव नहीं बन सकती। जो मां-बाप अपने बच्चों की उच्च वैज्ञानिक शिक्षा के लिए अपना तन, मन और धन लगा देते हैं और ऊंचे सपने देखा करते हैं, वही शिक्षा दूसरी भाषा में होने के कारण अपने बच्चों की दृष्टि में उन्हें तुच्छ और पराया बना देती है और रिश्तों की टूटन प्रारंभ हो गई है जिससे जीवन का अन्तिम चरण नरक तुल्य बनता जा रहा हैं।

आज आज़ादी के 40 वर्ष बाद भी देश की एकता पर अनेक सूती कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, पर वास्तविक एकता का आकार किस माध्यम से संभव हो सकता है, उसको लागू करने में संकोच दूर नहीं हो पाया है। हमारे प्रथम माननीय राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने जब संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया था, तब किसी सज्जन ने प्रश्न किया था कि हिन्दी को संविधान में स्थान देने की इतनी जल्दी क्या थी, इस पर उनका उत्तर था—"भारत को स्वतंत्र कराने की जल्दी क्या थी।" महात्मा गांधी ने हिन्दी के बिना देश की आज़ादी और विकास को अधूरा माना। उन्होंने आज़ादी का सच्चा रूप तथा उसकी सुरक्षा राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही देखी थी। आज वह समय आ गया है जब हमें "तकनीकी हिन्दी" रूपी अपने कंधों पर अपनी बंदूक चलानी होगी।

कृषि-विज्ञान में भी यदि हम गंभीरता से सोचें तो जो सफलता हमें सरल, सहज तकनीकी हिन्दी द्वारा मिलेगी वह अन्य किसी भाषा द्वारा नहीं। उदाहरण के लिए जो आधुनिक कृषि के वैज्ञानिक तरीके भारतीयों को सिखाने हैं वह उनकी भाषा में ही उन तक पहुंचाने से सफलता मिल सकती है। चाहे उपकरण एवं सधन विदेशी भी हो तो भी उनका हम तकनीकी हिन्दी के आधार पर भारतीय नामकरण कर सकते हैं। कृषि-जगत में अपेक्षित प्रगति हुई है और अधिकांश तकनीकी हिन्दी ही माध्यम बनी है।

उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी हिन्दी का सहयोग प्रशंसनीय है, बड़े-बड़े उद्योग-कारखाने तकनीकी हिन्दी के आधार पर कार्यरत हैं, कर्मचारियों का प्रशिक्षण बिना किसी बाधा के सफल होता है और उद्योग आगे बढ़ रहा है। जनसाधारण को एक बार "तकनीकी हिन्दी" का सामान्य ज्ञान हो जाए और हमारे प्रतिदिन का विज्ञान इसमें उपलब्ध हो जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। वह इस प्रकार मैं स्पष्ट करना चाहूंगी--जैसे सर्वप्रथम हम चिकित्सा के क्षेत्र को लें। अपने शरीर की संरचना तथा इसमें पैदा होने वाली बीमारियां, उसके कारण तथा उनका निदान यदि अपनी सामान्य तकनीकी हिन्दी भाषा में जन-साधारण को उपलब्ध होने लगें तो बहुत से रोगों की रोक-थाम तथा उसका प्राथमिक उपचार जनता स्वयं कर सकती है, हर बात के लिए डाक्टर पर निर्भर न रह कर डाक्टर को भी सचेत किया जा सकता है कि मरीज़ को इसकी प्राइमरी जानकारी है न तो वह उसको लूट ही सकता है और न ही बेवकूफ बना सकता है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग एवं अन्य वैज्ञानिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान सामान्य तकनीकी हिन्दी के माध्यम से जन साधारण को मिलता रहे तो बहुत सी धांधलेबाजी स्वतः ही दूर हो जाएंगी।

मेरे मस्तिष्क में एक विचार बहुत दिनों से पनप रहा है। 18 वर्षों से केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापन के दौरान मेरी अनुभूति यह है कि केन्द्रीय विद्यालय भारत के किसी भी कोने में क्यों न हों वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें भारत के हर कोने का विद्यार्थी तथा अध्यापक होता है और वहां अपनी-अपनी भाषा का टकराव नहीं होता, सबका लक्ष्य एक होता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी प्रांत का छात्र या अध्यापक हो हिन्दी समझता है और बोलने का प्रयास करता है। ऐसी संस्थाओं में यदि शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत प्राइमरी से ही गणित, विज्ञान के विषयों में तकनीकी हिन्दी का प्रयोग आरंभ करें तो धीरे-धीरे जब तक वह उच्च शिक्षा के लिए तैयार होगा, उसे किसी भी तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने में तकनीकी हिन्दी द्वारा कोई असुविधा नहीं होगी चाहे वह शिक्षा चिकित्सा की हो, चाहे इंजीनियरिंग, कृषि एवं कानून आदि किसी भी विषय की हो। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की जब चर्चा होती है, परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिस शिक्षा से भारतीय भारतीयता का अर्थ समझ कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और स्वार्थी न बन सके।

केन्द्रीय विद्यालयों में एक विषय "सामाजिक उपयोगी उत्पादन केन्द्र" भी अनिवार्य है, इसके अन्तर्गत बहुत से विषय आ जाते हैं—जसे विद्युत संबंधी, पांलिटेकनीक डिप्लोमा, कम्प्यूटर संबंधी अनेक योजनाएं हैं, इनको तक-नीकी हिन्दी के माध्यम से सुविधा दी जा सकती है तदनुसार स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम और एम.ए.आई.ई. व आई. आई.टी. जैसे संस्थानों के लिए केन्द्र सरकार तकनीकी हिन्दी माध्यम स्वीकृत एवं आयोजित करें। यहां अंग्रेजी परस्त लोगों का यह सोचना उचित नहीं कहा जायेगा कि बिना अंग्रेजी के विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा संभव नहीं। आज रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन ने दुनिया में जो अपनी धाक जमाई है, वहां शिक्षण व अन्य सब कार्य उन देशों की भाषाओं में होते हैं, न कि अंग्रेजी में। इस देश के कुछ अधिकारियों व नेताओं की मानसिकता ऐसी है कि वे सामान्य वर्ग से नहीं जुड सकते। उनके संस्कार आज भी गुलामी व अंग्रेजीयत से मुक्त नहीं हो पाए हैं। उनकी धारणा है कि जनसामान्य से जन भाषा के माध्यम से तादात्म्य स्थापित कर कहीं देश का सामान्य नागरिक प्रशासन पर प्रभुत्व स्थापित न कर ले, नहीं तो उनके विदेशी संबंधों का क्या होगा। हिन्दी विश्व में दूसरा स्थान रखती है, यदि हम तकनीकी हिन्दी को शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अपना लें तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान पा सकती है।

उच्च तकनीक का आयात देश के लिए धोखा है, जिससे हम अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तकनीकी हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर विकसित नहीं किए गए तो देश में कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रभावकारी नहीं हो सकती।

मेरी हार्दिक कामना यही है कि तकनीकी हिन्दी रूपी गुलाब अपने देश की शिक्षा रूपी विभिन्न क्यारियों की शोभा बढ़ाए एवं उन्हें अपनी क्षमता से महकाए, अपने देश के नागरिकों अपने देश की महानता से परिचित कराए।

—प्राध्यापिका,
केन्द्रीय विद्यालय, मल्लेश्वरम,
बेंगलूर-560055

मात भाषा का उद्धार

स्वामी श्रद्धानन्द जी

[राजभाषा भारती—अंक 36 में प्रकाशित गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार के संस्थापक महान् स्वतन्त्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानन्द जी के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन (1913 ई.) के अध्यक्षीय भाषण—"मातृभाषा का उद्धार" का शेषांश प्रस्तुत है : सं०]

प्रयाग के जिस एकता सम्मेलन (समझौता कांफ्रेंस) की ओर मैं निर्देश कर चुका हूँ उससे तीन दिन पहले ही नागपुर में आल इंडिया मुसलिम लीग का जलसा हुआ था। इस जलसे में मध्य-भारत के चीफ कमीशनर आनरेबलमिनिस्टर (वर्तमान सर), एंजेलड ब्रेडक ने निमन्त्रित होकर अपने भाषण में मध्य भारत के मुसलमानों को सलाह दी थी कि वे सब उर्दू के साथ हिन्दी भी सीखें क्योंकि मध्य भारत की 95 प्रतिशत प्रजा की मातृभाषा हिन्दी है। फिर राजपूताने को लीजिए। प्रसिद्ध "पृथवीराज रासो" का लेखक महाकवि चन्द्रवरदाई जिस प्रांत में पैदा हुआ हो उसमें दूसरी भाषा के प्रचार का विचार करना भी पाप है।

सभ्यगण! आपने देख लिया कि बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब, राजपूताना और मध्य भारत के सर्वसाधारण तक की तो बोली ही हिन्दी है। अब दूसरे बड़े प्रांतों को लीजिए। बम्बई प्रांत में भाषा भेद के विचार से विशेषकर दो जातियां बसती हैं। (1) गुजराती और (2) महाराष्ट्रीय। यह तो स्पष्ट है ही कि मराठी लिपि देवनागरी अक्षरों से बिल्कुल मिलती है और गुजराती भी देवनागरी का केवल रूपान्तर ही है। जब यह स्थिति है तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों प्रांतों में उर्दू की अपेक्षा हिन्दी स्वाभावत: ही अधिक समझी जानी चाहिए। परन्तु मेरा अनुभव है कि एक महाराष्ट्रीय के लिए गुजराती की अपेक्षा हिन्दी समझना सुगम है। गत वर्ष मुझे बम्बई प्रांत के नासिक गुरूकुल जाने का अवसर मिला। इस गुरूकुल में शिक्षा का माध्यम गुजराती रखा गया है। मैंने उक्त गुरूकुल की प्रबन्धकारिणी सभा के मंत्री से निवेदन किया कि वे आर्य भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बना लें। मंत्री महाशय ने जवाब दिया कि महाराष्ट्रीय लड़कों को भी पढ़ाना है और उनमें आर्यसमाजी कम हैं। इसलिए उनके माता पिता एक बेमेल भाषा को पढ़ाना स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन मैं पांडव गुफा पहाड़ी देखने गया। मेरे साथ उसी गुरूकुल के एक गुजराती अध्यापक थे। जब मैंने उनको मंत्री जी का जवाब सुनाया तो उन्होंने सम्मति दी कि मराठे गुजराती की अपेक्षा हिन्दी बड़ी सुगमता से समझते हैं। उन्होंने हमारा तांगा चलाने वाले से जो मराठा था गुजराती में कुछ प्रश्न किए। गाडीवान कुछ नहीं समझ सका। फिर अध्यापक जी ने मुझे हिन्दी में ही प्रश्न करने को कहा। मेरे प्रश्न करते ही हमारे मराठी गाडीवान ने समझ कर जवाब अपनी टूटी-फूटी हिन्दी में दिया। जो मेरी समझ में आ गया। पूरे बम्बई प्रान्त में हिन्दी समझी जाती है। बंग देश का तो कहना ही क्या है। अगर बंगीय साधू भाषा के ग्रन्थों को देवनागरी अक्षरों में छाप दें तो हिन्दी के विद्वान उसको भली प्रकार समझ सकेंगे और उर्दू के मुकाबले में संस्कृत मिली हिन्दी तो बंगाल के कोने-कोने में समझी जा सकती है। कलकत्ता के प्रसिद्ध कविराज योगेन्द्रनाथ सैन महोदय गत वर्ष गुरूकुल के मेले पर आए थे। उस समय उन्होंने आर्य भाषा सम्मेलन में हिन्दी को राजभाषा बनाने के पक्ष में भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि नेपाल के महाराजा ने अपने एक संबंधी के इलाज के लिए उनको बुलाया। यह बंगाली बोले और वह नेपाली। एक को दूसरे की बात समझ में न आई। तब हिन्दी की शरण ली गई और आपस की बातें समझ में आने लगीं। सिन्ध और पंजाब की सीमा के पास के क्षेत्रों के बारे में शक हो सकता है। कदाचित चिरकाल तक यवन संसर्ग के कारण उनकी भाषा सर्वथा बिगड़ गई होगी। किन्तु वहां की बोलियों में से जो आपस में बहुत कुछ मिलती जुलती है, कुछ शब्द सुनकर ही आपको निश्चय हो जाएगा कि इन प्रांतों पर भी संस्कृत का प्रभाव ही अधिक रहा है।

सिन्धी डेरावाली	संस्कृत	हिन्दी
खीर	क्षीर	दूध
जमात्रा	जामात्र	दामाद (जामाता भी प्रचलित है)
वेला	वेला	समय
थल	स्थल	भूमि
सींह	सिंह	शेर, सिंह
त्रीमत	स्त्री	स्त्री
भंज	भंजन	टूटना
मुच्छ	मूर्छा	मूर्छा
कीता	कृत	किया
आखन/	आह	कहना
अंडोन	दन्त, धावन	दातुन

कहां तक कहा जाए, सिन्ध देश में व्याख्यान देकर मैंने देख लिया था कि फारसी मिश्रित उर्दू की अपेक्षा संस्कृत मिश्रित हिन्दी को सिन्धी अधिक सुगमता से समझते है।

अब केवल मद्रास प्रान्त रह जाता है। सो जिस देश में संस्कृत शास्त्रों का प्रचार है और जहां के विद्वान इस समय संस्कृत के पुनरूद्धार के लिए इतना प्रत्यन कर रहे हैं वहां तेलुगू तमिल और कन्नड़ आदि के अतिरिक्त यदि दूसरी भाषा समझी जा सकती है तो हिन्दी ही होगी, उर्दू नहीं। भारतवार्ष के तमाम प्रांतों में (पढ़े लिखों के ग्रुप में) पंजाव और सीमा प्रांत प्रदेश हीं उर्दू प्रधान प्रदेश समझे जाते हैं। पंजाब का शिक्षित पहले से पहल अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करता था। अब केल अग्रेजी का ही नहीं अपितु उर्दू का स्थान भी आर्य भाषा ले रही है। यह सच्चाई शोक से माननी पड़ती है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन सी महत्वपूर्ण संस्था में पंजाबी उचित सहयोग नहीं देता। पंजाब पर ऐसी जातीय संस्था से पृथक रहना एक बड़ा भारी धब्बा है। किन्तु हिन्दी प्रचार में पंजाव किसी प्रान्त से भी पीछे नहीं है। हमारे मिश्र बन्धुओं ने अपने हिन्दी के इतिहास ग्रन्थ में आज से कुछ समय पहले को हिन्दी साहित्य की दृष्टि से दयानन्द काल लिखा, इस आर्य भाषा के सच्चे सेवक गुजराती होने पर भी हिन्दी के पक्षपाती आर्यसमाज के प्रवर्तक दयानन्द जी की कृपा से अब पंजावियों के दिलों पर हिन्दी ने अपना अधिकार जमा लिया है। आर्य समाज के पुरूषार्थ का फल यह है कि स्त्रियों में केवल आर्य भाषा का ही प्रचार है। गुरूकुल के गत वार्षिक उत्सव पर लगभग 4 हजार रुपये की हिन्दी पुस्तकों की बिक्री हुई। उनमें से अनुमान किया गया था कि 3 हजार की पुस्तकें केवल देवियों ने लीं ; क्या यह थोड़ी बात है? आर्य समाज के पुरूषार्थ का ब्रह्म समाज पर भी प्रभाव पड़ा है। जिस ब्रह्म समाज के धर्म ग्रंथों में केवल इंजील को प्रधानता थी, वहां अब उपनिषदों और दूसरे आर्य ग्रंथों से उपदेश के लिए पुस्तकें ढूंढी जाती हैं आर्य भाषा का प्रचार ब्रह्म समाज में भी बढ़ता जाता है। यहीं नहीं, अब तक पंजाबी साहूकारों के भी वही खातों में मुण्डकने अक्षरों का प्रचार था। अब अमृतसर और जालन्धर आदि शहरों में बहुत से साहूकारों ने अपनी बहियां हिन्दी भाषा और देवनागरी अक्षरों में लिखनी आरम्भ कर दी हैं। तब ये क्या जागरूकता के निशान नहीं है।

सज्जनों! ऐसी उन्नत अवस्था में भी एक दो घटनाएं हमारी मातृभाषा को भविष्य के काले बादलों से घेर लेती हैं। दिल्ली, प्राचीन इन्द्रप्रस्थ पांडवों का गढ़, इस समय ब्रिटिश सरकार की राजधानी बन रही है। उस राजधानी, उस पांडव के गढ़ और पृथ्वीराज की महिमा के केन्द्रीय स्थान में हिन्दी का एक भी साप्ताहिक पत्र नहीं है। वहां एक हिन्दी दैनिक की बहुत आवश्यकता है। संचालकों की कमी नहीं। कार्यकर्ता अपर्याप्त नहीं। केवल धन की आवश्यकता है। यह नहीं कि धन का इस जाति में अभाव है। हिन्दू जाति और धन का अभाव ये दोनो शब्द पर्यायवाची नहीं हो सकते। कमी है तो हिन्दू जाति के नेताओं की जाति भक्ति में। लाहौर के एक रायबहादूर करोड़पति ने अपने पुत्र के विवाह पर सवा लाख रुपये खर्च करने का विचार किया है। इतने धन से दिल्ली में दो अच्छे दैनिक पत्र निकल सकते हैं। दिल्ली के एक लखपति रायबहादुर ने अपने पुत्र के विवाह उत्सव के लिए 60 हजार का विचार कर छोड़ा है। यह धन यदि दैनिक पर लगाया जाए तो अपनी जाति को दिल्ली में एक समाज सेवक मिल सकता है। परन्तु वहां पर जाति बिरादरी और अपने हाकिमों के आमोद-प्रमोद की परवाह है। जाति चाहे किसी गढ़े में पड़े, उसकी कुछ चिन्ता नहीं।

मातृ भाषा के प्रचार के साधन अनगिनत हैं। इनमें से केवल कुछ प्रधान साधनों की ओर इशारा ही कर सकूंगा।

प्रथम (क) मातृ भाषा का प्रचार संस्थाओं के द्वारा करना चाहिए। उनमें से आर्य समाज का तो एक नियम ही है कि प्रत्येक आर्य समाजी अवश्य आर्य भाषा पढ़े। इस नियम का पालन दृढ़ता से कराया जाए। जिन आर्य समाजों का सारा पत्र व्यवहार आर्य भाषा द्वारा नहीं होता उन पर लोकमत का दबाव डाला जाए। भारतवर्ष भर की धर्म सभाओं में भी मातृ भाषा का प्रचार बल-पूर्वक कराया जाए। उनके अतिरिक्त जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबमें हिन्दी का ही व्यवहार हो तो शीघ्र ही दूसरी भाषा वाले भी हिन्दी जानने की आवश्यकता को महसूस करने लग जाएंगे।

(ख) देश के सब हिन्दू साहूकार प्रतिज्ञा करें कि अपने बहीखाते हिन्दी में ही रखेंगे।

(ग) आर्य रियासतों का ध्यान इस तरफ खिंच चुका है। महाराज बीकानेर के अपने निर्भय दृष्टांत से दूसरी रियासतों को भी हिन्दी का प्रचार करने के लिए उत्साह मिल रहा है। जिन रियासतों में इस समय भी उल्टी गंगा बहाने का प्रयत्न हो रहा है वहां लोकमत का दबाव डालकर इस प्रथा के रोकने का प्रयत्न करना चाहिए।

दूसरे—ग्रन्थकारों लेखकों और सम्पादकों को प्रोत्साहित करना। इसमें अभी बहुत कमी है। हिन्दी में समाचार पत्र सम्पादन अभी कम हाथों में है। जहां बंग देश के सब प्रसिद्ध इंगलिश के लेखकों ने बंग साहित्य के भंडार को उचित दिशा में पहुँचाने का प्रयत्न किया वहां आर्य भाषा के समाचार-पत्रों के सम्पादन का भार लेना हमारे स्नातक लज्जाजनक समझते हैं। बंगाल में रमेश चन्द्र दत्त जैसा इंगलिश साहित्य का विद्वान अपनी मातृभाषा के साहित्य को पुस्तकों द्वारा उन्नत करना अपना गौरव समझता है। परन्तु हमारी राजनैतिक नौका के मांझी श्री पंडित मदनमोहन मालवीय जी भी हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिए समय नहीं निकाल पाते। फिर जो थोड़े बहुत माता

के सपूत उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उनका उत्साह बढ़ाने वाला कोई नहीं। एक ग्रन्थ कर्ता का उत्साह कैसे बढ़ सकता है? जब एक पुस्तक को खरीदकर 50 आदमी उससे ही अपना काम पूरा कर लेते हैं। यह मानसिक प्रतिज्ञा हरेक को करनी चाहिए कि हिन्दी की कोई पुस्तक हो वह दूसरे से उधार लेकर न पढ़ेगा। अपनी पुस्तक मोल लेकर पढ़ेगा।

तीसरे—स्थान-स्थान पर हिन्दी पाठशाला और हिन्दी पुस्तकालय स्थापित कराने चाहिए। इस अंश में अन्य सभ्य देशों की तरह प्रवासी (चलते फिरते) पुस्तकालयों से बड़ा फायदा हो सकता है। छोटे गांवों के निवासियों के मानसिक शक्तियों के विकास के लिए भी उससे बढ़कर और साधन नहीं है।

शिक्षा का माध्यम मातृभाषा—

एक बात इस संबंध में बड़ी जरूरी है। आप आर्यभाषा तो अपनी राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु मैं शोक से देखता हूँ कि इस समय तक अधिक बल अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद पर ही दिया जा रहा है। आज तक हिन्दी में कोई अपूर्व कल्पना युक्त मौलिक ग्रन्थ मैंने नहीं देखा। आर्य भाषा ही क्यों, भारत वर्ष की किसी प्रांतीय भाषा में कोई मौलिक विचारपूर्ण ग्रन्थ दिखाई नहीं देता। ऐसा मालूम होता है कि भारत-वर्ष में इस गिरी हुई किन्तु प्राचीन जाति में मूल सिद्धांतों के विचार की शक्ति ही नहीं रही। भागलपुर आते हुए मैं मार्ग, में लखनऊ रुका था वहां श्रीमान सरजेक्स मेसटन के यहां मेरी डा. फिशर महाशय से भेंट हुई। यह बड़े प्रसिद्ध शिक्षक और कैम्ब्रिज विश्व-विद्यालय के वाइसचांसलर हैं। भारत वर्ष में लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के सभासद बनकर आए हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अपने जीवन में उन्होंने सैकड़ों भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ाया। उनका अनुभव था कि भारतीय विद्यार्थी कठिन से कठिन विषय पर भी अंग्रेजी विद्यार्थियों का मुकाबला कर सकते हैं। परन्तु स्वतंत्र विचार शक्ति उनमें नहीं है। उन्होंने मुझ से इसका कारण पूछा मैंने उत्तर में कहा कि यदि वे मेरे साथ गरूकुल चलें तो मैं इसका कारण दिखा सकूंगा। बतलाने से क्या लाभ? वह कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे देश में इस समय शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा नहीं है। क्या इस अभागे देश के अतिरिक्त सभ्य संसार में और कोई देश भी है जहां शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा के अतिरिक्त कोई विदेशी भाषा हो। जब हमारे बालक पढ़ते अंग्रेजी में, सोचते अंग्रेजी में, गणित, पदार्थ विद्या सीखते विदेशी भाषा में, तो उनके अन्दर मौलिक विचार की शक्ति कैसे जीवित रह सकती है। अगर किसी अंग्रेजी विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम फ्रैंच भाषा को करने या किसी जर्मन विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने का प्रस्ताव पेश हो तो उसको पागल समझा जाएगा। परन्तु भारत वर्ष विचित्र देश है जहां हिन्दू बालकों के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने वालों को देश हितैषी और बुद्धिमान समझा जाता है। मैं पहले कह चुका हूं कि जिस भाषा द्वारा शिक्षा होगी उसी की सभ्यता के दास विद्यार्थी बनेंगे। तब प्यारे सज्जनों: यदि तुम्हारी सन्तान आचार-व्यवहार तथा विचार में विदेशी बन जाएगी तो अपनी स्वदेशी की घोषणा क्या निरर्थक न हो जाएगी। परन्तु यहां एक बड़ी भारी रुकावट बतलाई जाती है। कहा जाता है कि जब हिन्दी में शिक्षा संबंधी पुस्तकें नहीं हैं तो उसे शिक्षा का माध्यम कैसे बनाया जाए? जब मैंने प्रस्तावित हिन्दू विश्वविद्यालय के एक प्रधान संचालक को बल पूर्वक कहा कि हिन्दी विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी का होना अजीब हंसी की बात होगी तो उन्होंने अपनी समझ में एक अकाट्य युक्ति दी। उन्होंने कहा, महाशय! पुस्तकें कहां से आएगी? मैंने उत्तर दिया जब स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में उतरे तो उनके पास कुछ धन न था। चुंगीं वाले ने 25 डालर देखने को मांगें। यहां 25 फूटी कोडियां भी न थी। चुंगी वाले ने कहा आप मस्त फकीर मालूम होते हैं। इसलिए में तो पास कर दूंगा। परन्तु इस लक्ष्मीपूजक देश में भोजन कहां से करोगे? श्रद्धाकुंज स्वामी रामतीर्थ ने बड़े प्रेम भरे शब्दों में उत्तर दिया। "प्यारे! तू मुझे खिला देगा। अमेरिकन चुंगी वाला इस उत्तर से चकित हो गया और सचमुच उसी ने स्वामी रामतीर्थ को भोजन दिया। प्रिय महशय! मैं वही उत्तर आपको देता हूं। पुस्तकें कहां से आएंगी? पुस्तकें आप उत्पन्न करेंगे। स्वामी रामतीर्थ के उत्तर का तो अमेरिकन चुंगी वाले पर यह प्रभाव पड़ा कि उसने उन्हें उसी समय भोजन कराया। पर सभ्यगण। मेरे कृपालू भाई पर मेरे कथन का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। नहीं तो आज तक वह एक भी शिक्षा संबंधी पुस्तकें तैयार न करते? गणित, पदार्थ विद्या, इतिहास, अर्थ शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन आदि किसी मुल्क और भाषा की सम्पत्ति नहीं है। इंगलिश साहित्य का निर्भर तो निसंदेह आंगल भाषा पर है। परन्तु डार्विन, हक्सले, टंटल, स्पैंनसर आदि के विचार इंगलिश भाषा के दास नहीं, वह सारे संसार की सम्पत्ति हैं। गुरूकुल में अब तक अनुवाद रूप से भी शिक्षा संबंधी बहुत सी पुस्तकें आर्य भाषा में तैयार हो चुकी हैं। प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास में जहां मौलिक आंदोलन हो रहा है और उसका प्रथम भाग छप चुका है। वहां गुरूकुल के अन्य प्रोफेसरों, ने रसायन, भौतिकी, वनस्पति, विकासवाद, सम्पत्तिशास्त्र और इतिहास आदि विषयक अनेक पुस्तकें छपवाकर प्रकाशित कर दी हैं। आर्य जाति के भूषणों और भारत वर्ष के सपूतों। आर्य सभ्यता की रक्षा का पवित्र काम तुम सबको सौंपा गया है। जब तक प्राचीन आर्यों की सभ्यता का पुनरुद्धार न होगा तब तक भारतीय राष्ट्र का निर्माण असंभव है और प्राचीन आर्य सभ्यता के पुनरुद्धार का एक मात्र साधन मातृ भाषा ही हो सकती है। जिस भाषा द्वारा मनुष्य सोचता है। उसी में वर्णित सभ्यता का अनुभवी बनता है।

सूरीनाम में भारत का गणतंत्र दिवस समारोह

रागिनी सिन्हा

भारत के गणतंत्र दिवस की 37वीं, वर्षगांठ गत 26, जनवरी 1987 को सूरीनाम में बड़ी धूम-धाम के साथ मनाई गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय राजदूत के आवास पर आयोजित एक भव्य समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति महामान्य श्री एल.एफ. रामदत्त मिसिर एवं उनकी धर्मपत्नी, सूरीनाम की सरकार और देश का नेतृत्व करने वाले कमान्डर देसी बोतर्स एवं उनकी धर्मपत्नी, प्रधानमंत्री श्री पी.एस. आर. राधाकिशुन, विदेश मंत्री श्री हेन्क हेरनवर्ग, वित्त मंत्री श्री सुभाष मुंगरा, अन्य मंत्रीवृन्द, यूनाइटेड हिन्दुस्तानी पार्टी के अध्यक्ष और देश की सर्वोच्च राजनीतिक समिति के सदस्य तथा सूरीनाम के वरिष्ठतम नेता श्री जगरनाथ लक्ष्मन तथा उनकी धर्मपत्नी, सूरीनाम की राष्ट्रीय पार्टी के नेता श्री आरन, राष्ट्रीय असेम्बली के सदस्य, मंत्रिपरिषद् के सदस्य तथा सोवियत संघ, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, जापान, कोरिया, वेनेजुएला, इंडोनेशिया के राजदूत एवं राजनीतिक प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में देश के पत्रकार एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कु. रागिनी सिन्हा ने हिन्दी तथा अंग्रेजी में किया।

समारोह में उपस्थित राजनेताओं का स्वागत करते हुए भारत के राजदूत श्री बच्चू प्रसाद सिंह ने कहा कि 26 जनवरी, 1950 को हमने जिस संविधान को अपनाकर भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रजातंत्र के रूप में गणतंत्र घोषित किया था, उस संविधान की शब्द और भावना का पूर्ण रूप से पालन करते हुए हमने इन वर्षों में लगातार मेहनत करते हुए न केवल अनेक बड़ी-बड़ी समस्याओं को साहस के साथ हल ही किया है, वरन विकास के सभी क्षेत्रों में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं।

स्व. प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति की आधार शिला रखी। शक्ति गुटों से दूर रहकर, सभी से मित्र भाव रखते हुए और आपसी विचार विमर्श से सभी समस्याओं का समाधान करने की हमारी विदेश नीति ही आगे चलकर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की नींव बनी जिसका महत्व और उपयोगिता आज दुनियां के ज्यादातर देश मानने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सूरीनाम और भारत के बीच परम्परागत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबन्ध हैं लेकिन गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में दोनों देशों की सक्रिय भागीदारी ने हमें और भी नजदीक ला दिया है। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के नई दिल्ली में हुए सातवें सम्मेलन में राष्ट्रीय नेता श्री बोतर्स के नेतृत्व में सूरीनाम के प्रतिनिधि मंडल ने महत्वपूर्ण सहयोग किया था बाद में भी सूरीनाम के कार्यवाहक राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की भारत यात्राओं से हमारा निरन्तर उच्चस्तरीय सम्पर्क बना रहा है और हम महत्वपूर्ण समस्याओं पर मिलकर विचार करते रहते हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति और सूरीनाम की जनता के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए श्री सिंह ने विश्वास प्रकट किया कि दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध निरंतर बढ़ते रहेंगे।

सूरीनाम के कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री एल.एफ. रामदत्त मिसिर ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक भारत के इतिहास को देखकर हमें उन भारतीय नेताओं की सूझ-बूझ और बुद्धिमानी पर आश्चर्य होता है जिन्होंने इस विस्तृत भू-भाग में फैले हुए सत्तर करोड़ से अधिक लोगों का नेतृत्व करते हुए और अनेक तरह की आन्तरिक समस्याओं से झूझते हुए भी भारत को अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर एक प्रमुख देश बना दिया है। यह धारणा मजबूत होती है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और प्रज्ञा जो भारतीय सामाजिक जीवन का अंग बन गई है, भारतीय नेताओं को निर्देशित करती रही है और आज भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी का मार्ग दर्शन कर रही है जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वे विश्व के एक महान नेता हैं। भारत की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर और आज भारत के गणतंत्र दिवस के इस मुबारक मौके पर हम सूरीनाम के लोग बहुत खुश हैं केवल इसलिए ही नहीं कि हम तीसरी दुनियां के देशों की बिरादरी में हैं वरन् इसलिए भी कि भारत बहुत से सूरीनाम निवासियों के पूर्वजों का देश है।

भारत और सूरीनाम के बीच घनिष्ठ मैत्री संबन्धों को बढ़ाने में और सूरीनाम के विकास में भारत के राजदूत महामहिम श्री बच्चू प्रसाद सिंह द्वारा ली गई व्यक्तिगत रूचि और प्रयत्नों की सराहना करते हुए महामान्य राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि आगामी वर्षों में दोनों देशों के बीच यह मैत्री संबन्ध और भी मजबूत होते जाएंगे। ☐

समिति समाचार

(क) मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियां

1. विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक 19 दिसम्बर, 1986 को विदेश मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । राजभाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि वे अपनी ओर से तथा सदस्यों की सिफारिशों पर इस विषय में भरसक प्रयास करेंगे ।

श्री सुधाकर पाण्डेय के पासपोर्ट कार्यालयों के संबन्ध में हिन्दी पदों का ब्यौरा मांगने पर उप सचिव (पी.वी.) ने बताया कि पासपोर्ट कार्यालयों में कुल 11 हिन्दी क्लर्कों/ यू.डी.सी. के पदों के सृजन का प्रस्ताव तत्कालीन विदेश मंत्री की स्वीकृति से वित्त प्रभाग को भेजा गया है । उन्होंने बताया कि पासपोर्ट प्रभाग के लिए एक हिन्दी अधिकारी का पद बनाने का प्रस्ताव भी अलग से किया गया है। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि उक्त कर्मचारी हिन्दी का कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएंगें इसलिए पासपोर्ट कार्यालयों में हिन्दी का कार्य देखने के लिए हिन्दी अधिकारी होने चाहिए । अतः हिन्दी अधिकारियों के पदों का सृजन किया जाए।

श्री यादव ने यह भी कहा कि तार देवनागरी में भेजे जाने चाहिये । मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि भविष्य में तार देवनागरी में भेजे जाएंगे ।

श्री यादव ने कहा कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों में हिन्दी के प्रति अपेक्षित जागरूकता नहीं है, अतः उन्हें हिन्दी में कार्य करने के लिए कहने के निमित्त विदेश मंत्रालय में एक निदेशक (हिन्दी) होना चाहिए । इसके अलावा मंत्रालय में दो उप-निदेशक (हिन्दी) और चार-पांच अधिकारी होने चाहिए । उनका कहना था कि जब तक अपेक्षित संख्या में कार्य करने वाले लोग नहीं होंगे तब तक हिन्दी का कार्य नहीं होगा । मंत्री जी ने सचिव (राजभाषा) से इस संबंध में अन्य मंत्रालयों के बारे में जानना चाहा। सचिव (राजभाषा) ने कहा कि अन्य मंत्रालयों जैसे कृषि, रेलवे आदि में आकार के अनुसार हिन्दी के पद बनाए गए हैं तथा विदेश मंत्रालय के हिन्दी पदों का सृजन उसके कार्य पर निर्भर है । इस मंत्रालय के काम का स्वरूप भी दूसरे मंत्रालयों से कुछ अलग है। विदेशों में प्रचार-प्रसार की दृष्टि से , श्री सुधाकर पाण्डेय ने विदेश मंत्रालय में उप सचिव (हिन्दी) का पद भरे जाने का सुझाव दिया । मंत्री जी ने सदस्यों को विदेश मंत्रालय में उप सचिव (हिन्दी) के पद को भरने का आश्वासन दिया।

संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी के संबंध में मंत्रालय ने जो उत्तर दिया उससे सदस्य संतुष्ट नहीं थे । श्री जगदम्बी प्रसाद यादव के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी लाना तब तक संभव नहीं हो सकेगा, जब तक वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में व्यक्तिगत रूचि नहीं लेंगे ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि विदेश मंत्रालय में हिन्दी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाते हैं । उन्होंने कहा कि "क" क्षेत्र में जाने वाले पत्र शतप्रतिशत हिन्दी में होने चाहिए तथा इस संबंध में उन्होंने जांच-बिन्दु मजबूत बनाने की मांग की । द्विभाषी रूप से जारी किए जाने वाले कागजात द्विभाषी रूप से जारी नहीं किए जा रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि भविष्य में हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएंगे तथा यह भी सुनिश्चय किया जाएगा कि हिन्दी पत्रों पर कार्रवाई हिन्दी में ही हो ।

सचिव (राजभाषा) ने वैधानिक स्थिति स्पष्ट करते हुए सदस्यों को बताया कि अधिनियम में जिन कागजातों को द्विभाषी रूप से जारी किए जाने की व्यवस्था है, वे अनिवार्यतः द्विभाषी ही जारी किए जाने चाहिए । लेकिन कभी-कभी अत्यावश्यक होने पर यदि कोई कागज द्विभाषी रूप में जारी न किया जा सके तो यह लिख दिया जाता है कि हिन्दी रूपान्तर शीघ्र जारी किया जाएगा और उसका हिन्दी रूपान्तर एक-दो दिन में जारी हो जाना चाहिए ।

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने मंत्री जी को यह स्मरण कराया कि यह अकेला मंत्रालय है जिसके बड़े अधिकारियों को सेवा में स्थायी होने से पूर्व हाई स्कूल के स्तर की हिन्दी परीक्षा पास करनी होती है और वे सभी अच्छी हिन्दी जानते हैं । यदि कनिष्ठ अधिकारी हिन्दी नहीं जानते हैं तो उन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाए ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव तथा श्री गंगाशरण सिंह ने हिन्दी के कम्प्यूटर, टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर आदि खरीदने का सुझाव दिया । उन्होंने कहा कि नियमतः मंत्रालय में कम से कम पचास प्रतिशत देवनागरी टाइपराइटर होने चाहिए । इस संबंध में सचिव (राजभाषा) ने द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने की सलाह दी । इस संबंध में मंत्री महोदय ने द्विभाषी इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने का आश्वासन दिया ।

मंत्री जी का मत था कि सलाहकार समिति की एक उप समिति बनायी जाए जो यह निर्धारण करे कि विदेश मंत्रालय के विशिष्ट कार्यों को देखते हुए वे कौन से कार्यक्षेत्र हैं जिनमें हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है । सचिव (राजभाषा) ने यह सुझाव दिया कि मंत्रालय के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए एक रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए और 8-10 के ग्रुप में कर्मचारियों को प्रशिक्षण

हेतु भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विदेश मंत्रालय चाहे तो यह प्रशिक्षण विदेश मंत्रालय के परिसर में ही दिया जा सकता है। विदेश मंत्री जी ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशिक्षण मंत्रालय परिसर में दिए जाने का प्रबन्ध किया जाए।

विदेश स्थित मिशनों में राजभाषा नियमों के कार्यान्वियन संबंधी निरीक्षण पर चर्चा के दौरान श्री सुधाकर पाण्डेय, श्री रामजी सिंह तथा अन्य सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि अधिकारी निरीक्षण करते समय विभिन्न कारणों से निष्पक्ष नहीं हो पाते, अतः विदेश स्थित भारतीय मिशनों में राजभाषा नियमों के कार्यान्वियन संबंधी स्थिति का भली-भांति निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए सलाहकार समिति के कुछ चुने हुए सदस्यों को विदेश भेजा जाए। मंत्री महोदय ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनके सुझाव पर विचार किया जाएगा।

विदेशों को भेजी जाने वाली पुस्तकों के संदर्भ में चर्चा के दौरान श्री सुधाकर पाण्डेय, श्री रामजी सिंह तथा श्री नरेश चतुर्वेदी ने कहा कि पुस्तकों पर होने वाला व्यय बहुत कम है। इसका बजट बढ़ाया जाना चाहिए। श्री रामजी सिंह ने यह सुझाव दिया कि उच्च स्तर के साहित्य, महान विभूतियों की जीवनियों आदि से संबंधित मानक किटें भी मिशनों को भेजी जाएं।

मंत्री जी ने यह सुझाव दिया कि इस संबंध में मिशनों की आवश्यकता के अनुसार पुस्तकें भेजी जाएं। इसके साथ ही उन्होंने यह आदेश दिया कि विदेश स्थित जिन विश्व-विद्यालयों में इंडोलोजी विभाग हैं, उनसे हिन्दी पुस्तकों के संदर्भ में उनकी आवश्यकता का पता लगाया जाए।

श्री रूद्र प्रताप सिंह तथा श्री रामजी सिंह ने कहा कि विदेश स्थित मिशन/केन्द्र भारतीय न प्रतीत होकर यूरोपीय लगते हैं। उन्होंने इस संबंध में उचित कार्यवाही करने की सिफारिश की ताकि विदेश स्थित हमारे मिशन/केन्द्र भारतीय ही प्रतीत हों।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में हिन्दी पत्रिका से संबंधित सम्पादकीय स्टाफ बहुत कम है और अंग्रेजी की तुलना में वह नगण्य है। उन्होंने पर्याप्त स्टाफ देने की सिफारिश की तो श्री गंगाशरण सिंह ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पुनर्गठन की मांग की। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिनिधि ने बताया कि परिषद में मंचीय कलाओं पर जोर दिया जाता है। साहित्य का संबंध मुख्यतः साहित्य अकादमी से है। विदेश मंत्री जी ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि विदेशियों की रूचि क्या है।

श्री रामजी सिंह ने हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के संबंध में एक बार फिर यह प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब हम एशियाड पर इतना खर्च कर सकते हैं तो इस संबंध में क्यों नहीं, जबकि इससे हमारे राष्ट्र की अस्मिता जुड़ी है और राष्ट्र के गौरव के इस पहलू को रुपयों में नहीं तोला जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में हम हिन्दी के प्रयोग की शुरूआत उसकी समितियों से भी कर सकते हैं। उन्होंने इस पर पुनः विचार किए जाने का अनुरोध किया और कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री युगल किशोर चतुर्वेदी ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि भारत द्वारा इसकी पहल करने पर मारीशस, फिजी आदि भी इस सुविधा का प्रयोग करेंगे। श्री सुधाकर पाण्डेय ने सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन के दौरान विदेश मंत्रालय से भेजे जाने वाले हिन्दी के अधिकारी को पूरे सत्र के लिए वहां मौजूद रहना चाहिए न कि दो-तीन सप्ताह के लिए जैसा कि इस समय किया जाता है। विदेश मंत्री ने इस स्थिति की पुष्टि प्राप्त की और इस पर विचार करने का वचन दिया। इस बारे में विशेषाधिकारी (हिन्दी) ने बताया कि स्वयं उन्हें ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के दौरान दो सप्ताह के लिए वहां भेजा गया था और इस बीच किसी सदस्य ने उनकी उपस्थिति की सुविधा का लाभ नहीं उठाया।

श्री रुद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि केवल नेपाल और मारीशस ही नहीं बल्कि वे सभी राष्ट्र जिनका भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध और मित्रता है, भारत का पूरा समर्थन करेंगे। समिति के सदस्यों के इस अनुरोध पर कि विदेशों में हमारे मंत्री और अधिकारी हिन्दी में ही बात करें तो यह हमारे राष्ट्र और राजभाषा के गौरव के अनुकूल होगा, मंत्री जी ने कहा कि बातचीत में हमें निःसंदेह हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। इसकी एक अतिरिक्त उपयोगिता यह है कि विषय की गोपनीयता की दृष्टि से विदेशों में हिन्दी में बातचीत करना अधिक हितकर होगा। इस अवसर पर यह बात भी कही गई कि जब हमारे राष्ट्रपति विदेशों में सभी अवसरों पर हिन्दी में बोल सकते हैं तो अन्य नेताओं एवं अधिकारियों को भी हिन्दी में बोलना चाहिए। मंत्री जी ने कहा कि इस मंत्रालय के ज्यादातर अधिकारी हिन्दी बोल सकते हैं लेकिन अभ्यास नहीं होने के कारण लिखने में उन्हें कठिनाई होती है। मंत्री जी का विचार था कि सदस्यगण एक उप-समिति बना लें जो यह सिफारिशें करें कि इस मंत्रालय के जो विशेष कार्य हैं, कूटनीतिक कार्य हैं, उनमें से क्या-क्या काम आसानी से हिन्दी में किए जा सकते हैं। इस पर समिति के सदस्यों ने अनुरोध किया कि यह उप समिति मंत्री जी स्वयं ही गठित करें।

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि विदेशों में हिन्दी अध्यापकों की मांग है। इस संबंध में श्री सुधाकर पाण्डेय ने यह सुझाव दिया कि जहां प्राइमरी अध्यापकों की आवश्यकता है, वहां उसी स्तर के अध्यापकों को भेजा जाना चाहिए न कि प्रोफेसरों को। मंत्री जी ने

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से रिक्तियों का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा।

विदेशों में हिन्दी शिक्षा की स्थिति स्पष्ट करते हुए विशेषाधिकारी (हिन्दी) ने कहा है कि विदेशों में हिन्दी शिक्षण के दो कार्यक्रम हैं: (क) मिशनों में मिशनों के कर्मचारियों/उनके परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाई जा रही बाल हिन्दी कक्षाएं जो मूलतः मिशन के कर्मचारियों-अधिकारियों के बच्चों के लिए हैं, जिनमें हिन्दी सीखने के इच्छुक विदेशियों को भी प्रवेश देने पर विचार किया जा रहा है; (ख) विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति का काम भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद देखती है। श्री गंगाशरण सिंह ने सुझाव दिया कि मंत्रालय में एक अलग कक्ष खोला जाए जो विदेशों में हिन्दी प्रचार-प्रसार में हिन्दी संस्थाओं के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद कर सके और विदेशों में हिन्दी संबंधी तमाम जानकारी को समेकित करे।

2. योजना आयोग

योजना आयोग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक श्री सुख राम, योजना राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 16 फरवरी, 1987 को हुई। सदस्यों का स्वागत करते हुए मंत्री जी ने योजना आयोग में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के संबंध में हुई प्रगति से सबको अवगत कराया। हिन्दी सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

श्री सूरज प्रसाद के प्रश्न का उत्तर देते हुए निदेशक (प्र.) ने बताया कि रक्षा मंत्रालय में हिन्दी की प्रगति के लिए जो कार्य हो रहा है उसकी सूचना प्राप्त हो गई है और इसकी एक प्रतिलिपि सदस्यों को दे दी गई है। इस पर विचार किया जा रहा है।

हिन्दी अनुभागों में पर्याप्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बारे में विचार-विमर्श करते हुए सचिव, सांख्यिकी विभाग ने बताया कि वित्त मंत्रालय का कहना है कि कोई भी पद तब तक स्वीकृत नहीं कर सकते जब तक कि स्टाफ निरीक्षण एकक अध्ययन नहीं कर लेता। इस विषय पर संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने बताया कि न्यूनतम पदों के लिए जो प्रस्ताव आएगा उसको तो वित्त मंत्रालय स्वीकृति दे देगा। मंत्री जी ने सदस्यों को बताया कि योजना आयोग में उप निदेशक (रा.भा.) के पद को पदोन्नत करके निदेशक के पद बनाने तथा दो सहायक निदेशकों के पद हेतु मामला सचिव स्तर पर वित्त मंत्रालय में चल रहा है।

निदेशक (प्र.) ने सदस्यों को बताया कि योजना आयोग में हिन्दी में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 118 है। श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि अधिक से अधिक अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएं। श्री रामानुजम, सचिव, सांख्यिकी विभाग ने बताया कि उनके विभाग में 472 अधिकारियों में से 443 हिन्दी जानते हैं या उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है। बाकी 29 अधिकारियों में से 4 को प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है।

श्री यादव ने कम से कम एक अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने को कहा तो इसके प्रत्युत्तर में निदेशक (प्र.) ने सूचित किया कि योजना आयोग में लेखा-2 में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में होता है। सचिव, सांख्यिकी विभाग ने बताया कि उनके यहां कई अनुभागों में ज्यादा काम हिन्दी में ही होता है। श्री यादव का कहना था कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार एक अनुभाग में शत-प्रतिशत काम हिन्दी में ही होना चाहिए।

श्री राम सहाय पांडे ने कहा कि कम से कम "क" क्षेत्र के प्रदेशों से हिन्दी में पत्राचार किया जाए। जब केन्द्र से पत्र अंग्रेजी में जाता है तो "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों को उनका उत्तर हिन्दी में लिखकर, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करवा कर तब केन्द्र को भेजना पड़ता है। अतः हमें सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना चाहिए। "क" और "ख" क्षेत्र में स्थित राज्यों को तो पत्र हिन्दी में ही लिखे जाने चाहिए। इस विषय पर श्री चतुर्वेदी ने बताया कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बैठक के समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक बार उनसे कहा था कि उन्हें केन्द्र को अंग्रेजी में पत्र लिखने पर बाध्य होना पड़ता है क्योंकि जो पत्र हिन्दी में लिखे जाते हैं, केन्द्र में पहले उनका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जाता है फिर उन पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में बनाकर उसको हिन्दी में अनुवाद करवा कर, राज्यों को भेजा जाता है इससे पत्र का उत्तर पाने में बहुत विलंब हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मूल रूप से हिन्दी में पत्र लिखने का भरसक प्रयास किया जाएगा और अनुवाद कार्य में प्रगति के लिए, अनुवादकों की कमी को पूरा करने का मामला वित्त विभाग से लिया जाएगा।

श्री सूरज प्रसाद ने वार्षिक कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि सभी प्रतिवेदन आदि द्विभाषी होने चाहिएं, केवल अंग्रेजी में नहीं। इस पर श्री यादव ने कहा कि जब तक हम संकल्प नहीं करते कि कुछ ही वर्षों में अपनी भाषा हिन्दी को राष्ट्र-भाषा का दर्जा दिलाएंगे तब तक हिन्दी को यह स्थान प्राप्त नहीं हो सकता।

श्री मुकुल चंद पांडेय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में गैर-सरकारी सदस्यों को बुलाने पर जोर दिया। इस पर निदेशक (प्रा.) ने सदस्यों को बताया कि योजना आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में एक गैर सरकारी सदस्य को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाना आरंभ हो गया है।

श्री चतुर्वेदी ने योजना आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी के कार्य के निरीक्षण के लिए समिति के सदस्यों को

नामित करने के लिए कहा। इस विषय पर निदेशक (प्र.) ने बताया कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय इतने छोटे हैं कि उनमें समिति द्वारा हिन्दी में कार्य के निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इन कार्यलयों के वार्षिक निरीक्षण के समय ही हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण भी कर लिया जाए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने कहा कि कम्प्यूटर, टेलीप्रिन्टर आदि हिन्दी में होने चाहिए। कम से कम "क" क्षेत्र को तार हिन्दी में जाने चाहिए। मंत्री जी अपने घर में हिन्दी का टेलेक्स लगवाकर हिन्दी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके उत्तर में निदेशक (प्र.) ने बताया कि भविष्य में द्विभाषी कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर, आदि खरीदने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने धारा 3(3) का एक विवरण नोट तैयार करने को कहा जिससे यह आंका जा सके कि इस धारा में दिए गए सभी विषयों पर कितना काम हो रहा है।

योजना आयोग में हिन्दी का वातावरण बनाने पर बधाई देते हुए श्री यादव ने कहा कि पेपरवेट, गिलास आदि पर भी हिन्दी में योजना आयोग लिखा होना चाहिए।

श्री यादव ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कम से कम 25 प्रतिशत राशि हिन्दी की पुस्तकों की खरीद में व्यय होनी चाहिए। इसके अनुसार जब पिछले तीन वर्षों में अंग्रेजी पुस्तकों पर लगभग 4 लाख रु. व्यय किए गए, तो हिन्दी पर नियमानुसार 1.25 लाख रु. व्यय किए जाने चाहिए जबकि उन पर बहुत ही कम खर्च किया गया है। इस क्षति को पूरा करने के लिए भविष्य में हिन्दी की पुस्तकें अधिक से अधिक खरीदी जाएं ताकि कर्मचारी हिन्दी का लाभ उठा सकें। श्री यादव ने वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिन्दी के टाइप राइटरों की संख्या में वृद्धि पर भी जोर दिया।

श्री यादव ने कौटिल्य पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार को बढ़ाकर 10,000 रु०, द्वितीय पुरस्कार को बढ़ाकर 7,000 रु. और सांत्वना पुरस्कार को 3,000 रु. करने का अनुरोध किया और कहा कि दूसरे मंत्रालयों में भी पुरस्कार योजना इतनी ही राशि की हैं। अध्यक्ष ने कहा कि हम दूसरे मंत्रालयों की योजनाओं का पता करेंगे और यदि ऐसा होगा तो कौटिल्य पुरस्कार की राशि भी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से आग्रह करेंगे।

श्री यादव ने सभी अधिकारियों व कर्मचरियों को वार्षिक कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए एक संक्षिप्त पत्रिका निकाल कर, वितरित करने का सुझाव दया।

मद संख्या 3 व 4 पर बोलते हुए निदेशक (प्र.) योजना आयोग ने सभी सदस्यों को हिन्दी की प्रगति के बारे में बताते हुए कहा कि :

(1) हिन्दी अनुभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन करके मामला वित्त विभाग से लिया जाएगा।

(2) क्योंकि अंग्रेजी से हिन्दी के अनुवाद के लिए सब शब्द उपलब्ध है इसलिए योजना आयोग में हिन्दी की शब्दावली बनाने वाली उप-समिति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(3) योजना प्रयोग को अधिसूचित करने के लिए फरवरी के अन्त तक का समय दिया गया है। उसके बाद इसका जायजा लिया जाएगा और योजना आयोग को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

3. वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति (बैंकिंग तथा बीमा सहित) की बैठक दिनांक 7-1-1987 को वित्त राज्य मंत्री (व्यय) श्री बी.के. गढ़वी की अध्यक्षता में नार्थ ब्लाक में हुई।

बैठक की कार्यवाही शुरू करते हुए अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में सभी सदस्यों तथा अधिकारियों को नव-वर्ष की शुभकामनाएं दीं।

श्री प्रभात शास्त्री ने कहा कि हिन्दी भाषी क्षेत्र में बैंकों को अपने ग्राहकों को पासबुक हिन्दी में देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में बैंकिंग प्रभाग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएगें।

असली मदों पर चर्चा करते हुए सदस्यों ने कहा कि हालांकि विभाग (मुख्य) में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है फिर भी हिन्दी में काम करने वालों की संख्या कम है। अतः विभाग (मुख्य) में हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी में काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं और हिन्दी के प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाओं के आयोजन से इस दिशा में प्रगति होगी।

कुछ सदस्यों ने कहा कि हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि विभाग में उपयुक्त मात्रा में यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध हों। यह भी सुझाव दिया गया

कि देवनागरी तथा अंग्रेजी के टाइपराइटर बराबर-बराबर संख्या में खरीदे जाएं—अध्यक्ष महोदय ने कहा कि फिलहाल खरीद के कार्य में मितव्ययता बरती जा रही है, फिर भी विभाग द्वारा जब भी टाइपराइटर खरीदे जायेंगे तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देवनागरी और अंग्रेजी के टाइपराइटर बराबर बराबर संख्या में खरीदे जाएं।

सचिव राजभाषा ने मुद्दा उठाया कि भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारत सरकार टकसाल बम्बई द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया जबकि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय लिया कि जिन अधिकारियों के हस्ताक्षर से पत्रों के उत्तर जारी किए जाते हैं उन्हें यह सुनिनिश्चत करना चाहिए कि यदि पत्र हिन्दी में प्राप्त हुआ है तो उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए तथा 'क' क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्र केवल हिन्दी में ही भेजें जाएं। सदस्यों ने बैंकों/बीमा निगमों और विभाग (मुख्य) में हिन्दी में मूल पत्राचार की स्थिति में सुधार लाने के लिए कहा और यह सुझाव दिया कि हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए तथा उन्हें यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पत्राचार के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के आवश्यक प्रयास किए जाए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि राजभाषा नियम, राजभाषा अधिनियम तथा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों/बीमा निगमों, विभाग), [मुख्य] और उनके अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों में यथा आवश्यक जांच बिन्दु स्थापित किए जाएं।

7. सर्वश्री डा. रत्नाकर पाण्डेय, जगदम्बी प्रसाद यादव और वी.आर. नारायण ने कहा कि हिन्दी में उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए यह जरूरी है कि विभाग में स्थित पुस्तकालय में हिन्दी संदर्भ साहित्य काफी मात्रा में उपलब्ध, हों। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि पुस्तकालय के लिए उपयुक्त विषयों को अधिक से अधिक हिन्दी पुस्तकें खरीदी जाएं तथा उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पुस्तकालय की हिन्दी और अंग्रेजी की पुस्तकों पर बराबर-बराबर धनराशि खर्च की जाए।

8. सदस्यों ने सुझाव दिया कि शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए 'क' क्षेत्र में बैंक मुख्यालयों में (31-3-87 तक कम से कम) एक विभाग/अनुभाग/शाखा को नामति किया जाए। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि यह कार्य इस वर्ष 31 मार्च तक कर दिया जाएगा।

9. बैठक में हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

(1) "क" क्षेत्र में स्थित निगमों/बैंकों के कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में किया जाए।

(2) 'क' क्षेत्र में बैंकों द्वारा ग्राहकों को पास बुक हिन्दी में उपलब्ध करायी जाएं।

(क) राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वियन के लिए यथा आवश्यक जांच बिन्दु स्थापित किए जाएं और जहां पर यह पहले से स्थापित हैं उन्हें और भी प्रभावी बनाया जाए।

(4) इलैक्ट्रानिक उपकरण जैसे कि टेलेक्स, टेलीप्रिंटर वर्ड प्रोग्रेसर तथा कम्प्यूटर आदि यथा संभव द्विभाषी ही खरीदे जाएं। उचित संख्या में देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था हेतु, वर्ष 1986-87 में खरीदे जाने वाले कुल टाइप राइटरों के कम से कम 50 प्रतिशत देवनागरी के खरीदी जाएं।

(5) पुस्तकालय में तकनीकी एवं साहित्यिक विषयों की उच्च स्तर की अधिक से अधिक हिन्दी पुस्तकें खरीदी जाएं।

(6) शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए 'क' क्षेत्र के बैंकों मुख्यालयों में (31-3-87 तक कम से कम) एक विभाग/अनुभाग/शाखा को नामित किया जाए।

4. रक्षा मंत्रालय

रक्षा संगठन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री श्री शिवराज वी० पाटिल की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तेरहवीं बैठक दिनांक 18-2-87 को हुई।

राज्य मंत्री (रक्षा) ने कहा कि रक्षा मंत्रालय में प्रायः तकनीकी किस्म का काम होने की वजह से वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य अभी तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सके हैं। तथापि उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।

राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन

30 जून और 30 सितम्बर, 1986 को समाप्त तिमाहियों के दौरान रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों द्वारा किए गए काम के तुलनात्मक आंकड़ों पर चर्चा हुई और सदस्यों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की कि थलसेना मुख्यालय, आयुध निर्माणी बोर्ड और निरीक्षण महानिदेशालय सहित बहुत से कार्यालय हिन्दी संबंधी सांविधिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। थलसेना मुख्यालय के प्रतिनिधि का कहना था कि जून, 1986 में समाप्त तिमाही की अपेक्षा सितम्बर, 1986 में समाप्त तिमाही के दौरान अंग्रेजी में जारी किए गए सामान्य आदेशों की संख्या में कमी हुई है। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में सभी सामान्य आदेशों

को द्विभाषी रूप में और हिन्दी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में ही दिए जाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।

आयुध निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि 30 जून, 1986 को समाप्त तिमाही के दौरान जारी किए गए सामान्य आदेशों की संख्या उससे अगली तिमाही में काफी बढ़ गई थी और एक अनुवादक की सहायता से वे जून, 1986 में समाप्त तिमाही के दौरान द्विभाषी रूप में जारी किए गए 121 सामान्य आदेशों की तुलना में, उससे अगली तिमाही के दौरान 215 सामान्य आदेशों को द्विभाषी रूप में जारी कर सके हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में यह भी बताया कि 7 हिन्दी पदों के सृजन का एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है और जैसे ही ये पद मंजूर हो जाएंगे और स्टाफ तैनात हो जाएगा, सभी सामान्य आदेश द्विभाषी जारी होने लगेंगे। रक्षा राज्य मंत्री जी ने उन्हें सलाह दी कि वे इन पदों को यथाशीघ्र मंजूर करवाएं ताकि सांविधिक आवश्यकताओं की पूरी तरह पूर्ति हो सके।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के लिए प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र द्विभाषी बनाना

सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि इस संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब हो रहा है। उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे शीघ्र निर्णय लें और उसकी जानकारी अगली बैठक में दें।

तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी प्रकाशनों का अनुवाद

इस बारे में सदस्यों को भेजी गई टिप्पणी में बतायी गई स्थिति नोट की गई। केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि सेवा निवृत्त सैन्य अधिकारियों और कार्मिकों से मानदेय आधार पर इन मैनुअलों के अनुवाद की संभावना पर विचार किया जाए। रक्षा मंत्रालय की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि इस संबंध में ऐसा प्रयोग पहले किया जा चुका है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और इसलिए तीनों सेनाओं में उपयुक्त अनुवाद व्यवस्था का एक प्रस्ताव मंत्रालय के वित्त प्रभाग को विचारार्थ भेजा गया है। रक्षा राज्य मंत्री जी ने आदेश दिया कि अनुवाद की व्यवस्था तुरन्त की जानी चाहिए ताकि दैनिक प्रयोग में आने वाले तकनीकी प्रकाशनों का अनुवाद सभी कार्यालयों को उपलब्ध हो सके, जिससे वे अपने काम काज में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ा सकें।

रक्षा संगठन में विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि और डॉ. सत्येन्द्र चतुर्वेदी का विचार था कि कम से कम निम्नतर स्तर पर तो विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग करने की छूट दी जानी चाहिए। इस पर उप वायुसेनाध्यक्ष ने कहा कि निम्नतर स्तर पर भी तकनीकी पुस्तकें अभी हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए आवश्यकतावश सेनाओं में हर व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह उस भाषा को समझे जिसमें तकनीकी प्रकाशन उपलब्ध हैं।

वायुसेना में एयरमैनों की भर्ती परीक्षा में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग

इस सम्बंध में चर्चा के दौरान डॉ. प्रभात शास्त्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के विद्यार्थी अपने शैक्षिक जीवन के दौरान किसी भी स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में लिए बिना उच्चतम शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त करने के बावजूद भारतीय वायुसेना में एयरमैनों के रूप में भर्ती होने की सोच भी नहीं सकते। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि ने इस बात पर जोर दिया कि प्रश्नपत्र द्विभाषी बनाए जाने चाहिएं और फिर यह उम्मीदवारों पर छोड़ देना चाहिए कि वे हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी एक में प्रश्नों का उत्तर दें। उप वायुसेनाध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वे शीघ्र ही आयोजित होने वाली अगली भर्ती परीक्षा के कुछ प्रश्नों का उत्तर वैकल्पिक रूप से हिन्दी में दिए जाने की छूट देने के बारे में सोच रहे हैं। सदस्य चाहते थे कि सरकारी नीति के अनुसार निम्नतर स्तर पर प्रश्न पत्र द्विभाषी होने चाहिएं। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि ने यह भी सुझाव दिया कि जो उम्मीदवार एयरमैनों के रूप में भर्ती होने के लिए हिन्दी माध्यम से परीक्षा दें, उनके लिए भर्ती होने के बाद तीन महीने का एक रिफ्रेशर कोर्स चलाया जाए, जिसमें उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाए। रक्षा राज्य मंत्री जी ने उप वायुसेनाध्यक्ष से आग्रह किया कि वे सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार करें। उप वायुसेनाध्यक्ष ने फिर अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि माननीय गैर-सरकारी सदस्यों को ताम्बरम और जलाहली में स्थित उन प्रशिक्षण स्थापनाओं को देखने के लिए आमंत्रित किया जाए, जिनमें एयरमैनों को भर्ती के बाद प्रारम्भिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सदस्यों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और रक्षा राज्य मंत्री जी ने इस बारे में अपनी सहमति दी।

"क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में चैक हिन्दी में जारी करना

रक्षा वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि ने सदस्यों को बताया कि चैकों को हिन्दी में जारी करने का काम शुरू कर दिया गया है। सदस्यों को हिंदी में लिखा हुआ एक चैक दिखाया गया और उन्होंने इस संबंध में की गई कार्रवाई की प्रशंसा की।

तीनों सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले प्रशिक्षण मैनुअलों एवं प्रकाशनों का हिन्दी में अनुवाद

इस संबंध में सदस्यों को भेजी गई संक्षिप्त टिप्पणी नोट की गई। सदस्यों का यह आग्रह था कि प्रशिक्षण मैनुअलों आदि का अनुवाद और उनके मुद्रण अथवा साइक्लोस्टाइल रूप में प्रकाशित करने का काम यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किया जाए।

"क" क्षेत्र में स्थित छावनी बोर्डों में सभी काम हिन्दी में

डॉ. प्रभात शास्त्री का कहना था कि इलाहाबाद छावनी बोर्ड में लगभग 75 प्रतिशत काम अंग्रेजी में हो रहा है। इस पर रक्षा राज्य मंत्री जी ने कहा कि "क" क्षेत्र में स्थित छावनी बोर्डों के सभी सूचना-बोर्ड, नाम-बोर्ड, रबड़ की मुहरें द्विभाषी होनी चाहिए और जनता तथा राज्य सरकारों के साथ उन्हें सामान्यतः हिन्दी में ही पत्राचार करना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय में वर्ष 1986-87 के दौरान आयोजित हिन्दी कार्यशालाएं

मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अब तक 5 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है और छठी कार्यशाला मार्च, 1987 में आयोजित की जाएगी। सदस्यों को यह भी बताया गया कि नौसेना मुख्यालय ने वर्ष के दौरान 3 कार्यशालाओं का आयोजन किया जबकि वायुसेना ने 2 कार्यशालाएं आयोजित कीं। आयुध निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 1986-87 के दौरान आयुध निर्माणियों में 23 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। सदस्यों ने वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों की संख्या

संसद सदस्य श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने यह देखा है कि जिन कार्यालयों/यूनिटों एवं विरचनाओं में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होता है उन्हें राजभाषा नियम 1976 में दी गई व्यवस्था के विरूद्ध अधिसूचित नहीं किया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री जी भी इससे सहमत थे और उन्होंने यह निर्देश दिया कि जिन कार्यालयों/यूनिटों/विरचनाओं में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो, उन्हें राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार अधिसूचित किया जाना चाहिए।

हिन्दी में टिप्पण और प्रारूप लेखन के लिए बनी प्रोत्साहन योजना को उदार बनाना

रक्षा मंत्रालय की ओर से यह कहा गया कि सेना मुख्यालय आदि समय-समय पर मांग करते रहे हैं कि शब्दों की न्यूनतम सीमा 50,000 से कम की जाए ताकि अधिकाधिक संख्या में अधिकारी और कार्मिक इस योजना में भाग ले सकें। रक्षा राज्य मंत्री जी ने कहा कि अगर अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है तो न्यूनतम सीमा को घटाकर कम से कम 25,000 शब्द कर दिया जाना चाहिए और पुरस्कारों की संख्या बढ़ाकर 20 होनी चाहिए। इस पर राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्रीबेलिया ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि वर्ष 1984 से पहले न्यूनतम सीमा प्रतिवर्ष एक लाख शब्दों की थी लेकिन विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों की मांग पर यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया और उन्होंने अन्ततः वर्ष 1984 में इस सीमा को घटाकर प्रतिवर्ष 50,000 शब्द कर देने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने यह भी बताया कि राजभाषा विभाग ने कुछ समय पहले ऐसे आदेश जारी किए हैं जिससे मंत्रालय या कार्यालय हिन्दी में अधिकाधिक काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप नकद पुरस्कार दे सकते हैं। उन्हें ऐसे आदेशों की एक प्रति मंत्रालय को भेजने के लिए कहा गया ताकि तदनुसार कार्रवाई की जा सके।

रक्षा मंत्रालय में इस्तेमाल होने वाले टाइपराइटर और कम्प्यूटर हिन्दी में होने चाहिए।

विदेशों से आयात रक्षा उपस्करों को हिन्दी में नाम दिए जाएं।

रक्षा मंत्रालय के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वियन समितियां बनाई जाएं और उनकी बैठकें नियमित रूप से की जाएं।

रक्षा संगठन के सभी कार्यालयों तक हिन्दी संबंधी आदेश पहुंचाने के लिए रक्षा मत्रालय द्वारा की कई व्यवस्था

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों को डाक द्वारा निचली विरचनाओं/यूनिटों आदि को भेजा जाना चाहिए और कार्यालयों/विरचनाओं आदि के अध्यक्षों से कहा जाए कि वे अपने इन आदेशों के कार्यान्वियन के लिए कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करें। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि रक्षा संगठन में पत्र व्यवहार की एक खास पद्धति है जिसके अनुसार मंत्रालय मुख्यालयों को आदेश देता है और फिर मुख्यालय उन्हें अपने कमान मुख्यालयों को भेजते हैं। उसके बाद कमान मुख्यालय उन्हें निम्न विरचनाओं तक पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया में समय का लगना स्वाभाविक है लेकिन उससे बचा भी नहीं जा सकता। फिर भी सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा कि हिन्दी संबंधी आदेश सभी कार्यालयों/विरचनाओं/यूनिटों को यथाशीघ्र पहुंचें।

(2) विभिन्न रक्षा स्थापनाओं द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की प्रतियां वितरित करने के लिए रखी मेलिंग लिस्ट में समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम शामिल करने का निर्णय लिया गया।

5. वित्त मंत्रालय (राजस्व और व्यय विभाग)

राजस्व और व्यय विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 4-2-87 को राज्य मंत्री (व्यय) श्री बी. के. गढ़वी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

राज्य मंत्री ने राजस्व और व्यय विभागों और उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में किए गए प्रयासों तथा उपलब्धियों पर संक्षेप में प्रकाश डाला।

(1) प्रत्येक विभाग द्वारा अधिकारियों के लिए चलाए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा।

(2) 1986-87 में आयोजित भर्ती तथा पदोन्नति की परीक्षाओं का ब्यौरा जिसके साथ प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में देने के विकल्प के बारे में जानकारी दी गयी हो।

(3) मंत्रालय के अधीन सभी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में राजभाषा नीति एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाए।

(4) वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा संचालित भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी में एक अनिवार्य/वैकल्पिक प्रश्न-पत्र होना चाहिए।

उपर्युक्त सुझावों के बारे में चर्चा के दौरान समिति को बताया गया कि केन्द्रीय सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क बोर्ड के अन्तर्गत संस्थानों में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न भी शामिल होते हैं और प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिया जाता हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रश्न-पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में मुद्रित कराने की व्यवस्था के लिए उपाय किए जा रहे हैं। एक सदस्य ने यह इच्छा व्यक्त की कि हिन्दी में ऐसे प्रश्न पत्र की एक प्रतिलिपि सभी सदस्यों को भेजी जाए।

2. राजस्व विभाग के अधीन प्रभागों/अनुभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अंग्रेजी स्तर के समकक्ष हिन्दी में कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एक अल्पकालीन प्रशिक्षण और अपेक्षित साहित्य प्रदान करना।

सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। अकेले प्रत्यक्ष-कर बोर्ड की ओर से सितम्बर, 1986 तक 66 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था जबकि पिछले वर्ष इसकी संख्या 39 थी।

3. हिन्दी के प्रयोग के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु यह आवश्यक है कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हिन्दी के न्यूनतम पदों के सृजन और खाली पदों को भरने पर लगी रोक हटाना।

अध्यक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा समिति की पिछली बैठक में दिए गए स्पष्टीकरण को दोहराया कि हिन्दी पदों के सृजन पर कोई पूर्ण रोक नहीं है लेकिन पद के सृजन के प्रस्ताव के साथ पर्याप्त औचित्य दिया जाए जिस पर वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी।

4. हिन्दी में काम करने को बढ़ावा देने हेतु आकर्षक प्रोत्सहन योजना तैयार करना

सदस्य-सचिव ने राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। श्री वीरेन्द्रपाल सिंह, उप सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि इस योजना की उपयोगिता की कुछ समय बाद समीक्षा करने का प्रस्ताव है और समीक्षा के समय माननीय सदस्यों के सुझाव पर भी विचार किया जाएगा।

5. वित्तीय साहित्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन कर्ताओं को प्रति पुस्तक वर्तमान 100 रुपये प्रति के बजाय 250 रु. की राशि का मानदेय देना

समिति ने राजस्व विभाग द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रति पुस्तक 100/- रुपये को बढ़ाकर 200/- रुपये का मानदेय देने के निर्णय की सराहना की।

6. विभाग द्वारा कुछ अनुभागों को पूर्णतः या अंशतः कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट करना

समिति को प्रस्तुत की गई सूचना सदस्यों द्वारा नोट की गई। तथापि, एक सदस्य ने राजस्व विभाग के उन 25 अनुभागों की सूची देखने की इच्छा व्यक्त की जिन्हें हिन्दी में पूर्ण/आंशिक कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। उन्हें संबंधित सूची दिखाई गयी। इस तरह विनिर्दिष्ट किए गए अनुभागों की कुछ फाइलें भी कुछ सदस्यों को दिखाई गईं, जिन्होंने कार्य की सराहना की। समिति का मत था कि प्रत्येक अनुभाग/कार्यालय में कम-से-कम एक अनुभाग नियम (8) के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।

अन्य सुझाव

शेष पदों पर माननीय सदस्यों को जो जानकारी उपलब्ध करायी गयी थी उस पर समिति ने अपना संतोष व्यक्त किया। तथापि कुछ सदस्यों ने निम्नलिखित सुझाव और दिए थे :—

(I) हिन्दी में कार्यान्वियन और समन्वय के लिए निदेशक (हिन्दी) का पद सभी मंत्रालयों/विभागों में विशेष रूप से वित्त मंत्रालय में बनाया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जहां तक वित्त मंत्रालय में निदेशक (हिन्दी) के पद का सृजन करने का प्रश्न है इस पर विचार किया जाएगा लेकिन अन्य मंत्रालयों में निदेशक (हिन्दी/ राजभाषा) के पद सृजन करने के सवाल पर कार्रवाई शुरू करना वित्त मंत्रालय के लिए कठिन होगा।

(II) जो अधिकारी/कर्मचारी विशेषतः अहिन्दी भाषी अधिकारी/कर्मचारी हैं जो अपना सम्पूर्ण या अधिकांश कार्य हिन्दी में करते हैं उनकी गोपनीय रिपोर्ट पर प्रशंसा के शब्द अंकित किए जाएं।

(III) हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में आंकड़ें देते समय उन व्यक्तियों के भी आंकड़े देने चाहिए जो प्रशिक्षण कक्षाओं में वास्तव में उपस्थित होते हैं और जो उसकी परीक्षाओं में बैठते हैं।

(IV) राजस्व और व्यय विभाग तथा उनके विभिन्न कार्यालयों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति भी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियमावली के नियम 5 का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(V) कार्यालय में द्विभाषी मशीनी साधन जैसे टाइपराइटर, कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर इत्यादि की खरीद सुनिश्चित की जाए।

(VI) एक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि समिति की अगली बैठक 31 मार्च, 1987 अर्थात् इस वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले कर ली जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति को आश्वासन दिया कि समिति की आगामी बैठक 31 मार्च, 1987 से पहले करने का प्रयास किया।

आयकर विभाग द्वारा किए गए हिन्दी कार्यान्वयन संबंधी कार्य

श्री श्रीइंद्र त्रिपाठी, सदस्य (कर्मचारी तथा प्रशिक्षण), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में कुछ नीचे लिखी उपलब्धियों के बारे में समिति को अवगत कराया :—

(क) हिन्दी के 94 पदों के सृजन का प्रस्ताव किया गया था जिसमें से 28 पदों की स्वीकृति आ चुकी है और इन पदों का सृजन करने हेतु प्रस्ताव मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। शेष पदों के सृजन के बारे में कार्रवाई चल रही है।

(ख) आयकर संबंधी कुछ आधारभूत पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद के बारे में कार्यवाही शुरू की गई है जो कराधान संबंधी तकनीकी कार्य को हिन्दी में करने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। चूंकि इन, पुस्तकों का प्रकाशन निजी प्रकाशकों द्वारा किया गया है इसलिए कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती है। इस मामले के बारे में राजभाषा विभाग और विधि मंत्रालय के राजभाषा खण्ड से सम्पर्क किया जा रहा है।

(ग) जो अधिकारी/कर्मचारी 25 प्रतिशत से अधिक काम हिन्दी में करते हैं उनकी संख्या 7881 से बढ़कर 9978 हो गई है।

(घ) चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में 8 आयकर प्रभारों में निरीक्षण किया गया जबकि पिछले पूरे वर्ष में केवल 6 प्रभारों का निरीक्षण किया गया था।

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

हिंदी शिक्षा समिति की 34वीं बैठक दिनांक 30-12-85 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा साही की अध्यक्षता में हुई।

माननीया राज्यमंत्री ने हिंदी शिक्षा समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 351 की व्यवस्था के अनुसार यद्यपि हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और विकास का दायित्व संघ सरकार का है, किंतु यह कार्य तभी अच्छी तरह हो सकेगा जब सभी राज्य, हिंदी सेवी संस्थाएं और नागरिक इसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। अपने भाषण में राज्यमंत्री ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास में लगी केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं के कार्यकलाप का संक्षिप्त विवरण दिया और उन योजनाओं का जिक्र किया, जिन्हें केन्द्र सरकार पूरा कर रही है। राज्यमंत्री ने समिति के सदस्यों को मंत्रालय द्वारा गठित दो समितियों की जानकारी दी और कहा कि पहली समिति संविधान के अनुच्छेद 351 की व्यवस्था के अनुसार संघ सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करेगी और सुझाव देगी कि हिंदी के विकास, प्रचार-प्रसार के कार्यों की गति कैसे तेज की जा सकती है। दूसरी समिति प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी शिक्षण के संबंध में विस्तार से विचार करेगी और भारत सरकार को इस संबंध में किए जाने वाले कार्यों के लिए सुझाव देगी।

(I) कुछ विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षिक संस्थाओं में अंग्रेजी में ही शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने की बाध्यता है और हिंदी में लिखे गए शोध-प्रबंधों को स्वीकार नहीं किया जाता। इस संबंध में तय हुआ कि शिक्षा समिति की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उचित कार्रवाई के लिए सुझाव दिया जाए।

(II) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह भी जानकारी मांगी जाए कि हिंदी के प्रचार-प्रसार के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है। इस संबंध में पिछली बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। सदस्यों ने सुझाव दिया कि आयोग को उच्च स्तर पर कार्रवाई करने के लिए लिखा जाए।

(3) सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि जब तक सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अपने शासकीय कार्यों में हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हिंदी का प्रचार-प्रसार नहीं हो सकेगा। यह भी सुझाव दिया गया कि विदेशों में जाने वाले भारतीय अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। इस संबंध में राजभाषा विभाग के सचिव ने विदेशों में हिंदी में प्रयोग के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना दी और बताया कि भारतीय राजनयिकों को हिंदी में वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। समिति ने यह प्रस्ताव किया कि हिंदी शिक्षा समिति की ओर से राजभाषा विभाग से निवेदन किया जाए कि इस संबंध में उस विभाग ने जो भी परिपत्र निकाला हो, उसकी पूरी सूचना हिंदी शिक्षा समिति को दी जाए।

(4) राज्यमंत्री जी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जो दो समितियां गठित की गई हैं उनके बारे में सदस्यों का विचार था कि इन समितियों से यह अनुरोध किया जाए कि वे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों से भी सुझाव मांगें।

(5) सुझाव दिया गया कि केन्द्रीय हिंदी सलाहकार समिति के निर्णय हिंदी शिक्षा समिति के सदस्यों को भी सूचनार्थ भेजे जाएं ताकि इस समिति के सदस्य उन निर्णयों से अवगत हो सकें।

कुछ सदस्यों का विचार था कि स्वैच्छिक हिंदी सेवा संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में अनुदान समिति की बैठक में निर्णय हो जाने के बाद भी अनुदान के भुगतान में प्रायः काफी विलंब हो जाता है। इस संबंध में तय हुआ कि विशेष सचिव और वित्त सलाहकार मिलकर इस संबंध में आने वाले कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करें।

आदिवासी जनजातियों के लिए प्राथमिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक कक्षाओं तक सामान्य स्तर से अलग स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण

इस प्रस्ताव के संबंध में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अध्याय 4.6 में इस प्रसंग में पहले ही समुचित व्यवस्था कर दी गई है। प्रस्तावक ने स्वीकार किया कि उनके प्रस्ताव की आत्मा इस व्यवस्था में निहित है अतः उन्होंने इस के बारे में पूर्ण संतोष व्यक्त किया। इस संबंध में यह भी कहा गया कि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा हिंदी में तैयार की गई पुस्तकों की भाषा दक्षिण प्रदेशों के छात्रों के लिए कुछ कठिन होती है। इन छात्रों में अगर हिंदी के प्रति रुचि बनाए रखनी है तो हिन्दी की पुस्तकों की भाषा सरल करनी होगी।

10. भारत के सभी विश्वविद्यालयों की स्नातक परीक्षाओं में सामान्य हिन्दी के लिए एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र की व्यवस्था

विचार-विमर्श के बाद समिति ने यह तय किया कि हिंदी के प्रश्न-पत्र को अनिवार्य बनाने के बारे में यह समिति सिफारिश नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप माना जाएगा। यह तय हुआ कि प्रारंभिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी शिक्षण के लिए गठित समिति इस विषय पर भी विचार करे और जो सुझाव दे, उन्हें हिंदी शिक्षा समिति के समुम्ख रखा जाए।

11. स्वैच्छिक हिन्दी सेवी संस्थाओं की सभी विषयों की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय स्तर की मान्यता

इस प्रस्ताव के बारे में भी यह तय हुआ कि शिक्षा समिति इस बारे में कोई निर्णय न करे और इस विषय को उपर्युक्त नवगठित समिति को विचारार्थ भेज दिया जाए। वह समिति जो सुझाव देगी उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया जाएगा।

12. हिंदीतर राज्यों में हिंदी के प्रति अधिक प्रेम उत्पन्न करने की दिशा में कार्रवाई

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के प्रतिनिधि श्री रामलाल पारीख ने अपने इस प्रस्ताव को स्पष्ट करते हुए हिंदीतर राज्यों में हिंदी के प्रति अनुकूल वातावरण बनाए जाने तथा कार्य का सुनियोजित ढंग से करने के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे—

(1) सद्भावना यात्रा : प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकारों को हिंदी तथा अहिंदी भाषी राज्यों में परस्पर आदान-प्रदान की योजना के अंतर्गत व्याख्यान के लिए भेजा जाए।

(2) दूरदर्शन, रेडियो जैसे संचार माध्यमों से हिंदी भाषी साहित्यकारों एवं उनकी कृतियों का जनता को अधिकाधिक परिचय दिया जाए।

(3) भारतीय भाषाओं के बीच परस्पर आदान-प्रदान के बारे में अनुवाद की जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें अधिक विस्तृत किया जाए।

(4) भारत में हो रहे प्रौद्योगिक विकास के अनुरूप द्विभाषा/त्रिभाषा कम्प्यूटरों के लिए सोफ्ट वेयर तैयार करने के बारे में संस्थाओं को अनुदान दिया जाए।

उपर्युक्त प्रस्तावों के बारे में यह तय हुआ कि अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ इनके बारे में पूरी योजना बनाए और मंत्रालय को विचारार्थ प्रस्तुत करे।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव भी प्रस्तुत किए गए :—

(1) अखिल भारतीय हिंदी सेवियों एवं साहित्यकारों की विवरणिका "हूज़ हू" तैयार की जाए ।

(2) दूरदर्शन द्वारा हिंदी साहित्यकारों की रचनाओं की जानकारी देने वाले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं ।

(3) खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो का पटियाली, जिला एटा में उचित स्मारक बनाया जाए तथा उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया जाए ।

(4) हिंदी संस्था संघ के कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में जो कटौतियां की गई हैं और जिनके कारण यह संख्या अन्य स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं का निरीक्षण करने में असमर्थ है, उन्हें फिर से लागू किया जाए ।

(5) केंद्रीय हिंदी निदेशालय का एक उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया जाना चाहिए ।

(6) प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्राथमिक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर केवल हिंदी माध्यम वाले आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएं ।

(7) हिंदी शिक्षा समिति के कार्यों से संबंधित तीन उप समितियां जैसे (1) प्रचार-प्रसार समिति, (2) परीक्षा समिति तथा (3) विकास समिति बनाई जाए जो समय-समय पर अपने सुझाव शिक्षा समिति को दे ।

(8) वायुयान में यात्रियों को सिर्फ अंग्रेजी समाचार-पत्र ही दिया जाता है, हिंदी समाचार-पत्र उपलब्ध करने के लिए भी संबंधित विभाग/मंत्रालय से अनुरोध किया जाए ।

बताया गया कि इन सुझावों के संबंध में समिति के सदस्यों या मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा विस्तृत योजनाएं प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी ।

7. विधि और न्याय मंत्रालय

विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की आठवीं बैठक की अध्यक्षता राज्य मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने की ।

श्री गंगाशरण सिंह ने समिति के सदस्यों की ओर से मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दी कि उनके प्रयत्नस्वरूप संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ घोषित करने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पुनःस्थापित हो गया है ।

सचिव ने यह सूचित किया कि राजभाषा खंड के उपयोग के लिए दो द्विभाषी शब्द संसाधक लिए गए हैं । राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शम्भू दयाल ने कहा कि भारत सरकारकी नीति के अनुसार चारों शब्द संसाधक द्विभाषी ही होने चाहिएं । नीति यह है कि जो भी शब्द संसाधक खरीदे जाएं वे द्विभाषी हों ।

विधायी विभाग के सचिव ने सदस्यों को यह सूचना दी कि हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में काम करने वाले अधिकारियों को भारतीय विधिक सेवा के संवर्ग में सम्मिलित करने के विषय में प्रयत्न हो रहा है । सदस्यों ने सचिव से विशेष अनुरोध किया कि वे इस विषय में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इस कार्य को शीघ्र कराएं । यह कार्य बहुत दिनों से लम्बित है । सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस विषय में प्रयत्न करेंगे ।

प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 में संशोधन के बारे में जानकारी देते हुए राजभाषा विभाग के सचिव श्री बी० बी० महाजन ने सूचित किया कि इस विषय में नोट तैयार हो रहा है और शीघ्र ही मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

राजभाषा विभाग के सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 7 के संशोधन के लिए नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है । आशा है कि एक सप्ताह में उस पर निर्णय हो जाएगा ।

राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने उच्च न्यायालय की निर्णय पत्रिका अपने राज्य की राजभाषा में प्रकाशित कराएं । तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान ने यह कार्य प्रारम्भ किया है । समिति के सचिव ने सूचना दी कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश इस दिशा में कदम उठाने वाले हैं । श्री सुधाकर पांडेय ने यह मत व्यक्त किया कि हरियाणा और दिल्ली प्रशासन से जो पत्र प्राप्त हुए हैं वे उचित नहीं हैं । उन्होंने मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे हरियाणा के मुख्य मंत्री से इस विषय में बात करें और दिल्ली प्रशासन के भी समुचित अधिकारी का ध्यान इस ओर दिलाएं ।

पिछली बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि हिंदी-भाषी राज्यों से मुद्रित अधिनियमों की प्रतियां मंगवा ली जाएं जिससे निर्णयों का अनुवाद करते समय उनकी सहायता ली जा सके । प्रधान सम्पादक ने बताया कि मध्य प्रदेश और बिहार से अधिनियमों की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं । समिति के सचिव ने सूचित किया कि राज्य सरकारों के विधि सचिवों से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी राजभाषाओं में प्रकाशित विधि की पुस्तकों पर पुरस्कार दें । पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के विधि मंत्रियों से भी इस विषय में समिति के सचिव ने चर्चा की है ।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शम्भू दयाल ने विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग में हिन्दी के प्रयोग पर टिप्पणियां दी थीं उन्हें स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि विधायी विभाग से "क और ख" क्षेत्रों को भी बहुत बड़ी संख्या में पत्र अंग्रेजी में भेजे गए हैं । समिति के सचिव ने बताया कि हाल ही में विधायी विभाग के सचिव

ने अपने कमरे में बैठक करके कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष श्री रामस्वामी को यह कहा है कि वे इस बात की ओर विशेष ध्यान दें कि "क और ख" क्षेत्रों में हमारे विभाग से एक भी पत्र अंग्रेजी में नहीं जाना चाहिए। संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिन्दी की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। मंत्रीजी ने विधि कार्य विभाग के संयुक्त सचिव से कहा कि वे अपने विभाग से "क और ख" क्षेत्रों को हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या बढ़ाएं। वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है।

डा. मोती बाबू ने अपना प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि द्विभाषी संस्करणों की उपयोगिता बहुत अधिक है। यदि द्विभाषी संस्करण किसी अधिनियम के पारित होते ही तुरंत नहीं छपवाया जा सकता है तो हिन्दी पाठ को पुस्तक के रूप में शीघ्र उपलब्ध करा ही देना चाहिए। उनकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए विधायी विभाग के सचिव ने कहा कि वे इस विषय में कदम उठाएंगे। श्री वंदेमातरम् रामचंद्र राव ने इसी विषय पर बोलते हुए सुझाव दिया कि अहिन्दी-भाषी राज्यों में विधि के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग किस प्रकार हो, इस बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। समिति के सचिव ने कहा कि आधार-भूत शब्दावली अधिकतर भारतीय भाषाओं में समान है। संविधान की बहुभाषी शब्दावली इसी दृष्टि से प्रकाशित की गई है कि आगे भी विभिन्न भाषाओं में अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ बनाते समय एकरूपता का ध्यान रखा जाए।

डा. मोती बाबू ने कहा कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो आय-कर मैनुअल प्रकाशित करता है उसमें वर्ष के दौरान जो संशोधन होते हैं उनके हिन्दी पाठ की प्रतियां विभागीय अधिकारियों को नहीं मिलतीं। वित्त अधिनियम की हिन्दी प्रतियां क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों के पास नहीं पहुंचती है। सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि समिति की ओर से प्रत्यक्ष कर बोर्ड से यह अनुरोध किया जाए कि वे समय-समय पर आय कर अधिनियम में होने वाले संशोधनों के हिन्दी पाठ की प्रतियाँ भी क्षेत्र के अधिकारियों के पास भिजवाएं और वित्त अधिनियम की हिंदी प्रति भी पारित होने के तुरंत बाद सभी अधिकारियों को भिजवाने की व्यवस्था करें।

श्री मन्नूलाल द्विवेदी, श्री रामचंद्र विकल, श्री रामभगत पासवान और श्री नरेशचंद्र चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत इस मद पर विचार प्रकट करते हुए श्री बेरी ने कहा कि यह बहुत महत्व का प्रश्न है। डा. मोती बाबू ने कहा कि मौलिक प्ररूपण हिन्दी-भाषी राज्यों में सरलता से किया जा सकता है। अन्य सदस्यों के सुझावों पर विचार-विमर्श करने के बाद अध्यक्ष ने यह कहा कि सिद्धांततः तो यह स्वीकार है कि हिंदी-भाषी राज्यों में और केंद्र में भी मौलिक प्रारूपण हिन्दी में प्रारंभ होना चाहिए। यह तय हुआ कि एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिसमें हिन्दी-भाषी राज्यों के विधि सचिवों को बुलाया जाए। आवश्यकतानुसार कुछ विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाए। उसमें उदाहरण के रूप में एक विधेयक तैयार किया जाए।

8. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

कुछ जरूरी कार्य होने के कारण सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री की अनुपस्थिति में हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठक की अध्यक्षता समिति के सदस्य प्रो. सी. पी. ठाकुर, संसद सदस्य, ने की।

मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में उनका भाषण श्री बाल कृष्ण जुत्शी, संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पढ़ा। मंत्री महोदय ने बताया कि देश भर में हिन्दी के प्रचार प्रसार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के हिन्दी कार्यक्रमों से हिन्दी को काफी बढ़ावा मिला है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग, फिल्म प्रभाग, आदि के कार्यक्रमों से भी हिन्दी को बढ़ावा मिला है। प्रकाशन विभाग की आधी से अधिक पुस्तकें हिन्दी में छपती हैं। हाल ही में इस विभाग ने हिन्दी की पुस्तकों पर 60,000 रुपये की रायल्टी अर्जित की है। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए भी सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए इस मंत्रालय तथा इसके विभिन्न कार्यालयों में 333 हिन्दी पद बनाए जा चुके हैं। सचिवालय सहित मंत्रालय के 337 कार्यालयों के 80 प्रतिशत या इससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है उनको हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन चरणबद्ध ढंग से हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना भी चलाई जा रही है। इसके अलावा, कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष आयोजित हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी निबंध, हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इस मंत्रालय ने इस मंत्रालय से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने की योजना चलाई हुई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 10,000 रुपए, 7,000 रुपए और 5,000 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझावों से हिन्दी को और बढ़ावा मिलेगा।

समिति की पिछली बैठक में दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए श्री गिरिजा कुमार माथुर ने कहा कि दूरदर्शन द्वारा कवर किए जाने वाले कई कवि-सम्मेलन अच्छे स्तर के नहीं होते । दूरदर्शन को प्रख्यात कवियों के वर्ष में 2-3 अपने सम्मेलन भी आयोजित करने चाहिएं । इसके अलावा, कवि सम्मेलनों को न्यूजरील की तरह कवर नहीं किया जाना चाहिए । श्री रामदरश मिश्र ने कहा कि दूरदर्शन पर आमतौर पर घटिया कविताओं की पंक्तियां ज्यादा दी जाती हैं और अच्छी कविताओं की पंक्तियां कम दी जाती हैं । महानिदेशक, दूरदर्शन ने बताया कि दूरदर्शन आमतौर पर उन्हीं कवि-सम्मेलनों को कवर करता है जिनमें अच्छे स्तर के कवि काव्य-पाठ कर रहे हों । दूरदर्शन द्वारा अपने कवि सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं ।

श्री आशिस सन्याल ने कहा कि दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता द्वारा जो हिन्दी कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाते हैं, उनमें स्थानीय व्यक्तियों को कम अवसर दिया जाता है । अतः स्थानीय व्यक्तियों को अधिक अवसर दिया जाना चाहिए सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्री आशिस सन्याल से अनुरोध किया कि वे स्थानीय प्रख्यात साहित्यकारों की सूची महानिदेशक, दूरदर्शन को भेज दें । इसी प्रकार का अनुरोध श्री गिरिजा कुमार माथुर से भी किया गया।

श्री प्रभात शास्त्री ने कहा कि दूरदर्शन द्वारा श्री राम कुमार वर्मा, श्री हरिकृष्ण प्रेमी, श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि जैसे प्रख्यात नाटककारों के नाटक टेलीकास्ट नहीं किए जाते । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दूरदर्शन द्वारा इन प्रख्यात नाटककारों के नाटक टेलीकास्ट किए जाने चाहिएं। महानिदेशक, दूरदर्शन ने बताया कि दूरदर्शन द्वारा श्रेष्ठ हिन्दी नाटक समय-समय पर टेलीकास्ट किए जाते हैं । फिर भी, श्री शास्त्री के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा ।

श्री मंजूरुल अमीन ने कहा कि हिन्दी भाषा से भिन्न भाषाओं की फिल्मों और वीडियो कार्यक्रमों को हिन्दी में सब-टाइटिल करके दिखा जाना चाहिए। महानिदेशक, दूरदर्शन ने बताया कि फिलहाल हिन्दी में सब-टाइटल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथापि, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है । प्रो. सी. पी. ठाकुर ने इस बात पर बल दिया कि इस प्रयास में तेजी लाई जानी चाहिए ।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

श्री शंभु दयाल, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि मंत्रालय में हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित अवर श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों, मूल रूप से हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रों में हिन्दी पत्रों तथा सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिन्दी में भेजे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है। उन्होंने इनकी संख्या बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया जाना चाहिए । उन्हें बताया गया कि वर्ष 1979 से सितंम्बर, 1986 तक मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के लगभग 56 अवर श्रेणी लिपिकों तथा 12 आशुलिपिकों को क्रमशः हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया गया, किन्तु कर्मचारियों के पदत्याग, पदोन्नति तथा स्थानांतरण के कारण 30-9-86 को उक्त कर्मचारियों में से केवल 8 अवर श्रेणी लिपिक तथा 5 आशुलिपिक ही उपलब्ध रहे । फिर भी, यह मंत्रालय चरणबद्ध रूप में प्रशिक्षण दिला रहा है और वर्तमान सत्र के लिए 5 अवर श्रेणी लिपिकों तथा 4 आशुलिपिकों को क्रमशः हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है । उन्हें यह भी बताया गया कि मंत्रालय मूल रूप से भेजे जाने वाले पत्रों में हिन्दी के पत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील है । कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना भी चलाई जा रही है । यह भी बताया गया कि इस मंत्रालय के अनुरोध पर पत्र सूचना कार्यालय द्वारा 17-11-86 से 27-11-86 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें मंत्रालय के 6 व्यक्तियों को भी भेजा गया था ।

श्री गिरिजा कुमार माथुर ने कहा कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, आदि में हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जा रहे हैं और वहां हिन्दी में कार्य बढ़ रहा है । वहां राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें भी नियमित रूप से हो रही हैं । किन्तु कुछ माध्यम एककों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती । उनसे भी कहा जाए कि वे भी अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से किया करें ।

श्रीमती किशोरी सिन्हा और श्री रामदरश मिश्र ने कहा दूरदर्शन पर प्रायः समाचारवाचकों का हिन्दी शब्दों का उच्चारण सही नहीं होता । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाचारवाचकों का उच्चारण सही होना चाहिए । श्री प्रभातशास्त्री ने कहा कि उच्चारण के बारे में टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए । भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी व्यक्तियों का उच्चारण एक जैसा न होना स्वाभाविक है । श्री सी. पी. ठाकुर ने कहा कि प्रसारण माध्यमों में उच्चारण सही होना ही चाहिए और इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । महानिदेशक, दूरदर्शन ने बताया कि पहले एक समिति हुआ करती थी जो उच्चारण के बारे में मानिटरिंग करती थी । इस प्रकार की समिति पुनः गठित की जाएगी जो समाचारवाचकों और उद्घोषकों के उच्चारण को मानिटर करेगी और उन्हें उनकी त्रुटियां बताएगी ।

प्रो. सी. पी. ठाकुर ने कहा कि लोगों को देश में हो रहे विकास की जानकारी कराने के लिए दूरदर्शन द्वारा विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित हिन्दी कार्यक्रम पर्याप्त रूप से टेलीकास्ट किए जाने चाहिए । महानिदेशक, (दूरदर्शन) ने बताया कि इनसैट केन्द्रों सहित हिन्दी भाषी क्षेत्रों में

स्थित सभी दूरदर्शन केन्द्र विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम केवल हिन्दी में टेलीकास्ट करते हैं।

श्री रामदरश मिश्र ने कहा कि दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया का सर्वेक्षण होना चाहिए और उस सर्वेक्षण के आधार पर कार्यक्रम विशेष को आगे जारी रखने या न रखने का निर्णय लिया जाना चाहिए। यह बताया गया कि दूरदर्शन में एक नियमित अनुसंधान एकक है जो टेलीकास्ट होने वाले दूरदर्शन कार्यक्रमों के बारे में सर्वेक्षण द्वारा दर्शकों के अभिमत का पता लगाता है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के दूरदर्शन केन्द्रों में भी ऐसे एकक हैं जो संबंधित केन्द्रों से टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रमों में सुधार करने की व्यवस्था की जाती है।

9. ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग)

हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक दिनांक 13-1-1987 को ऊर्जा मंत्री श्री वसन्त साठे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई श्री साठे ने कहा कि जनता और सरकार के बीच साझे की भावना तभी पैदा हो सकती है जब दोनों के विचारों के आदान-प्रदान की भाषा एक हो। हिन्दी का विकास प्रादेशिक भाषायों के विकास के साथ जड़ा हुआ है। उन्होंने विद्युत विभाग के कार्य-क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी गतिविधियां देश के बड़े भाग में फैली हुई हैं। तत्पश्चात् ऊर्जा मंत्री जी ने माननीय सदस्यों के विचार एवं सुझाव आमंत्रित किये।

सलाहकार समिति की उपाध्यक्ष, श्रीमती सुशीला रोहतगी राज्य मंत्री (विद्युत) ने उल्लेख किया कि हिन्दी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में एक शक्तिशाली साधन है। है। किसी भाषा का विकास तब होता है जब वह जनसाधारण के हृदय में स्थान पाती है। वर्तमान में अधिकारी और कर्मचारी अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषाओं का अपने कार्य में उपयोग कर रहे हैं।

श्री गोविन्द दास रिछारिया ने कहा कि हिन्दी की प्रगति उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। उन्होंने फाइलों में हिन्दी में अधिक से अधिक नोट लिखे जाने पर बल दिया तथा टाइपिस्टों और आशुलिपिकों की कमी को दूर करने पर जोर दिया। यदि किसी कारण हिन्दी टाइपराइटरों की कमी हो तो वह भी दूर कर दी जाए।

श्री शंकर राव लोढ़े ने बताया कि "क" और "ख" क्षेत्रों को अधिक से अधिक पत्र हिन्दी में भेजे जाएं। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि हिन्दी क्षेत्रों से मूल पत्र व्यवहार अनिवार्यतः हिन्दी में ही किया जाए। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष ने सूचित किया कि प्रयास यही रहता है कि यथासंभव अधिकाधिक काम हिन्दी में हो।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी ने कहा कि काफी तकनीकी शब्द अंग्रेजी के ज्यों के त्यों देवनागरी लिपि में लिखे जा सकते हैं तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी अपनाया जाना चाहिए।

श्री. बी. आर. नारायण का मत था कि जिन तकनीकी शब्दों के हिन्दी शब्द अभी तक नहीं बनाए गए हैं उनकी सूची तैयार करके शब्दावली तैयार की जाए। ऊर्जा मंत्री जी ने बताया कि जहां पर टाइपिस्टों, अनुवादकों, आशुलिपिकों की कमी है, उनकी पूर्ति की जाएगी व "क" तथा "ख" क्षेत्रों को मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाए।

सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि सभी सामान्य आदेश द्विभाषी जारी किए जाएं। "क" क्षेत्र में आने वाले राज्य अपना कार्य हिन्दी में करते हैं, इस कारण उनके साथ मूल पत्राचार आसानी से हिन्दी में किया जा सकता है। अध्यक्ष, एन. टी. पी. सी. का कहना था कि जो पत्र हिन्दी में आते हैं, उनका उत्तर हिन्दी में दिया जाता है। सचिव, राजभाषा ने कहा कि यदि यहां से मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाएंगे तब उनका उत्तर भी हिन्दी में प्राप्त होगा।

श्री जगन्नाथ चौधरी ने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का उपयोग करने के लिए आग्रह किया। श्री एस. पी. अग्रवाल ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई शब्दावली के पुनरावलोकन करने के लिए कहा। श्री नारायण एवं श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी ने उनके विचारों का समर्थन किया।

ऊर्जा मंत्री जी ने विचार व्यक्त किया कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं तथा उर्दू के प्रचलित शब्दों को अपनाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चार-पांच सदस्यों की एक उप-समिति बनाई जाए जोकि शब्दावली में आवश्यक सुधार करने का काम करे। सर्वश्री बी. आर. नारायण जी, शंकर राव लोढ़े, एस. पी. अग्रवाल तथा श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी उप-समिति के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, एक तकनीकी शब्दावली विशेषज्ञ को भी उप-समिति के कार्य से सम्बद्ध किया जाएगा। संयुक्त सचिव (प्रशासन), विद्युत विभाग उप-समिति के संयोजक होंगे।

श्री अशोक गुजराती ने कहा कि महाराष्ट्र में जो बिजली के बिल दिए जाते हैं वे मराठी और अंग्रेजी में होते हैं। उनका सुझाव था कि ये बिल मराठी और हिन्दी में होने चाहिए। यह तय पाया गया कि इस बारे में राज्य विद्युत परिषद को लिखा जाएगा।

श्री बी. आर. नारायण ने उन निगमों एवं कार्यालयों की प्रशंसा की जिन्होंने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिलाया है तथा आशा व्यक्त की कि जिन निगम एवं कार्यालयों में शिक्षित कर्मचारियों की संख्या कम है, उन्हें प्रशिक्षण दिलाने की बेहतर व्यवस्था की जाएगी।

13. सचिव, राजभाषा विभाग ने कहा कि इस समय 160 से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। अधिकारियों तथा कर्मचारियों का "रोस्टर" बनाया जाना चाहिए। जहां पर केन्द्र नहीं हैं ऐसे स्थान पर राजभाषा विभाग के साथ पत्राचार कर केन्द्र खोला जा सकता है। उन्होंने शासकीय उपक्रमों से अनुरोध किया कि वे उपलब्ध केन्द्रों का प्रशिक्षण के लिए उपयोग करें। अध्यक्ष, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा ध्यान दिलाने पर कि कुछ दूरदराज इलाकों में स्थिति (जैसे रामगुंडम आदि) परियोजना के कार्यालयों में लोग आगे नहीं आते हैं। सचिव, राजभाषा विभाग ने पुनः बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य है और ऐसा शिक्षण कार्यालय के समय के दौरान ही दिया जाता है।

श्री बी. आर. नारायण ने कहा कि पुस्तकालयों के लिए जो धनराशि होती है, उसका आधा हिस्सा हिन्दी पुस्तकों पर व्यय किया जाना चाहिए। श्रीमती विद्यावती जी चतुर्वेदी ने तकनीकी पत्रिकाओं को विशेष रूप से पुस्तकालयों में मंगाए जाने पर जोर दिया।

राज्य मंत्री (विद्युत) ने कहा कि यदि निगम आदि से प्रचार के लिए बनाई जाने वाली "डोक्यूमेंट्री फिल्में" हिन्दी में बनाई जाएं तो यह हिन्दी के प्रचार में बहुत सहायक होंगी।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की चौथी बैठक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ब्रहम दत्त की अध्यक्षता में 19 फरवरी, 1987 को सम्पन्न हुई।

सदस्यों का स्वागत करते हुए मंत्री जी ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का संबंध क्रूड तेल की खोज, उत्पादन और उसके परिशोधन तथा पी. ओ. एल. मदों के विपणन से है। ये कार्य उच्च तकनीकी प्रकृति के हैं। इस कार्य को करने के लिए हमें देश/विदेश में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श और पत्राचार करना पड़ता है। इसका हमारे द्वारा, राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में तथा इसके अधीनस्थ उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि पैट्रोलियम उद्योग पर हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में संदर्भ तथा सहायक सामग्री अभी उपलब्ध नहीं है, फिर भी, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को उत्तरोतर बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्री जी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछली बैठकों में लिए गए सभी निर्णयों को कार्यान्वित किया गया है। उन्होंने दैनिक कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने तथा सरकारी कार्य में सरल हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञोंद्वारा पेट्रोलियम उद्योग पर आधे से अधिक मूल पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की जानी चाहिए। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उपक्रमों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में दिया जाना चाहिए तथा हिन्दी में मूल पत्राचार की प्रतिशतता को धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। मंत्री जी ने आशा प्रकट की कि इन विषयों पर समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझावों से मंत्रालय लाभान्वित होगा और इससे हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढावा मिलेगा।

श्री राम सहाय पांडेय तथा श्री जगनाथ मिश्र ने आशा व्यक्त की कि मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा। श्री पांडेय ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का बम्बई स्थित कार्यालय अपनी यूनिटों आदि में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है और आशा व्यक्त की कि अन्य उपक्रम भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठायेंगे। श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि हमारे देश में 42 से 45 प्रतिशत लोग हिन्दी समझते हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हिन्दी भाषी राज्यों में रसीदें आदि केवल हिन्दी में ही दी जानी चाहिए।

मंत्री जी ने श्री जगन्नाथ मिश्र को बताया कि खर्च की गई धनराशि का लगभग 31 प्रतिशत हिन्दी की पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया गया है। भविष्य में हिन्दी की और अधिक पुस्तकें खरीदने के प्रयास किये जायेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा हिन्दी में किए जा रहे मूल पत्राचार का प्रतिशत जानना चाहते थे।

श्री आर पी. दास का विचार था कि मूल पत्राचार की प्रतिशतता वार्षिक कार्यक्रम में किए गए प्रावधानों के अनुकूल नहीं है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री मुकुल चंद पांडेय चाहते थे कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को उपक्रमों में ले जाकर हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री शंभू दयाल ने बताया कि समिति के आसानी से सुलभ गैर-सरकारी सदस्यों को उपक्रमों की राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

11. जल संसाधन मंत्रालय

जल संसाधन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक दिनांक 4 फरवरी, 1987 को माननीय जल संसाधन मंत्री श्री बी. शंकरानन्द की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

जल संसाधन मंत्री जी ने सदस्यों को बताया कि जल संसाधन मंत्रालय में सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी में मूल टिप्पण तथा आलेखन

के लिए नकद पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। जिसकी नियमित रूप से हर तिमाही में बैठकें आयोजित की जाती हैं इन बैठकों में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली बाधाओं/समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा उनको दूर करने के लिए संभावित उपाय सुझाए जाते हैं।

श्री प्रभात शास्त्री ने मंत्री महोदय को जल संसाधन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के गठन के लिए बधाई दी तथा आशा व्यक्त की कि मंत्रालय में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उनके प्रयत्न निरन्तर जारी रहेंगे।

श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि यद्यपि अध्यक्ष महोदय अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में एक समान पारंगत हैं तथापि, हिन्दी के प्रति इनकी रूचि कम नहीं है तथा हिन्दी में बोलना पसन्द करते हैं। श्री मिश्र ने विश्वास व्यक्त किया कि इनकी देख-रेख में मंत्रालय में हिन्दी के उपयोग में अभूत-पूर्व प्रगति होगी।

अध्यक्ष महोदय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भाषा जोड़ने के लिए होती है तोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि उनको हिन्दी में जो भी पत्र प्राप्त होता है उसका उत्तर हिन्दी में ही देते हैं।

श्री प्रभात शास्त्री ने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर आयोजित की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समिति की अगली बैठक दिल्ली से बाहर आयोजित करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

श्री बशीर अहमद मयूख ने जांच बिन्दुओं को सक्रिय बनाने पर बल दिया तथा कहा कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों को मंत्रालय द्वारा भेजे जाने वाले पत्र आदि हिन्दी में ही जाएं। अपर सचिव (ज.सं.) ने बताया कि मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ऐसा सुनिश्चित करना उस अधिकारी की जिम्मेदारी है जो प्रारूप का अनुमोदन करता है। तथापि, इस कार्य के लिए अब डेस्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/अनुभाग प्रभारी को जांच बिन्दु के रूप में मनोनीत करने का प्रस्ताव है।

श्री जगन्नाथ मिश्र ने हिन्दी सलाहकार समिति की उप समितियां गठित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका अभिप्राय इन उप समितियों द्वारा कार्यालय का निरीक्षण किए जाने की ओर नहीं था अपितु उन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अपना योगदान देने और हिन्दी की प्रगति को देखना था। डा. महेश चन्द्र गुप्त, निदेशक, राजभाषा विभाग ने समिति को सूचित किया कि केन्द्रीय हिन्दी समिति के निदेशानुसार हिन्दी सलाहकार समिति की उप समितियां गठित नहीं की जा सकतीं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री मिश्र के प्रस्ताव पर राजभाषा विभाग द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है।

सदस्यों ने मंत्रालय में हिन्दी टाइपराइटरों की कम संख्या पर असंतोष व्यक्त किया। अपर सचिव (ज.सं.) ने कहा कि मंत्रालय में फिलहाल हिन्दी के 6 टाइपराइटर हैं तथा इस वर्ष हिन्दी के तीन टाइपराइटरों तथा अगले वर्ष 7 टाइपराइटर और प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

श्री बशीर अहमद मयूख ने मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी मांगी। अपर सचिव (ज.सं.) ने बताया कि मंत्रालय के 11 संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं जिनमें से 4 कार्यालयों में बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि अद्यतन स्थिति के अनुसार आठ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित किया जाना नियमानुसार अपेक्षित नहीं हैं। शेष एक कार्यालय में ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जानी है। इस कार्यालय को शीघ्र ही उक्त समिति गठित करने के लिए कहा जा रहा है तथा सभी कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित करने के निदेश दिए जा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मिश्र ने मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु समयबद्ध योजना बनाने के लिए कहा। अपर सचिव (ज.सं.) ने कहा कि अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी में रिक्त पदों को भर्ती नियमों के अनुसार यथाशीघ्र भरने के लिए यथाचित कार्यवाही की जाएगी।

जल संसाधनों से सम्बद्ध विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा पुरस्कार योजना आरंभ किए जाने के सम्बद्ध में अपर सचिव (ज. सं.) ने समिति को सूचित किया कि पुरस्कार योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है तथा उसे शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि मंत्रालय में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में दक्षता प्राप्त है उनको अपना सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करना चाहिए। इसी सन्दर्भ में मंत्रालय में चल रही हिन्दी में टिप्पण और आलेखन की पुरस्कार योजना का भी जिक्र किया गया तथा यह विचार व्यक्त किया गया कि इस पुरस्कार योजना के अलावा यदि वेतन-वृद्धि देने का प्रावधान हो जाए तो अधिकारी कर्मचारी हिन्दी में काम करने की दिशा में और प्रोत्साहित होंगे। डा. गुप्त, निदेशक, राजभाषा विभाग ने बताया कि हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि देने का कोई प्रस्ताव राजभाषा विभाग के

विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि हिन्दी में मूल टिप्पण और आलेखन की पुरस्कार योजना प्रत्येक मंत्रालय/विभाग, सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय के लिए अलग-अलग हैं, अतः मंत्रालय के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस पुरस्कार योजना को लागू करना चाहिए।

श्री प्रताप भानु शर्मा ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि उन कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनको अभी हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिलाया जाना है। उन्होंने कहा कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिलाने के गहन प्रयत्न किए जाने चाहिएं। अपर सचिव (ज.सं.) ने कहा कि मंत्रालय इस दिशा में प्रयत्नशील है तथा कर्मचारियों को नियमित रूप से हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण की प्रशिक्षण कक्षाओं में नामित किया जाता है। परन्तु समय-समय पर नए कर्मचारियों के आने से तथा प्रशिक्षत कर्मचारियों के पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण होने आदि से यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। फिर भी, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक सत्र में कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण पर भेजकर अधिक से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए।

12. पर्यावरण और वन मंत्रालय

दिनांक 12-2-1987 को पर्यावरण और वन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक श्री भजनलाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

उन्होंने सभी सदस्यों सहित विशेष रूप से उन सदस्यों का स्वागत किया जो पहली बार बैठक में भाग ले रहे हैं।

सदस्यों ने हिन्दी में मौलिक लेखन के प्रकाशनों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किए जाने के संबंध में तत्काल की गई कार्यवाही पर विशेष रुप से प्रसन्नता व्यक्त की। डा० विजयेन्द्र स्नातक ने विभाग द्वारा अपने कार्यालय का नाम "पर्यावरण भवन' रखने पर विभाग को बधाई दी। "क' क्षेत्र में कार्यालयों के लिए हिन्दी में तार और पत्राचार को अधिक बढाया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि इस माह के अंत में प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि ने कार्यशाला आयोजित कराने में विभाग को सहयोग देने का आश्वासन दिया।

पहली बैठक के संबंध में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श हुआ और सर्वसंम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

(1) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के प्रकाशन जीव जन्तु कार्य पुस्तिका" की प्रतियां विशेषकर उन सदस्यों को भेजी जानी चाहिए जो पहली बैठक में सम्मिलित नहीं हुए थे।

(2) भविष्य, में, हिन्दी के सभी प्रकाशनों की प्रतियां हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भेजीं जानी चाहिए

(3) "पर्यावरण और वन" पर उपलब्ध शब्दकोशों को सदस्यों को भेजा जाना चाहिए।

सरल हिन्दी का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता पर काफी विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही यह भी आवश्यक समझा गया कि वैज्ञानिक/तकनीकी शब्दों के शब्द-कोषों की मान्य शब्दावली का उचित संदर्भ होना चाहिए। जहां तक संभव हो सके, सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढाने के लिए देश के गैर-हिन्दी क्षेत्रों के शब्दों को प्रयोग करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य के इस सुझाव से सहमति व्यक्त की कि हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए तथा "क" क्षेत्र से प्राप्त किसी अंग्रेजी के पत्रों का उत्तर भी यथासंभव हिन्दी में दिया जाए।

श्री शंभूदयाल संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने यह बताया कि गैर-हिन्दी क्षेत्रों में कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर उपयुक्त प्रोत्साहन पहले से ही दिए जा रहे हैं।

हिन्दी में विशेषकर आशुलिपिकों और टंककों को प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में यह बताया गया कि इन दो श्रेणियों में स्टाफ की अत्यधिक कमी है। उन्होंने उल्लेख किया कि अवर श्रेणी लिपिकों के कुल 105 पदों में से 37 पद और ग्रेड डी आशुलिपिकों के 60 में से 30 पद रिक्त हैं। इसी कारण टाइपिंग/स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण में और अधिक कर्मचारियों को भेजने में कठिनाई हो रही थी। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वे इस मामले पर ध्यान देगें कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। यह सहमति हुई कि उन्हीं कर्म-चारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता होगी जो गैर-हिन्दी क्षेत्रों के हैं। यह भी स्वीकार किया गया कि यह प्रशिक्षण राजभाषा विभाग के परामर्श से पर्यावरण भवन में ही विशेष रूप से आयोजित किया जा सकता है ताकि प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को छोड़ने में सुविधा हो सके।

13. पर्यटन मंत्रालय

पर्यटन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक दिनांक 29-12-86 को पर्यटन मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की अध्यक्षता में हुई। मंत्री महोदय ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए काफी कार्य किया है। मंत्रालय में हर साल 14 से 21 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह मनाया जाता है और मंत्रालय में 80 प्रतिशत लोग हिन्दी जानते हैं।

हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाता है। मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के ब्रोशर, पोस्टर,आदि हिन्दी में छपवाए हैं। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के बारे में अपने सुझाव/परामर्श देने का अनुरोध किया।

श्री महावीर प्रसाद यादव ने कहा कि इस मंत्रालय द्वारा शतप्रतिशत हिन्दी में प्रयोग किया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। उन्होंने शंका व्यक्त की कि कहीं मद्रास के लोग हिन्दी के शत-प्रतिशत प्रयोग को आरोपण (इम्पोजिशन) तो नहीं मानेगें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसा नहीं है क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि वहां लोग हिन्दी में काफी रुचि रखते हैं। सदस्य ने अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि क्या पर्यटन मंत्रालय की तरह भारत के अन्य भागों में स्थित कार्यालयों में भी हिन्दी के काम में तरक्की हो रही है।

उन्होंने आगे कहा कि श्री पी० वी० नरसिंह राव ने हिन्दी के लिए एक योजना बनाई है जिसके अनुसार दक्षिण से अध्यापक उत्तर जाएंगे और उत्तर से दक्षिण जाएंगे। इससे भी हिन्दी को बढ़ावा मिलेगा।

डा० इन्द्रनाथ चौधरी ने कहा कि उन्होंने प्रस्तुत कागजात में देखा कि मंत्रालय में अब तक सिर्फ 685/रु० की हिन्दी किताबें खरीदी गई हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी पुस्तकों के लिए राशि को कम से कम दस या बीस गुणा बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अन्य भाषाओं की साहित्यिक कृतियों के हिन्दी अनुवाद की पुस्तकें भी खरीदी जाएं।

श्री बी० आर० नारायण ने कहा कि जो कागजात पेश किये गये हैं उनसे ऐसा लगता है कि पर्यटन मंत्रालय हिन्दी में काफी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक साल में केवल 685 रु. की किताबें खरीदी गई हैं जो बहुत ही कम हैं। पुस्तकालय हेतु हिन्दी पुस्तकों के लिए ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने डा० इन्द्रनाथ चौधरी के सुझाव से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में पुस्तकें खरीदी जाएँ। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कागजों में काफी महत्वपूर्ण स्थान छुट गये हैं, तथा जो सामाजिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं उनके बारे में ब्रोशर लिखवा कर उपलब्ध करवाए जांए।

डा० गायत्री वैश्य ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा लगता है कि लोग हिन्दी को भूलते जा रहे हैं। स्वतन्त्रता से पहले लोग हिन्दी बोलने में गर्व करते थे। लेकिन आज के युग में लोग इसके विरुद्ध है। पर्यटन मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इसमें हिन्दी बोलने का काम ज्यादा पड़ता है। पर्यटन मंत्रालय का सारे भारत से संबंध है अतः इसे हिन्दी के प्रयोग को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए।

श्री शिवशम्भु ओझा ने कहा कि असम में जो मां कामाख्या का मंदिर है, वह हिन्दुस्तान में विख्यात मन्दिर माना जाता है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि उसे भी पर्यटक स्थलों की सूची में अंकित किया जाए तथा इस स्थान के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पर्यटक महानिदेशक ने बताया कि कामाख्या में एक यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है।

श्री मिरजा मसूद बैग ने कहा कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रकाशनों में कश्मीर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। कश्मीर को भी इस प्रकार के प्रकाशनों में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय में विगत वर्षों में हिन्दी को काफी बढ़ावा मिला है। उन्होंने आई०टी०डी०सी० की योजनाओं को पढ़ते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के होटलों में भी हिन्दी का ज्यादा प्रयोग हो तथा साइंन-बोर्ड इत्यादि हिन्दी में हों। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों को हिन्दी का शिक्षण देने का सुझाव दिया।

श्री अवध नारायण मुगदल ने कहा कि हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी की पुस्तके ही काफी नहीं है, बल्कि पर्यटन से संबंधित अन्य भाषाओं की पुस्तकों का भी अनुवाद करवाया जाए ताकि पर्यटन से संबंधित साहित्य को अन्य लोग भी समझ सकें। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी हिन्दी में जानकारी देने का प्रयत्न किया जाए।

डा० मो० डि० पराडकर ने सुझाव दिया कि पर्यटन की दृष्टि से हिन्दी पर जोर दिया जाए क्योंकि पर्यटन मंत्रालय ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है उसमें हिन्दी के प्रचार के लिए बहुत काम किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हिन्दी का प्रचार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को जिम्मेवारी उठानी चाहिए। महाराष्ट्र में हिन्दी का प्रयोग केवल कार्यालयों में किया जाता है लेकिन हिन्दी बोली नहीं जाती। उनका कहना था कि महाराष्ट्र में हिन्दी बोलने वाले कम मिलते हैं और लिखने वाले ज्यादा मिलते हैं। उनका कहना था कि महाराष्ट्र में हिन्दी को बोलचाल में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

श्री० बी० मोहन भारती ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के अध्यक्ष मंत्री महोदय हैं लेकिन पर्यटन मंत्रालय को पर्यटन विभाग लिखा गया है, आगे से इसे पर्यटन मंत्रालय लिखा जाए।

अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि सदस्यों के सुझावों पर यथोचित कार्यवाही की जाएगी। जम्मू-कश्मीर के होटलों में जहां भी हिन्दी में बोर्ड आदि नहीं है, वहां इनकी व्यवस्था करने के लिए वे आवश्यक हिदायतें जारी करेंगे। मंत्रालय में हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए बजट है वह पर्याप्त नहीं दिखता और हिन्दी पुस्तकों की अधिक खरीद के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

14. संचार मंत्रालय

संचार मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति की चौथी बैठक श्री अर्जुन सिंह संचार मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 3-12-1986 को संपन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव (डाक सेवा बोर्ड) ने संचार मंत्री, संचार राज्य मंत्री तथा समिति के अन्य सदस्यों का स्वागत किया तथा दो नए सदस्यों सर्व श्री बापू कालदात्ते, संसद सदस्य और हरीश रावत, संसद सदस्य के समिति में शामिल होने के बारे में बताया। ये दोनों संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य हैं और इन्होंने डाक एवं दूरसंचार विभाग ने विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया है। सचिव (डाक सेवा बोर्ड) ने मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग तथा राजभाषा अधिनियम और अन्य सांविधिक नियमों और आदेशों के क्रियान्वयन के बारे में संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया।

संचार मंत्री जी ने अपने रोजमर्रा के सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग करने पर बल दिया और इच्छा व्यक्त की कि हमें ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि हम अपेक्षित सीमा तक अपने काम में हिन्दी का प्रयोग करने की स्थिति में हो जाएं। हिन्दी हमारी राजभाषा है। अतः सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग करना देश के हित में है। मंत्री महोदय ने आशा व्यक्त की कि सरकारी प्रयोजन के लिए हिन्दी को बढ़ावा देने में इस मंत्रालय को सदस्यो से उपयोगी मार्ग-दर्शन मिलेगा।

कालीकट विश्वविधालय के डा० टी0 एन० विशम्भरन ने बताया कि केरल के उद्योग मंडल, एल्लोर डाकघर में हिन्दी में तार भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। सचिव (डाक सेवा बोर्ड) ने सदस्य महोदय को आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक जांच की जाएगी।

पिछली बैठक में उठाए गए विभिन्न मुददों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करते हुए, डा० विजयेन्द्र स्नातक ने हिन्दी डाइरेक्टरी के कम्प्यूटरीकृत मुद्रण में हुई प्रगति के बारे में मद 10 की और ध्यान आकर्षट किया। उन्होंने एक निर्धारित समय तक इस डाइरेक्टरी को प्रकाशित करनें के लिए की गई निश्चित कार्रवाई के बारे में पूछा। महानगर टेलीफोन निगम लि0, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक श्री खन्ना ने सदस्यों को बताया कि उन्होंने सितम्बर, 1986 में निविदाएं आमंत्रित की है। इन निविदाओं पर कार्रवाई हो रही है तथा ऐसी संभावना है कि 1987 में डाइरेक्टरी का वितरण संभव हो जाएगा।

डा0 विजयेन्द्र स्नातक ने 'हिन्दी विशेष सेवा 177 के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि इस सेवा पर काम करने वाले कर्मचारी उच्च शैक्षिणिक योग्यता वाले हैं। और कुछ एम० ए० हैं। उनका वेतन अभी इस उच्च शिक्षा के अनुरुप नहीं है। सचिव (दूरसंचार) ने सदस्यों को बताया कि इन कर्मचारियों के पदनाम को बदलकर भाषा सहायक किया जा रहा है।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को दी जाने वाली शील्ड के बारे में डा० विजेयन्द्र स्नातक द्वारा पूछे गये एक अन्य प्रश्न के जवाब में सचिव (डाक सेवा बोर्ड) ने सदस्यों को सूचित किया कि चूंकि यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, अतः इसके बारे में जानकारी वर्ष के अंत में ही उपलब्ध हो सकेगी। निदेशक (राजभाषा), डाक सेवा बोर्ड ने बताया कि इस संबंध में अन्य विभागों में अपनाई जा रही प्रक्रिया का पता लगाया जा रहा है।

श्री हरीश रावत ने डाक विभाग और दूरसंचार विभाग में कार्य कर रहे हिन्दी स्टाफ के बारे में जानना चाहा। उन्होंने दूरसंचार विभाग में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। सदस्यों को, संक्षिप्त में, सर्किल और टेलीफोन जिलों में कार्य कर रहे स्टाफ के बारे में सूचित किया गया। सचिव (दूरसंचार) ने कहा कि वे इस मामले की पूरी तरह से जांच कराएंगे तथा रिक्त पदों को भर देंगे। साथ ही यह भी देखेगें कि जिन हिन्दी पदों का औचित्य पाया गया है, उनके सर्जन की दिशा में कार्रवाई की जाए और कहा कि अगली बैठक में वे इसकी जानकारी देंगे। सदस्यों गी आम राय यह थी कि यदि अपेक्षित कर्मचारी सुलभ करा दिए जाएँ तो काफी सीमा तक हिन्दी में काम किया जा सकता है।

प्रो० शेर सिंह ने न केवल हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में देने पर बल दिया बल्कि उन्होंने कहा कि "क" क्षेत्र को मूल पत्र भी हिंदी में ही दिये जाएं। उन्होंने हिन्दी भाषी राज्यों के निकटवर्ती राज्यों में हिन्दी में काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

डा० बापू कालदाते का विचार था कि यदि आवश्यक कर्मचारी हों, हिन्दी में तभी काम हो सकता है। उन्होंने विभागीय कोड और मैनुअलों का हिन्दी में अनुवाद करने का मामला उठाया। सचिव (डाक सेवा बोर्ड) ने द्विभाषीय रुप में पहले से उपलब्ध मैनुकल और कोड के अनुवाद कार्य में हुई प्रगति के बारे में समिति को अवगत करया। डा० बापू कालदाते ने जबलपुर के मामले का भी उल्लेख किया जहा अनुवाद के लिए कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था लेकिन बाद में उन्हें कहीं और नियुक्त कर दिया गया। सचिव (डाक सेवा बोर्ड) ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी।

प्रो० शेर सिंह ने पोस्टमैन के पद पर भर्ती करने के लिए त्रिभाषी फार्मूले का सुझाव दिया। सचिव (डाक सेवा बोर्ड) ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामला है और इस फार्मूले को संचार मंत्रालय में अलग से लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि डाक एवं दूरसंचार विभाग

में कार्य कर रहे अनेक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान है और जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान नहीं है, उन्हें क्रमश; हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कार्य चरणबद्ध रुप से किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जनवरी, 1986 तक 228 पोस्टमैनों को देवनागरी में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। डा० बापू कालदाते ने "क" क्षेत्र में शत–प्रतिशत पत्र हिन्दी में भेजने पर बल दिया।

अंत में संचार राज्य मंत्री ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए आश्वासन दिया कि राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा हर संभव प्रयास किए जायेंगे और इनके कार्यान्वयन में यदि कहीं कोई कमी रही तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां –

1 कालीकट (केरल)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कालीकट को प्रथम बैठक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रघुनाथन की अध्यक्षता में दिनांक 31 मार्च, 1987 को जिला सहकारी बैंक, कालीकट के सभाकक्ष में हुई। राजभाषा विभाग की ओर से दक्षिण क्षेत्र के उप निदेशक (का) श्री रामचन्द्र मिश्र बेंगलूर से और सहायक निदेशक (हिन्दी शिक्षण योजना) श्री जोसेफ तिरुअंनतपुरम से उपस्थित हुए। इसके साथ ही कालीकट स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों आदि के कार्यालय–अध्यक्ष उपस्थित हुए।

बैठक के प्रारभं में क्षे० भ० निधि कार्यालय निरुअनतं-पुरम के हिन्दीं अधिकारी डा० एन. डी० पंत ने अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया। श्री रघुनाथन ने राजभाषा विभाग के प्रति उत्तरदायित्व सौंपने के लिए आभार प्रकट करते हुए उपस्थित सभी अधि-कारियों से इस समिति का कार्य सम्पन्न करने के लिए सहयोग की अपेक्षा की। केरल में त्रिभाषा फार्मुला है और इस बारे में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने इसके लिए क्या–क्या उपाय करना चाहिए इस बारे में वार्षिक कार्यक्रम 1986–87 को आधार बनाकर सदस्यों को विस्तार से बताया।

उप–निदेशक श्री मिश्र ने कहा कि हमें अनिवार्य अपेक्षाएं तो अवश्य पूरी करनी चाहिए। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरी तरह अनुपालन हो, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाए। मूल पत्राचार में निर्धारित कार्यलक्ष्य अर्थात 10% हो नहीं अपितु और अधिक लक्ष्य प्राप्त किया जाए, कवरिंग लेटर प्राप्ति, सूचनाएं, रजिस्टरों में प्रविष्टियां, फाइलों पर टिप्पणी आदि लिखने की और ध्यान दे। हिन्दी, टाइपिंग तथा शार्टहैंड प्रशिक्षण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। विस्तृत जानकारी देने पर कितने कर्मचारी/अधकारी हैं, जिन्हें प्रशिक्षित किया जाना है, तो टाइपिंग व शार्टहैंड केन्द्र खोलने पर भी विचार किया जा सकेगा। राजभाषा विभाग की कार्य–पद्धति संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बेंगलूर में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय की स्थापना इसलिए की गई है कि राजभाषा कार्यान्वयन में तीव्रता आए। समय–समय पर विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण भी किए जायेंगे और कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लिया जाएगा। कार्यशालाओं के आयोजन में सहायता की जाएगी। किन्तु कार्य में पहल हर विभाग में उसके कार्यालय अध्यक्ष ने करनी है और उन्होंने प्रतिदिन कुछ कार्य हिन्दी में करने पर बल दिया।

इसके पश्चात् सहायक निदेशक श्री जोसफ ने हिन्दी शिक्षण योजना को विस्तृत जानकारी देते हुए अधिकारियों से अपील की कि वे जुलाई से प्रारम्भ होने वाले सत्र में अधिक संख्या में कर्मचारी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ की कक्षाओं में भेजें और प्रशिक्षण के कार्य को शीघ्र पूरा करें। अभी उपयुक्त संख्या में कर्मचारी न भेजे जाने के कारण पूर्णकालिक केन्द्र को आंशलिक केन्द्र में परिवर्तन करने के लिए पत्र आया है, जिसका उल्लेख करते हुए सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि चूंकि वे जानते हैं काफी संख्या में कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए शेष हैं। अत: वे स्वयं तथा नगर राजभाषा समिति की ओर से पूर्णकालिक केन्द्र ही बनाए रखने के लिए लिख रहे हैं। इस बारे में सभी कार्यालय रोस्टर रखें जिससे कि स्थिति को ध्यान में रखकर वे पर्याप्त संख्या में कर्मचारी/अधिकारी भेज सकें।

2. त्रिशूर (केरल)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति त्रिश्शूर को प्रथम बैठक दिनांक 4 फरवरी, 1987 को लघु उद्योग सेवा संस्थान में हुई। बैठक की अध्यक्षता वर्तमान स्थानापन्न निदेशक श्री गोविन्दराव ने की। बैठक में राजभाषा विभाग से श्री राम चन्द्र मिश्र, उप निदेशक (का.) और श्री ओ. आर. के. मूर्ति, अनुसंधान अधिकारी ने भाग लिया। इसके साथ-साथ विभिन्न कार्यालयों, बैंकों आदि के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। श्री राव ने आशा व्यक्त की कि त्रिश्शूर में स्थित कार्यालयो/उपक्रमों और बैंकों आदि के अधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे तथा नगर में सरकार की राजभाषा नीति तथा निर्धारित कार्यलक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगपूर्ण व अनुकूल वातावरण बनाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूर के उप-निदेशक श्री मिश्र, ने विस्तार से सरकार की नीति/योजनाओं पर प्रकाश डाला और अधिकारियों से अपने-अपने यहां की प्रगति प्रस्तुत करने तथा कठिनाइयों, समस्याओं तथा सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया। उपस्थित अधिकारियों में से विजया बैंक, इस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन के हिन्दी अधिकारी आदि ने बहुमूल्य और उपयोगी

सुझाव भी रखे। अन्त में विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन के लिए लिए गए:—

1. हिन्दी, हिन्दी टाइप व आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इस समय कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर उप निदेशक ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं इससे संबंधित सूचना समिति एकत्र करके बेंगलूर कार्यालय में भेजे ताकि केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सके।

2. यद्यपि केरल में हिन्दी मैट्रिक में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है किन्तु अधिकारी व कमचारी लिखने में अकुशल हैं, अतः जिन्हें कार्यसाधक ज्ञान है उनके लिए समिति द्वारा संयुक्त हिन्दी कार्य-शालाएं चलाई जाएं। कार्यशालाएं बैंकों के लिए अलग हों तथा सरकारी कार्यालयों के लिए अलग। अध्यक्ष ने इसके लिए 6 सदस्यों की उप समिति गठित की और कहा कि वह रूपरेखा तैयार करके उनके सामने रखेगी तथा राजभाषा विभाग से सम्पर्क करके तारीख निश्चित करके कार्यशालाएं चलाने के बारे में कार्रवाई की जाएगी। कार्यशालाएं हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में सहायक होंगी।

3. बैठक के सचिव का कार्यभार संस्थान के सहायक निदेशक (प्रशा.) श्री केशव पिल्ला को सौंपा गया।

3. तिरुअनन्तपुरम

तिरुअनंतपुरम में बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की पांचवीं बैठक केनरा बैंक अंचल कार्यालय तिरुअनंतपुरम में दिनांक 29-4-87 को संपन्न हुई। समिति का संयोजन, केनरा बैंक द्वारा किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

केनरा बैंक, तिरुअनंतपुरम अंचल के उप महाप्रबंधक एवं समिति के अध्यक्ष श्री बी. ए. प्रभु ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री वीर अभिमन्यु कोहली, उप-सचिव, राजभाषा विभाग भारत सरकार इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंकों की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री कोहली ने राय व्यक्त की कि उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाए। उन्होंने समिति के कार्यनिष्पादन पर संतोष व्यक्त किया।

चर्चा का श्रीगणेश राजभाषा विभाग, दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय, बेंगलूर के उप-निदेशक श्री रामचन्द्र मिश्र ने किया। उन्होंने आह्वान किया कि मूल पत्राचार में हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा दें। श्री मिश्र ने अच्छे कार्य के लिए समिति को बधाई दी।

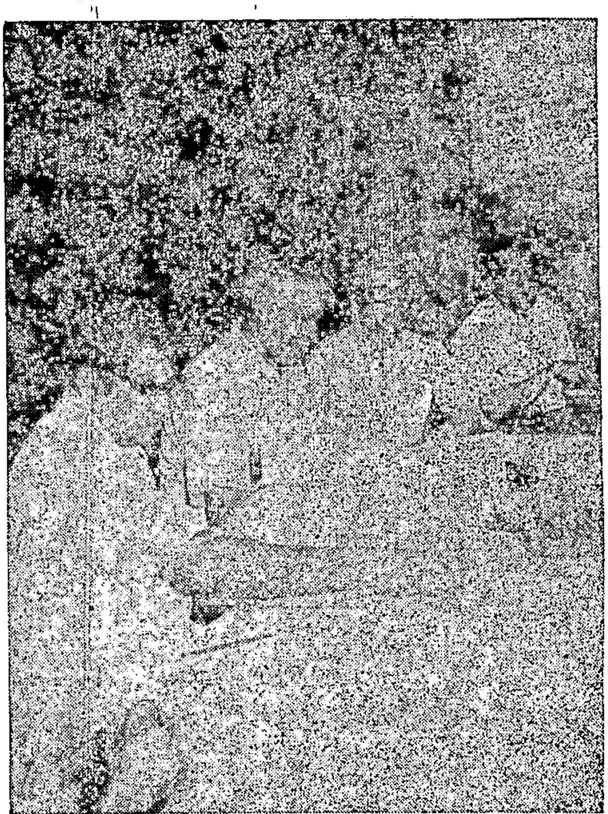

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति (बैंक), तिरुअनन्तपुरम की बैठक में चर्चा करते हुए श्री बी.ए. प्रभु, उप महा प्रबन्धक (केनरा) बैंक), श्री वीर अभिमन्यु कोहली, उप सचिव (राजभाषा) भारत सरकार, श्री रामचन्द्र मिश्र उप निदेशक (कार्या) तथा श्री एस.एस. भण्डारकर, स. महाप्रबन्धक (केनरा बैंक)

हिन्दी शिक्षण योजना, तिरुअनन्तपुरम के सहायक निदेशक डा. जोस आस्टिन ने चर्चा का समापन करते हुए कहा कि सदस्य बैंक, अधिकाधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजें।

अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में श्री बी. ए. प्रभु ने समिति के कार्यकलापों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि नगर स्थित बैंकों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और अधिक सुसंगठित प्रयास किए जाने चाहिएं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस दिशा में राजभाषा विभाग का संपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन समिति को प्राप्त होता रहेगा।

बैठक के प्रारंभ में केनरा बैंक, तिरुअनंतपुरम अंचल के सहायक महाप्रबंधक श्री एस. एस. भण्डारकर ने मुख्य अतिथि, अन्य गणमान्य व्यक्तियों एवं सदस्य बैंकों के उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत किया। समिति के सचिव एवं केनरा बैंक के राजभाषा अधिकारी श्री एम. पी. गोपालकृष्णन् ने समिति के क्रियाकलापों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंत में समिति की ओर से नाबार्ड के हिन्दी अधिकारी श्री राजेन्द्रसिंह नेगी ने आभार प्रदर्शित किया।

4. कोहिमा (नागालैण्ड)

कार्यालय महालेखाकार, कोहिमा नागालैण्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 20-2-87 को उपमहालेखाकार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:—

1. सर्वश्री के. के. शर्मा उपमहालेखाकार व सर्वकार्यभारी अधिकारी
2. सर्वश्री एस. बनर्जी, उपमहालेखाकार
3. सर्वश्री एस. एन. चौधरी लेखा अधिकारी
4. सर्वश्री बी. एन. भौमिक लेखापरीक्षा अधिकारी
5. सर्वश्री एम. एम. दे लेखा अधिकारी
6. सर्वश्री सी. एस. धर लेखापरीक्षा अधिकारी
7. सर्वश्री एस. भौमिक लेखा अधिकारी
8. सर्वश्री एन. धर चौधरी लेखापरीक्षा अधिकारी
9. सर्वश्री आर. एल. सेनगुप्ता अनुभाग अधिकारी
10. सर्वश्री डी. पी. मिश्र हिन्दी प्राध्यापक
11. श्री एन. एन. ठाकुर लेखाकार

निम्नलिखित विषयों पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया :—

(1) यह जानकर प्रसन्नता प्रकट की गई कि हिन्दी कक्ष के लिए एक स्टील अलमारी की व्यवस्था की गई है ।

(2) संतोष व्यक्त किया गया कि हिन्दी शिक्षण वर्ग सुचारू रूप से चल रहा है ।

(3) हिन्दी शिक्षण हेतु अंशकालिक क्लर्क तथा समूह "घ" कर्मचारी की नियुक्ति हेतु सुझाव दिया गया। इस हेतु प्रयास जारी है लेकिन उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिला है ।

(4) यह मत प्रकट किया गया कि कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति अभिरुचि बढ़ाने हेतु हिन्दी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए ।

5. गुवाहाटी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गुवाहाटी की तीसरी बैठक दिनांक 25-3-87 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के महाप्रबन्धक श्री को. वें. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गुवाहाटी नगर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के लगभग 50 प्रतिनिधि शामिल हुए ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री कृष्णमूर्ति ने बताया कि हमारे देश के संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और इसीलिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में हिन्दी का प्रयोग किया जाना कानूनी बाध्यता है । इस दायित्व का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यालयों के अहिन्दी-भाषी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें तथा जो प्रशिक्षित हो चुके हैं वे हिन्दी में काम करना प्रारंभ कर दें ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गुवाहाटी की बैठक में (बाएं से) अ.कि. करण प्रवर हिन्दी अधिकारी, श्री कों. वें. कृष्णामूर्ति, महाप्रबन्धक (अध्यक्ष) श्री धनीराम कोष्ठी, उप-निदेशक (कार्य.) तथा श्री भा.वि. डेकारे मुख्य राजभाषा अधिकारी

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी एवं समिति के सदस्य सचिव श्री अ. कि. करण ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह बात प्रकाश में आयी है कि गुवाहाटी में कम-से-कम 7 ऐसे कार्यालय हैं, जहां 80 प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। लेकिन राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत उन कार्यालयों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है । उन्होंने संबंधित कार्यालयों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री धनी राम कोष्ठी ने बैठक में राजभाषा अधिनियम तथा साथ ही वार्षिक कार्यक्रम के कतिपय मुद्दों पर प्रकाश डाला।

बैठक में उपस्थित विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी हिन्दी के प्रयोग से संबंधित कतिपय समस्याओं पर अपने-अपने विचार प्रगट किए ।

—अ. कि. करण
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

6. कलकत्ता

कलकत्ता नगर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीसरी बैठक युनाइटेड

बैंक आफ इंडिया, में दिनांक 27 दिसम्बर, 1986 को सम्पन्न हुई। श्री के. डी. नय्यर, अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण बैठक की अध्यक्षता श्री बी. चौधरी, महा प्रबंधक (जमा) ने की।

श्री एस. एन. तिवारी, उप मुख्य अधिकारी ने अध्यक्ष, विशेष आमंत्रित तथा प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री धनीराम कोष्ठी ने कहा कि भारत सरकार ने विभिन्न नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना की है। इनका काम हिन्दी का प्रगामी प्रयोग और विभिन्न बैंकों के हिन्दी के काम में समन्वय लाना है। एक दूसरे के समन्वय से हम लाभान्वित होते हैं "हिन्दी ही क्यों ?" ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। संविधान की व्यवस्था, अधिनियम, नियमों का अनुपालन सभी बैंकों में किया जाना है।

श्री कोष्ठी ने सबके सहयोग की कामना करते हुए कहा कि हिन्दी शिक्षण योजना की सफलता इस बात पर निर्भर है कि उन्हें बैंकों से कितना सहयोग मिलता है। उन्होंने अनुरोध किया कि विभिन्न बैंक हर सत्र में अधिक से अधिक स्टाफ को प्रशिक्षण दिलवाएं। श्री कोष्ठी ने आगे कहा कि वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन अवश्य करें। छोटी-छोटी टिप्पणियां हिन्दी में लिखें, हस्ताक्षर हिन्दी में करें। अगर किसी एक अंग्रेजी शब्द के लिए पूरा वाक्य अटके तो वह एक अंग्रेजी शब्द देवनागरी में लिख सकते हैं। बैंक कार्यशालाओं का आयोजन करें, प्रतियोगिताएं करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि राजभाषा विभाग, कलकत्ता से पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने अनुरोध किया कि बैंक कलकत्ता नगर से संबंधित अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट उप निदेशक (पूर्व) कलकत्ता कार्यालय को भी भेजें जिससे वे समीक्षा कर सकें।

उप निदेशक (पूर्व) हिन्दी शिक्षण योजना, कलकत्ता के अनुरोध पर सहायक निदेशक श्री इन्द्र नारायण झा ने बताया कि कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करता है। पटना, असम, शिलांग, कलकत्ता में कुछ बैंकों का निरीक्षण किया है। स्थिति इस प्रकार है कि ऊपर से काम में बाधा नहीं है परन्तु फाइल में टिप्पण आदि विशेष नहीं हो पाता है। मोहरें, नामपट्ट आदि के द्विभाषी करण का काम संतोषजनक है।

7. भुवनेश्वर

औद्योगिक विकास बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दूसरी बैठक 24 फरवरी, 1987 को संपन्न हुई। पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता के महा प्रबंधक श्री एस. गोपालन ने बैठक की अध्यक्षता की।

भुवनेश्वर शाखा कार्यालय द्वारा हिन्दी के प्रयोग की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए महाप्रबंधक तथा समिति के अध्यक्ष श्री नरसिंहम ने बताया की गत एक वर्ष में भुवनेश्वर शाखा कार्यालय ने 11% हिन्दी के प्रेषित पत्रों का लक्षय पाया है। उन्होंने आशा प्रकट की कि स्टाफ सदस्ययों के उत्साह को देखते हुए यदि कुछ और प्रयास किया जाए तो पत्राचार का प्रतिशत 15% तक पहुंच जाएगा।

श्री एस. गोपालन ने सुझाव दिया कि स्टाफ सदस्य को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा संचालित हिन्दी के पत्राचार पाठयक्रमों में प्रवेश लेने को प्रेरित किया जाए। उनकी सलाह थी कि कर्मचारियों में हिन्दी सीखने के प्रति रूचि जगाने के लिए "धर्मयुग" और "रविवार" जैसी पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाई जा सकती है।

उप महाप्रबंधक का कहना था कि स्थानीय स्तर पर हिन्दी क्लर्क-सह-अनुवादक की भर्ती कर पाने की हमारी सभी कोशिशें विफल हो चुकी हैं इसलिए पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिश से यदि प्रधान कार्यालय स्वयं ही प्रत्याशी का चयन करके इस कार्यालय में नियुक्त कर सके तो बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि कुल तीन टंककों में से दो को हिन्दी में प्रशिशित किया जा चुका है इसलिए भुवनेश्वर शाखा कार्यालय के लिए हिन्दी पत्रों को टाईप करा पाना मुश्किल नहीं होगा। फिर भी काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए एक पूर्ण कालिक हिन्दी टंकक की नियुक्ति भी जरूरी हो गई है यह निर्णय किया गया कि पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रधान कार्यालय को निवेदन किया जाए कि इन दो पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाए। पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के महा प्रबंधक श्री एस० गोपालन इस बात पर सहमत हुए।

समिति के सदस्यों का मत था कि स्टाफ सदस्यों के हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए बाहर जाने के बजाय यदि राजभाषा विभाग के हिन्दी शिक्षण योजना से अध्यापक को कार्यालय में ही बुलाया जाए तो अच्छा होगा। यह भी तय किया गया कि मार्च, 1987 में किसी समय भुवनेश्वर शाखा कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

समिति ने सूचित किया कि हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए गत वर्ष जो राशि मंजूर की गई थी उसका पूरा उपयोग किया जा चुका है।

8. लुधियाना

लुधियाना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 12वीं बैठक 19-2-1987 को श्री ए. सी. नन्दा आयकर

आयुक्त (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजस्व भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में लुधियाना स्थित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों बैंकों इत्यादि के कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया :

बैठक का शुभारम्भ श्री ए. सी. नन्दा, आयकर आयुक्त एव अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति के स्वागत भाषण से हुआ। श्री नन्दा ने उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार ने राजभाषा नियम, अधिनियम हिन्दी के प्रयोग से संबंधित, समय-समय पर जारी आदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम की समीक्षा, विभिन्न कार्यालयों में टाईपराईटरों, टाईपिस्टों आशुलिपिकों की उपलब्धता की समीक्षा तथा हिन्दी, हिन्दी टाईप और हिन्दी स्टैनोग्राफी के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए नगर राजभाषा समितियों का गठन किया है। राजभाषा नीति के कार्यान्वियन के संबंध में हमारे सामने आने वाले समस्याओं को हम एक-दूसरे के अनुभव से सुलझा सकते हैं। इसके लिए नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति एक उपयुक्त मंच है।

आपके कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए, वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। इसकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। अतः भविष्य में आप तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति अवश्य भेजें और हिन्दी के अगागी प्रयोग के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बारे में मुझे समय-समय पर सूचित करें। लुधियाना में केन्द्र सरकार के बहुत से ऐसे कार्यालय, बैंक निगम या उपक्रम है जो अभी तक इस समिति के सदस्य नहीं है या जिनके पते इस कार्यालय में नहीं है अतः यदि कोई ऐसा कार्यालय आपके कार्यालय के नजदीक है, जो समिति का पहले का सदस्य नहीं है तो उसका पता इस कार्यालय को अवश्य भेज दें, साथ ही अपने कार्यालय का पूरा पता फोन नं. मुख्य कार्यालय का पता इत्यादि इस कार्यालय को भेज दें ताकि विभिन्न कार्यालयों से आवश्यकता पड़ने पर आसानी से सम्पर्क किया जा सके।

मुझे पूर्ण आशा है कि आप के कार्यालयों में वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे होंगे और इन प्रयासों का आदान-प्रदान आप इस बैठक में अवश्य करेंगे ताकि जहां कहीं भी कोई कमी है उसे एक दूसरे से प्रेरणा लेकर दूर किया जा सके।

1. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की श्रीमती रंजना पाहूजा, सदस्य सचिव एव सहायक निदेशक (रा. भा) आयकर (केन्द्रीय प्रभार के अनुरोध पर सभी उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2. पिछली बैठक में लिए गए निर्णय पर की गई कार्रवाई वाई की समीक्षा (1) पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग—पंजाब सरकार से पत्र व्यवहार—बैठक में बताया गया कि अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति के कार्यालय पत्र संख्या 548–49 दिनाक 22-10-86 द्वारा मामला पंजाब सरकार से उठाने के लिए राजभाषा विभाग को लिखा गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित करना। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि जिन कार्यालयों के 80% या इससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए तथा इसकी सूचना उनके कार्यालय को भी दी जाए।

(घ) हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन :— बैठक में बताया गया कि आयकर आयुक्त (केन्द्रीय प्रभार) में इस वर्ष तीन 5 दिवसीय हिन्दी कार्याशालाओं का आयोजन किया गया। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि अन्य कार्यालय भी अपने यहां आयोजित की गई कार्याशालाओं के संवंध में सूचना उनके कार्यालय को भेज दें।

(3) हिन्दी दिवस सप्तांह का आयोजनः— गत बैठक में लिए गए निर्णयानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति के स्तर पर हिन्दी दिवस मनाया गया।

(4) कार्यालयों का निरीक्षणः— बैठक में बताया गया कि गत बैठक में गठित निरीक्षण दल श्री जे. पी. कौशिक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण संस्थान) के स्थानांतरण के कारण अपना कार्य आरभ नहीं कर सका। कुछ सदस्यों का सुझाव था कि बैठकों के लिए अलग निरीक्षण दल गठित किया जाए विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एक ही निरीक्षण दल गठित किए जाने तथा उसमें किसी बैंक के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया तदनुसार निम्नलिखित सदस्यों का निरीक्षण दल पुनर्गठित किया गया।

(1) श्री अमर जीत — पंजाब नैशनल बैंक
(2) श्री एल. पी. मिश्रा — पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय
(3) श्री आर के संगी — हिन्दी शिक्षण योजना
(4) श्री सुरेन्द्र शर्मा — आयकर विभाग

3. हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों को प्रशिक्षणः— श्री एल. आर ढींगरा सर्वकार्य भारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना ने कहा कि हिन्दी प्राध्यापक को वहन भत्ता नहीं मिलता अतः अलग-अलग स्थानों पर कक्षाए चलाने में कठिनाई आ रही है।

(2) श्री अशोक कुमार, क्षेत्रीय सहायक निदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ने बैठक में बताया कि उनके कार्यालय में इतने कर्मचारी नहीं है कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। अतः कर्मचारी पत्राचार द्वारा हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार जिन कार्यालयों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा सकता, उन्हें पत्राचार द्वारा हिन्दी सीखने के लिए कहा जा सकता है।

(3) श्री एल. आर. ढींगरा, सर्वकार्य भारी अधिकारी हिन्दी शिक्षण योजना, ने बताया कि किन्हीं कारणों से इस सत्र में कक्षाएं चलाएं जाने के संबंध में सूचना समय पर नहीं भेजी जा सकी। भविष्य में इस संबंध में पूर्ण सतर्कता से काम लिया जाएगा। उन्होंने यह भी सूचित किया कि राजभाषा विभाग से प्रमाण पत्र कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुए है, अतः ये शीघ्र ही प्रतिक्षार्थियों को प्राप्त हो जाएगें।

4. हिन्दी टाईप प्रशिक्षण :— कुछ सदस्यों का कहना था कि उनके कार्यालयों में देवनागरी टाइपराईटर तो हैं परन्तु देवनागरी टाईप जानने वाले टाइपिस्ट नहीं हैं। श्री अर्जुन देव कवात्रा, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी का कहना था कि वे हाथ से लिखना अधिक पंसद करते हैं। छोटे-2 पत्र बड़ी आसानी से हाथ से लिखे जा सकते हैं। उनका सुझाव था कि संगठित टाईप प्रशिक्षण के लिए राजभाषा विभाग को पूर्णकालिक टाईप प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए लिखा जाए। सह-सदस्य सचिव ने बैठक में बताया कि आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को विभागीय व्यवस्था से देवनागरी टाईप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अत: अन्य कार्यालय/विभाग भी अपने यहां ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोल सकते हैं। कुछ सदस्यों ने अनुरोध किया कि उनके कार्यालयों के कर्मचारियों को भी आयकर विभाग द्वारा टाईप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। सदस्यों के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदया ने कहा कि उनके पास इतने देवनागरी टाईपराईटर तो नहीं हैं फिर भी दो बैचों में प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है। अत: जो कार्यालय अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं। वे प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों के नाम भेजें ताकि अप्रैल 1987 से आरंभ होने वाले सत्र के लिए उन्हें दाखिल किया जा सके।

5. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन :— सदस्य सचिव ने कहा कि विभिन्न विभाग मिलकर हिन्दी कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी सदस्य सहमत हों तो अप्रैल से या बाद में ऐसी कार्यशाला चलाई जा सकती है। इस कार्यशालला में भाग लेने के लिए विभिन्न कार्यालय अपने कर्मचारियों को नामित करें। बैंकों ने कर्मचारियों के लिए अलग कार्यशाला का आयोजित किया जाना अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि बैंकों में कार्य की अलग प्रक्रिया है। अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर श्री अमर जीत राजभाषा अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक ने लुधियाना स्थित विभिन्न बैंकों के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करने का दायित्व लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की।

6. हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता :— सदस्य सचिव ने बताया कि हरिबाबू कंसल धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा हिन्दी के व्यवहार का क्षेत्र विस्तृत करने में प्रयत्नशील कार्यकर्त्ताओं को पुरस्कार देने की एक योजना आरभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत उन व्यक्तियों की सेवाओं को मान्यता दी जाएगी जिनकी प्रेरणा से अधिकतम संस्थाओं, संगठनों तथा व्यक्तियों ने अपना अधिकतम कार्य हिन्दी में करना शुरू किया है। सम्मान स्वरूप प्रतिवर्ष 1100/— रु. नकद राशि तथा एक शाला प्रदान की जाएगी। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करें।

9. चण्डीगढ़

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति चंडीगढ़ की बैठक दिनांक 5-2-87 को पश्चिम कमान, सेक्टर 9, चंडीगढ़ में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता, आयकर अपीलीय अधिकरण के न्यायिक सदस्य, श्री फकीर चन्द रुस्तगी, ने की। बैठक में चंडीगढ़ स्थित केन्द्र सरकार/निगमों/संस्थानों के लगभग 30 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त श्री बी.जी. जोशी, रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिम कमान, चंडीगढ़, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

अध्यक्ष श्री रुस्तगी ने आशा प्रकट की कि सभी कार्यालय अपने यहां हिन्दी कार्यशालाएं चला रहे होंगे ताकि कर्मचारी हिन्दी में अपना काम करने में आने वाली कठिनाइयों का हल स्वयं खोज सकें तथा अपना अधिकांश काम हिन्दी में कर सकें। उन्होंने आशा प्रकट की कि सभी कार्यालय वर्ष 1986-87 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का अथक प्रयास कर रहे होंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो कर्मचारी अभी भी हिन्दी में प्रशिक्षित नहीं हैं, उन्हें अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए और प्रशिक्षण सुविधा का भरपूर लाभ उठाया जाए। अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि सभी टंककों/आशुलिपिकों के लिए हिन्दी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी कार्यालयों से हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को नामित करने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय के भाषण के बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग के उप निदेशक मेजर जे.एस. आहूजा ने प्रशिक्षण

में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की और कहा कि प्रशिक्षण के लिए जितने कर्मचारियों को नामित किया जाना चाहिए, उतने नामित नहीं किए जाते। यदि नामित किए जाते हैं तो वे कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी कार्यालय/बैंक आदि प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को नामित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि नामित किए गए प्रशिक्षणार्थी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और परीक्षा भी अवश्य दें।

इसके पश्चात, विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने कार्यालयों में हिन्दी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की चर्चा की और अपने विचार/सुझाव रखे।

राष्ट्रीय बचत संगठन के उप निदेशक ने हिन्दी में काम करने के निर्धारित लक्ष्य के संबंध में कहा कि उनके यहां काफी काम हिन्दी में होता है और हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं।

महालेखाकार पंजाब (लेखा) के प्रतिनिधि, श्री अग्रवाल ने कहा कि उनके कार्यालय में काफी काम हिन्दी में होता है परन्तु अभी कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने में हिचकिचाहट होती है। उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिला रहा है और तीन महीने में एक कार्यशाला आयोजित की जाती है। कार्यशाला में 60-70 प्र. उपस्थिति रहती है।

तकनीकी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके कार्यालय में हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाएं चलती हैं। ग्रुप "डी" कर्मचारियों के साथ शत-प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जाता है। उन्होंने कहा कि 25 से 30 प्रतिशत पत्राचार मूल रूप से हिन्दी में होता है। टेक्नीकल पत्राचार अंग्रेजी में होता है।

भा.स.पा.पु. प्रेस के प्रतिनिधि ने कहा कि उनके कार्यालय में 30-35 प्र. काम हिन्दी में होता है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में हिन्दी स्टाफ की कमी है। यदि स्टाफ हो तो सारा काम हिन्दी में हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनके निदेशालय के अनुसार हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है। उनका सुझाव था कि औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भी यह प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

श्री के.सेन शर्मा हि.प्रा. ने कहा कि अगर औद्योगिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है तो क्या इन संस्थानों के प्रशासनिक कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण से छूट है? उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी यह कह कर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं कि उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। यदि उन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है तो ऐसे कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने को कहा जाना चाहिए।

रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिम कमान के प्रतिनिधि ने बताया कि उनका ज्यादातर काम स्थानीय यनिटों में होता है। सेवा पंजिकाएं हिन्दी में हैं। कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यशालाएं भी चलाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय के 90 प्र. कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है।

नेशनल टक्सटाइल कारपोरेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके कार्यालय में 25 प्र. काम हिन्दी में होता है और उनकी कोई समस्या नहीं है।

लेखा कार्यालय, आयुध तार निर्माणी के प्रतिनिधि ने कहा कि उनके यहां सभी कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं और लगभग 40 प्र. काम हिन्दी में होता है।

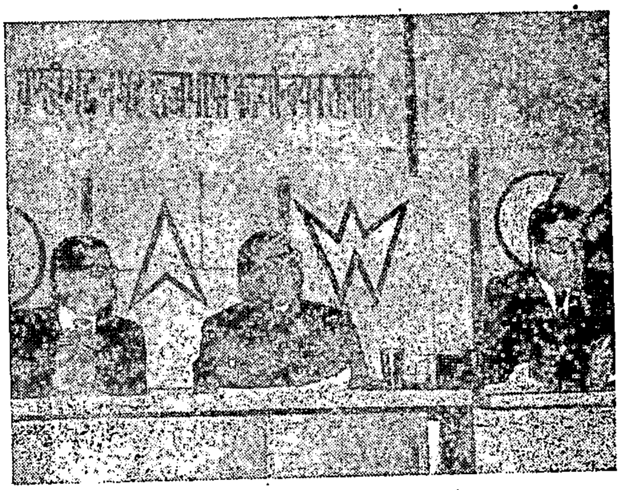

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति चण्डीगढ़ की बैठक का एक दृश्य

राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी, श्री मनोहर लाल मैत्रय ने बताया कि राजभाषा विभाग के स्पष्ट आदेश/निर्देश है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक उच्च स्तरीय समिति है और इसकी बैठकों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है और निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस समिति की बैठकों में सभी कार्यालयों/बैंकों/निगमों के उच्च अधिकारियों को भाग लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन कार्यालयों के 80 % कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें अधिसूचित किया जाना चाहिए।

श्री मैत्रेय ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण से किसी को छूट नहीं है और यह सबके लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को वर्ष में कम से कम 4 कार्यशालाएं अवश्य आयोजित करनी चाहिए। हिन्दी पदों के सृजन के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम हिन्दी पदों के सृजन पर कोई रोक नहीं है।

अंत में समिति के सचिव, श्री धर्मपाल गौतम, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

10. इंदौर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इन्दौर की छठी बैठक केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क मध्य प्रदेश समाहर्तालय, इन्दौर में दिनांक 3 दिसम्बर, 1986 को श्री एस.वी. रामकृष्णन, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई के सहायक निदेशक श्री जयप्रकाश शामिल हुए।

समिति के अध्यक्ष श्री रामकृष्णन समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादशुल्क/सीमा शुल्क मध्यप्रदेश इन्दौर ने कहा कि सभी कार्यालय अध्यक्षों से आग्रह है कि राजभाषा नियम 12 के अनुसार, कार्यालय अध्यक्ष के नाते, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व हमें सौंपा गया है अतः हमें यह देखना है कि भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन हमारे कार्यालय में कितना हो रहा है।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को सभी तरह की सहायता देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए हम दफ्तरों में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन कर कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण दें और सहायक साहित्य प्रदान करें। इसकी सहायता से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है।

सचिव ने बतलाया कि इन्दौर शहर में हिन्दी शिक्षण योजना का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के उप निदेशक (मध्य) हिन्दी शिक्षण योजना मध्य क्षेत्र जबलपुर ने सूचित किया है कि राजभाषा विभाग की मंजूरी से इन्दौर में प्रशिक्षण केन्द्र उनके द्वारा आरम्भ किया जाएगा किन्तु केन्द्र खोलने से पूर्व आरंभिक कार्रवाई के लिए उन्होंने इन्दौर नगर के कार्यालयों के प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी मांगी है ताकि प्रशिक्षण के शेष कर्मचारियों की कुल संख्या के अनुसार इन्दौर में पूर्णकालिक या अंशकालिक केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जा सके। सचिव कार्यालयों से वांछित जानकारी भेजने का अनुरोध किया।

सचिव ने समिति को बतलाया कि संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए जिन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाना है उन कर्मचारियों के अधिक से अधिक नाम समिति को भेजने के लिए 16 मई, 1986 को पत्र भेजा गया था।

सचिव ने अधिक से अधिक कर्मचारियों के नाम समिति को भेजने का अनुरोध किया।

भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई की स्थापना

सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा बम्बई में (उप निदेशक कार्यान्वयन) का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है, जो पश्चिम क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों/बैंकों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और नियमावली, 1976 के कार्यान्वयन का कार्य देखेंगे एवं उन कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने संबंधी मार्ग दर्शन करेंगे।

बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) श्री जयप्रकाश ने कहा कि सामान्य आदेश, संकल्प, प्रैस विज्ञप्तियां, संविदा करार आदि समस्त कागजात द्विभाषिक रूप में ही जारी किए जाने हैं। अधिकांश कार्यालयों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। सभी से आग्रह किया कि सामान्य आदेश, संकल्प, प्रैस विज्ञप्तियां आदि द्विभाषिक रूप में ही जारी करेंगे।

समस्याएं, शंकाएं और निराकरण

नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन की हिन्दी अधिकारी श्रीमती डा. उर्मिला सिंह ने कहा कि हिन्दीभाषी क्षेत्र ("ख" क्षेत्र) में धारा 3(3) का अनुपालन किये जाने का क्या औचित्य है? हमारे यहां सभी लोग हिन्दी भाषी हैं और हिन्दी ही जानते हैं फिर भी हमें हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी अनुवाद भी जारी करना क्यों आवश्यक है? हिन्दी पत्रों (सामान्य आदेश, परिपत्र आदि) का अंग्रेजी में अनुवाद कराए जाने में अनेक परेशानियां भी उपस्थित होती हैं। क्या इस धारा में संशोधन किया जाकर हिन्दी भाषियों को क्या इससे छूट प्रदान नहीं की जा सकती?

श्री जयप्रकाश ने बतलाया कि धारा 3(3) का अनुपालन करना वैधानिक आवश्यकता है। यदि विशष कठिनाई होती हो तो विभागाध्यक्ष की अनुमति से केवल हिन्दी में ही जारी कर सकते हैं इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई आपत्ति उठाता है तो फिर द्विभाषिक रूप में ही जारी करना पड़ेगा।

श्री बृजेन्द्रमोहन शर्मा सहायक निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान ने कहा कि उनके कार्यालय में विगत 3 वर्षों

से न तो हिन्दी अधिकारी है और न ही कोई अनुवादक है। हिन्दी आशुलिपिक ही पूरा सहयोग देते हैं। हिन्दी अधिकारी का पद भरने के लिए कई बार लिखा जा चुका है किन्तु अभी तक पद रिक्त है। इस संबंध में क्या कार्रवाई कर सकते हैं ?

श्री जयप्रकाश ने कहा कि हिन्दी अधिकारी के पद को भरने के लिए अभी तक जो भी कार्रवाई की जा चुकी है सभी संदर्भों सहित एक पत्र बम्बई के पते पर भेजिए ताकि इसके लिए प्रयास किया जा सके।

यूको बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री हरेराम वाजपेयी ने कहा कि हिन्दी टाइपिंग परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों को 200 रुपए एक मुश्त पुरस्कार एवं नकद पुरस्कार व अन्य प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी दी है उसके आदेश अभी तक उनके कार्यालय में नहीं आए हैं ? क्या कारण है ?

श्री जयप्रकाश ने बतलाया कि बैंक और निगमों के लिए अलग नियम और सुविधाएं हैं। आपके लिए वार्षिक कार्यक्रम अलग से तैयार किया जाता है और उसके अनुसार ही आपको सुविधाएं दी जाती हैं। ये योजना सिर्फ केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए ही है। बैंकों/निगमों के लिए नहीं।

श्रीमती (डा.) उर्मिला सिंह, हिन्दी अधिकारी, नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन ने कहा कि हिन्दी कार्यशालाओं पर मानदेय की राशि संबंधी जो आदेश हैं उसके अनुसार एक सत्र में 750 रुपये खर्च करने हैं या एक वर्ष में आयोजित कार्यशालाओं में 750 रुपये खर्च किए जाने हैं ?

श्री जयप्रकाश ने बतलाया कि एक सत्र में आयोजित कार्यशाला में 25 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय दिया जाना है लेकिन मानदेय/भुगतान की कुल राशि किसी भी हालत में 750 रुपये से अधिक नहीं होगी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क के उप समाहर्ता श्री चन्द्रकांत कलौनी द्वारा बैठक में पधारें विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों/बैंकों आदि के अधिकारियों के प्रति आभार प्रदर्शन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

11. भोपाल

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक के निर्णयों के आधार पर विभिन्न प्रतियोगिताओं एव सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक उपसमिति गठित की गई थी। इस समिति की प्रथम बैठक सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक श्री जी. जे. शामदासानी की अध्यक्षता में दिनांक 25 मार्च, 1987 को आयोजित की गई। बैठक में निम्न प्रकार से निर्णय लिए गए।

प्रतियोगिताओं का आयोजन

समिति ने निर्णय लिया कि भविष्य में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) के सदस्य बैंकों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से आयोजन व्यवस्था की जाएगी :—

प्रतियोगिता का नाम	आयोजक बैंक
1. प्रारूपण	स्टेट बैंक आफ इंदौर
2. तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता	पंजाब नेशनल बैंक
3. (क) हस्ताक्षर प्रतियोगिता (ख) नोटिंग एवं आदेश देना (वरिष्ठ कार्यापालकों के लिए)	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया
4. अनुवाद प्रतियोगिता	यूनियन बैंक आफ इंडिया
5. कविता प्रतियोगिता	न्यू बैंक आफ इंडिया
6. वाद-विवाद प्रतियोगिता	देना बैंक
7. सुलेख प्रतियोगिता	कैनरा बैंक
8. निबन्ध प्रतियोगिता	बैंक आफ इंडिया

स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि बैठक में भाग नहीं ले सके थे अत: निश्चय किया गया कि अगली बैठक में उनसे चर्चा करके शब्द ज्ञान प्रतियोगिता के नियमों का निर्धारण किया जाएगा।

2. यह भी निश्चय किया गया कि प्रत्येक माह में राजभाषा से संबंधित अधिकारियों की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जानी चाहिए। अगली बैठक के आयोजन के लिए स्टेट बैंक आफ इंदौर ने प्रस्ताव किया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

12. जबलपुर

12-11-1986 को तोपगाड़ी फैक्टरी में जबलपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नवीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता तोपगाड़ी फैक्टरी के महाप्रबन्धक श्री वे. पलनिपाण्डि ने की। इस अवसर पर राजभाषा विभाग बम्बई के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिओम श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। जबलपुर नगर स्थित 60 केन्द्रीय कार्यालयों, निगमों तथा उपक्रमों के प्रतिनिधि अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के प्रारम्भ में सचिव श्री सुरेश चन्द्र, उप महा प्रबन्धक, तोपगाड़ी फैक्टरी ने समिति के नये अध्यक्ष श्री वे. पलनिपाण्डि का परिचय दिया। सचिव ने नगर स्थित कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अपने प्रतिवेदन में बताया कि जबलपुर नगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयों/निगमों आदि में 96% अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान रखते हैं। इन अधिकारियों/कर्मचारियों में से 40% से 25% कार्य हिन्दी में कर रहे हैं। टाइपिस्टों एवं आशुलिपिकों के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कुल टाइपिस्टों में से 65% टाइपिस्टों को हिन्दी टाइपराइटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त हो गया है और 37% आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि का ज्ञान रखते हैं। हिन्दी टाइपराइटरों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नगर स्थित कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 21% टाइपराइटर हिन्दी के हैं। धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सामान्य आदेश, टेन्डर नोटिस, ज्ञापन आदि का 62 प्रतिशत तथा "क" "ख" एवं "ग" क्षेत्रों को भेजे गये मूल पत्रों में हिन्दी के पत्रों का प्रतिशत 51 रहा। सचिव ने बताया कि कुल प्राप्त हिन्दी आवेदनों, अपीलों, पत्रों का 76% उत्तर हिन्दी में दिया गया है। शेष पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। आपने प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा करते हुए सदस्य कार्यालयों से अनुरोध किया कि वार्षिक कार्यक्रम 1986–87 में दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम सब को इस दिशा में निरन्तर प्रयास करना होगा।

समिति के अध्यक्ष श्री वे. पलनिपाण्डि ने अपने सारगर्भित उदबोधन में कहा कि 1986–87 के कार्यक्रम में यह बताया गया है कि इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विभाग प्रमुख की क्या जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने समस्त विभाग प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें।

राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्यान्वियन) श्री हरिओम श्रीवास्तव ने हिन्दी प्रशिक्षण, कार्यशाला, प्रोत्साहन योजनाओं, यांत्रिक उपकरण की खरीद, सहायक साहित्य की खरीद आदि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए इन्हें लागू करने की अपील की।

अन्त में तोपगाड़ी फैक्ट्री राजभाषा कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष श्री वी. कु. सिंह, उप महा प्रबन्धक (प्रशासन) ने उपस्थित सदस्यों/प्रतिनिधियों को हार्दिक धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की।

13. पटना

दिनांक 12-3-1987 को भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में पटना नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की वर्ष 1986–87 की दूसरी बैठक डा. वीरेन्द्र मधुकर की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर भारत सरकार के राजभाषा विभाग के भूतपूर्व सचिव एवं हिन्दी सलाहकार श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर राजकमल प्रकाशन, पीपुल्स, पब्लिकेशन भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, पारिजात प्रकाशन, प्रभृति सुप्र [illegible] प्रकाशन संस्थाओं की ओर से पुस्तकों की सुरुचिपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई थी। सभी सदस्यों ने काफी देर तक पुस्तकों के आकर्षक भंडार को देखा।

समिति की ओर से वर्ष 1986–87 में हिन्दी निबंध लेखन एवं हिन्दी टाइप लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सफल प्रतिभोगियों को नकद पुरस्कार मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किया गया।

सभा को सम्बोधित करते हुए श्री श्रीवास्तव ने बताया कि राजभाषा का प्रयोग हमारी राष्ट्रीयता की पहचान का परिचायक है। अपनी भाषा का प्रयोग कर एक ओर हम अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं तो दूसरी ओर जनभाषा में कार्य कर हम लोकतंत्र की जड़ को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने पटना नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति द्वारा राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए किए गए प्रयत्नों की भूरि-भूरि प्रशंसा की एवं वर्तमान अध्यक्ष के राजभाषा के प्रति लगाव एवं उनके गतिशील नेतृत्व को बहुत सराहा।

हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारी श्री नूरुल्लाह ने भी अपने विचार प्रकट किए।

अध्यक्ष डा. वीरेन्द्र मधुकर ने बताया "विभिन्न कार्यालयों में मैंने जाकर देखा है कि जहां हिन्दी में काम किया जाता है वहां की कार्यक्षमता काफी उच्च कोटि की है।" उन्होंने यह भी बताया कि कार्यालय में काम करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा दुरुह न हो। जितनी ही आसान हिन्दी में काम किया जाएगा उतनी ही अधिक वह बोध गम्य होगी। हिन्दी से इतर अन्य भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को इस्तेमाल करने में नहीं हिचकना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से नगर स्तर पर हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले कार्यालयों को राजभाषा शील्ड दी जाएगी जिसके लिए उचित धनराशि की व्यवस्था वे करेंगे। नगर स्तर की अन्य प्रतियोगिताएं पूर्ववत आयोजित होती रहेंगी।

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सचिव श्री प्रमोद सिन्हा ने आगत अतिथियों का स्वागत किया एवं संयुक्त सचिव श्री उदय कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन।

14 मथुरा

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति, मथुरा की तीसरी बैठक दिनांक 28-3-87 को मथुरा रिफाइनरी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता, मथुरा रिफाइनरी के उप-महा प्रबंधक (सामान्य) श्री हरे कृष्ण लाल दास ने की। बैठक में, मथुरा नगर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कई प्रमुख/प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। मथुरा रिफाइनरी के कई विभागाध्यक्ष भी

इस बैठक में उपस्थित थे। मथुरा रिफाइनरी के वरिष्ठ प्रशासन प्रबंधक श्री राजेन्द्र प्रसाद ने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि—"जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि आप अपने अधिकार-क्षेत्र में हिंदी संबंधी कार्यक्रमों को ज्यादा बढ़ावा दें ताकि इससे एक-दूसरे को लाभ पहुंचे।

समिति के सदस्य सचिव श्री "मृगेश" द्वारा मथुरा रिफाइनरी के परिप्रेक्ष्य में, राजभाषा की प्रगति एवं कार्यान्वयन की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तदुपरान्त, सभी प्रतिनिधियों/सदस्यों ने अपने-अपने विभागों की राजभाषा कार्यान्वियन संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट/हिंदी संबंधी आदेशों के कार्यान्वियन की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

बैठक की समाप्ति पर अध्यक्ष, श्री दास ने कहा कि "हिंदी, केवल बैठकों/सम्मेलनों की ही भाषा नहीं बनने दी जाए, अपितु इसके कार्यान्वियन के लिए ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। यह हम तभी कर सकते हैं कि जब हम हिंदी के प्रति अपनी मानसिकता को बदलें। उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान में राज भाषा का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है, उसके अंतर्गत हम राजभाषा के प्रयोग में किसी भी अन्य भारतीय भाषा के प्रचलित शब्दों का उपयोग कर सकते हैं तथा अंग्रेजी के जो शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं, उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें सरल और सुबोध भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए।"

15 वाराणसी

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति की अर्द्धवार्षिकी बैठक दिनांक 29 जनवरी 1987 को वाराणसी के रेंज के निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त श्री कृष्ण कान्त राय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक श्री राम अवध पाण्डे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक का आयोजन बैंक आफ बड़ौदा के तत्वावधान में किया गया था।

प्रारम्भ में बैंक आफ बड़ौदा, वाराणसी के वरिष्ठ प्रबन्धक श्री निरंजन कुमार दवे ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में उपस्थित बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अनिरुद्ध पाण्डे ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिन्दी जो राजभाषा है वह जनभाषा भी है और देश के दो तिहाई से अधिक लोग इसे बोलते व समझते हैं। अतः हम जनता की सुविधा हेतु अपनी मानसिकता को बदलें। उन्होंने कहा कि अब बैंकों समेत अधिकांश कार्यालयों में हिन्दी में काफी कामकाज होने लगा है। जो उत्साहवर्धक है।

अध्यक्ष श्री कृष्ण कान्त राय ने कहा कि गोष्ठियों, बैठकों में आपसी विचार-विमर्श कर एक-दूसरे के अनुभवों को लेकर हमें राजभाषा हिन्दी संबंधी आदेशों के क्रियान्वयन में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि हमारी विभागीय समस्याएं एवं कठिनाइयां अलग-अलग हो सकती हैं तथा हमारे कार्य करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं परंतु हम सबके बीच बहुत कुछ समानता है जिसके आधार पर हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखकर कार्यालय का निर्धारित लक्ष्य 80 प्रतिशत से अधिक काम-काज हिन्दी में कर सकते हैं। श्री राय ने इस बात पर बल दिया कि हम अपनी कमियों को बेहिचक उजागर करें जिससे उन्हें दूर करने का उपाय किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रगति आंकड़े हिन्दी में किये जा रहे वास्तविक कामकाज के आधार पर दिए जाएं।

समिति की पिछली बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार राजभाषा आदेशों के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रयास करने वाले निम्नलिखित कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया :—

1. मंडल रेल प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेल,
2. मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम,
3. डिपो मैनेजर, भारतीय खाद्य निगम,
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनियन बैंक,
5. निरीक्षी सहायक, आयकर आयुक्त, वाराणसी रेंज,
6. क्षत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक,
7. उपनिदेशक, राष्ट्रीय बचत संगठन,
8. प्रभारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श, सर्वे संगठन,
9. उपमंडल अभियन्ता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं
10. सहायक निदेशक, अन्न सुरक्षा अभियान।

इसी अवसर पर क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा ने राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में सराहनीय प्रयास हेतु स्थानीय वरिष्ठ प्रबंधक श्री निरंजनकुमार दवे व अधिकारी श्री नरेन्द्र नाथ मिश्र को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

मुख्य अतिथि श्री राम अवध पाण्डे, मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने उद्बोधन में कहा कि साधनों के अभाव में हिन्दी में काम नहीं हो रहा है यह बात मानने योग्य नहीं है। अभाव, निष्ठा एवं संकल्प का है। साधनों से कुछ सहायता अवश्य मिलती है परन्तु उनके अभाव में भी कार्यालयों का अधिकांश कार्य हिन्दी में किया जा सकता है। श्री पाण्डे ने कहा कि भाषा का विकास तभी हो सकता है जब हम दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपनी भाषा में आत्मसात कर लें। इसलिए कार्यालयीन काम करते समय शब्दों के लिए अटकने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपने व्यक्तिगत कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं संकल्प को जागृत कर अपना सारा काम-काज हिन्दी में ही करें तथा प्रेम एवं सद्भावनापूर्वक चलाई जा रही इस भाषाई क्रान्ति में सहयोग दें।

कार्यक्रम का संचालन सदस्य सचिव श्री जगदीश नारायण राय एवं धन्यवाद ज्ञापन, बैंक आफ बड़ौदा के अधिकारी श्री नरेन्द्र नाथ मिश्र ने किया।

राजभाषा सम्मेलन/संगोष्ठियाँ

अहमदाबाद में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

राजभाषा विभाग की ओर से दिनांक 21 मार्च, 87 को अहमदाबाद में पश्चिम क्षेत्र के लिए राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता माननीय गृह राज्य-मंत्री श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने की। गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री रामकृष्ण त्रिवेदी ने प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल होकर विभिन्न कार्यालयों आदि को पुरस्कार प्रदान किए। सम्मेलन में अहमदाबाद स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभागाध्यक्ष तथा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा राज्य में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष एवं सचिव तथा हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारीगण शामिल हुए।

राष्ट्रगान के पश्चात् उप सचिव (कार्यान्वयन) श्री वीर अभिमन्यु कोहली ने मंच पर बैठे अतिथियों का परिचय दिया।

गृह राज्य मंत्री का भाषण

गृह राज्यमंत्री श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने महामहिम राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत एक बहु भाषाभाषी, विविध वेश-भूषा तथा आचार-विचार वाला देश है, जिसे भारतीय दर्शन ने उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक एकसूत्र में बांध रखा है। उन्होंने कहा कि जन-मानस में विचार-विमर्श और सांस्कृतिक चिंतन के आदान प्रदान के लिए हमारे देश में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि संपर्क भाषाओं के रूप में थी। हिन्दी हमारे देश में उसी प्रकार संपर्क भाषा के रूप में महत्वपूर्ण है। जब तक सरकार और जनता में भाषायी संपर्क भाषा स्थापित नहीं होता तब तक प्रजातंत्र की पूर्ण सफलता में कुछ कमी रहेगी। उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारे राष्ट्र की लोक शक्ति से उभरी हुई जनभाषा है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसे राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया है और इसे ही संपर्क भाषा का उत्तर-दायित्व निभाना है।

उन्होंने कहा कि गुजराती और हिन्दी में अधिक समानता है। इसके लगभग 75 प्रतिशत अक्षर एक ही जैसे हैं और लगभग 75 प्रतिशत शब्द समूह भी एक समान है। दोनों भाषाएं एक ही भाषा अर्थात् पश्चिमी शौरसेनी से निकली हैं।

उन्होंने कहा कि देश की संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति बढ़ाने के लिए जो दायित्व गृह मंत्रालय के राज-भाषा विभाग को सौंपा गया है, राजभाषा विभाग इस दिशा में पूर्ण जागरूक है। जो कर्मचारी हिन्दी नहीं जानते हैं उन्हें विभाग के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षा योजना के माध्यम से हिन्दी सिखाई जाती है। इसी प्रकार जो कर्मचारी टाइपिंग व आशुलिपि का काम करते हैं उन्हें हिन्दी टाईपिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि जो उपकरण पहले केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थे अब द्विभाषी रूप में तथा देवनागरी में उपलब्ध हैं। देवनागरी टाइपराइटर, पोर्टेबल टाइपराइटर, पिन पाइंट टाइपराइटर, बुलेटिन टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर देवनागरी में उपलब्ध हैं जबकि इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, पतालेखी मशीन, पुलिस बेतार, सिद्धार्थ कंप्यूटर, सुलेख कम्प्यूटर, बहुलिपीय रंगीन कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर, द्विभाषी कम्प्यूटर टर्मिनल आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं। लिपि बहुभाषी शब्द संसाधित्र (वर्ड प्रोसेसर) भी उपलब्ध है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि इन उपकरणों की प्रदर्शनी सम्मेलन के साथ आयोजित की गई है उसे वे देखें और आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

उन्होंने कहा कि हिन्दी की मानसिकता का निर्माण करने और राजभाषा हिन्दी के प्रति माहौल तैयार करने तथा आपसी सद्भाव को बढ़ाने और देश को एक सूत्र में बांधने की दृष्टि से राजभाषा विभाग समय-समय पर राजभाषा सम्मेलन आयोजित करता है। इसी श्रृंखला में अहमदाबाद का यह राजभाषा सम्मेलन भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन से एक ओर राजभाषा विभाग अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा और दूसरी ओर सभी अधिकारी अपना सक्रिय योगदान देंगे जिससे कार्यालय का कामकाज राजभाषा हिन्दी में बढ़ाया जा सके।

उप सचिव (कार्यान्वयन) ने कहा कि हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न नगरों में जहां पर केन्द्रीय सरकार के अधिक कार्यालय आदि हैं, नगर राजभाषा कार्या-न्वयन समितियां गठित की गई हैं। उनका महत्वपूर्ण योगदान है। राजभाषा विभाग उन्हें विशेष सम्मान देने के लिए पश्चिम क्षेत्र की निम्नलिखित सात नगर राजभाषा कार्यान्वयन

समितियों को महामहिम राज्यपाल के करकमलों से पुरस्कृत कर रहा है।

1. अहमदाबाद (बैंक)	अध्यक्ष—श्री बी.के. घोष,	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, देना बैंक
2. नासिक	अध्यक्ष—श्री पी.एस. शिवराम,	महाप्रबन्धक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय
3. बडोदरा	अध्यक्ष—श्रीमती बरलक्ष्मी राजमणिक्कम,	समाहर्ता, कस्टम व सेन्ट्रल एक्साइज।
4. बम्बई (बैंक)	अध्यक्ष—श्री बी.जे. गांधी,	महाप्रबन्धक, बैंक आफ महाराष्ट्र।
5. भोपाल (बैंक)	उपाध्यक्ष—श्री डी. एच. अम्बवाणी,	उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया।
6. रतलाम	अध्यक्ष—श्री रविन्द्र नाथ गोयल,	डिवीजनल रेलवे मैनेजर।
7. अहमदाबाद (कार्यालय)	सचिव— श्री सोनेलाल कोल,	सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना।

उप सचिव ने कहा कि इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र के कुछ केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा बैंकों को भी एक समान पुरस्कार के लिए चुना गया है। जिन कार्यालयों आदि ने राजभाषा संबंधी नीतियों को तत्परता से लागू किया गया है, पुरस्कार देते समय इस बात को मद्दे नजर रखा गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं:—

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

1. आकाशवाणी, पणजी गोवा	—कु.एम.वी. वसन्त कुमारी केन्द्र निदेशक
2. आयकर विभाग, नागपुर	—श्री टी. एस. श्रीनिवासन आयकर आयुक्त
3. केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी (म.प्र.)	—श्री सुशील कुमार मिश्र निदेशक
4. परमाणु ऊर्जा विभाग, बम्बई	—श्री शैलेन्द्र पाण्डे निदेशक
5. मध्य रेलवे, बम्बई	—श्री रवि प्रकाश मंगला अपर वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

उपक्रम

1. इंडियन आयल कार्पो. लि. मार्केटिंग डिवीजनल, प्रधान कार्यालय, बम्बई	श्री एम. गोपाल महाप्रबन्धक
2. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कार्पो. लि. कंडला (गुजरात)	श्री वी.के. सक्सेना प्रबन्धक
3. नेशनल टेक्सटाइल कार्पो, लिमिटेड (गुज.) अहमदाबाद	श्री आर.सी. दलाल अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
4. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. भोपाल	श्री लक्ष्मीचन्द अवस्थी उप महाप्रबन्धक
5. भारतीय जीवन बीमा निगम केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई	श्री आर.एन. मित्तल सचिव

राष्ट्रीयकृत बैंक

1. पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	श्री पी.एस. अस्थाना सहायक प्रबन्धक
2. बैंक आफ बडौदा, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई	श्री जे.एन. दौलतजादा महाप्रबन्धक
3. भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई	श्री एस.के. मिश्र महाप्रबन्धक
4. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, बम्बई	श्री एस. सुब्रमण्यम महाप्रबन्धक
5. यूनियन बैंक आफ इंडिया, अंचल कार्यालय, भोपाल	श्री जे.एस. भटनागर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

उप सचिव (कार्यान्वियन) ने कहा कि राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अन्य कार्यालयों, बैंकों आदि में बढ़ाने के लिए बैंक आफ महाराष्ट्र पुणे ने एक कार्यालाशा आयोजित की थी। इसके लिए उन्हें विशेष पुरस्कार दिया गया। उक्त पुरस्कार श्री बी.जे. गांधी, महाप्रबन्धक ने प्राप्त किया। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए विशेष भूमिका निभाई है। जिसके लिए उन्हें विशेष पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई की ओर से श्री वी.टी. गडिया, क्षेत्रीय प्रबन्धक, अहमदाबाद ने प्राप्त किया। दिनांक 27 जनवरी, 1986 को बंगलूर में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में केन्द्रीय राजभाषा सेवा के उपनिदेशक श्री परमानन्द पांचाल को पुरस्कार दिया जाना था जो वह प्राप्त नहीं कर सके थे। इसलिए उक्त पुरस्कार उन्हें अहमदाबाद में दिया गया।

गुजरात के राज्यपाल का उद्‌बोधन

महामहिम राज्यपाल ने दिल्ली से बाहर गुजरात (अहमदाबाद) राज्य में राजभाषा सम्मेलन आयोजित करने के लिए राजभाषा विभाग को धन्यवाद देते हुए सम्मेलन के आयोजन करने में हुई असुविधाओं की ओर ध्यान न देने का अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसे क्षेत्र में राजभाषा सम्मेलन

आयोजित किया गया है जिस क्षेत्र के दो महान पुरुषों ने काफी समय पहले हिन्दी को जनमानस की भाषा के रूप में प्रवाहित किया था। हिन्दी और गुजराती भाषाओं में समानता बताते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के संत कवियों ने शताब्दियों पहले हलोक भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार व प्रसार किया था। 19वीं शताब्दी में हिन्दी काफी फली और फूली है। महर्षि दयानन्द सरस्वती और भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने हिन्दी को जनभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजराती तथा हिन्दी साहित्य इतिहास पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हिन्दी में मध्य काल, रीति काल, रासो काल, भक्ति काल आदि के रूप में साहित्य का निर्णण हुआ उसी प्रकार गुजराती में भी गुजराती भाषा की प्रगति हुई। जिस तरह से हिन्दी साहित्य में सूफी संतों की परम्परा रही है, वैसी परम्परा गुजराती संतों में भी मिलती है। हिन्दवी और गुर्जरी नाम से हिन्दी और गुजराती का बोध होता है।

उन्होंने कहा कि जनभाषा के रूप में आजादी की लड़ाई के समय भी हिन्दी का इस्तेमाल होता था। उन्होंने कहा बिना हिचकिचाहट के अपने देश की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करें। यहीं पर एक ऐसा तरीका है जो आगे बढ़ने में सहायक है। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि किसी के भी दिमाग में किसी भी भाषा के प्रति यदि कोई द्वेष है तो वह उसे निकाल दें। जो नए कर्मचारी आते हैं उन्हें अपना सहयोग और मार्ग दर्शन दें, उन्हें काम सिखाएं ताकि वे बिना किसी तकलीफ के अपना काम अपनी देश की भाषा में कर सकें।

उन्होंने अधिकारियों के उत्तरदायित्व को बताते हुए आशा व्यक्त की कि जो अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए हैं वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन करायेंगे। उन्होंने कहा कि हिन्दी के प्रचार व प्रसार में गुजरात का योग-दान हमेशा आगे रहा है इसे कार्यान्वित कराने में भी गुजरात आगे रहेगा। गुजरात राज्य ने हिन्दी को भी राजभाषा के रूप में अपनाया है। इसके फलस्वरूप राजभाषा प्रचार समिति वर्धा, गुजरात विद्यापीठ, सरदार पटेल विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं से हिन्दी के प्रचार में पर्याप्त बल मिला है। प्रदेश शासन ने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल योजनाएं चलाई हैं। राज्य की प्रगतिशील भाषा नीति ने हिन्दी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सचिव (राजभाषा) के उद्‌गार

श्री बी.बी. महाजन, सचिव एवं हिन्दी सलाहकार, भारत सरकार ने महामहिम राज्यपाल, माननीय गृह राज्य मंत्री तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी है। जन साधारण तो अधिकांश हिन्दी ही बोलते व समझते हैं और देश की आबादी में अंग्रेजी बोलने वालों की गिनती बहुत ही कम है। इसलिए यह आवश्यक है कि राजकीय कामकाज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए ताकि प्रशासन की भाषा आम नागरिक की भाषा के अधिक से अधिक करीब आ सके।

उन्होंने महात्मा गांधी के हिन्दी के प्रति प्रेम की याद करते हुए राजभाषा विभाग की ओर से गांधी श्रम संस्थान के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट किया और यह विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में इसी प्रकार का सहयोग सभी लोगों से मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि राजभाषा के रूप में हिन्दी को उसका उचित दर्जा दिलाना और सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का विकास करना हम सभी का फर्ज है।

2. हिन्दुस्तान कॉपर लि. का वार्षिक राजभाषा समारोह

"हिन्दी सेवा की भाषा है, अंग्रजी की तरह आधिपत्य की नहीं, जैसा कि अनेक लोग भ्रमवश मान बैठे हैं।" यह उद्‌गार सुप्रसिद्ध हिन्दी विद्वान डा. पांडुरंग राव ने भारत सरकार की औद्योगिक संस्था हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा बैसाखी के दिन आयोजित वार्षिक राजभाषा समारोह में अपने अभिनंदन के अवसर पर व्यक्त किये। डॉ. राव ने हिन्दी की उदारता और सहजता की चर्चा करते हुए कहा कि हिन्दी को स्वीकार करने का मतलब अंग्रेजी का बहिष्कार नहीं है। हम अंग्रेजी के शब्दों का हिन्दी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हिन्दी का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि देश की सभी भाषाओं के लोग इसमें अपनापन महसूस करें। इसके लिए जहां हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्दों को बढ़ाने की आवश्यकता है, वहीं अन्य भाषा-भाषियों द्वारा हिन्दी को सहज भाव से आत्मसात् करने की भी जरूरत है। ज्ञान हम किसी भाषा के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं, परन्तु आत्मीयता अपनी भाषाओं के माध्यम से ही स्थापित हो सकती है। हिन्दी इस आत्मीयता की सेतु है।

समारोह की अध्यक्षता कम्पनी के निदेशक (प्रचालन) श्री एम. ए. खान ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री शांति रंजन साहा द्वारा प्रस्तुत कबीर के भजन से से हुआ। तदनंतर उप महाप्रबन्धक (कार्मिक) श्री ओंकार मल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह

समारोह एक राष्ट्रीय पर्व पर किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रीयता अधूरी है।

डा. पाण्डुरंग राव (सम्बोधित करते हुए), उनके दाईं ओर हैं श्री एम.ए. खान।

श्री वेद लीखा, निदेशक (कार्मिक) ने कहा कि हिन्दुस्तान कॉपर भारत सरकार का अंग होने के कारण अपने दफ्तरों और यूनिटों में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ा रहा है। उन्होंने हिन्दुस्तान कापर द्वारा पिछले दिनों कलकत्ता में खनन तकनीकी पर आयोजित प्रथम हिन्दी सेमिनार का जिक्र किया, जिसमें देश भर के इंजीनियरों ने भाग लिया था और सभी पेपर तथा विचार-विमर्श हिन्दी में हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन तभी हो सकेगा, जब सभी छोटे-बड़े अधिकारी कर्मचारी इसकी अनिवार्यता समझ कर इसमें काम करने लगें।

अध्यक्ष श्री खान ने कहा कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा के रूप में प्रचालित करना बहुत जरूरी है। हिन्दी के बारे में हौवा वे लोग खड़ा करते हैं, जिन्हें राष्ट्र की एकता और प्रगति से कोई सरोकार नहीं है।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रमाणपत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही, हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार वितरित किए गये। प्रधान कार्यालय में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रबन्ध (प्रशासन) श्री टी. अरविन्द विशेष रूप से पुरस्कृत किए गए।

—डा. बुद्धिनाथ मिश्र
राजभाषा अधिकारी

3. तोप गाड़ी फैक्टरी जबलपुर में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह

दिनांक 18-2-1987 को तोपगाड़ी फैक्टरी, जबलपुर में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता जबलपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं तोपगाड़ी फैक्टरी जबलपुर के महाप्रबंधक श्री वे० पलनिपाण्डि ने की।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री वे० पलनिपाण्डि ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आसान हिंदी लिखना एक गुण है जिस दिन यह बात अच्छी तरह समझ ली जाएगी उसी दिन से सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ेगा। जो लोग सरकारी काम काज में बोलचाल की हिंदी के साथ-साथ उर्दू अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग बिना हिचक करते हैं, वे हिंदी में अधिक काम करते पाये गए हैं। परन्तु जिन लोगों ने शब्दों के लिए डिक्शनरी का सहारा लिया, उनकी भाषा बोझिल और अटपटी होकर रह गई है। उन्होंने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपने दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। महा प्रबन्धक महोदय ने इस अवसर पर 67 पुरस्कारों का वितरण भी किया।

समारोह में फैक्टरी कर्मचारियों द्वारा कविता पाठ, गीत, भजन, गजल एवं लोक गीतों का आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अन्त में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री वि कु. सिंह, उप महाप्रबंधक प्रशासन-1, ने समारोह में सम्मिलित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक धन्यवाद दिया।

4. बैंक नोट मुद्रणालय, देवास का राजभाषा पुरस्कार वितरण

"भारतीय गणतंत्र का आधार हमारा तिरंगा झंडा, हमारा संविधान और हमारी न्यायपालिकाएं हैं। इनका सम्मान करना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम जिस तिरंगे को फहरा रहे हैं वह मात्र एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है बल्कि हम सब भारतीयों की आन-बान और शान है। हमारा संविधान गणतंत्र का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इनके प्रति श्रद्धा और सम्मान हमारा धर्म है। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमें अपने सरकारी और निजी कामों में हिंदी को अपनाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश के केन्द्रीय कार्यालयों में बैंक नोट मुद्रणालय की हिंदी में सर्वाधिक कामकाज करने वाले संस्थानों में गिनती होती है।" बैंक नोट मुद्रणालय, देवास के महाप्रबंधक, श्री मु. वै. चार ने अपने उक्त उद्गार भारतीय गणतंत्र की 38वीं

शुभवेला पर व्यक्त किए। उन्होंने आगे कहा कि इस पुनीत पर्व पर हम यह संकल्प लें कि भारतीय गणतंत्र और संविधान का पूर्ण आदर करेंगें।

इस अवसर पर वर्ष 1985 से लागू राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. 11/12013/1/84-रा.भा. (क-2) दिनांक 25-5-84 द्वारा प्रसारित वार्षिक टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में पुरस्कृत होने वाले कर्मचारियों सर्वश्री सुरेन्द्र सोनी को प्रथम, अशोक जोशी और ध्रुव कुमार विश्वास को द्वितीय तथा सुरेन्द्र सिंह नागर, अशोक श्रीवास्तव, रूहिनी कुमार दास और अशोक गोमे को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा सर्वश्री लखनलाल अग्रवाल, प्रवीण भटनागर, योगेंद्र कुमार यादव तथा जे. आर. बैरागी को प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया।

बैंक नोट मुद्रणालय, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विशिष्ट संस्थान है। राजभाषा नियमों के अनुपालन हेतु सभी संभव कोशिशे की जाती है। इन कोशिशों का ही यह परिणाम है कि मुद्रणालय का आंतरिक पत्राचार लगभग 99 प्रतिशत हिंदी में हो रहा है। लेखा अनुभाग/मजदूरी अनुभाग, श्रम अनुभाग और नियंत्रण अनुभागों का 95 प्रतिशत से अधिक कार्य केवल हिंदी में हो रहा है। चैक केवल हिंदी में लिखे जा रहे हैं। परिचयपत्र हिंदी में जारी हो रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी की भी यथासंभव हिंदी में काम करने की कोशिशें चल रही हैं।

5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फरीदाबाद में राजभाषा शील्ड वितरण समारोह।

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के उन्नयन के प्रयास में क्षेत्रीय कार्यालय, (हरियाणा) में वार्षिक हिन्दी समारोह फरीदाबाद में आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथि बीमांकक श्री हीरालाल जैन ने हरियाणा क्षेत्र में हिन्दी कामकाज की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें यह भ्रम मिटाना है कि हिन्दी में काम करना कठिन है। हिन्दी में नेमी कार्य ही नहीं अपितु तकनीकी कार्य अथवा तकनीकी विद्या भी प्रदान करना कठिन नहीं है। आवश्यकता है तो मात्र दृढ़ निश्चय की। उन्होंने पुरस्कार विजताओं को बधाई दी और अपेक्षा की कि वे और अधिक समुन्नत प्रयास कर आगे बढ़ाने का उपक्रम करेंगे।

अन्त में हिन्दी अधिकारी श्री महाजन ने माननीय श्री जैन, क्षेत्रीय निदेशक, अधिकारीगण व कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट किया जिनके समुचित प्रयासों के फलस्वरूप, हिन्दी कार्यान्वयन को गति मिल पाई है।

6. आकाशवाणी (विदेश प्रसार प्रभाग), नई दिल्ली में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह

27 फरवरी, 1986 को विदेश प्रसारण प्रभाग, आकाशवाणी में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर आकाशवाणी महानिदेशालय के महानिदेशक श्री सुरेश माथुर तथा रेल मंत्रालय में निदेशक (रा. भा.) श्री शिव सागर मिश्र मुख्य अतिथि थे। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी में 50,000 शब्द से अधिक लिखने पर दिय जाने वाले पुरस्कारों के अंतर्गत कार्यालय के दो कर्मचारियों को क्रमशः प्रथम व द्वितीय पुरस्कार दिए गए। वर्ष 1986-87 में आयोजित की गई कार्यशालाओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र व पुस्तकें दी गई।

पुरस्कार वितरण समारोह में श्री शिव सागर मिश्र, निदेशक (राजभाषा) रेलवे बोर्ड, कु. सुशीला भल्ला को पुरस्कार देते हुए।

7. आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली में राजभाषा समारोह

दिनांक 29 अप्रैल, 1987 को आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली न्यायपीठ के प्रांगण में वर्ष 1986-87 में आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण हेतु एक समारोह का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता एवं पुरस्कार वितरण श्री पी. के. बर्थी, सचिव, (विधि कार्य विभाग) ने किया।

आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष श्री चौ. गोपाल कृष्णमूर्ति ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि वर्ष 1986 में दिल्ली न्यायपीठ में संसदीय राजभाषा समिति की अनुशंसा एवं अपेक्षाओं के अनुरूप हिंदी के विभिन्न श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम आयोजित किये गए जिसमें हिन्दी सप्ताह मनाया गया, एक कार्यशाला आयोजित की गई तथा अनेक हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का

आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया गया तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं हिंदी टंकण प्रतियोगिता दिल्ली न्यायपीठ स्तर पर की गई। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि निकट भविष्य में वाद-विवाद, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टंकण आदि प्रतियोगिताएं भी अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित करने की योजना बन चुकी है तथा यह कि उन्होंने इस योजना की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बम्बई, हैदराबाद बंगलौर पीठों में शीघ्र कार्यशालाएं चलाए जाने के आदेश भी दे दिये गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकरण में विशेष रूप से दिल्ली न्यायपीठ में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब से उन्होंने अधिकरण का अध्यक्षीय कार्यभार संभाला है वे गृह-मंत्रालय के आदेशों के अनुसार सभी स्तरों पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्नशील हैं, हिन्दी के प्रयोग में गति आई है और अनुकूल वातावरण बना है।

श्री कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, लेखा सदस्य एवं शाखा प्रधान केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, अधिकरण शाखा ने परिषद् का परिचय देते हुए बताया कि परिषद की अधिकरण शाखा हिन्दी में काम-काज करने में सतत सहयोग देती रही है तथा समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित करती रही है जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

श्री नरेश चतुर्वेदी, सहायक निबंधक ने प्रतियोगिताओं को पुरस्कार प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया।

श्री आनन्द प्रकाश, लेखा सदस्य एवं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति आयकर अपीलीय अधिकरण, न्यायपीठ जो हिंदी के कार्यान्वयन तथा विभिन्न कार्यक्रमों के प्रेरणा स्रोत है, ने भावी योजनाओं का ब्यौरा देते हुए 1986-87 में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रतियोगताओं का विस्तार से परिचय कराया तथा पुरस्कार वितरण समारोह का कुशल संचालन किया।

8. लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर में हिन्दी संगोष्ठी

"भारतीय अस्मिता तथा सांस्कृतिक धरोहर को बनाये रखने के लिए हमें हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए जनसाधारण से आग्रह करना चाहिए। हिंदी को व्यक्तित्व की भाषा बनाने के लिए तथा आम व्यक्ति से जोड़ने के लिए यदि हिंदी में तत्काल उपयुक्त शब्द नहीं मिलते हैं तो अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों से परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन भाषा ऐसी हो जिससे सीधे संवाद किया जा सके" ये विचार हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक एवं प्रेमचंद सृजन-पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के निदेशक श्री नरेश मेहता ने गत 7 जनवरी 1987 को लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर द्वारा आयोजित "हिंदी संगोष्ठी" के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए।

श्री मेहता ने आगे कहा कि आप केवल सरकारी काम-काज की भाषा के बारे में मत सोचिए, अपने देश की ग्रामीण भाषा के बारे में सोचिए तो हिंदी जल्दी लोकप्रिय होगी। उन्होंने विभिन्न तकनीकी संस्थानों के लिए शब्दकोष व शब्दावलियों के निर्माण पर जोर दिया। हिंदी को केवल जीविकोपार्जन की भाषा न बनाएं बल्कि मानवीय भावनाओं की अभिवृद्धि वाली भाषा बनाएं।"

विक्रम विश्वविद्यालय में प्राध्यापक श्री पवन कुमार मिश्र ने अपने विचारों में कहा कि हमारी संपर्क भाषा राष्ट्र की पहचान की भाषा हो।

उक्त संगोष्ठी में जयपुर, बंबई एवं अहमदाबाद संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इसके अलावा लघु उद्योग सेवा संस्थान, इंदौर के अधीनस्थ कार्यालय-रायपुर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल के हिंदी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

निदेशक श्री रा. व. पाण्डे, विशिष्ट अतिथि श्री नरेश मेहता को संस्थान के हिन्दी प्रकाशनों का परिचय देते हुए। साथ में खड़े हैं—विक्रम विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री पवन कुमार मिश्र तथा उप निदेशक श्री गोविन्द दास गिडवानी।

प्रारंभ में संस्थान के निदेशक श्री रा.व. पाण्डे ने स्वागत भाषण दिया। श्री बृ.मो. शर्मा, प्रभारी सहा. निदेशक (हिंदी) ने संस्थान में हिंदी संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी। श्री नरेश मेहता ने संस्थान में संपन्न विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र वितरित किए।

दोपहर को तकनीकी सत्र में सुप्रसिद्ध लेखक डा. विलास गुप्ते, कवि डॉ. राजेन्द्र मिश्र, ख्यातिप्राप्त कहानीकार डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में हिंदी के विभागाध्यक्ष प्रो. गणेशदत्त त्रिपाठी ने अपने शोधपत्रों का वाचन किया।

2 बुदनी में "तकनीकी विषयों में हिन्दी का प्रयोग" विषय पर संगोष्ठी

दिनांक 26-12-86 को केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान ट्रैक्टर नगर, बुदनी द्वारा हिन्दी सप्ताह कार्यक्रम के अन्तर्गत एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक श्री सुशील कुमार मिश्र ने की।

संस्थान के सहायक इंजीनियर (कर्मशाला) श्री राजेन्द्र कुमार सिंघई ने अतिथि वक्ताओं का परिचय दिया एवं कहा कि संस्थान में तकनीकी विषयों पर हिन्दी में संगोष्ठी किये जाने का यह पहला अवसर है। उन्होंने कहा कि पूर्व में छात्रों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उन्होंने राजभाषा के रुप में हिन्दी की वर्तमान स्थिति पर संक्षेप में विचार व्यक्त किया और अंग्रेजी में पगी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया।

हिन्दी ही देश की राजभाषा क्यों हो? इस प्रश्न के उत्तर में श्री पी. एन. अवस्थी ने कहा कि सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी आवश्यक है, क्योंकि देश अनेक प्रान्तों में बंटा हुआ है एवं विभिन्न बोलियां, भाषाएं एवं सुसंस्कृतियां व्याप्त हैं। अतः राजभाषा के रूप में हिन्दी ही सबको एकता के सूत्र में पिरो सकती है। आपने हिन्दी भाषा के विकास के लिए बहुत से अहिन्दी भाषी चिन्तकों, विद्वानों के योगदान का स्मरण किया।

दूसरे वक्ता के रूप में श्री सुभाष श्रीवास्तव ने तकनीकी विषयों में हिन्दी का प्रयोग विषय पर अपने विचार व्यक्त किये और कहा कि प्रत्येक तकनीक को व्यक्त करने के लिए बहुजन द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा का माध्यम आवश्यक है और अगर हिन्दी का प्रयोग इन तकनीक को संप्रेषित करने के लिए किया जाएगा तो वह सरलता से समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों में से अधिकांश विभिन्न राज्यों में आते हैं। अतः तकनीकी विषयों में हिन्दी के प्रयोग से प्रशिक्षण भी जनसुलभ एवं सामान्य बनेगा।

इसके उपरान्त श्री प्रकाश नारायण अवस्थी ने पुनः "भाषा का स्वरूप एवं प्रयोजनमूलक हिन्दी" विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भाषा के स्वरूप के कई आयाम हैं। हमारे विभिन्न कार्यों-व्यवहारों में यह स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। तकनीकी शब्दों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कई शब्द जैसे—ट्रैक्टर, ट्राली, स्टेशन, पम्प आदि के हिन्दी समानार्थी ढूंढ़ने जरूरी नहीं है, उन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोजनमूलक भाषा का तात्पर्य यही है कि आसान शब्दों एवं भाषा में हमारे सम्प्रेषण का प्रयोजन सफल हो सके।

श्री नरेन्द्र जैन ने अपनी कविताओं के माध्यम से भाषा के उद्भव, भाषा के विकास एवं भाषा के स्वरूप की परिकल्पना सामने रखी। उनकी कविताओं ने यह स्पष्ट रूप से ध्वनित किया कि भाषा के प्रति हमारा सलूक औपचारिक न होकर गंभीर दायित्वबोध से पूर्ण होना चाहिए।

अन्तिम वक्ता के रूप में श्री धारीवाल ने तकनीकी विषयों में हिंदी का प्रयोग एवं प्रयोजनमूलक हिन्दी विषय पर बोलते हुए कहा कि निरन्तर प्रयोग से भाषा का स्वरूप भी बदलता है और महत्व भी बढ़ जाता है। हमारी मानसिकता अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग की है, इसे बदलने की जरूरत है। उन्होंने चुटीली शैली में अनेक उदाहरण देकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से सामने रखी और कहा कि सम्पूर्ण बैंकिंग शब्दावली में अधिक से अधिक 500 तकनीकी शब्द हैं। तकनीकी शब्दावली किसी भी संस्थान की अधिकतर 200 शब्दों तक ही होती है। अतः इन्हें अपनाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम पहल प्रारम्भ कर दें, जहां-जहां हमने हिन्दी के शब्दों को वजन दिया है, उनका लगातार प्रयोग किया है, वहीं वे सफलतापूर्वक प्रचलन में आ गए हैं। कई तकनीकी शब्दों को लेकर गढ़ी गयी भाषा स्वतः समृद्ध होती चली जाएगी।

श्री यदुनाथ सिंह यादव ने बताया कि 'राजभाषा हिन्दी ही क्यों?' विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता छात्रों के लिए आयोजित की गई थी। इसके पुरस्कार विजेताओं को अध्यक्ष द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। निबंध प्रतियोगिता में निम्नलिखित प्रतियोगी अध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत किए गए :—

1. श्री रवीन्द्र अभयंकर—प्रथम
2. कु. दीपान्विता राय—द्वितीय
3. कु. चन्दा डे,—तृतीय

उल्लेखनीय है कि तीनों पुरस्कृत छात्र अहिन्दी भाषी एक मराठी भाषी और दो बंगलाभाषी थे।

संगोष्ठी का समापन करते हुए संस्थान के निदेशक एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुशील कुमार मिश्र ने कहा कि आज की संगोष्ठी बहुत सफल रही है। हिन्दी अधिकारी श्री यादव के कथन का आपने समर्थन किया कि हमारा उद्देश्य फर्ज अदायगी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

10. भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल में मानसेवी सचिवों का सेमीनार

बैंक इतिहास में प्रथम बार, भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्थानीय शाखाओं के मानसेवी सचिवों का एक दिवसीय सेमीनार, 6 फरवरी, 1987 को क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें भोपाल की स्थानीय 19 शाखाओं एवं 16 अनुभागों/कार्यालयों के मानसेवी सचिवों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ श्री हरिमोहन, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक के अध्यक्षीय भाषण से हुआ, जिसके पश्चात् क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रामनरेश सिन्हा ने "बैंक में हिंदी प्रयोग : हमारा दायित्व" विषय पर

अत्यंत प्रेरक विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद प्रभारी अधिकारी श्री सिसौदिया ने—"राजभाषा हिंदी—संवैधानिक स्थिति, अधिनियम व नियम" से सभी सदस्यों को अवगत कराया।

भोजनोपरांत प्रबंधक, राजभाषा विभाग, डा. लक्ष्मीनारायण गुप्त ने स्लाइडों के माध्यम से—"कार्यालयीन हिंदी" के स्वरूप से सभी को अवगत कराया। इसी क्रम को यथावत बनाये रख कर, स्थानीय स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र से आमंत्रित, संकाय सदस्य श्री के. बी. श्रीवास्तव ने "बैंक की हिंदी नीति" को दृष्टिगत रख चर्चा की और आगे बढ़ाया और चर्चामध्य शेष रहे, उन सभी बिंदुओं का सहज समावेश कर लिया। अन्त में आयोजन को विराम लगाकर सभी उपस्थित सदस्यों को सामूहिक परिचर्चा में सक्रिय भाग लेने खुले मंच पर आमंत्रित किया गया। आधे घंटे की इस परिचर्चा में निम्न बिंदु उभर कर सामने आए, जिन पर ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री हरिमोहन ने, सभी सदस्यों को आश्वस्त किया।

(1) हिंदी पत्राचार को और अधिक प्रशस्त करते हुए श्री हरिमोहन ने कहा कि अधिकारी अंग्रेजी पत्रों का भी हिन्दी में जवाब दे सकते हैं ताकि बाद में नियम 5 के अनुसार स्थिति यथावत् बनी रहे, अर्थात् प्राप्त हिंदी पत्रों का जवाब हिंदी में ही दिया जा सके।

(2) हिंदी टंककों के अभाव को श्री देशबंधु शुक्ला द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया गया एवं बैंक प्रबंध से यह अपेक्षा की गई कि भविष्य में सिर्फ हिंदी टंककों की ही भर्ती/नियुक्ति की जाए।

(3) हिंदी टंककों को दी जाने वाली मानदेय राशि के विषय में श्री अजय वाजपेयी ने सुझाव दिया कि बैंक में ही आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए ताकि जो भी दक्षता रखते हों अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर योग्यता अर्जित करना चाहते हो उन्हें मानदेय राशि की पात्रता प्राप्त हो सके।

(4) हिंदी टंककों की वर्तमान कमी को दूर करने हेतु श्री हेमन्त मुक्तिबोध ने सुझाव दिया कि सभी अनुभागों में प्राप्त टंककों की स्थिति का आकलन किया जाए एवं कार्यानुसार क्षेत्रों/अनुभागों में उन्हें समान रूप से विभक्त किया जाए।

(5) अंत में श्रीमती विद्या कुलकर्णी ने भी यह मांग की कि आशुलिपिकों के प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय में भी कक्षाएं चलाई जाएं।

11. लखनऊ : हिन्दी में विज्ञान-लेखन प्रतियोगिता

उत्तरप्रदेश विज्ञान लेखक एवं संवाददाता समिति विगत तीन वर्षों ने विभिन्न जनपदों में उच्चतर/उच्चतर माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन हेतु राष्ट्रभाषा के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रहीं है। इस वर्ष 29 जनवरी, 1987 को एच.ए.एल. विद्यालय के सभाकक्ष में पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर गत वर्ष आयोजित विज्ञान निबंध प्रतियोगिता में विजयी छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती दीपा कौल, राज्यमंत्री विज्ञान प्रौद्योग, पर्यावरण, सांस्कृतिक कार्य एवं सूचना उ.प्र. शासन ने विजयी छात्रों को पुरस्कृत करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि बालकों के मानसिक विकास हेतु ऐसे वैज्ञानिक कार्यक्रमों का आयोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यह स्वयंसेवी संगठन राष्ट्र हित में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है।

श्रीमती कौल ने कहा कि समाजोपयोगी एवं प्रबुद्ध वैज्ञानिक बनने के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने विषय को भली-भांति समझकर गहराई से अध्ययन करें। वैज्ञानिकों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने ज्ञान से जन सामान्य के जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं।

समारोह में उपस्थित वैज्ञानिकों और विज्ञान शिक्षकों से उन्होंने कहा कि छात्रों की प्रतिभा को उभारने के लिए उचित वातावरण तैयार करें। स्कूल मैगजीन या पत्रिकाओं के लिए लेख आदि लिखने के लिए प्रोत्साहित करें।

श्रीमती कौल ने आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

श्रीमती विमला श्रीवास्तव (गोंडा) द्वारा अपने पिता की पुण्य स्मृति में "डा. कुंजबिहारी लाल स्मारक चलवैजन्ती" समिति को समर्पित की गई जो प्रतिवर्ष आयोजित प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यालयों को प्रदान की जाएगी। इस वर्ष काल्विन तालुकेदार कालेज लखनऊ ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रस्तुति—जगदीश चन्द रंजन,

12. लखनऊ में उच्चस्तरीय वैज्ञानिक संगोष्ठी

भारतीय विकिरण संरक्षण परिषद् के तत्वाधान में किंग जार्ज मेडीकल कालेज के क्ष-किरण (रेडियोलोजी) विभाग द्वारा परिषद् की चतुर्थ विकिरण संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला दिनांक 17-19 अक्टूबर, 1986 को किंग जार्ज मेडीकल कालेज के प्रांगण में संपन्न हुई। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य विकिरण कार्यकर्ता विशेषकर क्ष-किरण तकनीशियनों को विकिरण के गुण और संभावित हानि से अवगत कराना और विभिन्न संरक्षण साधनों की जानकारी देना था। अन्य तीन कार्यशालाएं तिरुअनंतपुरम्, आगरा एवं बेंगलूर में हुई। यूं तो आगरा की कार्यशाला में भी एक बड़ी सीमा तक हिंदी माध्यम का प्रयोग किया गया था, पर पूर्णरूप से हिंदी के माध्यम से की जाने वाली यह पहली कार्यशाला थी। इस कार्यशाला में चिकित्सक, तकनीशियन एवं चिकित्सा भौतिक शास्त्री सब मिलाकर लगभग

100-150 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन श्री श्याम सूरी, सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में विकिरण संरक्षण की सार्थकता बताते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि मेडीकल कालेज में वैज्ञानिक संगोष्ठी हिंदी में हो रही है। श्री एस. डी. सोमन, सहनिदेशक विकिरण वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने मुख्य भाषण और श्री ए. नागरत्नम, निदेशक रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर ने अध्यक्षीय भाषण दिया। श्री सोमन ने बताया कि किस प्रकार रेडियो सक्रिय पदार्थ जो परमाणु भट्ठी में तैयार किये जाते है, चिकित्सा में रोग निदान एवं उपचार के लिए कार्यसिद्ध हुए हैं। कोबाल्ट मशीनों से निकली किरणों से ट्यूमर केन्सर का उपचार होना है। रेडियो सक्रिय पदार्थों को रक्त में मिलाकर या शरीर में पहुंचा कर उनसे निकली किरणों का मापन करके रोग निदान किया जाता है। श्री नागरत्नम् ने कहा का क्षःकिरण परीक्षणों से से ही जनसाधारण को अधिक विकिरण प्राप्त होता है। आज देश में करीब 35 हजार मशीन हैं और उनमें अधिकतर प्रतिष्ठापन विकिरण सुरक्षा की दृष्टि से संतोषजनक नहीं हैं अतः इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

इसके बाद श्री सेमन द्वारा परमाणु उर्जा एवं विकिरण संरक्षण पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी आम जनता में विकिरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से लगाई गई थी।

संगोष्ठी का कार्यक्रम पांच सभाओं में बांटा गया था। पहली सभा में विकिरण एवं जनसाधारण संबंधी विषयों पर वार्ताएं थी जिसमें मुख्य थी चेर्नोबिल दुर्घटना। रूस की चेर्नोबिल परमाणु भट्टी में जो दुर्घटना हुई थी उसके विभिन्न पहलुओं पर डा० चिन्तामणि सूंठा, वरिष्ठ वैज्ञानिक भा०प०अ०के० ने जानकारी प्रस्तुत की और कहा कि भारत में इस प्रकार की दुर्घटना की संभावना नगण्य है। उन्होंने बताया कि रूस में भी वहां की जनता का बहुत कम प्रतिशत विकिरण क्षति से प्रभावित हुआ है। इस सभा में श्री पी० सुब्रण्मयम, भा०प०अ०के० ने 'विकिरण एवं जैविक प्रभाव', डा० ए० के० दीक्षित, जे०के० केन्सर इन्स्टीट्यूट कानपुर ने 'विकिरण और हम'; डा० सूंठा ने 'पर्यावरण में विकिरण' और डा० एम० के० गुप्ता, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ ने 'संरक्षण के आधार और उनके मानक विषयों' पर चर्चा की। इन वार्ताओं में बताया गया कि पर्यावरण में ब्रह्मांड से एवं खगोलीय पदार्थों से विकिरण मिलता रहता है। अधिक मात्रा लेने से केन्सर की संभावना बढ़ती है एवं विकिरण कार्य में प्राप्त मात्रा को सीमा में रखने से खतरे की संभावना जीवन के अन्य खतरों से कम होती है।

दूसरी सभा में श्री एस० पी० खम्बाटा, आई जी ई इंडिया लिमिटेड ने 'विभिन्न क्षः किरण मशीनों' के बारे में बताया और डा० एस० भादुड़ी, किंग जार्ज मेडीकल कालेज ने क्ष–किरण परीक्षणों' के बारे में चर्चा की।

तीसरी सभा में डा० ए. एस० प्रधान भा०प०आ०के० ने 'विकरण संरक्षण के सामान्य सिद्धांत एवं कर्मचारियों की मनीटरिंग' की चर्चा की, डा० एम०पी० जैन 'इन्मास दिल्ली ने क्षकिरण मशीनों की गुणवता' परीक्षणों के अवगत कराया और श्री पी० सुब्रमण्यम ने क्ष–किरण प्रतिष्ठापन की योजना के बारे में बताया। इन वार्ताओं में बताया गया कि कैसे दूरी समय का तालमेल करके और अवरोधक का प्रयोग करके संरक्षण किया जा सकता है और प्राप्त विकिरण मनीटरिंग से जाना जा सकता है। इसके अलावा मशीनों की कैसी गुणवत्ता हो जिससे कि विकिरण कम मिले और निदान अच्छा हो।

चौथी सभा में श्री. विजय भार्गव, भा०प०अ०के० ने 'क्षः किरण के आम परीक्षणों' के और डा० वी०के० रोहतबी, सरोजनी नायडू मेडीकल कालेज, आगरा ने 'विशेष परीक्षणों' के समय और अच्छी कार्यविधि के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा साधनों का प्रयोग करके और आवश्यक निदेशों का पालन करके वे स्वयं को, मरीज को एवं जनसाधारण को अनावश्यक विकिरण से बचा सकते हैं। इन आवश्यक निर्देशों में किरणों की निश्चित सीमा का प्रयोग करना, उचित फिल्टर का प्रयोग करना सीसायुक्त रबर/विनायल एपरन एवं पट्टिकाओं का प्रयोग करना, शामिल है।

पांचवी सभा में श्री आर० एन० एल० श्रीवास्तव, मेडिकल कालेज, आगरा ने दूरोपचारन व निकटोपचार और डा० ए० के० शुक्ला, जे०के० केन्सर इन्स्टीट्यूट, कानपुर ने नाभिकीय औषधि में सुरक्षा उपायों पर चर्चा की (डा ए०एस प्रधान ने रेडियोग्राफी फिल्मों के 'भंडारण, डेवलपिंग और प्रोसेसिंग' के बारे में चर्चा की की और बताया कि विकिरण रहित क्षेत्र में उनका भंडारण करना चाहिए और फिल्मी कंपनी से दिये निर्देशों के अनुसार ही उनका प्रोसेसिंग व डेवलपिंग करना चाहिए। डा० जे०पी० शर्मा, मेडिकल कालेज, भोपाल डा. एम०पी० जैन, दिल्ली एवं डा० ए०एस० प्रधान, बम्बई ने प्रयोगा भ्यासों द्वारा बताया कि किस प्रकार संरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।

अन्त में पैनल चर्चा हुई, जिसमें डा० के०सी० माथुर, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा रेडियोलाजी विभाग, मेडीकल कालेज, लखनऊ, डा० वाइ. सी० अग्रवाल, चिकित्सा भौतिक शास्त्री, जे०के० केन्सर संस्थान, कानपुर एवं डा० सी. एम. सूठा उपसभापति भारतीय विकिरण संरक्षण परिषद् ने भाग लिया एवं श्री विजयकुमार भार्गव, संयोजक कार्यशाला ने इसका संचालन किया। इस चर्चा का विषय था—क्षः किरण प्रतिष्ठापनों में विकिरण सुरक्षा व्यवस्था। इसमें इन प्रतिष्ठापनों में प्रशासन, इनका सर्वेक्षण, सुरक्षा साधन

एवं उपयुक्त मशीनों के प्राप्त करने में कठिनाइयां इत्यादि पर विचार विमर्श किया गया। निष्कर्ष यह रहा कि प्रत्येक प्रदेश की विभिन्न आवश्यकताओं की इक्ठ्ठी सूची तैयार की जाए और उचित माल लेकर विभिन्न चिकित्सालयों को दिया जाए। गुणवत्ता की जांच राज्य के बड़े चिकित्सालय में नियुक्त विकिरण सुरक्षा अधिकारी की देखरेख में कर सकते हैं। इस निरीक्षण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए।

संगोष्ठी का सफल संयोजकत्व भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र बम्बई के वैज्ञानिक श्री विजय कुमार भार्गव ने किया।

विजय कुमार भार्गव

विकिरण संरक्षण प्रभाग,

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई

13. जयपुर : सम्वत् अभिनन्दन तथा राजभाषा प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर द्वारा शक सम्वत् के नववर्ष दिवस पर प्रधान कार्यालय में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, शक सम्वत् हमारा राष्ट्रीय सम्वत् है तथा सरकार के निर्देश के अनुरूप सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों में ईस्वी कैलेन्डर की तिथि के साथ–साथ शक सम्वत् की तिथि भी लिखा जाना अपेक्षित है, किन्तु इस नियम की अनुपालना बहुत कम हो रही है। स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर द्वारा शक सम्वत् के नववर्ष दिवस पर समारोह आयोजित करने से इस संवत् के प्रति सरकारी कार्यालयों एवम् अन्य उपक्रमों में जागृति उत्पन्न होगी।

प्रबन्धक निदेशक श्री ताराकुमार सिन्हा, दीप प्रज्वलित करके समारोह का उदघाटन करते हुए। उनके बाईं ओर खड़े हैं—श्री चिमनलाल सिंगला, राजभाषा प्रबन्धक तथा दाईं ओर सर्वश्री गोविन्दकृष्ण पुरोहित, म. प्रबन्धक (निरीक्षण) तथा चन्द्र किशोर मेहरोत्रा म.प्र. (योजना)

22 मार्च को आयोजित मुख्य समारोह की अध्यक्षता बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री तारा कुमार सिन्हा ने की. महाप्रबन्धक श्री चन्द किशोर मेहरोत्रा ने अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि बैंक सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति कृत संकल्प है, उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी में किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत बैंक को गत 5 वर्षों से लगातार पुरस्कार एवम् श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने भी इस बैंक को "क" क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ सहयोगी बैंक होने के उपलक्ष्य में अपनी योजना के पहले वर्ष में ही शील्ड प्रदान की। इस अवसर पर जयपुर के हिन्दी के उत्कृष्ट विद्वानों को भी बैंक द्वारा सम्मानित किया गया। "हमें गर्व होना चाहिए-हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सम्वत् राष्ट्रीय गान एवम् राष्ट्रभाषा पर" विषय पर आयोजित परिचर्चा में राजस्थान भाषा विभाग के निदेशक श्री कला नाथ शास्त्री, राजस्थान विश्वविद्यालय के श्री हरि राम आचार्य, वयोवृद्ध सेवा–निवृत अधिकारी श्री विष्णु दत्त शर्मा ने परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त करके श्रोताओं को राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत कर दिया।

बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा एक विभागीय पत्रिका "उपवन" भी प्रारम्भ की गई है जिसके "प्रवेशांक" का विमोचन बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री तारा कुमार सिन्हा ने किया। हिन्दी का वातावरण तैयार करने के लिए बैंक ने अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की, जिनमें निबन्ध प्रतियोगिता, अंतर अंचल आशुभाषण प्रतियोगिता, काव्य प्रतियोगिता, अनुवाद प्रतियोगिता एवं प्रश्न पहेली प्रतियोगिता आदि प्रमुख हैं।

समारोह में इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार, बैंक में हिन्दी के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले अंचल को "प्रधान कार्यालय राजभाषा शील्ड" एवं प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों को हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कार एवं श्रेष्ठता प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

–चिमन लाल सिंगला

14. हिन्दी अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन

"हिन्दी को उन लोगों से अधिक बल मिला है जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं रही है। स्वतंत्रता से पहले हमारे ऐसे अनेक नेता, साहित्यकार और समाज-सुधारक हुए हैं जिन्होंने हिन्दी के माध्यम से सारे देश को एकता के सूत्र में बाधने का प्रयास किया है। हमारे सन्तों, भक्तों में भी ऐसे कवि तथा साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य की बडी सेवा, की है। ऐसे लोग हमारी आस्था के पात्र हैं और उनकी हिन्दी सेवा अभिनन्दन के योग्य है।" ये शब्द दिल्ली के कार्यकारी पार्षद (शिक्षा), श्री कुलानन्द भारतीय ने हिन्दी अकादमी की ओर से अखिल भारतीय

हिन्दी संस्था संघ के प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित एक सद्भाव गोष्ठी में कहे ।

यह उल्लेखनीय है कि पिछले दो दिनों में हिन्दी संस्था संघ ने नई दिल्ली में राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया। संघ के अध्यक्ष, बाबू गंगाशरण सिंह ने बताया कि हिन्दी अकादमी का यह कार्य भाषाई तालमेल तथा परस्पर अदान-प्रदान की दृष्टि से बड़ा सराहनीय है। जिन व्यक्तियों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, फिर भी बड़ी निष्ठा के साथ हिन्दी के प्रचार और प्रसार के कार्य में लगे हुए हैं, उनका प्रयास स्तुत्य है।

समारोह में महाराष्ट्र, आन्ध्र, केरल, गुजरात, अरूणाचल, मणिपुर, कर्नाटक आदि ने भाग लिया जिनमें श्री नरगेश हत्वार, वी. राम संजीवैया, एम. तोम्बीसिंह, श्री सी. लियान चुडग निडन, नानू भाई बरोट, वी. एस. शांताबाई, श्री नवल किशोर गौड चमन लाल, नरेन्द्र अजारिया के नाम प्रमुख हैं। इन महानुभावों ने अपने-अपने वक्तव्य में आयोजन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की एकता और संविधान की आशा तथा आकांक्षा के अनुकूल एक सम्पर्क भाषा आवश्यक है और यह भाषा यदि कोई हो सकती है तो वह हिन्दी ही है। इसीलिए हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में अपनी-अपनी आस्था के स्वर हिन्दी के प्रचार-प्रसार और इस भाषा के विकास के लिए समर्पित हुए हैं। उनका कहना था कि हिन्दी का विरोध किसी क्षेत्रीय भाषा से नहीं वरन देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को मिलकर अंग्रेजी के स्थान पर अपने आपको स्थापित करना है और इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाई महत्ता को समेकित रूप से स्थापित करना है।

—नरेन्द्र गुप्ता

वाराणसी में आयोजित हिन्दी मेला एवं राजभाषा प्रदर्शनी का उदघाटन करते हुए श्री बी बी. महाजन सचिव (राजभाषा) भारत सरकार

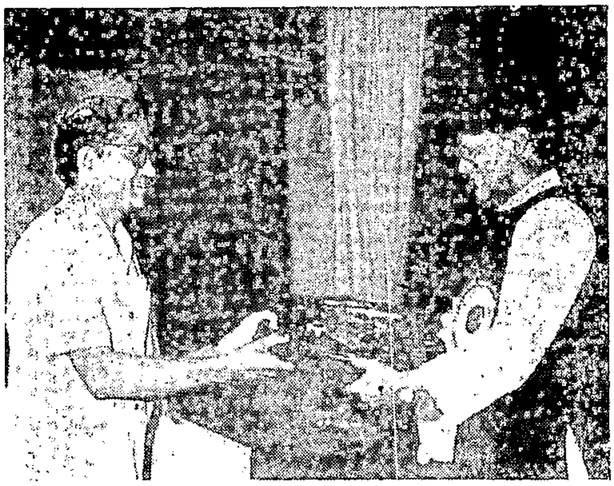

दक्षिण मध्य रेलवे के श्री श्री गुरु शंकर मुराधी, रेल राज्य मंत्री श्री माधव राव सिंधिया, से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की रेल राज्यमंत्री की राजभाषा शील्ड ग्रहण करते हुए

केनरा बैंक अंचल कार्यालय, दिल्ली द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला की एक झलक। चित्र में श्री शंभु दयाल, संयुक्त सचिव (राजभाषा) (मध्य में)

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री आर. एन. मल्होत्रा से रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक श्री तारा कुमार सिन्हा। साथ में खड़े हैं विजेता बैंक के प्रबन्धक (राजभाषा) श्री सी.एल. सिंगला

श्री बी० बी० महाजन, सचिव (राजभाषा) अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षार्थी श्री नन्द किशोर चावला को रजत पदक प्रदान करते हुए ।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तमिलनाडु, मद्रास कार्यालय में आयोजित हिन्दी सप्ताह समारोह की एक झलक। मंच पर खड़े हैं—श्री शशिभूषण प्रसाद, उप निदेशक (दक्षिण) तथा श्री वी. सुन्दरेशन मुख्य महालेखाकार ।

भारत सरकार, मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली में आयोजित हिन्दी कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए श्री आर. दी. राजवंशी, संयुक्त निदेशक। साथ हैं—बायें से श्री नरेन्द्र सिंह, हिन्दी अधिकारी, श्री सुशील कुमार वर्मा प्रबन्धक, डा. राजकुमार अहलूवालिया सहायक निदेशक (राजभाषा)

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 53वें सत्र के समापन पर दीक्षान्त भाषण देते हुए श्री बी. बी. महाजन, सचिव (राजभाषा) गृह मंत्रालय मंच पर हैं—दायें से श्री भैरवनाथ सिंह, निदेशक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, श्री शंभु दयाल, संयुक्त सचिव (राजभाषा), श्री विनोद कुमार बजाज, संयुक्त निदेशक

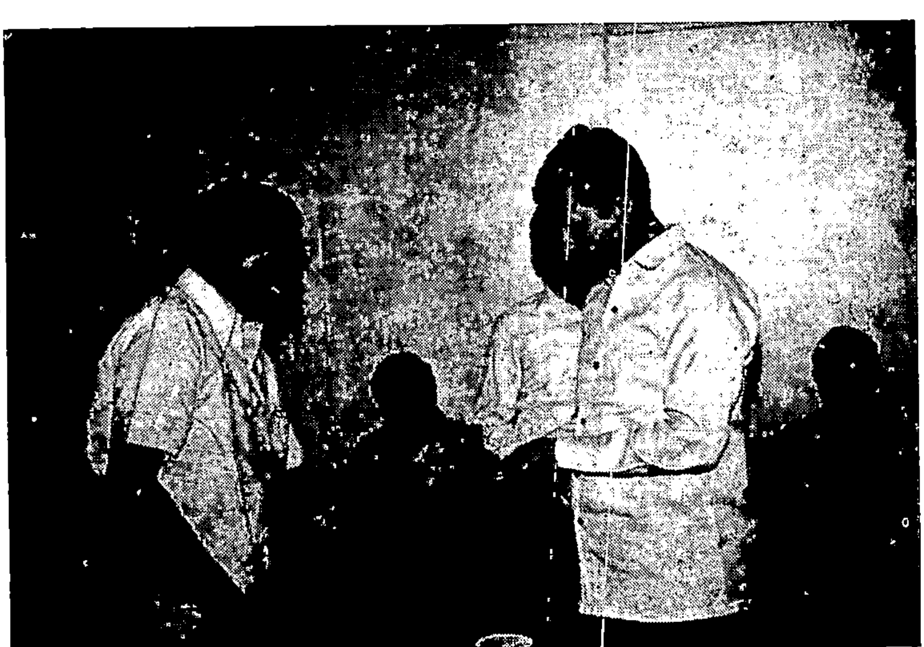

नगर राजभाषा कार्यान्वय समिति, रतलाम की बैठक की झलक । चित्र में हैं—अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबन्धक श्री रवीन्द्रनाथ गोयल, सदस्य सचिव, श्री के. वि. प्रधान, अनुसंधान अधिकारी (राजभाषा), श्री महेशचन्द्र पुरोहित तथा पश्चिम रेलवे के राजभाषा अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कानपुर की दूसरी बैठक को सम्बोधित करते हुए समिति सचिव श्री जय प्रकाश हिलोरी । बायें से श्री जे. सू. वर्मा, श्री जी. सी. अग्रवाल (आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष) तथा श्री वी. पी. गुप्त (आय-कर आयुक्त अपील्स)

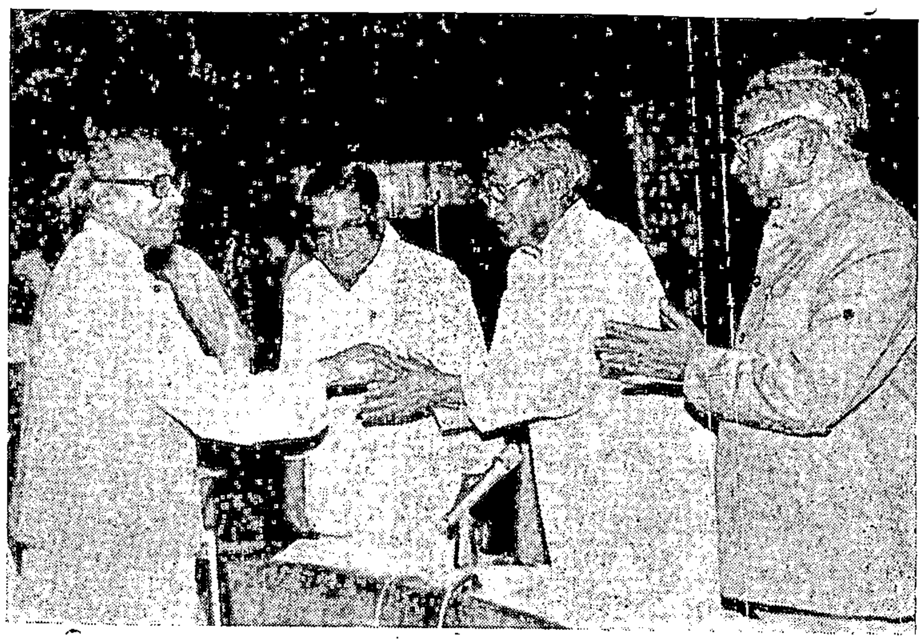

हिन्दी अकादमी द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में संस्था संघ के सदस्यों से परिचय प्राप्त करते हुए कार्यकारी पार्षद श्री कुलानन्द भारतीय

बैंक आफ इंडिया द्वारा वाराणसी में आयोजित हिन्दी मेला में राजभाषा प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए श्री बी०बी० महाजन, हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, भारत सरकार

1. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में राजभाषा कार्यान्वयन

विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास भारत सरकार के भाषायी वर्गीकरण के अनुसार "ग" क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाता है और सरकारी निदेशो के अनुसार इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट सभी कार्यालय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। हिन्दी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक विभाग में एक हिन्दी एकक स्थापित किया गया ।

वर्ष 1986-87 के दौरान हिन्दी शिक्षण एवं हिन्दी कार्यान्वयन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य किया गया ।

1. हिन्दी शिक्षण

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत 1986-87 के दौरान हिन्दी परीक्षाओं में सम्मिलित 166 कर्मचारियों में से 162 कर्मचारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। 1987 मई परीक्षाओं के लिए पत्तन न्यास ने 108 कर्मचारियों को नामित किया ।

(ख) हिन्दी टंकण परीक्षाओं में 2 कर्मचारी बैठे। परीक्षाफल की प्रतीक्षा हैं। अब चार टंककों को हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

एक टंकक आशुलिपि परीक्षा (जुलाई) के लिए जा रहा है

(ग) हिन्दी में लिग्वाफोन द्वारा सभी पाठों को स्टेंसिल। निकालकर उसकी सहायता से कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2. हिन्दी में पत्र व्यवहार

(क) मंत्रालय को भेजे गये सभी पत्रों को द्विभाषी रूप में भेजा जा रहा है। इस वर्ष में कुल 210 पत्रों को द्विभाषा में भेजा गया ।

(ख) इस वर्ष के दौरान हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या 185 है। सभी पत्रों को हिन्दी में ही जवाब दिया गया ।

(ग) अन्य विभागों से भेजे गये पत्रों को हिन्दी अनुवाद करके भेजा गया है जिसकी संख्या 350 हैं।

3. अल्प, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम

पत्तन न्यास मंडल द्वारा अनुमोदित सभी संकल्पों का हिन्दी में अनुवाद किया गया और मंत्रालय को द्विभाषा में भेजा गया जिसकी संख्या 174.

4. प्रेस विज्ञप्ति

पत्तन के द्वारा दिए गए टेंडर फार्मों को द्विभाषा में दे रहे हैं। टेंडर विज्ञापनों में 16 विज्ञापनों को हिन्दी में भी दिया गया ।

5. हिन्दी अनुवाद

प्रशासनिक और अन्य प्रतिवेदन ।

(1) वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद किया गया है।

(2) वार्षिक लेखा रिपोर्ट और पिछले वर्ष के रिपोर्ट पर उपस्थित लेखा परीक्षा आपत्तियां/विचारों पर किए गए कारंवाई का नोटिस हिन्दी में भी भेजा गया है।

(3) तटीय नौवहन पर प्राक्कलन समिति-अध्ययन वर्ग 1 के लिए जानकारी हिन्दी में भी तैयार की गई ।

(4) 1985-86 लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर अभ्युक्ति पृष्ठों की संख्या 40 है।

(5) कुल फार्मों में से 59 फार्मों को द्विभाषा में तैयार किया गया है।

(6) **टाइपराईटर**

अब तक 2 हिन्दी टाइपराईटर हैं। इस वर्ष में एक और हिन्दी टाइपराईटर खरीद रहे हैं । जिससे अब पत्तन में 3 हिन्दी टापराईटर उपलब्ध हैं।

(7) **द्विभाषा में रबड़ की मोहरें**

अब तक 950 रबड़ मुहरों को द्विभाषा में तैयार किया गया और उन मुहरों को कार्यालय में प्रयोग कर रहे हैं।

(8) नाम पट्ट सूचना पट्ट वोर्ड हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किए गए ।

(9) 1985-86 वर्ष के दौरान पत्तन न्यास में आयोजित समारोह :—

(1) दि. 12-7-86 में आयोजित समारोह हिन्दी परीक्षाओं में विशेष अंक पानेवाले कर्मचारियों को नगद पुरस्कार दिए गए ।

(2) 19-9-86 के दिन पत्तन न्यास में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया, इस अवसर पर हिन्दी में निबंध लेखन और वक्तृत्व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार दिया गया ।

5 HA/87—10

10 हिन्दी कार्यशाला

दि. 22 दिसबर 1986 से 27 दिसम्बर, 2986 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस में 20 कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग लिखने में प्रशिक्षण दिया गया।

11 पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के बारे में जानकारी

एक गृह पत्रिका "सागरिका" (त्रैमासिक) प्रकाशित हो रही है। इसमें कर्मचारियों द्वारा लिखित हिन्दी कविता लेख, निबंध आदि प्रकाशित किये जा रहे हैं।

12 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

न्यास के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक राजभाषा कार्यन्वयन समिति गठित की गई है। इसमें विविध विभागों के 10 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में है। इस वर्ष दि. 22-3-1986, 4-7-1986, 29-9-1986, 30-1-87 और 6-4-87 को राजभाषा कार्यन्वयन समिति के बैठकों का प्रबन्ध किया गया।

13 डायरी और कैलेण्डर में हिन्दी का प्रयोग

डायरी और कैलेंडर पहली बार द्विभाषा में प्रकाशित किए गए हैं।

14. विशेष प्रबन्ध

हिन्दी टंकण प्रशिक्षण केन्द्र

(1) "हिन्दी टंकण प्रशिक्षण केन्द्र" खोला गया। उसमें चार टंकक हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण ले रहे। न्यास के हिन्दी टंकक ही इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

15 आज का हिन्दी शब्द

आज का हिन्दी शब्द के लिए 10 बोर्ड तैयार किए गए और पत्तन के हर एक विभाग में एक बोर्ड लगाया गया। प्रतिदिन उन बोर्ड पर एक हिन्दी शब्द और पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द लिखे जाते हैं।

16 वाद-विवाद समिति

"हिन्दी वाद-विवाद समिति" का आयोजन किया गया। इस समिति में अब 40 अधिकारी और कर्मचारी सदस्य के रूप में हैं। पंद्रह दिनों में एक बार मिलकर किसी एक विषय पर चर्चा करने का संकल्प किया गया है। दिनांक 12-3-88 को "भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है? किस भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए? क्यों?" इस विषय पर चर्चा हुई।

17 गृह पत्रिका "सागरिका"

एक त्रैमासिक गृह पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। इसमें तेलुगु, अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी कर्मचारियों के द्वारा लिखे गए लेख, कविता आदि का प्रकाशन कर रहे हैं।

18 हिन्दी में मुद्रण सुविधा

पत्तन न्यास से संबंधित एक मुद्रणालय है। इसमें तेलगु, अंग्रेजी के साथ हिन्दी टाइप भी मांग रहे हैं जिससे पत्तन, के फार्म आदि हिन्दी में मुद्रण खुद कर सकें। जिसके लिए 5,000 रूपए का आवंटन किया गया।

19 ग्रंथालय

एक ग्रंथालय है इसमें हिन्दी पुस्तकें भी रखी गई हैं और हर साल 1000/ रु. की हिन्दी किताबे खरीदने का निर्णय लिया गया।

इंडिया टुडे (हिन्दी), हिन्दी अनुवाद पत्रिकायें ग्रंथालय के लिए मंगाई जा रही हैं।

2. आयकर प्रभार कानपुर राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा

वर्ष 1986-87 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत हिन्दी के वार्षिक कार्यक्रम में 6 हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन का लक्ष्य रखा गया था। आयकर विभाग, कानपुर द्वारा उक्त वर्ष में 6 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

इन कार्यशालाओं में अधिकांश व्याख्यान वरिष्ठ सहायक आयकर आयुक्तों द्वारा दिए गए। कार्यशालाओं के विषय निम्नलिखित थे:—

1. राजभाषा नीति
2. आयकर शब्दावली
3. सामान्य शब्दावली
4. आयकर सम्बन्धी टिप्पण एवं आलेखन
5. कर निर्धारण आदेश
6. स्थापना सम्बन्धी टिप्पण एवं आलेखन
7. सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां
8. लेखा सम्बन्धी कार्य
9. हिन्दी में तार

कार्यशालाओं में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को उक्त विषयों से सम्बन्धित कार्यों का अभ्यास भी कराया गया। इस प्रकार आयकर प्रभार ने वर्ष 1986-87 में निर्धारित 6 हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

2. हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना

जनवरी, 87 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयकर प्रभार, कानपुर द्वारा विभाग के 7 कर्मचारियों को आयकर आयुक्त द्वारा हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए।

राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार इस आयोजन को हिन्दी पुरस्कार समारोह के रूप में 26 जनवरी, 1987 को

गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए।

वर्ष 1986-87 में राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुरूप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कानपुर की दो बैठकें 21-7-86 एवं 17-12-86 को आयोजित की गई। इन दोनों बैठकों में नगर स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए तथा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। यह दोनों बैठकें विशेष सफल रहीं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जुलाई, 86 में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नगर स्थित कार्यालयों में हिन्दी में अधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतियोगिता आयोजित की जाय, जिसके लिये एक समिति भी गठित की गई थी। इस प्रतियोगिता में नगर के 10 कार्यालयों ने भाग लिया जिसमें आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर ने **प्रथम स्थान प्राप्त** किया। पुरस्कार समिति की अगली बैठक में प्रदान किया जायेगा।

3. नई दिल्ली : राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में हिन्दी की प्रगति

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अनुसार दिनांक 1 जून, 1986 से राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया गया है। चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों को छोड़कर, सभी सिविल विमान क्षेत्रों का प्रबंध, रक्षा विमान क्षेत्रों पर सिविल एन्कलेवों सहित सभी अन्तर्देशीय विमानक्षेत्रों पर यात्रियों को संभालने की सुविधाएं भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चारों विमानक्षेत्रों सहित सभी सिविल विमानक्षेत्रों पर रेडियो दिक्चालन सुविधाएं, राडार और दूर-संचार नेटवर्क का प्रतिस्थापन, अनुरक्षण और प्रचालन तथा समस्त भारतीय वायुक्षेत्र के लिए विमान यातायात नियन्त्रण सेवा, राडार सेवा और उड़ान सूचना सेवा की व्यवस्था करने का दायित्व इस प्राधिकरण का है। बचाव अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था करने तथा अन्तर्देशीय विमानक्षेत्रों पर हैंगर परिसर, इत्यादि के विमान और अनुरक्षण का दायित्व भी प्राधिकरण का ही है।

यह एक प्रचालनात्मक कार्यालय है और इसका अधिकांश कार्य तकनीकी किस्म का है और अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का सदस्य होने के नाते परिचालन सम्बन्धी एवंम् अन्य तकनीकी कार्य अंग्रेजी में करने के लिए बाध्य हैं। तथापि, जहां तक भी सम्भव है, प्राधिकरण में हिन्दी के योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। संक्षेप में प्राधिकरण के गठन के प्रारम्भिक वर्ष में कार्यालय में किए जा रहे प्रमुख हिन्दी कार्यों का विवरण इस प्रकार है:—

1. राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व

निदेशक प्रशासन प्राधिकरण के मुख्यालय में हिन्दी संबंधी कार्यों के लिए सर्वकार्य-भारी अधिकारी हैं। क्षेत्रीय स्तर पर यह काम संबंधित समन्वय निदेशकों के द्वारा किया जाता है।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

प्राधिकरण के कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग के बारे में सरकार की नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आवश्यक निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण के मुख्यालय एवं इसके 25 क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की हर तिमाही में नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। मुख्यालय में वरिष्ठ निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3. धारा 3(3) का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित) की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले सभी सामान्य आदेशों आदि को द्विभाषी रूप में जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1986 में मुख्यालय में 332 सामान्य आदेश हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए। इसके अलावा सभी नोटस, वैमानिक सूचना परिपत्र भी दोनों भाषाओं में जारी किए गए।

4. हिन्दी का सहायक साहित्य

सरकारी कामकाज में रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले शब्दों और वाक्यांशों के हिन्दी पर्याय तैयार करके सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए गए हैं।

5. हिन्दी पुस्तकालय की व्यवस्था

प्राधिकरण के मुख्यालय एवं सभी मुख्य क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकालयों और वाचनालयों की सुविधा उपलब्ध है, जहां समाचार पत्र और पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाई जाती हैं। इनके होने से कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति लगाव बढ़ता है और वे अपने रोजमर्रा के काम में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।

6. विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी में उत्तर देने की अनुमति

विभिन्न विभागीय प्रशासनिक और तकनीकी परीक्षाओं में हिन्दी के वैकल्पिक माध्यम की अनुमति दी जा चुकी है। यह आदेश भी जारी हुए हैं कि सभी विभागीय भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी प्रश्न-पत्र तैयार किए जाएं।

7. कार्यालयों को अधिसूचित करना

प्राधिकरण के 14 क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।

8. राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए स्टाफ

प्राधिकरण के मुख्यालय एवंम् उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में इस समय हिन्दी के कार्य के लिए निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत हैं :—

मुख्यालय में एक सहायक निदेशक (राजभाषा) तथा दो अनुवादक ग्रेड-5

क्षेत्रीय कार्यालय में चार हिन्दी अधिकारी, एक अनुवादक ग्रेड-4, तथा सात अनुवादक ग्रेड-5

9. केवल हिन्दी में कार्य

समूह "घ" कर्मचारियों के साथ समस्त पत्र व्यवहार हिन्दी में किया गया। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए गए। प्राधिकरण ने हर महीने की 14 तारीख को "क" क्षेत्र में स्थित अपने कार्यालयों में समस्त कार्य हिन्दी में करने का भी निर्णय लिया है।

10. राजभाषा निरीक्षण

राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वियम को देखने के लिए प्राधिकरण में मुख्यालय में एक राजभाषा निरीक्षण दल गठित है। यह निरीक्षण दल वर्ष के प्रारम्भ में अपने कार्यालयों का निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाता है। इस दल ने वर्ष 1986 में पांच विभिन्न नगरों में स्थित दस कार्यालयों का निरीक्षण किया।

11. हिन्दी में टिप्पण और आलेखन के लिए नकद पुरस्कार योजना

प्राधिकरण के मुख्यालय और उसके सभी मुख्य क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी में टिप्पण और आलेखन करने वाले कर्मचारियों के लिए नकद पुरस्कार योजना लागू है। वर्ष 1986 में इस योजना में आठ कर्मचारियों ने भाग लिया।

12. कार्यशालाओं का आयोजन

वर्ष 1986 के दौरान प्राधिकरण के छः कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 200 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के अन्त में प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र जारी किए। कार्यशालाओं के आयोजन के बाद काफी कर्मचारियों ने अपना काम हिन्दी में करना प्रारम्भ कर दिया है।

13. प्राधिकरण का लोगो एवं तार का पता

प्राधिकरण का प्रतीक चिह्न (लोगो) तथा तार का पता दोनों भाषाओं में हैं।

14. हिन्दी सप्ताह/दिवस का आयोजन

वर्ष 1986 में प्राधिकरण के दिल्ली, बम्बई और इलाहाबाद स्थित कार्यालयों में हिन्दी सप्ताह मनाए गए। सप्ताह में लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिए गए।

—मंगत राम धस्माना

हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन

1. महालेखाकार (लेखा) तमिलनाडु, मद्रास

कार्यालय मुख्य महालेखाकार (ले. एवं हक) तमिलनाडु, मद्रास-18 में हिंदी सप्ताह समारोह दिनांक 23-02-87 से 2-3-87 तक मनाया गया ।

दिनांक 23-02-87 को समारोह का उदद्याटन श्री वी. सुन्दरसेन, मुख्य महालेखाकार (ले. एवं. हक) तमिलनाडु के हाथों संपन्न हुआ । श्री शशि भूषण प्रसाद, उपनिदेशक (दक्षिण), हिंदी शिक्षण योजना, मद्रास-6 हमारे मुख्य मेहमान रहे । कार्यालय के सदस्यों द्वारा हिंदी नाटक "कोरा कागज" खेला गया ।

24-02-87 को हिंदी संगीत प्रतियोगिता चलाई गई जिसमें श्रीमती अन्नपूर्णी कार्यालय की भूतपूर्व हिंदी प्राध्यापिका एवं श्रीमती गंगा, उप-महालेखाकार (पेंशन) जज बनीं। बारह प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया ।

दिनांक 25-02-87 को हिंदी में भाषण प्रतियोगिता चलाई गई । श्री. आर. वेंकटकृष्णन् वरिष्ठ उप महालेखाकार (निधि) एवं श्री आर राममूर्ति सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना इसके जज थे । 10 प्रतियोगियों ने इसमें भाग लिया । प्रतियोगिता की समाप्ति पर श्री राममूर्ति ने तमिलनाडु में हिंदी की स्थिति के बारे में भाषण दिया । श्री वी. माधवन उप महालेखाकार (लेखा) मुख्य अतिथि रहे । दिनांक 26-02-87 की हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता चलाई गई । कनिष्ठ तथा वरिष्ठ श्रेणी के प्रतियोगियों को अलग-अलग विषय दिए गए । श्रीमती गीता जोन्स, हिंदी प्राध्यापिका तथा कुमारी राधा अय्यर ने निर्णायक का कार्य किया । तेरह प्रतियोगियों ने इस में भाग लिया ।

अन्तिम दिन हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता चलाई गई । श्रीमती गीता जोन्स एवं कुमारी राधा अय्यर इसकी जज बनीं । पन्द्रह सदस्यों ने इसमें भाग लिया ।

2. विशाखापत्तनम ड्रेजिंग कार्पोरेशन

विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के कार्यालय में इस वर्ष 31 मार्च से 6 अप्रैल, 1987 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । सप्ताह का प्रारंभ हिन्दी प्रदर्शनी के निगम के प्रबंधक (प्रशासन) एवं राजभाषा अधिकारी श्री द्वारकावास द्वारा उदघाटन हुआ । तत्पश्चात् हिन्दी निबन्ध, हिन्दी वाक् प्रतियोगिता, हिन्दी टाइप और टिप्पण तथा प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । कार्यालय के अधिकांश कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

दिनांक 6 अप्रैल को सप्ताह का समापन मुख्य अतिथि, भारत सरकार के गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर के उप निदेशक श्री रामचन्द्र मिश्र द्वारा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को पुरस्कार प्रदान कर सम्पन्न हुआ । निदेशक श्री अप्पाजी, महा-प्रबन्धक एवं राजभाषा कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष श्री वर्मा ने सरल और बोलचाल की हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया और राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए अपना कर्तव्य मानकर अपनाने के लिए अनुरोध किया । उन्होंने कहा कि हिन्दी का स्वरूप ऐसा हो जिसे हर देशवासी मन से अपना सके। समारोह के अन्त में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें हिन्दी व तेलुगु के मधुर गीत भी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए। संचालन हिन्दी अधिकारी श्री जी. रामनारायण द्वारा किया गया ।

3. सिकन्दराबाद में अखिल भारतीय रेल हिन्दी सप्ताह

"वर्तमान संकट की घड़ी में यदि हमें देश की एकता को बानए रखना है तो हिन्दी को संपर्क भाषा के रूप विकसित करना ही होगा, क्योंकि हिन्दी देश को जोड़ने की भाषा है, तोड़ने की नहीं "ये शब्द रेल राज्य मंत्री श्री माधव राव सिंधिया ने 9 फरवरी, 1987 को सिकन्दराबाद में 11वें अखिल भारतीय रेल हिन्दी सप्ताह का उदद्याटन करते हुए कहे । इस समारोह की अध्यक्षता डा. सी. नारायण रेड्डी, कुलपति, सार्वत्रिक विश्वविद्यालय हैदराबाद ने की । उपस्थित जनसमूह का स्वागत करते हुए दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री पी. के. श्रीनिवासन ने बताया कि भारतीय रेलों में आयु में सबसे छोटी होते हुए भी दक्षिण मध्य रेलवे ने राजभाषा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं । हिन्दी में आरक्षण चार्ट शुरु करने का श्रेय इसी रेलवे को है ।

श्री प्रकाश नारायण अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलों पर राजभाषा के उत्तरोत्तर बढ़ते प्रयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयों और मंत्रालयों की तुलना में भारतीय रेलवे पर हिन्दी में सर्वाधिक कार्य हो रहा है । श्री शिवसागर मिश्र, निदेशक, (राजभाषा) रेलवे बोर्ड ने अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी सप्ताह आयोजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला । इस अवसर पर मंत्री जी ने 120 से अधिक रेलकर्मियों को राजभाषा शील्ड, ट्रॉफी, पदक और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए । अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए "रेल

मंत्री राजभाषा शील्ड" दक्षिण मध्य रेलवे को प्रदान की गयी और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर रेलवे को । ग्यारह अधिकारियों को भी हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया । अंत में डा. रेड्डी ने अध्यक्षीय भाषण दिया । मुख्य समारोह से पूर्व मंत्री जी ने राजभाषा प्रदर्शनी का उद्‌घाटन किया, जिसमें सभी क्षेत्रीय रेलों में राजभाषा विषयक प्रगति की एक झलक प्रस्तुत की गई थी ।

10 फरवरी, 1987 को रेल निलयम प्रेक्षागृह, सिकन्दराबाद में "हिन्दी के विकास के लिए त्रिभाषा फार्मूला आवश्यक है" विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार श्री शंकर दयाल सिंह ने की । विषय प्रस्तावना करते हुए श्री शिवसागर मिश्र, निदेशक, (राजभाषा) रेलवे बोर्ड ने बताया कि सदियों से भारत की सांस्कृतिक एकता अक्षुण्ण रही है और अनेक लोगों की यह धारणा कि अंग्रेजी ने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की है, एक छलावा ही है। वस्तुत किसी देश की एकता वहां की भाषा और संस्कृति से ही स्थिर रह सकती है। विषय को आगे बढ़ाते हुए बेंगलूर के हिन्दी विद्वान श्री पी.आर. नारायण ने कहा कि अब समय हिन्दी के गुणगान का नहीं, हिन्दी को राजभाषा के पद पर वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित करने का है। रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य श्री राधाकृष्ण मूर्ति ने अपने भाषण में कहा कि यदि पूरे देश में हिन्दी समझी जाती है तो उसका श्रेय सिर्फ राजनीति को नहीं, बल्कि उन निःस्वार्थ देशभक्त हिन्दी प्रचारकों को है, जो महात्मा गांधी के आह्वान पर राष्ट्रीय संग्राम के एक सिपाही के रूप में हिन्दी के प्रचार के क्षेत्र में कूद पड़े थे और आज भी तमाम कठिनाइयों के बावजूद ये प्रचारक और स्वैच्छिक संस्थाएं हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन में संलग्न हैं। दिल्ली से पधारे हिन्दी के कवि डा. बलदेव वंशी ने अंग्रेजी से जुड़े रहने की कटु आलोचना की। श्री शंकर दयाल सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वस्तुतः भाषा का प्रश्न रोजी-रोटी का प्रश्न है और जब तक हिन्दी रोजी-रोटी की भाषा नहीं बनती, तब तक इसका विकास असंभव है।

4. कलकत्ता : हिन्दुस्तान कागज निगम

कुछ समय पूर्व हिन्दुस्तान कागज निगम के मुख्यालय में राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया गया और राजभाषा कार्यशाला भी चलाई गई।

सप्ताह का उद्‌घाटन निगम के निदेशक (तकनीकी) डा. अ. पण्डा ने निदेशक (परियोजना) श्री वी.टी.-श्रीधरन की अध्यक्षता में किया। डा. पण्डा ने अपने वक्तव्य के दौरान स्पष्ट किया कि हिन्दी हमारे देश की सांस्कृतिक भाषा है इसलिए इसका स्वतः महत्व है। श्री श्रीधरन ने बताया कि हिन्दी अब सीखने की नहीं, काम करने की चीज है। इस अवसर पर मुख्यालय के साथ-साथ पंजित कार्यालय के वे सब कर्मचारी उपस्थित थे जिन्हें कार्यशाला में भाग लेने के लिए नामित किया गया था ।

इस सप्ताह के दौरान अधिकांश कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने हिन्दी में हस्ताक्षर करने के साथ-साथ हिन्दी में काम भी किया।

कार्यशाला समापन समारोह 8 अक्तूबर, 86 को हुआ जिसकी अध्यक्षता डा. पण्डा (तकनीकी) ने की और मुख्य अतिथि थे साहित्य सेवी डा. पाण्डुरंग राव । इसी अवसर पर हिन्दी शिक्षण योजना के उप निदेशक (पूर्व) श्री धनीराम कोष्ठी ने भी भाषण दिया।

डा. पाण्डुरंग राव ने जो भारतीय भाषा परिषद के निदेशक हैं, कहा कि हिन्दी को वाद और विवाद से दूर रखा जाए तभी हम उन्नति कर सकेंगे। श्री कोष्ठी ने बताया कि अभ्यास कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना देता है।

सभी आगन्तुकों को साधुवाद देते हुए निगम के महाप्रबन्धक (कार्मिक) एवम् प्रशासन) श्री ज्ञान दत्त शर्मा ने आश्वासन दिया कि वे, निरन्तर कोशिश करते रहेंगे कि जो सुझाव दिए गए हैं उनका पूरे तौर पर पालन करते रहें।

इसी अवसर पर हिन्दी परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार राशि भी वितरित की गई।

5. चांदा – आर्डनैन्स फैक्टरी

आर्डनेंस फैक्टरी चांदा में गत वर्ष हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। काव्य-पाठ, वादविवाद एवं निबंध-लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

प्रतियोगिताओं में आर्डनेंस फैक्टरी चांदा एवं इससे संबंधित प्रतिष्ठानों के सभी वर्गों के कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। काव्यपाठ एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता में निर्णायकों के रूप में शिक्षा शास्त्रियों को आमंत्रित किया गया था।

हिन्दी सप्ताह के आयोजन में फैक्टरी के महाप्रबंधक श्री एस.आर. सभापति, संयुक्त महाप्रबंधक श्री व्ही. पद्मनाभन, श्री देवप्रकाश गोयल, श्री अशोक कुमार आदि ने आयोजकों, प्रतियोगियों तथा श्रोताओं का मनोबल ऊंचा किया तथा सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। अन्त में विजेताओं को महाप्रबंधक ने पुरस्कार प्रदान किए।

6. भारतीय सेना की 282 मध्यम रेजीमेंट

यूनिट में 10 मार्च को हिन्दी दिवस हिन्दी समिति के अधीन मनाया गया। समिति ने हिन्दी दिवस के दिन की प्रगति हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए।—

(1) हिन्दी दिवस के दिन यूनिट कार्यालय में हिन्दी में काम हुआ।
(2) हिन्दी के पत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
(3) रेजीमेंट के आर्डर हिन्दी में प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) अहिन्दी भाषी सैनिकों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(5) भविष्य में हिन्दी की निबन्ध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया व विजेताओं को उचित पारितोषिक वितरण किया जाएगा।

3. अन्त में कप्तान आजाद सिंह डागर, अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में यह सुझाव दिया कि हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए हम इसके उत्थान में कार्य करते रहेंगे व हम सबका यह फर्ज है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक रूप में अपनायें। इसी के साथ बैठक समाप्त हुई।

7. आकाशवाणी, नई दिल्ली

आकाशवाणी दिल्ली में हिन्दी परिषद की ओर से हिन्दी हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह के दिन "राज भाषा हिन्दी, चुनौतियां और संभावनाएं" विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जिसमें रेल मंत्रालय के निदेशक (राज भाषा) श्री शिवसागर मिश्र और भूतपूर्व सांसद श्री मन्नूलाल द्विवेदी आमंत्रित थे। गोष्ठी की अध्यक्षता आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री अमृत राव शिन्दे ने की।

गोष्ठी का आरम्भ करते हुए आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र निदेशक श्री शिवकुमार शर्मा ने कहा कि हिन्दी राजभाषा है और सभी का यह कर्तव्य है कि अपना काम काज हिन्दी में करें। हिन्दी सप्ताह मनाने का प्रयोजन मात्र यह नहीं है कि एक सप्ताह तो अपना काम हिन्दी में करें लेकिन बाद में हिन्दी में काम करना भूल जाएं। हमें हिन्दी भाषा के प्रति लगाव रखना है और हिन्दी में काम करना आसान है। हिन्दी में काम करने से न केवल काम-काज आसान होगा बल्कि राज-भाषा हिन्दी के विकास में हम अपना योगदान देंगे। श्री शर्मा ने अपने कार्यालय आकाशवाणी में पिछले साल की हिन्दी की प्रगति का ब्यौरा देते हुए कहा कि आकशवाणी के दिल्ली केन्द्र पर हिन्दी में काफी काम हो रहा है और गत वर्ष 80 प्रतिशत हिन्दी में काम हुआ है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी काम करेंगे तो आकाशवाणी में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में होने लगेगा।

गोष्ठी का आरम्भ करते हुए भू.पू. सांसद श्री मन्नूलाल द्विवेदी ने कहा कि हमारा कर्त्तव्य है कि हम सभी सरकारी कर्मचारी राजभाषा हिन्दी के सामने आने वाली चुनौतियों का मामना करते हुए हिन्दी में काम करें। उन्होंने हिन्दी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने और संविधान में मान्यता देने के इतिहास को बताते हुए कहा कि जब हिन्दी में विधान का प्रारूप बना तो हिन्दी पाठ पर 282 सदस्यों ने, और अंग्रेजी पाठ पर 278 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।

भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के संदर्भ में हिन्दी भाषा के महत्व और इतिहास को बताते हुए रेल मंत्रालय के निदेशक (राजभाषा) श्री शिवसागर मिश्र ने कहा कि हमारे देश में हिन्दी ऐसी भाषा है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि भाषा संस्कृति की संवाहिका होती है। हम अपनी परम्परा और जीवन मूल्यों से कटते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि हमारे देश में जो भी आया, जो भी संस्कृति आई, वह हमारी संस्कृति के साथ घुलमिल गई। राज भाषा हिन्दी चुनौतियां और संभावनाओं के संदर्भ में श्री मिश्र ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम हिन्दी भाषा की उपेक्षा कर रहे हैं। संभावनाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हिन्दी के उज्जवल भविष्य की काफी संभावनाएं हैं। रेल मंत्रालय का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय में काफी काम हिन्दी में हो रहा है और हिन्दी के प्रति उपेक्षा भाव को समाप्त करना होगा और संकल्प लेकर चलना होगा।

चर्चा में भाग लेते हुए आकाशवाणी के हिन्दी प्रोड्यूसर डा. आर.के. माहेश्वरी ने कहा कि यदि हम हिन्दी में काम करने का संकल्प लेंगे तो हिन्दी भाषा पनपेगी। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा के सामने अनेक चुनौतियां हैं। हमें हिन्दी भाषा के साथ अन्य भाषा में भी दक्ष होना चाहिए। भारत के ऐसे कुछ राज्य हैं—मिजोरम, लक्षद्वीप; जहां हिन्दी का प्रयोग नहीं है। हिन्दी अधिकारियों को वहां भेजा जाए और हिन्दी में काम करने की प्रेरणा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उच्च प्रतियोगिताओं में, उच्चशिक्षा में हिन्दी को महत्व नहीं मिलेगा तब तक हिन्दी का पूरा विकास नहीं हो सकता।

अपने अध्यक्षीय भाषण में आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री अमृतराव शिन्दे ने कहा कि भाषा का संबंध हमारी संस्कृति से है। लेकिन हिन्दी समृद्ध भाषा है और देश की एकता में इस भाषा ने अपना काफी योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा को हमने अपनाया नहीं; लेकिन सरकारी काम-काज अंग्रेजी में हम करते हैं। इसलिए आवश्यकता, इस बात की है कि अधिक से अधिक लोग हिन्दी सीखें ही नहीं, बल्कि हिन्दी को अपनाएं भी। जब हिन्दी को अपनाने का चिन्तन आरम्भ होगा, सोचना शुरू होगा, तभी हिन्दी को फायदा मिलेगा और देश की हम सेवा कर सकेंगे। गोष्ठी में आकाशवाणी के सहायक केन्द्र निदेशक के.सी. स्वामी और आकाशवाणी के स्टाफ ट्रेनिंग के उपनिदेशक डा. मदन मोहन सिन्हा ने भी हिन्दी भाषा की संभावनाओं पर अपने विचार प्रकट किए।

गोष्ठी के संचालक डा. श्याम शर्मा ने सभी आगन्तुक अतिथियों और श्रोताओं को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर श्री अमृतराव शिन्दे, अतिरिक्त महा निदेशक आकाशवाणी ने आकाशवाणी दिल्ली में काम करने वाले तीन अधिकारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार दिया। इसके लिए श्रीमती इन्दुरमेश कार्यक्रम अधिकारी, श्री हरवंस लाल प्रशासन विभाग और श्री ओ.पी. आनन्द को चुना गया।

8. नई दिल्ली : भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड

भारत सरकार मुद्रणालय में 27-4-87 से 1-5-87 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान हिन्दी टिप्पण व आलेखन, हिन्दी टंकण तथा हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिन्दी टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिता में श्री नारायण सिंह, उ. श्रे. लि. ने प्रथम स्थान, श्री लक्ष्मी चन्द, उ. श्रे. लि. ने द्वितीय स्थान और श्री जे. सी. भट्टाचार्यजी व श्री सुशील कुमार मुखर्जी लेखाकार ने जो "ग" क्षेत्र से हैं सांत्वना पुरस्कार जीते। हिन्दी टंकण प्रतियोगिता में श्री लक्ष्मी नारायण चावला, श्री ओम प्रकाश, श्री ईशवर दत्त ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः प्राप्त किए। हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में श्री चोकस राम, श्री शाम सिंह तथा श्री ईशवर दत्त ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए।

दिनांक 26-5-87 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया जिस में मुद्रण निदेशालय से संयुक्त निदेशक श्री आर. डी. राजवंशी आमंत्रित थे। समारोह के प्रारम्भ में श्री नरेन्द्र सिंह ने बताया कि मुद्रणालय द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेजों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाता है। हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। मुद्रणालय में जांच बिन्दुओं की स्थापना की जा चुकी है। मुद्रणालय में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रकाशनार्थ सामग्री को दोनों भाषाओं अर्थात् हिन्दी व अंग्रेजी में स्वीकार किया जाता है अन्यथा लौटा दिया जाता है। इस पर कड़ाई से अमल किया जा रहा है।

मुद्रणालय में 2 कार्यशालाएं की जा चुकी हैं और जिसमें 36 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हाल ही में श्री राधेश्याम व श्री प्रेमनाथ को राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 27-4-87 से 1-5-87 तक आयोजित हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था।

मुख्य अतिथि श्री राजवंशी ने सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया, पुरस्कार जीतने वाले कर्मचारियों को बधाई दी और प्रबंधक श्री वर्मा की राजभाषा कार्यान्वयन में विशेष रुचि लेने की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपनी बात हम अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी में सहजता और सरलता से कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए अधिक प्रयत्न किए जाएं। तत्पश्चात् उन्होंने विजयी कर्मचारियों को पुरस्कार दिए।

प्रबन्धक श्री सुशील कुमार वर्मा ने अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का आह्वान किया तथा प्रेस के सभी वर्ग के कर्मचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

नरेन्द्र सिंह,
हिन्दी अधिकारी

9. दिल्ली – रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र

डेसीडाक, मैटकाफ भवन, दिल्ली में 23 मार्च 1987 से लेकर 27 मार्च 1987 तक हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन डेसीडाक के निदेशक श्री एस. एस. मूर्ति ने दीपक प्रज्वलित करके किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता विधि मन्त्रालय के अपर सचिव श्री ब्रज किशोर शर्मा ने की। हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन करते हुए श्री मूर्ति ने सभी कर्मचारियों का आवहान किया कि राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें। अध्यक्ष श्री शर्मा ने "राजभाषा अधिनियम और अनुपालन" विषय पर चर्चा की। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी टिप्पण और आलेखन, श्रुत लेख और सुलेख, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी निबन्ध, कविता पाठ, हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि की प्रतियोगिताएं हुई। सभी को प्रोत्साहन देने के लिए उपरोक्त प्रतियोगिताओं में वैज्ञानिक, गैर वैज्ञानिक, चतुर्थ श्रेणी तथा अहिन्दी भाषियों के अलग-अलग वर्ग बनाए गए तथा 36 पुरस्कार घोषित किए गए। इन सब प्रतियोगिताओं में 56 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में राजभाषा हिन्दी संबंधी विशेष वार्ताओं का आयोजन किया गया। 24 मार्च को "सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग" विषय पर हिन्दी अकादमी दिल्ली के सचिव डा. नारायण दत्त पालीवाल ने वार्ता दी।

25 मार्च 87 को आई. आर. डी. ई., देहरादून से आमंत्रित डा. महेश कुमार शर्मा ने "हिन्दी में तकनीकी लेखन तथा पर्यावरण" तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के (अवकाश प्राप्त) डा. रणवीर रांग्रा ने "रक्षा वैज्ञानिक शब्दावली" विषय पर भाषण दिए। 26 मार्च 87 को राजभाषा विभाग के निदेशक डा. महेश चन्द गुप्ता ने "वैज्ञानिक क्षेत्र में हिन्दी का उपयोग" विषय पर बोलते हुए बताया कि सेंट्रल पी. डब्लू. डी., केन्द्रीय जल आयोग के कई इंजीनियरिंग और उच्च तकनीकी विभागों में सारा काम-काज हिन्दी में होता है। उन्होंने हिन्दी में काम-काज करने के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रानिकी उपकरणों वर्ड प्रोसेसर कम्प्यूटर तथा द्विभाषी हिन्दी-अंग्रेजी इलेक्ट्रानिकी टाइपराइटरों के बारे में भी जानकारी दी। समापन समारोह पर आयोजित कवि सम्मेलन में वायु सेना के एयर कमोडोर श्री विश्व मोहन तिवारी, राजभाषा विभाग के निदेशक डा. धर्मवीर, तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक श्री सोमदत्त दीक्षित तथा कृषि अनुसंधान की वैज्ञानिक श्रीमती रंजना अग्रवाल ने भी अपनी कविताएं पढ़ीं। कवि सम्मेलन का उद्घाटन डा. बरसाने लाल चतुर्वेदी तथा संचालक डा. वीरेन्द्र सक्सेना ने किया।

—कुसुमाकर सुकुल

हिन्दी कार्यशालाएं

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग हैदराबाद

हैदराबाद स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के दक्षिण मध्य सर्किल के चारों निदेशालयों की सामूहिक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दि. 12-1-87 से 16-1-87 तक किया गया। कार्यशाला का संचालन कर्नल आर. एन. श्रीवास्तव उप निदेशक ने किया और इस कार्यशाला में 36 अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में लेखा, प्रशासन, कार्यालय प्रद्धति, पदनाम, फाईलों पर लिखी जाने वाली भंडार शब्दावली एवं तकनीकी से संबंधित पाठों को तैयार कराकर वितरित किया गया। कार्यशाला के अंत में एक प्रतियोगिता परीक्षा भी रखी गई और पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यशाला का समापन दि. 16-1-87 को किया गया जिसके लिए मुख्य अतिथि डा. भीमसेन निर्मल, आचार्य एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद को आमंत्रित किया गया था।

नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति (हैदराबाद) के अध्यक्ष श्री बी. वी. सिन्हा ने उप निदेशक (स. प्र. सं.) मुख्य अतिथि आमंत्रित सज्जनों तथा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने स्वागत भाषण में इस तरह की कार्यशालायें आयोजित की जाने पर हर्ष व्यक्त किया तथा राजभाषा को और भी समृद्ध बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सचिव कर्नल आर. एन. श्रीवास्तव ने हैदराबाद में स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के चारों निदेशालयों में हुई हिन्दी प्रगति पर एक रिपोर्ट पेश की। दक्षिण मध्य सर्किल के निदेशक श्री एस. सी. गोगिया ने प्रतिभागियों के इस प्रयास पर हर्ष व्यक्त किया और इस महत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों से और भी सहयोग देने का आग्रह किया। बाद में सर्वश्री बी. एस. रावत तथा ए. एस. शर्मा ने हिन्दी में अपनी कविताएं सुनाई तथा मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। मुख्य अतिथि श्री भीमसेन निर्मल ने अपने भाषण में अनुवाद की समस्याएं हिन्दी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति तथा राजभाषा कार्यान्वियन में होने वाले अवरोध तथा समाधान आदि पर अपना मत व्यक्त किया। समारोह के अध्यक्ष कर्नल पी. एम. लक्ष्मण, वरिष्ठ निदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आमंत्रित सज्जनों को संबोधित करते हुए इस कार्यशाला का लाभ उठाने तथा यहां सीखे हुए विषयों को अपने दैनिक कार्यालयीन कामकाज में अपनाने का आग्रह किया।

2. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क समाहर्तालय बेंगलूर

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क समाहर्तालय बेंगलूर में दिनांक 23-3-87 से 25-3-87 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन डा. एम. पी. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों द्वारा किया गया। उस अवसर पर समाहर्तालय से उच्च अधिकारी उपस्थित थे। तीन दिन तक चली कार्यशाला में बेंगलूर के उच्च अधिकारियों ने हिन्दी में टिप्पण, प्रारूप आदि लिखने का अभ्यास कराया। प्रारंभिक कक्षाओं में हिन्दी भाषा की संवैधानिक स्थिति तथा केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला गया।

अब तक इस समाहर्तालय ने ऐसी 12 कार्यशालाएं आयोजित की हैं जिनमें कुल मिलाकर 202 कर्मचारियों/अधिकारियों को कार्यालय का काम हिन्दी में करने की उनकी झिझक को मिटाने के अतिरिक्त हिन्दी में अपना दिन-प्रतिदिन का कार्य करने की प्रेरणा दी गयी।

3. के. रिजर्व पुलिस बल, नीमच

हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों की झिझक व संकोच को दूर करने के साथ-साथ राजभाषा को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से दिनांक 4-5-87 से 9-5-87 तक ग्रुप केन्द्र, के. रि. पु. बल नीमच में स्टेशन पर स्थित बल की यूनिटों के कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस में केम्पस की विभिन्न बटालियनों/संस्थानों से 14 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

उद्घाटन श्री वी. एस. नारंग, सहायक कमान्डैंट (प्रशासन) ग्रुप केन्द्र, के. रि. पु. बल नीमच ने किया। श्री नारंग ने अपने सम्बोधन में कहा कि हिन्दी हमारी अपनी भाषा है जिसके लिखने बोलने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमें इस जनभाषा से जुड़ जाना चाहिये। संसार के इने-गिने देशों को छोड़कर कहीं भी अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व नहीं है। हमारे देश में ही अंग्रेजी बोलने व जानने वाले अधिक नहीं है, उन्हें अंगुलियों पर गिना जा सकता है। हिन्दी जो देश की लगभग 75% जनता बोलती व समझती है। हममें से कोई कन्याकुमारी का वासी हो अथवा लद्दाख का चाहे गुजरात का हो या नागालैण्ड का, सभी दूर हिन्दी बोली व समझी जाती है। जब सभी जगह हिन्दी जानने, बोलने व लिखने-पढ़ने वाले अधिक हैं तो सरकारी कामकाज

में हिन्दी का प्रयोग अवश्य होना चाहिए । हम सब को अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक सरकारी कार्य में राजाभाषा का प्रयोग करना ही चाहिए । कामकाज के समय अंग्रेजी शब्दों के पर्याय से बचने के लिए इन्हें यथावत देवनागरी में लिखा जा सकता है । इससे एक तो ये शब्द सभी को आसानी से समझ में आजाएंगे और दूसरा उनके हिन्दी पर्याय खोजने में व्यर्थ समय न खोना पड़ेगा । उदाहरण के लिए रेल, ग्रुप, इंजन, वार्ड, मास्टर, बटालियन, कमान्डर, कर्नल, कलेक्टर, रिपोर्ट, कैंटीन आदि ।

कार्यशाला में सहभागियों को राजभाषा नीति और हमारा उत्तरदायित्व टिप्पणी, प्रशासनिक/लेखा/आडिट एवं विधि आदि शब्दावली, बल में प्रयुक्त होने वाले पत्राचार, हिन्दी वाक्य विन्यास आदि की व्यापक जानकारी दी गई । कार्यशाला में पर्याप्त व्यावहारिक कार्य भी कराया गया । इसमें श्री गणेश कुमार, सहायक कमान्डेन्ट 80 बटालियन एवं श्री डी. आर. यादव, पुलिस उपअधीक्षक, के. प्र. कालेज (प्रथम) सहित अन्य व्याख्याताओं ने हिन्दी के महत्व को बताते हुए हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया। समापन समारोह में अपर पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, के. रि. पु. बल नीमच के विचार व्यक्त किए गए । श्री राधेश्याम पंवार, हिन्दी अनुवादक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही समारोह का समापन सम्पन्न हुआ ।

4. तोपगाड़ी फैक्ट्री, जबलपुर

सरकार की राजभाषा नीति को कारगर ढंग से लागू करने के लिए तोपगाड़ी फैक्टरी में कार्यशाला का 7वां सत्र दिनांक 4-3-1987 से प्रारम्भ हुआ । तोपगाड़ी फैक्टरी जबलपुर, राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सचिव श्री शशिधर डिमरी ने कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कार्यशाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बताया कि वर्ष 87 में 6 कार्यशालाओं के आयोजन का प्रस्ताव है ।

इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वियन समिति के अध्यक्ष एवं तोपगाड़ी फैक्टरी के महा प्रबन्धक श्री वे पलनि-पाण्डि ने अपने भाषण में कहा कि आम आदमी और सरकार के बीच भाषा की खाई नहीं रहनी चाहिए और प्रशासन का कार्य जनता की भाषा में हो, इसी प्रयोजन के लिए भारत के संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाया गया है। सभी स्तरों पर यह प्रयास किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों में रोजमर्रा का काम हिन्दी में बराबर बढ़े । आपने कहा कि कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिन्दी में काम करना मुश्किल है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा में कठिनाई की ऐसी कोई बात नहीं है। हिन्दी में अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को सरलता से प्रयोग किया जा सकता है । समिति के अध्यक्ष एवं तोपगाड़ी फैक्टरी के उपमहाप्रबन्धक (प्रशासन) श्री वि. कु. सिंह ने महाप्रबन्धक के भाषण के पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिन्दी न दुरूह है न अटपटी उसमें शब्द सामर्थ्य है और वह विकसित भी है । कमी है तो आत्मविश्वास के साथ उसके प्रयोग की । आपने मानसिक बदलाव और धैर्यपूर्वक प्रयास करने का अनुरोध करते हुए महाप्रबन्धक को कार्यशाला के 7वें सत्र पर प्रशिक्षार्थियों को प्रेरणा एवं उत्साहवर्द्धन करने के लिए हार्दिक बधाई दी

5. मेरठ के उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय

राजभाषा हिन्दी के प्रति कर्मचारियों में अभिरुचि जागृत करने, एक पूर्णकालिक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गयी । जिसका उद्घाटन डा० शिवानन्द शर्मा ने किया । इस प्रशिक्षण कार्यशाला में कुल 14 कर्मचारियों ने भाग लिया हैं । इस प्रशिक्षण कार्यशाला में कुल 12 व्याख्यान दिए गये। इस कार्यशाला में विभागीय व्याख्यान दाताओं के अतिरिक्त विभागेत्तर व्याख्यान दाता भी सम्मिलित हैं जो कि स्थानीय कालेजों एवं आयकर विभाग से सम्बद्ध हैं ।

समापन समारोह दिनांक 10 सितम्बर, 1986 को डा. रामेश्वर दयाल अग्रवाल, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष हिन्दी, मेरठ कालेज मेरठ द्वारा सम्पन्न हुआ । डा. अग्रवाल ने संक्षेप में हिन्दी का इतिहास और महानता बताते हुए कहा कि हिन्दी देश की ऐसी भाषा है जो जन सम्पर्क और जन सम्बोधन का कार्य करती है और इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है ।

6. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ग्वालियर

दिनांक 21 जनवरी 87 से 28 जनवरी 87 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) में तृतीय हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन महालेखाकार श्री वी. एस. भारद्वाज द्वारा ज्ञान-दीप प्रज्वलित करके किया गया । श्री भारद्वाज ने कहा कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रमानुसार हमें छ: कार्यशालाएं आयोजित करनी है, ताकि हम लक्ष्य के सन्निकट पहुच सकें । कार्यशालाओं का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग हेतु कर्मचारी में व्याप्त झिझक को दूर करना है ।

हिन्दी कार्यशाला का समापन महालेखाकार द्वितीय श्री एस. बी. कृष्णन द्वारा किया गया । समापन समारोह में उन्होंने सभी उपस्थित कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब वह अपने-अपने अनुभागों में जाकर हिन्दी में कार्य कर तभी इस प्रशिक्षण की सार्थकता सिद्ध होगी ।

कार्यक्रम में वरिष्ठ उपमहालेखाकार प्रशासन श्री निरंजन पंत उपमहालेखाकार प्रशासन श्री प्रसेनजित मुखर्जी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन

श्री ओ. पी. सरदाना लेखा अधिकारी (हिन्दी) कक्ष ने किया एवं आभार प्रदर्शन अनिल अग्निहोत्री अनुभाग अधिकारी ने किया ।

7. सेन्ट्रल बैंक, आगरा

सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया आगरा द्वारा एक तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन लिपिक वर्ग हेतु 4-3-87 से 6-3-87 तक किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए आयकर आयुक्त श्री बी. के. मिश्रो ने कहा कि हिन्दी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है । हमें अपने कार्यों में इसका प्रयोग निसंकोच करना चाहिए। बैंक के सहायक महा-प्रबन्धक श्री वी. एस. चौबे ने बैंक द्वारा हिन्दी प्रयोग हेतु उठाये जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए प्रतिभागियों को अपना अधिकतम कार्य हिन्दी में करने की प्रेरणा दी। क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एच. सी. देसाई ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बताया कि सेन्ट्रल बैंक की आगरा क्षेत्र में स्थित शाखाओं में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित किया गया है । हिन्दी में शत प्रतिशत कार्य करने के लिये शाखाओं का चयन भी किया गया है जिसके अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं ।

कार्यशाला का समापन श्री कन्हैया लाल मुंशी हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय के निदेशक डाक्टर गणपति चन्द्र गुप्त ने किया । श्री गुप्त ने कहा कि हम लोग अंग्रेजी के अभ्यस्त हैं इसलिये हिन्दी को अपनाने में संकोच करते हैं। उन्होंने कहा इंग्लैंड में अंग्रेजी का बिल पास होने के बावजूद लागू करने में कठिनाई हुई थी और डा. जोनसन के प्रयासों से 1758 में प्रथम अंग्रेजी शब्दकोष तैयार किया गया था। हम स्वतन्त्र अवश्य हैं मगर मानसिक रूप से अब भी गुलाम हैं इसलिये हिन्दी को अपनाने में हीनता का एहसास करते हैं और अंग्रेजी को महत्व दे रहे हैं । समापन अवसर पर केनरा बैंक के मण्डल प्रबन्धक श्री एस. डी. सूडा ने प्रशिक्षणार्थियों को अपनी शाखाओं में अधिकतम कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रेरणा दी । प्रतिभागियों की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह वर्मा खजान्ची बेलनगंज शाखा आगरा ने अपने विचार प्रस्तुत किये तथा अधिकतम कार्य हिन्दी में करने हेतु आश्वासन दिया ।

श्री शंकर मिश्रा प्रबन्धक तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल संकाय सदस्य प्रशिक्षण केन्द्र केनरा बैंक और डा. राम अवतार शर्मा उपकुल सचिव आगरा विश्वविद्यालय ने श्री सैयद वकील अहमद कादरी के साथ कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया । इस कार्यशाला में एक हिन्दी परिचय प्रति-योगिता का आयोजन किया गया जिसमें सर्वश्री दिनेश चन्द्र गोयल, अरविन्द कुमार एवं राकेश कुमार चौधरी ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया ।

8. मथुरा रिफाइनरी

मथुरा रिफाइनरी के सरकारी कामकाज में राजभाषा को बढ़ावा देने एवं आम कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूझान बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताए एवं कार्यक्रम यहां आयोजित कराए जाते हैं । इसी श्रृखला में, दिनांक 30 मार्च से 1 अप्रैल, 1987 तक एक त्रिदिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन, अधिकारी वर्ग हेतु किया गया।

कार्यशाला में 11 अधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मथुरा रिफाइनरी के मुख्य उत्पादन प्रबंधक, श्री जे. एस. राव ने कहा कि "देश को एक सूत्र में बांध रखने के लिए किसी एक भाषा का होना बहुत जरूरी है और इस काम को हिन्दी बखूबी कर सकती है । देश की प्रगति, देश की भाषा में ही हो सकती है । अत : हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी हो गया है।"

त्रिदिवसीय कार्यशाला में, सर्वश्री महेश चन्द्र मलिक, मुख्यालय, डा. प्रेम मनोचा (पाइपलाइन) मथुरा रिफाइनरी के वरिष्ठ कार्मिक व प्रशासन अधिकारी, श्री दिलबाग राय और हिन्दी अधिकारी श्री माणिक "मृगेश" ने व्याख्यान दिए । कार्यशाला में, प्रतिभागियों को राजभाषा अधिनियम की जानकारी राजभाषा का स्वरुप, वर्तनी की सामान्य भूलें, टिप्पण और प्रारूप लेखन, अनुवाद प्रक्रिया एवं तकनीकी शब्दावली आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई तथा दैनिक कामकाज में आने वाले प्रारूपों का भी अभ्यास कराया गया । तकनीकी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रपत्र भरना भी इस कार्यशाला में सिखाए गए ।

कार्यशाला का समापन करते हुए मुख्य अनुरक्षण प्रबंधक श्री जे. के. वर्मा ने कहा कि 'हिन्दी से तात्पर्य साहित्यिक हिन्दी से नहीं है । आप इसमें सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं । हमें अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए ।"

9. लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर

लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर में आयोजित हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन राजस्थान सरकार के भाषा विभाग के निदेशक डा. कलानाथ शास्त्री द्वारा किया गया तथा अध्यक्षता संस्थान के उप निदेशक श्री राम सेवक गुप्ता ने की।

डा. कलानाथ शास्त्री ने अपने सम्बोधन में सर्वप्रथम कार्यशाला के महत्व पर चर्चा आरम्भ करते हुए बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से कामकाजी हिन्दी दफ्तरों में हिन्दी के प्रयोग को गति मिली है। सरल शब्दों में उन्होंने राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए शासकीय कामकाज में हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में सर्वश्री कैलाश चन्द्र जौहरी, पुरुषोत्तम दास, बी.सी. भण्डारी (कार्यालय महा-लेखाकार), महेश प्रसाद शर्मा (लघु उ. सेवा संस्थान) तथा

आलाराम शर्मा (राजस्थान भाषा विभाग) ने विभिन्न विषयों पर भाषण दिए तथा प्रतियोगियों को लेखन अभ्यास करवाया।

10. कैनरा बैंक, ई दिल्ली

केनरा बैंक के दिल्ली दक्षिण अंचल ने दि. 10-11 नवंबर 1986 को अपने अधिकारी वर्ग हेतु हिंदी कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्घाटन संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग श्री शंभु दयाल ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्जवलित करके किया। श्री दयाल ने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि हममें अपने देश तथा अपनी भाषा के प्रति लगाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें हिंदी को फैलाना ही होगा। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के उपरांत अपना अधिकाधिक कामकाज हिंदी में करने की भी प्रेरणा दी।

बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री के.पी. पै ने भी कर्मचारियों को प्रेरणा दी कि वे हिंदी को दिल से अपनाएं तथा अपना रोजमर्रा का अधिक से अधिक कामकाज हिंदी में करें।

दिनांक 14-15 नवंबर 1986 को बैंकों में दूसरी हिंदी कार्यशाला लिपिक वर्ग स्टाफ के लिए आयोजित की। कार्यशाला में बैंक के मंडल प्रबंधक श्री बी.एन. मूर्ति ने प्रतिभागियों से हिंदी कार्यान्वयन के क्षेत्र में केनरा बैंक का नाम "उज्जवल" बनाए रखने का अनुरोध किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए।

11. टैलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इ. लि., नई दिल्ली

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटड में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री योगेश्वर लाल अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने किया। श्री अग्रवाल ने कहा कि हिंदी कार्यशाला तभी सार्थक होगी जब हम कार्यालय के दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करें। जब तक हम दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते तब तक कार्यशालाओं से लाभ नहीं होगा। उन्होंने बताया कि विदेशों में विभिन्न अवसरों पर उन्होंने हिंदी का प्रयोग किया है और हिंदी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। श्री ओम प्रकाश वर्मा, निदेशक (राजभाषा), दूरसंचार विभाग ने कार्यालय" के दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग-समस्याएं और समाधान" विषय पर एक सरस व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है तथा इसमें दूसरी भाषाओं के शब्द पचाने की सामर्थ्य है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो नए शब्द हमारे सामने आते हैं उन्हें उस रूप में अपनाया जाना चाहिए जिसे अधिकतर लोग समझ सकें। उन्हें उनक मूल रूप से अपनाना भी गलत नहीं है बशर्ते कि वह सरल हो।

दूसरे दिन पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी के हिंदी अधिकारी श्री बी.एस. कस्तूरिया ने "हिंदी में टिप्पणियां तथा प्रारूप लेखन" विषय पर प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से बताया तथा अभ्यास भी कराया। तीसरे दिन श्री रणजीत कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, ने केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति" विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने राजभाषा अधिनियम, नियम और आदेशों के विषय में प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से बताया। चौथे तथा पांचवें दिन कंपनी के सहायक हिंदी अधिकारी श्री सन्त कुमार यादव ने क्रमशः टी.सी. आई.एल. में हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं" तथा सरल हिंदी" विषयों पर जानकारी देते हुए प्रशिक्षणार्थियों को टिप्पणी व मसौदा लेखन का अभ्यास कराया। इस कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को राजभाषा नियमों आदि के विषय में पर्याप्त जानकारी दी गई तथा कार्यालय के दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए पर्याप्त अभ्यास भी कराया गया।

12. महानिदेशालय के. रि. पु. बल, नई दिल्ली

महानिदेशालय के कार्मिकों को हिन्दी में सरकारी कामकाज का अभ्यास कराने के लिए दिनांक 16-2-87 से 28-2-87 तक 10 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन दिनांक 16-2-87 को महानिदेशक, के, रि. पु. बल श्री सतीशचन्द्र पांडेय द्वारा किया गया जिसमें महानिदेशालय के सभी रैंक के अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे। आयोजन में राजभाषा विभाग के निदेशक डा. महेश चन्द्र गुप्त मुख्य अतिथि के नाते आमंत्रित किए गए थे।

अपने स्वागत भाषण में उप निदेशक (प्रशासन) ने महानिदेशक महोदय एवं राजभाषा निदेशक डा. महेशचन्द्र गुप्त का स्वागत करते हुए कहा कि बल में कार्यशाला के आयोजन से अनुकूल प्रभाव पड़ा है और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की मात्रा बडी है जिसकी संसदीय राजभाषा समिति द्वारा भी प्रशंसा की गई है।

महानिदेशक महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वप्रथम हमें राजभाषा अधिनियम एवं नियमों की जानकारी अवश्य हासिल कर लेनी चाहिए। हम सरकारी कर्मचारी हैं अतः सरकार के आदेशों का पालन करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है।

सरकारी कामकाज की भाषा में हमें बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल संयत व ऐसी होनी चाहिए कि वह पढ़ने वालों की समझ में आसानी से आ जाए।

हिन्दी के प्रति समुचित वातावरण बनाने तथा कार्मिकों ने सरकारी काम हिंदी में करने की अभिरुचि उत्पन्न करने की

दृष्टि से समय-समय पर प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि नए-नए प्रयोग किए जाने चाहिए। उन्होंने हिंदी अधिकारी से भी अपेक्षा की कि वे शाखाओं के अधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखें तथा उनसे नोट शीट आदि हिंदी में प्रस्तुत करने का अनुरोध करें।

डा. महेशचन्द्र गुप्त निदेशक, राजभाषा ने राजभाषा की सांविधिक स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हिंन्दी में टिप्पण लिखना बहुत सरल है। बस मन में झिझक व संकोच दूर करने की आवश्यकता है। जटिल व बोझिल शब्दों के प्रयोग से बचा जाए। यदि अंग्रेजी-उर्दू से मिली जुली भाषा भी लिखी जाए तो कोई हर्ज नहीं। हिंदी अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र धस्माना ने महानिदेशक एवं मुख्य अतिथि श्री गुप्त जी के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया तथा कार्यशाला के कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दिया।

कार्यशाला में 15 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा उप निदेशक (प्रशासन) सहित अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा पाठ पढ़ाएं गए। कार्यशाला की सत्रांत परीक्षा ली गई जिसमें उप निदे. (प्रशा.) ने उच्च स्थान पाने वाले प्रथम 10 कार्मिकों को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की, 3 कांस्टेबलों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार की भी घोषणा की गई। उप निदेशक (प्रशा.) ने समापन भाषण में कार्मिकों को संबोधित करते हुए बताया कि कार्यशाला की उपयोगिता तभी सार्थक सिद्ध होगी जब आप यह निश्चित कर लें कि अब से अपना काम हिंदी में करना है। तथा अपने साथियों व सहयोगियों को भी हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करना है।

13. इंजीनियर्स इंडिया लि. नई दिल्ली

ईआईएल प्रशिक्षण केन्द्र पर 2 दिन की 2 हिंदी कार्यशालाएं 12 और 13 मार्च तथा 11 और 12 मई, 1987 को क्रमशः स्तर 12 से 14 के अधिकारियों और 3 से 5 के कर्मचारियों के लिए लगाई गई। पहली कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा विभाग के निदेशक (अनुसंधान) डा. महेशचन्द्र गुप्त आमंत्रित थे। कार्यशाला का उद्घाटन कंपनी के महाप्रबंधक डा० नारायण प्रसाद अग्रवाल ने किया। कार्यशाला में 27 अधिकारियों ने भाग लिया जिससे हिंदी के प्रति उनकी रुचि का आभास मिलता था। दूसरी कार्यशाला का उद्घाटन महाप्रबंधक श्री आर सी. पी. चौधरी ने किया। डा. अग्रवाल ने अधिकारियों का आह्वान किया कि हिंदी बोलने और लिखने में हम सभी को गर्व अनुभव करना चाहिए उन्होंने कहा कि हमें घर में अपने बच्चों के साथ हिंदी में बात करनी चाहिए। कार्यालय में जितना काम हम हिंदी में कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हिंदी बड़ी उन्नत और समृद्ध भाषा है। हिंदी भाषा की उन्नति से ही देश की प्रगति और एकता जुड़ी हुई है।

डा. गुप्त ने कहा कि हम यह मानकर चल रहे हैं कि जितने अधिकारी कार्यशाला में उपस्थित हैं वे सभी हिन्दी में काम करने की इच्छा लेकर आए हैं। उन्होंने हिंदी के प्रयोग के प्रति राजभाषा अधिनियम और नियमों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कार्य शुरू कर दीजिए और दो-तीन सप्ताह में सभी बड़ी आसानी से अच्छी हिंदी लिखने लगेंगे। डा. गुप्त ने कहा कि ईआईएल में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 35 बैठकें अब तक हो चुकी हैं लेकिन हिंदी की प्रगति उतनी दिखाई नहीं देती। हिंदी ने देश को शताब्दियों से एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़े रखा है। विदेशी शासनकाल में भी हिंदी का खूब प्रयोग होता रहा। अब जो अंग्रेजियत बढ़ी हुई नजर आती है इसे हम और आप मिलकर ही कम कर सकते हैं।

11 और 12 मई की कार्यशाला में श्री आर.सी.पी. चौधरी, श्री कृष्ण कुमार पांडेय, श्री आर. पी. एस. लूथर, श्री सुनील घुल्यानी और श्री हरशरन गोयल उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। श्री चौधरी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हम हिंदी कार्यशाला में इस भावना से इकट्ठे हुए हैं कि हिंन्दी में काम करने में कोई झिझक यदि रहती है तो उसे कैसे दूर करें? हम घरों में तो हिंन्दी बोलते हैं लेकिन आफिस में आकर क्यों नहीं बोलते? अधिकांश लोगों ने हिंदी में सारी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन दफ्तरों में अंग्रेजी का माहौल पाकर हिंदी लिखना भूल जाते हैं। देश के किसी भी कोने में चले जाएं आपका काम हिंदी से तो चल सकता है लेकिन केवल अंग्रेजी आपकी सहायता नहीं कर सकती। हिंदी सभी प्रांतों को जोड़ने की भाषा है।

दोनों कार्यशालाओं में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह लूथर ने कहा कि कम्पनी जिस प्रकार अन्य कार्य करने में आगे रहती है इसी प्रकार हमें हिंन्दी में भी अधिक से अधिक कार्य करके यह दिखाना चाहिए कि कम्पनी हिन्दी में कार्य करने में भी आगे है। राजभाषा विभाग के श्री मनोहर लाल मैत्रेय ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर व्यावहारिक प्रकाश डालते हुए प्रमाण-पत्र, चेक, मानक मसौदे नोटिंग-ड्राफ्टिंग आदि कार्य हिन्दी में करने पर बल दिया। श्री हरशरन गोयल ने डा० गुप्त, डा० अग्रवाल, श्री मैत्रेय तथा अन्य उपस्थित सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए अनुरोध किया कि हिन्दी के प्रति निष्ठा बनाए रखना चाहिए। अपने निजी पत्र-व्यवहार में, मित्रों, रिश्तेदारों और संबंधियों को पत्र भेजने में हिन्दी का प्रयोग करें।

दूसरी कार्यशाला में श्री सुनीत घुल्यानी ने धन्यवाद करते हुए अनुरोध किया कि हिन्दी में काम करना जब तक शुरू नहीं किया जाएगा, हिन्दी बढ़ नहीं सकेगी। इसलिए हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण लेने के बाद यदि थोड़ा-थोड़ा काम भी सभी व्यक्ति हिन्दी में करेंगे तो हिन्दी का प्रचार और प्रसार सरलता से हो सकेगा।

14. गैस अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली

गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मुख्यालय में वर्ष की प्रथम हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 23 फरवरी, 1987 से 24 फरवरी, 1987 तक किया गया। कार्यशाला में 10 गैस-कार्यपालकों ने भाग लिया।

उद्घाटन, निदेशक (योजना), श्री ए० सी० कपाडिया ने किया। राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का उल्लेख करते हुए कु० अनिता टकरु, वरिष्ठ प्रबन्धक (का/प्र०) ने बताया कि कार्यालय की स्थापना अगस्त, 1984 में हुई। आरम्भ से ही इस कार्यालय में राजभाषा से संबंधित नियमों के अनुपालन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। हिन्दी सलाहकार श्री प्रेम लाल कनौजिया ने बताया कि आरम्भ से अब तक हिन्दी दिवस, हिन्दी कार्यशालाएं निबन्ध प्रतियोगिता, हिन्दी अनुवाद प्रशिक्षण हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता पा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा जारी की गई सभी पुरस्कार योजनाएं इस कार्यलय में लागू हैं। जिन मदों में हिन्दी तथा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना है, उनमें हमें पर्याप्त सफलता मिल पाई है।

कार्यशाला का समापन, श्री कालीचरण शर्मा, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा सदस्य हिन्दी सलाहकार समिति, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया। श्री शर्मा ने गेल में हिन्दी में किये गए कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि हिन्दी देश भर में बोली और समझी जाने वाली सरल एवं सुबोध भाषा है। इसी भाषा के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन सफल हुए और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए हमें हिन्दी का निरन्तर प्रयोग करना चाहिए।

"दक्षिण भारत म हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ रही है" न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट

अमेरिका के प्रसिद्ध समाचार पत्र 'दि न्यूयार्क टाइम्स' ने मद्रास से भेजे गये एक समाचार में कहा है कि तमाम विरोधी हंगामों के बावजूद दक्षिण भारत में हिन्दी सहज शांत भाव से अपना सम्मानीय स्थान ग्रहण करती जा रही है। ऐसा आर्थिक और सामाजिक कारणों से हो रहा है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभी नहीं हो पाया है किन्तु मद्रास के कुछ क्षेत्रों तथा अन्य शहरों में हिन्दी को स्वीकारने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। समाचार पत्र के अनुसार हालांकि दक्षिण में दूरदर्शन के हिन्दी धारावाहिकों, सोप-ओपेरा आदि कार्यक्रमों के प्रशंसक कम हैं फिर भी इन्हें पसन्द करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस पत्र के अनुसार हिन्दी चलचित्र व हिन्दी गीत दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। हजारों नवयुवक, उत्तर भारत में अथवा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नौकरियां पाने के लिए हिन्दी भाषा सीख रहे हैं। पत्र के संवाददाता ने लिखा है कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के एक विद्यालय में अनेक विद्यार्थी हिन्दी भाषा की कक्षाओं के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि कुछ समय पहले इसी विद्यालय परिसर में हिंन्दी-विरोधियों द्वारा बम रखें गये थे। पत्र कहता है कि हिंन्दी को स्वीकारने की प्रवृत्ति के पीछे भारतीय राज्यों का एक दूसर के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर होना एक प्रमुख कारण है। पत्र के संवाददाता को एक हिन्दी सीखने की इच्छुक एक युवती ने कहा कि हिन्दी विरोध से उसे कोई मतलब नहीं, वह अपने व्यवसाय की दृष्टि से और दूरदर्शन कायक्रमों को देखने के लिए हिन्दी सीखना चाहती हैं। एक व्यापारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिन्दी नहीं जानता तो वह उतर भारत में अपना व्यापार नहीं चला सकता।

'दि ट्रिब्यून' से साभार

मद्रास शहर में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के माध्यम से हिन्दी पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या

पाठ्यक्रम	1985	1986
	(फरवरी और अगस्त सत्र)	
प्राथमिक (प्राइमरी स्तर)	23755	26511
मध्मा (मिडिल स्तर)	17561	16812

पाठ्यक्रम	1985	1986
	फरवरी और अगस्त सत्र	
राष्ट्रभाषा (एस०एस०एल०सी० स्तर	14381	11518
प्रवेशिका (इन्टर स्तर)	9601	9112
विशारद (डिग्री स्तर)	6752	7052
राष्ट्रभाषा प्रवीण (स्नातकोतर स्तर)	3832	4132

3. संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति का ग्रुप, केन्द्र, पल्लीपुरम में दौरा

दिनांक 18-10-86 से 21-10-86 तक तिरुअनंतपुरम में संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों का दौरा कर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का जायजा लिया। उप समिति के निरीक्षण का समन्वय कार्य अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल, पल्लीपुरम को दिया गया था जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। दिनांक 21-10-86 को उप समिति ने ग्रुप केन्द्र पल्लीपुरम का भी दौरा किया तथा उन्होंने निम्नलिखित उद्गार व्यक्त किए :

1. अच्छा संगठन सुदृढ़ अनुशासन।
(श्री नरेश चन्द चतुर्वेदी, संसद सदस्य)
2. राजभाषा अधिनियम को लागू करने में अत्यन्त तत्परता एवं अभिरुचि दिखाई है।
(श्री रामदेव राय, लोकसभा सदस्य)
3. राजभाषा का कार्य सराहनीय है।
(श्री वंधु महतो, संसद सदस्य)
4. हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव करता हूं।
(संयोजक एवं संसद सदस्य डा. रुद्र प्रताप सिंह)

इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के उप सचिव (प्रशा.) मदन मोहन शर्मा ने ग्रुप केन्द्र पल्लीपुरम के राजभाषा संबंधी कार्य तथा उनको सौंपे गए समन्वय कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

मणिपुर हिन्दी परिषद द्वारा संसदीय राजभाषा उप समिति का स्वागत

4 फरवरी, 87 सुबह 11, बजे इम्फाल एरोड्रोम पर मणिपुर हिन्दी परिषद इम्फाल के श्री पं. जगदीश शर्मा—अध्यक्ष श्री अ. चन्द्रमणि सिंह—मंत्री, आचार्य राधा गोविन्द

थोंडाम—संयोजक—स्वागत समिति व प्रचार मंत्री–मणिपुर हिन्दी परिषद ने संसदीय राजभाषा उपसमिति का स्वागत किया। इस समिति के नेता श्री एन. तोम्बी सिंह, सांसद—लोकसभा थे। समिति के प्रमुख सदस्यों में थे—श्री डा. बापू कालदाते, श्री चिन्तामणि जैना, श्री प्रो. मनोरंजन हाल्दार आदि। इस समिति ने 4 फरवरी से 7 फरवरी तक मणिपुर का दौरा किया।

संसदीय राजभाषा उपसमिति के स्वागत में सभा।

4 फरवरी, 87 शाम 3 बजे मणिपुर हिन्दी परिषद प्रांगण में संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति के स्वागत में एक स्वागत सभा हुई। इस स्वागत सभा का आयोजन परिषद के मणिपुर के हिन्दी संस्थाओं की ओर से आयोजित किया। इस स्वागत सभा के मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष मद को सुशोभित किया श्री एन. तोम्बी सिंह–संयोजक संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति तथा श्री पं. जगदीश शर्मा—अध्यक्ष, मणिपुर हिन्दी परिषद। विशिष्ट अतिथियों में थे श्री डां. बापू कालदाते, सांसद, श्री चिन्तामणि जेना–सांसद, श्री मनोरंजन हाल्दार–सांसद, श्री निशिकान्त महाजन –सचिव—संसदीय राजभाषा समिति, गृह मंत्रालय, श्री मूलचन्द शर्मा, श्री पी.सी. पाठक और श्री कृष्णकुमार।

स्वागत सभा का उद्घाटन श्री एन. तोम्बी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर दिया। स्वागत करते हुए आचार्य राधागोविन्द थोंडाम ने कहा, "मणिपुर सहित पूर्वांचल के सातों राज्य हिन्दी के विरोधी नहीं है। हम सब हिन्दी से प्रेम करते हैं। हम अपने बल पर इस अंचल में हिन्दी प्रचार कर रहे हैं। इस अंचल में हिन्दी प्रचार करने हिन्दी प्रदेशों आदि से हिन्दी प्रचारक नहीं आए हैं।"

"यहां यातायात, जीवन यापन, संचार–मुद्रण आदि की भीषण कठिन समस्याएं हैं, इसके बावजूद हम पीछे नहीं रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हम तेजी से हिन्दी को पूरी तरह से अपनाना चाहते हैं, पर केन्द्र सरकार और हिन्दी प्रदेशों की सरकार ने हमारी हमेशा उपेक्षा की है। हमें सहायता देने की बजाय वे तरह–तरह की बाधाएं डालते हैं। उदाहरण में बताया—1958 से 1976 तक हिन्दी अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष मणिपुर को सिर्फ 3 छात्रवृत्तियां दी जाती थी। बहुत चिल्लाने पर 1977 से 10 छात्रवृत्तियां दी जाने लगी है, जबकि मणिपुर के कालेजों में हिन्दी पढ़ने वाले मणिपुरी-नेपाली–जनजाति अध्ययनार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष 40-50 तक पहुंचती है।

श्री अ. चन्द्रमणि सिंह, मंत्री-मणिपुर हिन्दी परिषद ने परिषद की ओर से ज्ञापन पत्र देते हुए कहा, "मणिपुर से लेकर सभी पूर्वांचल के राज्य पहाड़ों, जंगलों और नदी नालों से घिरा है। यातायात के साधन बहुत खराब है। यह प्रदेश बहुत गरीब है तथापि यह राष्ट्रप्रेमी रहा है।" उन्होंने बताया—"केन्द्र सरकार ने आज तक परिषद को 15, 16 हजार रुपये से अधिक सहायता नहीं दी। अतः साधनों के अभाव में हम पूरी तरह से हिन्दी प्रचार करने में असमर्थ हैं।" उन्होंने मांग की कि "मणिपुर को हिन्दी संस्थाओं को उनकी योजनानुसार यथेष्ट आर्थिक अनुदान दिया जाय। कालेजों में पी.यू.सी., बी.ए., एम.ए. में हिन्दी पढ़ने के लिए प्रतिवर्ष 30-30 हिन्दी छात्रवृत्तियां दी जाएं।"

मणिपुर विश्वविद्यालय ने पी.एच.डी. शोध छात्रों का शोधछात्रवृत्ति कम से कम 15 प्रतिवर्ष देने के लिए मांग पत्र दिया। अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने ज्ञापन पत्र दिये। परिषद सहित अनेक हिन्दी संस्थाओं ने उपसमिति के सदस्यों की परम्परागत उपहार भेंट किये। मणिपुरी भाषा हिन्दी लेखक श्री के. वाय. शर्मा "मणिपुरी" तथा श्री निशान ने हिन्दी पुस्तकें भेंट में दी।

मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाषण देते हुए मुख्य-अतिथि सांसद प्रो. एन. तोम्बीसिंह। उनके दाएं सांसद डा. बापू कालदाते तथा श्री निशिकान्त महाजन, सचिव संसदीय राजभाषा समिति, श्री मूलचन्द शर्मा तथा श्री जगदीश शर्मा।

डा. बापू कालदाते ने समिति की ओर से स्वागत का उत्तर देते हुए कहा "हम दिल्ली में बैठकर कल्पना भी नहीं कर सके थे कि मणिपुर में भी आप जैसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा प्रेमी सेवक होंगे। आप सबकी विशेषकर मणिपुर हिन्दी परिषद की हिन्दी के प्रति जो समर्पित भावना है, वह बहुत ही प्रशंसनीय और उत्तम राष्ट्रप्रेम का उदाहरण है। सचमुच आप सब की मांग उचित है, सहायता जन संख्या के आधार पर नहीं बल्कि आवश्यकता के आधार पर दी जानी चाहिए। आप सब जितनी और जैसी कठिन परिस्थितियों और अभावों में भी हिन्दी प्रचार कर रहे हैं, उस परिस्थिति में अन्य लोग नहीं कर सकते। अतः मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और मेरे साथी सदस्य सभी केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर आप सबको हिन्दी सेवा के लिए अधिक साधन–सम्पन्न किया जा सके।"

मुख्य अतिथि श्री एन. तोम्बी सिंह ने कहा—"मणिपुर हिन्दी परिषद के कारण आज अपने साथियों के सामने बिना किसी हिचक के कहने का साहस हो रहा है कि हम (मणि-

पुर के निवासी) राष्ट्रभाषा प्रेमी हैं एवं इसके प्रचार क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। परिषद के अतिरिक्त भी कई हिन्दी संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई हैं, यह हमारे राष्ट्रप्रेम का प्रमाण है। सचमुच आप लोगों ने हिन्दी का प्रचार कार्य कर समाज और राष्ट्र का वह महत्वपूर्ण कार्य किया है जो अंग्रेजी द्वारा नहीं होता और न होगा। इसलिए आप सब मुझसे कई कदम आगे हैं। मैंने कभी औपचारिक रूप से हिन्दी नहीं सीखी अतः मेरे हिन्दी बोलने में गलती हो सकती है, किन्तु जब से मैं सामाजिक जीवन में आया हूं तब से अच्छी तरह से जान लिया है कि अंग्रेजी के बिना भारत का काम चल सकता है किन्तु हिन्दी के बिना असंभव है। हिन्दी हमारे राष्ट्र को जोड़ रही है और नयी स्फूर्तियों से बलवान बना रही है। "अन्त में उन्होंने कहा, मणिपुर की जनता हिन्दी को हृदय से प्यार करती है और वह अपनी राष्ट्र-भाषा को अपनाने में भारत के किसी भी राज्य की जनता से पीछे नहीं रहेगी।"

इस सभा का संचालन डां. इबोहल सिंह काड. जम और डा. देवराज ने किया।

5. हिन्दी में मूल लेखन के लिए नए पुरस्कार

रेलवे बोर्ड ने विभिन्न रेलों पर हिन्दी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूल रूप से हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले सर्वोत्तम मण्डल/कार्यालय/स्टेशन को मान्यता देने के लिए 'रेल मंत्री राजभाषा शील्ड' प्रदान करने की योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत दो शील्डें चलाई जाएंगी। एक संयुक्त रूप से 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के लिए तथा दूसरी केवल 'ग' क्षेत्र के मण्डल/कार्यालय/स्टेशन के लिए। वह शील्ड विजेता मण्डल के मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्यालय प्रमुख/स्टेशन अधीक्षक को प्रदान की जाएगी।

रेलवे बोर्ड ने एक और निर्णय लिया है जिसके अनुसार शील्ड के साथ-साथ 7,000—7,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। जो विजेता मण्डल/कार्यालय/स्टेशन के मूल रूप से हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।

यह पुरस्कार 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में कार्यरत उन कर्मचारियों/अधिकारियों को दिया जाएगा जो 70 प्रतिशत या इससे अधिक काम मूल रूप से हिन्दी में करते हों। लेकिन 'ग' क्षेत्र में यह पुरस्कार उन अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाएगा जो अपना 25 प्रतिशत या इससे अधिक मूल काम हिन्दी में करते हों। पुरस्कार/शील्ड का निर्धारण आवधिक रपटों और निरीक्षण के आधार पर बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

6. परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का उत्तरोत्तर प्रयोग

रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा ने अपने यहां आयोजित सभी परीक्षाओं में उत्तर लिखने के लिए हिन्दी को एक विल्कप माध्यम के रूप में मान्यता दे रखी है। सभी परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित करवाए जाते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी माध्यम से लिखने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कालेज ने एक पुरस्कार योजना लागू की है। इसके अन्तर्गत हिन्दी माध्यम का प्रयोग कर परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होने वाले प्रोबेशनर अधिकारियों को नकद पुरस्कार दिया जाता है।

गत वर्ष आयोजित फाउण्डेशन कोर्स नं. एम-32 में भाग लेने वाले कुल 33 छात्राधिकारियों में से 11 ने विभिन्न विषयों की परीक्षाओं के उत्तर लिखने के लिए हिन्दी माध्यम का प्रयोग किया।

भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के प्रोबेशनल अधिकारी श्री शुभ्रांशु को, उक्त कोर्स में सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी माध्यम से लिखकर अपने पाठ्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर, प्रधानाचार्य के स्वर्ण पदक का पात्र घोषित किया गया है। श्री शुभ्रांशु हिन्दी माध्यम से परीक्षा में प्रश्न-पत्रों के उत्तर देकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पहले प्रोबेशनर अधिकारी हैं।

7. मणिपुर के महान हिन्दी सेवी पदमश्री एन. खेलचन्द्र सिंह का सम्मान

निराला जयन्ती समारोह के दूसरे सत्र में श्री एन. खेलचन्द्र सिंह का सम्मान किया गया। श्री सिंह उन लोगों में हैं, जिन्होंने पहले पहल मणिपुर में रहते हुए हिन्दी सीखी और हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम दिखाया। उनका सारा जीवन मणिपुरी भाषा और साहित्य की सेवा में व्यतीत हो रहा है। प्राचीन मणिपुरी भाषा की सैकड़ों पाण्डुलिपियां उन्होंने संग्रहीत करके सुरक्षित की है। इस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने भाषा एवं साहित्य की सेवा के लिए उन्हें पदमश्री से अलंकृत करने की घोषणा की है। हिन्दी परिषद ने इसी उपलक्ष में उन्हें सम्मानित किया। परिषद् के अध्यक्ष ने परम्परागत ढंग से तिलक करके श्री एन. खेलचन्द्र सिंह को शाल भेंट किया। साथ ही नारियल, सम्मान पत्र और सरस्वती की प्रतिमा भी भेंट में दी।

मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल द्वारा साहित्य गोष्ठियों के रूप में जो कार्यक्रम इस वर्ष से प्रारंभ किया गया है, उन में यह दूसरी महत्वपूर्ण गोष्ठी थी।" इस तरह की गोष्ठियां हिन्दी अध्येयताओं के साथ-साथ मणिपुरी साहित्यकारों के लिए भी बड़ी उपयोगी है"—पद्मश्री एन. खेलचन्द्र सिंह ने अपने सम्मान के आभार ज्ञापन में कहा—"आज देश में सरस्वती पूजा हो रही है। वास्तव में देखा जाय तो इस दिन सरस्वती पुत्रों पर चर्चा करना तथा उनके काव्य-पाठों का आयोजन करना ही सही अर्थों में सरस्वती पूजा है।" श्री खेलचन्द्र ने अनुरोध किया, "मणिपुरी साहित्य के भंडार को हिन्दी में और हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के साहित्य को मणिपुरी में लाने का काम भी हिन्दी सेवकों को करना चाहिए।"

समारोह का संचालन डां. इबोहल सिंह कांड. जम कर रहे थे।

8. हिन्दी कार्य हेतु सेन्ट्रल बैंक पुरस्कृत

राजभाषा नीति एवं सरकार के वार्षिक राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम को लागू कराने में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया प्रमुख भूमिका निभा रही है। वर्ष 1986 में हिन्दी के क्षेत्र में बैंक द्वारा किये गये सराहनीय प्रयासों एवं हिन्दी प्रयोग हेतु अच्छा वातावरण बनाने के लिये केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, आगरा द्वारा बैंक को शील्ड प्रदान की गई। बैंक की ओर से श्री सैयद वकील अहमद कादरी, राजभाषा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय [आगरा ने उक्त] शील्ड प्राप्त की।

यह शील्ड आगरा में आयोजित हिन्दी परिषद के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व उप सचिव, (राजभाषा) एवं हिन्दी व्यवहार संगठन के महामंत्री श्री हरिबाबू कंसल द्वारा प्रदान की गई।

9. श्री खन्ना को हिन्दी में वानिकी साहित्य पुरस्कार

श्री लक्ष्मणसिंह खन्ना द्वारा लिखित ग्रंथ "वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्ध" को 1986 का पांच हजार रुपये का श्रेष्ठ लेखन पुरस्कार विजेता ग्रंथ घोषित किया गया है। यह पुरस्कार श्री खन्ना को वन अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय वानिकी साहित्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। इसके पूर्व श्री खन्ना के चार अन्य ग्रंथ भी पुरस्कृत हो चुके हैं।

तीन हजार रुपये के उत्तम लेखन पुरस्कार का विजेता ग्रंथ श्री प्रेमानंद चन्दोला (नई दिल्ली) द्वारा रचित "वन-उपवन और परिस्थिति विज्ञान" घोषित किया गया है। लेख पुरस्कारों के अंतर्गत साढ़े ग्यारह सौ रुपये के विभिन्न चार पुरस्कारों में 500/–रुपये का प्रथम पुरस्कार श्रीमती लक्ष्मी रावत एवं श्री विजयराज सिंह रावत, (देहरादून) के लेख "भारतीय परिवेश में यूकेलिप्टस और पर्यावरण कुछ वैज्ञानिक तथ्य" को दिया गया है।

अन्य पुरस्कार विजेता लेख और उनके लेखक इस प्रकार हैं—350/–रुपये का उत्तम लेखन पुरस्कार लेख "तेल एवं वसा में आत्मनिर्भरता प्राप्ति में वनों का योगदान" ने प्राप्त किया है जिसके लेखक श्री विजयराज सिंह रावत एवं डा. राकेश कृष्ण सूरी (देहरादून) हैं।

200/–रुपये के सराहनीय लेखन पुरस्कार का विजेता लेख है "वानिकी में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व"। इसके लेखक धनबाद (बिहार) के श्री प्रशान्तकुमार मिश्र एवं श्रीमती चन्दना मिश्र हैं।

100/–रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार श्री शिवप्रसाद, देहरादून के लेख "भारत के विलुप्तशील पक्षी" को दिया गया है।

पुरस्कृत रचनाओं के लेखकों को उनके पुरस्कार प्रशस्ति-पत्र सहित नकद प्रदान किये जायेंगे।

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून वानिकी विषयों पर मूलतः हिन्दी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 1978 से अखिल भारतीय वानिकी साहित्य पुरस्कार योजना का संचालन कर रहा है। वर्तमान पुरस्कारों को मिलाकर वन संस्थान ने अब तक 11 विभिन्न वानिकी ग्रंथों और 32 लेखों को पुरस्कृत किया है।

10. अंतर-बैंक प्रतियोगिता-चल वैजयन्ती

हिन्दी परिषद ने जो गत 4 साल से हिन्दी के प्रयोग को बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है, गत दिनों एक चल "वैजयन्ती की स्थापना कर इस गति को एक स्थायी आधार प्रदान किया। परिषद द्वारा स्थापित चल वैजयन्ती जो "हिन्दी परिषद चल "वैजयन्ती" के नाम से जानी जायेगी, के अन्तर्गत प्रति वर्ष अहमदाबाद स्थित सभी वाणिज्य/राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए एक अन्तर-बैंक प्रतियोगिता हुआ करेगी। प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न बैंकों के सौजन्य से किया जाएगा।

1986 के लिए इसी प्रकार की प्रथम प्रतियोगिता देना बैंक के सौजन्य से दिनांक 22-11-86 को आयोजित की गई। इस प्रथम वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय था "कम्प्यूटर के प्रयोग से बैंकिंग सेवाओं में सुधार होगा।" प्रतियोगिता में 15 बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के श्री एस. ए. आनंद, द्वितीय श्री राजेश जोशी देना बैंक, एवं तृतीय श्री एस. पी. कानेटकर केनरा बैंक रहे। जिन्हें देना बैंक की ओर से क्रमशः 151, 101, एवं 51 रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। एक विशेष पुरस्कार अहिन्दीभाषी वर्ग में नाबार्ड के श्री रोशन तोलानी ने प्राप्त किया। वैजयन्ती देना बैंक को प्राप्त हुई।

11. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगिता – 1987

नाम प्रतियोगिता	आयोजन की दिनांक
अखिल भारतीय 23 वीं हिन्दी निबंध	24/25-7-87 शुक्र-शनि
22 वीं हिन्दी व्यवहार	1-8-87 से 30-9-87 तक
देवनागरी तार प्रतियोगिता	1-8-87 से 31-8-87 तक
28 वीं हिंदी टाइपिंग	6/7-9-87 रविवार, सोमवार
26वीं हिन्दी आशुलिपि	6-9-87 रविवार
22 वीं हिंदी टिप्पण—प्रारूप लेखन	15-10-87
हिन्दी वाक्	11/87 से कभी भी स्थानीय सुविधानुसार

1	2
9वीं वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी-लेख	1-10-86 से 31-8-87 तक

विस्तृत विवरण एवं नियमावली, कृपया, प्रतियोगिता मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद्, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली से प्राप्त किए जाएं।

डा. सूरजपाल शर्मा
महामंत्री

12. केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली

पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 1987) में आयोजित पाठ्यक्रम

क्रम सं.	तिथियां	कार्य दिवस	पाठ्यक्रम
1.	20-4-87 से 24-4-87 तक	5	भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों तथा बैंकों आदि के कनिष्ठ अनुवादकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
2.	27-4-87 से 1-5-87 तक	5	भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों तथा बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला।
3.	4-5-87 से 8-5-87 तक	5	भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अवर सचिव तथा अन्य उच्च अधिकारियों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला।
4.	18-5-87 से 22-5-87 तक	5	भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों तथा बैंकों आदि के वरिष्ठ अनुवादकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
5.	1-6-87 से 5-6-87 तक	5	भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों तथा बैंकों आदि के हिन्दी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

13. कोश – निर्माण योजना

सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने तथा संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषा को परस्पर निकट लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी के विकास एवं प्रचार-प्रसार की विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है। इन्हीं में से कोश-निर्माण की योजना के अंतर्गत हिंदी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के कोश तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत एक भारतीय भाषा कोश (जिसमें हिंदी प्रविष्टि के सामने सभी भारतीय भाषाओं के पर्याय दिए गए हैं), 13 हिंदी मूलक और 13 प्रादेशिक भाषामूलक द्विभाषा कोश एवं हिंदी तथा प्रादेशिक भाषामूलक 12-12 त्रिभाषा कोश प्रकाशित करने की योजना है। त्रिभाषा कोशों में तीसरी भाषा अंग्रेजी है।

अब तक एक भारतीय भाषा कोश, 6 द्विभाषा एव 4 त्रिभाषा कोश प्रकाशित हो चुके हैं।

भारतीय भाषा कोश :—इसमें लगभग 5000 प्रविष्टियां हैं। इस कोश के एक ही जिल्द में दो खंड हैं। पहले खंड में प्रविष्टियों को वर्गीकृत किया गया है तथा दूसरे खंड में सामान्य शब्दावली है। कोश में पहले हिंदी प्रविष्टि देकर तत्पश्चात् निदेशालय द्वारा परिवर्धित देवनागरी लिपि में सभी भारतीय भाषाओं के पर्याय दिए गए हैं। इस कोश के दूसरे खंड की विशेषता यह है कि इसमें मूल प्रविष्टि के मुख्य अर्थ भी दिए गए हैं। यह कोश इस बात का परिचायक है कि भारतीय भाषाओं में पर्याप्त समानता है और वे आपस में बहुत ही निकट हैं, भले ही विभिन्न लिपियों में लिखी जाने के कारण वे अलग-थलग दिखाई देती हों।

द्विभाषा कोश :—प्रत्येक द्विभाषा कोश में आम बोलचाल के के लगभग 10,000 शब्दों (हिंदी) के संबंधित प्रादेशिक भाषा में पर्याय दिए गए हैं। इन कोशों में मूल हिंदी शब्द तथा प्रादेशिक भाषा के पर्याय स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाष दोनों ही की लिपियों में दिए गए हैं ताकि दोनों में से किस एक लिपि को जानने वाला व्यक्ति भी इन से लाभ उठा सके। इन कोशों की आधारभूत शब्दावली का चयन उनके प्रचलित प्रयोग को दृष्टि में रख कर किया गया है। इसके अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के उन शब्दों को भी ले लिया गया है जो हिंदी में घुलमिल गए हैं।

अब तक हिंदी-गुजराती, हिंदी-तमिल, हिंदी-असमिया, हिंदी-मराठी, हिंदी-सिंधी और हिंदी-उर्दू कोश प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी-तेलुगु, हिंदी-उड़िया और हिंदी-मलयालम कोश मुद्रणाधीन हैं।

त्रिभाषा कोश :—अब तक हिंदी-गुजराती-अंग्रेजी, हिंदी-कन्नड-अंग्रेजी, हिंदी-तमिल अंग्रेजी तथा हिंदी-मलयालम-अंग्रेजी त्रिभाषा कोश प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक त्रिभाषा कोश में आम बोलचाल के लगभग 20,000 हिंदी शब्द तथा संबंधित

प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी में इनके पर्याय दिए गए हैं। कोशों में मूल हिंदी शब्द के पर्याय प्रादेशिक लिपि और देवनागरी दोनों में दिए गए हैं ताकि इनमें से किसी एक लिपि को जानने वाला व्यक्ति भी इनसे लाभान्वित हो सके।

उपर्युक्त कोशों के प्रकाशन से भारतीय भाषाओं में संदर्भ ग्रंथों के अभाव की पूर्ति हो सकेगी, ऐसी आशा की जा सकती है।

पुस्तक समीक्षा

कार्यालय दीपिका

—गुरू

सरकारी कार्यालयों में ऐसे अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो हिन्दी में काम करने के इच्छुक हैं किन्तु काफी समय से अंग्रेजी में काम करते रहने के कारण वे हिन्दी में काम करने का साहस नहीं जुटा पाते। उनके मन में बहुधा यह प्रश्न उठता है कि वे हिन्दी में पत्र या टिप्पणी कैसे लिखें, किन शब्दों का प्रयोग करें तथा क्या शैली अपनाएं। कार्यालय दीपिका में ऐसे प्रश्नों और शंकाओं का सहज एवं सरल रूप में समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

इस पुस्तक में अत्यन्त विस्तृत, विविधता पूर्ण तथा उपयोगी सामग्री है जो न केवल सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के इच्छुक व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी और उनका मार्गदर्शन करेगी वरन सामग्री इस ढंग से प्रस्तुत की गई है कि उससे पाठक के हृदय में अपने हिन्दी ज्ञान के विषय में और हिन्दी संबंधी क्षमता के विषय में आत्मविश्वास जागृत होगा।

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जो वार्षिक-कार्यक्रम बनाया जाता है उसमें हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन पर बल दिया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में रूटीन विषयों का काम हिन्दी में करने का अभ्यास करा दिया जाता है लेकिन अभ्यास सामग्री के अभाव में अधिक महत्व के या तकनीकी विषय नहीं छुए जाते। कार्यालय दीपिका उस अभाव की पूर्ति का एक प्रयास है। पुस्तक 80 अध्यायों में है जिनमें न केवल स्थापना, प्रशासन, कार्मिक, वित्त, लेखा-परीक्षा आदि से संबंधित टिप्पणियां, एवं पत्राचार के अंश द्विभाषी रूप में दिए गए हैं, अपितु उत्पादन, सामग्री खरीद, टेंडर, संविदा, विपणन, सुरक्षा, ग्राहक सेवा, श्रम संबंध, शेयर पूंजी, लाभांश, विधिक कार्यवाही आदि जैसे विषयों को टिप्पणियों तथा पत्राचार की भी पर्याप्त सामग्री दी गई है। इससे सामान्य कार्यालयों के कर्मचारी ही नहीं अपितु सरकारी उपक्रमों के तकनीकी तथा वाणिज्यिक आदि विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी भी लाभ उठा सकेंगे।

सरकारी सेवा में नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को सरकारी काम-काज के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। प्रशिक्षण संस्थान नव नियुक्त कर्मचारियों को सरकारी कामकाज के स्वरूप का परिचय प्रदान करने के लिए "कार्यालय दीपिका" को उपयोगी पाएंगे।

शब्दावली चयन, उनके प्रयोग तथा शैली आदि के संबंध में "कार्यालय दीपिका" से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा और इसमें दिए गए हजारों द्विभाषी उदाहरणों से अनुवाद कार्य में सहायता मिलेगी।

पुस्तक की छपाई अच्छी है तथा शुद्धता का भी ध्यान रखा गया है परन्तु पुस्तक का मूल्य अधिक होने से सामान्य कर्मचारी की क्रय-शक्ति से बाहर की बात है, फिर भी हिन्दी पुस्तकालयों के लिए पुस्तक संग्रहणीय है।

लेखक : हरिबाबू कंसल

प्रकाशक : सुधांशु बन्धु ई-9/23, बसन्त विहार,
नई दिल्ली-110057

पृष्ठ : 550

मूल्य : 90.00 रु.

□

"हिन्दी के विकास में विदेशी विद्वानों का योगदान"

—भैरव नाथ सिंह

हिन्दी भारत संघ की राजभाषा और देश की संपर्क भाषा के पद पर आसीन है। उसे यूनेस्को की भाषा भी घोषित किया जा चुका है और उम्मीद है कि भविष्य में वह संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा भी बने। हिन्दी वस्तुतः विश्व भाषा के स्तर पर निरन्तर अग्रसर हो रही है।

यह हम सभी जानते हैं कि हिन्दी अपने वर्तमान रूप और स्तर पर पहुंचने से पहले विकास प्रक्रिया के अनेक चरणों से गुज़र चुकी है। उसके विकास प्रसार में हिन्दी जगत के विद्वानों के अतिरिक्त देश के अनेक हिन्दीतर लेखकों, विचारकों और मनीषियों का भी योगदान उसे प्राप्त हुआ है। यूं तो यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि हिन्दी के विकास में भारत के बाहर के अनेक विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक उद्धरण देखिए:—

"विश्व के विभिन्न देशों में आज हिन्दी लगभग 100 विश्वविद्यालयों में पाठ्य-विषय बन गई है। अमेरिका के 33 विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षा और अध्ययन की व्यवस्था है। कैलिफोर्निया, शिकागो, कोलम्बिया, न्यूयार्क, टैक्सास, ड्यूक आदि विश्वविद्यालयों में हिन्दी के उन्नत अध्यन केन्द्रों तथा शोध केन्द्र हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान विभाग के अंतर्गत हिन्दी शिक्षा का कार्यक्रम चालू है। अमेरिका के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा अथवा साहित्य का

कोई भी विषय लेकर पी एच. डी. के लिए शोध कार्य करने की व्यवस्था है। इंग्लैंड के भी आक्सफोर्ड, लीड्स, लन्दन और और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन का प्रबंध है। सोवियत संघ की मास्को यूनिवर्सिटी, लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी तथा ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में हिन्दी शिक्षण अध्ययन तथा शोध की व्यवस्था है। जर्मनी में तो हिन्दी अनुसंधान के क्षेत्र में काफी प्रेरणादायक कार्य हो रहे हैं। यहां 17 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। थाईलेंड के चांग भाई विश्वविद्यालय तथा आस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी, केनबरा में हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन की सुविधाएं आज प्राप्त हैं। श्री लंका के विश्वविद्यालयों में बी.ए. स्तर तक हिन्दी पढ़ाई जाती है। मारीशस में सरकारी स्तर पर, माध्यमिक कक्षाओं में हिन्दी शिक्षण का प्रबंध है। आठ लाख की आबादी के इस क्षेत्र में लगभग 300 पाठशालाओं में तथा इतनी ही स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित पाठशालाओं में हिन्दी के शिक्षण की व्यवस्था है। ट्रिनिडाड तथा टोबैको में 32 ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें बी. ए. स्तर तक हिन्दी पढ़ाई जाती है। इन संस्थाओं के माध्यम से हजारों व्यक्ति प्रतिवर्ष हिन्दी शिक्षा प्राप्त करते हैं। सूरीनाम में 150 संस्थाएं हिन्दी शिक्षण में लगी हुई हैं। इन देशों के अतिरिक्त बर्मा, फीजी, गयाना कीनिया, आदि देशों में भी दर्जनों संस्थाएं हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चालू कर रही हैं।"

उपर्युक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आज हिन्दी का प्रयोग क्षेत्र भारत के बाहर यूरोप, अमरीका और अन्य महाद्वीपों के देशों में भी फैलता जा रहा है। उपर्युक्त उद्धरण "हिन्दी के विकास में विदेशी विद्वानों का योगदान" नामक पुस्तक से लिया गया है जिसके लेखक डा. जोस आस्टिन ने बहुत परिश्रम करके एक ऐसा संकलन तैयार कर दिया है जो कि हिन्दी भाषा के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है।

पुस्तक में 6 अध्याय रखे गए हैं जिसमें "विदेशों में हिन्दी विकास की परम्परा, साहित्य के इतिहास-लेखन, अनुसंधान-क्षेत्र के उद्गम और विकास तथा बोलियों के अध्ययन में अमूल्य विदेशी योगदान", "भाषा-विज्ञान, व्याकरण कोश तथा पारिभाषिक शब्दावली, पाठ्य-पुस्तक निर्माण तथा अध्ययन-अध्यापन में विदेशी विद्वानों का का योगदान", सृजनात्मक लेखन तथा अनुवाद के क्षेत्र में विदेशी विद्वानों का योगदान; तथा उपसंहार आदि सम्मिलित हैं।

मेरे विचार से किसी भी भाषा के जितने अंग हो सकते हैं उन के संबंध में विदेशी विद्वानों के योगदान के बारे में इस पुस्तक में तथ्यों को समाविष्ट किया गया है। आज जबकि भारत में हिन्दी को लेकर कहीं-कहीं छिटपुट विरोध भी नज़र आ जाता है उस समय एक हिन्दीतर विद्वान द्वारा इस प्रकार का प्रयास अत्यंन्त सराहनीय माना जाएगा। साथ ही ऐसे जानकारी भी चर्चित ग्रंथ से मिल सकती है जिसमें हिन्दी के संबंध में फैली अनेक गलतफहमियों को दूर करने में सहायता मिल सकती है।

मेरा विश्वास है कि विश्व भाषा बनने के लिए हिन्दी का जो परिप्रेक्ष्य बन रहा है उसमें इन विदेशी हिन्दी विद्वानों की हिन्दी सेवाएं निश्चय ही विशेष भूमिका अदा कर सकेंगी। साथ ही मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार किए जाने की आवश्यकता है इससे जहां लेखक डा. जोस आस्टिन का उत्साहवर्धन हो सकेगा, वहीं अन्य विद्वानों को भी इस प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिल सकेगी।

लेखक : डा. जोस आस्टिन

प्रकाशक : अनुराग प्रकाशन,
3/1079-ई, महरोली,
नई दिल्ली-110030

पृष्ठ : 263

मूल्य : 85 रुपए

आदेश-अनुदेश

सं. 11011/1/86-1 रा.भा (घ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून, 1987

विषयः—हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे हिन्दी, हिन्दी/टंकण/आशुलिपि के अंशकालिक केन्द्रों को खोलना बंद करना।

उपर्युक्त विषय पर अब तक जारी किए गए आदेशों का अधिग्रहण करते हुए मुझे हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में हिंदी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों के खोलने/बंद करने का अधिकार संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशकों, को प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। सभी उप निदेशकों से निवेदन है कि वे स्थान विशेष पर हिंदी, हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि के अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने/बंद करने का निर्णय लेने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:—

(1) स्थान विशेष पर प्रशिक्षार्थियों की संख्या कितनी है।

(2) क्या वहां पर केन्द्र खोलने के लिए स्थान, फर्नीचर इत्यादि की सुविधाएं संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

(3) क्या उस स्थान पर अंशकालिक प्रशिक्षण का काय करने के लिए उपयुक्त किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी की सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

(4) क्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, जिनकी अंशकालिक प्रशिक्षक नियुक्त किया जाता है, को निर्धारित दरों पर मानदेय दिया जा सकता है।

2. इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया कि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अंशकालिक केन्द्रों के लिए अंशकालिक प्रशिक्षक नियुक्त करने की शक्तियां पूर्ववत संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशकों के पास हो रहे। उप निदेशकों से यह निवेदन है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित हिंदी अंशकालिक प्रशिक्षक पद के लिए न्यूनतम योग्यता रखता है।

3. हिंदी, हिंदीटंकण, हिंदी आशुलिपि के अंशकालिक प्रशिक्षकों को निर्धारित दरों पर मानदेय देने की शक्तियां पूर्ववत् संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशकों के पास ही रहेगी।

4. किसी भी स्थान पर हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिंदी, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि के अशंकालिक केन्द्रों के खोलने तथा बंद करने तथा अंशकालिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति संबंधी आदेशों की प्रतियां इस विभाग को, निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि) को भेजी जाएं।

वीरेन्द्र पाल सिंह,
उप सचिव, भारत सरकार

सं० 13017/1/81-रा०भा० (ग)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषयः—भारत सरकार के कार्यालयों में अनुवादकों और पुनरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा संबंधी मानकों का पुनर्निर्धारण।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को विदित है दिनांक 1 जनवरी, 1973 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/3/70-रा. भा. के द्वारा प्रत्येक अनुवादक के लिए प्रतिदिन 1350 शब्दों के अनुवाद की मात्रा निर्धारित की गई थी और दिनांक 2 फरवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/1/75-रा. भा. (ग) के द्वारा प्रत्येक पुनरीक्षक के लिए 4700 शब्द प्रतिदिन पुनरीक्षण करने की मात्रा निर्धारित की गई थी। इन मानकों के पुनर्निर्धारण का मामला पिछले कुछ समय से इस विभाग के विचाराधीन था और कुछ मंत्रालयों/विभागों में कार्य अध्ययन कराने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि यह मानक बढ़ाए जाने का औचित्य है। दैनिक कार्य समय में वृद्धि होने के कारण भी मानकों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है।

2. वित्त मंत्रालय (कर्मचारी निरीक्षक एकक) की सलाह पर अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुवाद कार्य को "साधारण" और "तकनीकी" रूप में वर्गीकृत किया जाए तथा कार्य मानक निम्न प्रकार किए जाएं:—

	साधारण	तकनीकी
अनुवाद	1750 शब्द प्रतिदिन	1350 शब्द प्रतिदिन
पुनरीक्षण	5800 शब्द प्रतिदिन	4000 शब्द प्रतिदिन

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद कार्य की विशेष प्रकृति को देखते हुए उस ब्यूरो में अनुवादकों के लिए प्रति अनुवादक 1300 शब्दों का मानक होगा। अनुवाद की सामग्री का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाए:—

सामान्य

(क) वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टें

(ख) सामान्य आदेश, अनुदेश परिपत्र आदि

(ग) संसदीय कार्य-संसद प्रश्न, आश्वासन, ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव, आदि

(घ) नेमी पत्राचार

(ड.) विभिन्न आयोगों/कमेटियों की रिपोर्टें

तकनीकी

(क) नीति विषयक रिपोर्ट जैसे आयात निर्यात नीति

(ख) श्वेत-पत्र

(ग) विभिन्न मंत्रालयों का वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य

(घ) वैज्ञानिक तथा तकनीकी रिपोर्टें जैसे योजना आयोग, केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्टें

(ड.) मैनुअल, कोड तथा अन्य कार्यविधि साहित्य

कोई सामग्री सामान्य है या तकनीकी, इस बारे में वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा, परन्तु यदि किसी विभाग की अनुवादकीय का 25% या अधिक भाग "तकनीकी" श्रेणी में रखा जाता है तो आंतरिक कार्य अध्ययन एकक द्वारा अध्ययन आवश्यक होगा।

3. विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड द्वारा जो कार्य किया जाता है वह अन्य मंत्रालयों/विभागों से भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए ये मानक उस खण्ड में कार्य कर रहे अनुवादकों पर लागू नहीं होंगे।

4. वित्त मंत्रालय, आदि से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए निदेश सभी संबंधितों के ध्यान में ला दें।

गोविन्द दास बेलिया,
उप सचिव

सं. 1/14034/17/86-रा. भा. (क-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

दिनांक 23 जनवरी, 1987

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—सरकारी विज्ञापन द्विभाषिक रूप में जारी करना।

× × × ×

राजभाषा विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि केन्द्रीय सरकार के कई मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि सरकारी विज्ञापनों को द्विभाषिक रूप में तैयार नहीं करते हैं। यह भी देखने में आया है कि हिन्दी समाचारपत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में प्रकाशित किए जा रहे हैं। सरकारी विज्ञापनों को द्विभाषिक रूप में जारी करने के अनुदेश गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/20/69-रा भा दिनांक 6-4-1971 में दिए गए हैं।

2. सरकारी विज्ञापनों को हिन्दी और अंग्रेजी में जारी करना केन्द्रीय सरकार की द्विभाषिक नीति के अधीन आवश्यक है। अतः केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा विज्ञापन सामग्री को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाए तदुपरान्त विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को भेजा जाए। इस तरह दृश्य और प्रचार निदेशालय को विज्ञापन सामग्री दोनों भाषाओं में जारी करने में सहूलियत होगी तथा विज्ञापन सामग्री को छपवाने में भी देर न होगी।

3. केन्द्रीय सरकार की द्विभाषिक नीति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन कम्पनियां, निगम, उपक्रम आदि भी अपने विज्ञापन दोनों भाषाओं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ तैयार कर के जारी करवाएं।

4. उपर्युक्त अनुदेश तमिलनाडु राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों आदि पर लागू नहीं होंगे।

5. केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे सरकारी विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में तैयार और जारी करने के उपर्युक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें तथा इन अनुदेशों को अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में ला दें। इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों की प्रति इस विभाग को सूचनार्थ भेज दें।

गोविन्द दास बेलिया,
उप सचिव

UNIVERSITY OF KERALA

(Abstract)

Recognition of Hindi Bhasha Praveen Examination conducted by the Karnataka Mahila Hindi Seva Samithi. Granted. Orders issued

ACADEMIC 'C' SECTION

No. Ac. C3/1100/86 (Recogn.) Dated, 2nd February 1987. Trivandrum,

Read : Representation from the Secretary, Karnataka Mahila Hindi Seva Samithi, dated 3-11-1986 .

ORDER

Sanction has been accorded by the Vice-Chancellor subject to ratification by the Academic Council to the Hindi Bhasha Praveen Examination conducted by the Karnataka Mahila Hindi Seva Samithi, being recognised on condition that candidates who have passed Hindi Bhasha Praveen of the Karnataka Mahila Hindi Seva Samithi and who are also holders of Bachelor's Degree of any recognised University are permitted to appear for M.A. Degree Course in Hindi of this University, treating the Hindi Bhasha Praveen Examination as equivalent to part II Hindi of the above Bachelor's Degree Course.

Date 2-2-1987

(S. DAIVANAYAGOM PILLAI)

Deputy Registrar (Acad. I) for Registrar

गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में
भारत के राजदूत महामहिम श्री बच्चूप्रसाद सिंह सुरीनाम के राजनयिकों के साथ

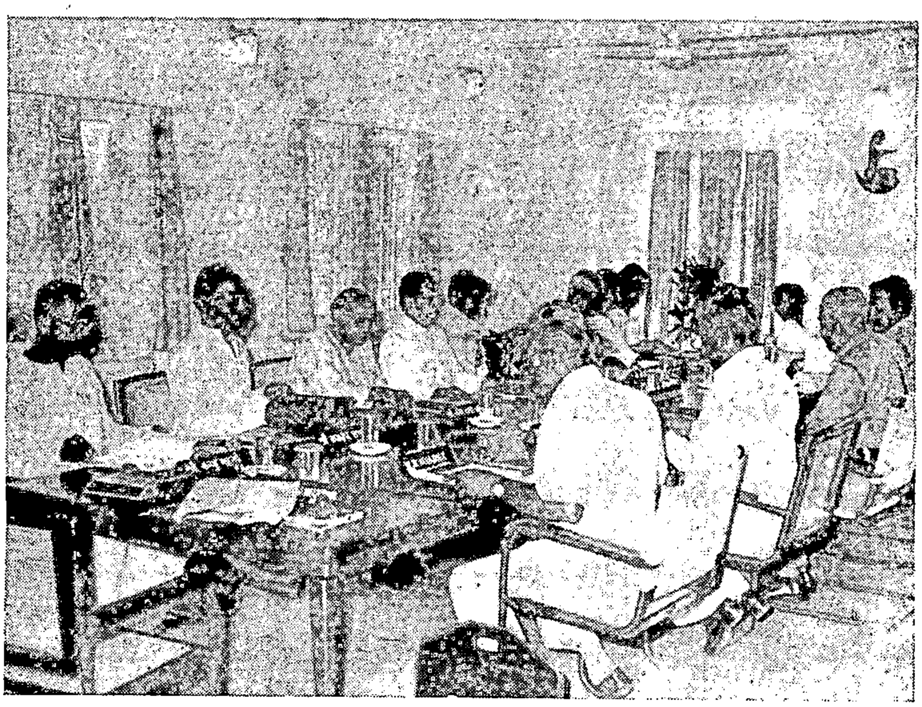

राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करते हुए संसदीय राजभाषा समिति को प्रथम उपसमिति के सदस्य तथा के. रि.पु० बल के अधिकारीगण ।

कृपया राजभाषा भारती में प्रकाशन के लिए रचना/सामग्री भेजते समय ध्यान दें :—

- राजभाषा भारती में केवल राजभाषा हिन्दी से संबंधित सामग्री स्वीकार की जाती है। उसमें कविताएं, कहानियां, नाटक आदि नहीं छापे जाते।
- सभी प्रकार की रचनाएं दो प्रतियों में अच्छे कागज के एक ही ओर टंकित की हुई अथवा हाथ से साफ-साफ लिखी होनी चाहिए।
- राईस पेपर पर टंकित सामग्री का प्रकाशन संभव नहीं होगा।
- अस्वीकृत रचनाएं वापिस पाने के लिए टिकट लगा लिफाफा संलग्न करें।
- स्वीकृत रचनाएं सुविधानुसार किसी भी आगामी अंक में छापी जा सकती हैं।
- विभिन्न बैठकों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, हिन्दी दिवस/ समारोह आदि की रिपोर्ट/आलेख एक-दो पृष्ठ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवरण के साथ एक या दो से अधिक चित्र नहीं भेजने चाहिए।
- चित्रों के केपशन अवश्य लगाएं।
- चित्रों में सक्रियता की झलक होनी चाहिए।
- आयोजन की समाप्ति के तत्काल बाद रिपोर्ट/आलेख भेजने का कष्ट करें।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए डा. गुरुदयाल बजाज द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड़, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।